यापनीय और उनका साहित्य

श्रीमती डॉ० कुसुम पटोरिया

वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन

ग्रन्थमाला सम्पादक व नियामक
डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य,
सेवा-निवृत्त रीडर जैन-बौद्धदर्शन, प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञान सकाय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–५

●

यापनीय और उनका साहित्य

●

लेखका
श्रीमती डॉ. कुसुम पटोरिया

●

ट्रस्ट-संस्थापक
आचार्य जुगल किशोर मुख्तार 'युगवीर'

●

प्रकाशक
मत्री, वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट,
प्राप्ति-स्थान
व्यवस्थापक
वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट,
बी० ३२/१३ बी०, नरिया,
का० हि० वि०, वाराणसी-५

●

प्रथम सस्करण ५००
१९८८

●

मूल्य चालीस रुपए

●

मुद्रक
बाबूलाल जैन फागुल्ल
महावीर प्रेस,
भेलूपुर, वाराणसी

प्रथम परिच्छेद

जैन परम्पराकी विलुप्त तृतीय शाखा : यापनीय और उसका उदय

प्रकाशकीय

'यापनीय और उनका साहित्य' कृतिका प्रकाशन करते हुए हमें हर्ष है। कई वर्ष पूर्व इसके प्रकाशनकी चर्चा आयी थी। पर हमने इसे न देखा था और न पढा था। जब मेरे पास यह ग्रन्थ आया तब हम बहुत व्यस्त थे तथा स्वास्थ्य भी ठीक नही था। अत हम इसे आद्योपान्त पढ नही सके और लेखिकाको लौटा दिया। यह पाँच-छह वर्ष पहलेकी बात है। इसके बाद पुन चर्चा आयी तो हमने उसे मँगाकर मनोयोगपूर्वक आद्योपान्त पढा और लगा कि इसका प्रकाशन अवश्य होना चाहिए। इसके प्रकाशनसे इस विलुप्त परम्पराके, जो डेढ हजार वर्ष तक विद्यमान रही, सम्बन्धमे विद्वानोंको प्रचुर जानकारियाँ मिलेंगी। तथा अनुसन्धान करने वालोंके लिए विपुल सामग्री उपलब्ध होगी। वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट और उसके सस्थापक स्व० आचार्य जुगलकिशोर मुख्तारकी ऐसे शोध-खोजके कार्योंके प्रति सदा रुचि रही और जीवनभर उसीमें वे डूबे रहे। आज वे होते तो वे इसकी लेखिका श्रीमती डॉ० कुसुम पटोरियाको अवश्य प्रोत्साहित करते हुए आशीर्वाद देते।

नि.सन्देह डॉ० पटोरियाने इसमें बडा परिश्रम किया है और कहाँ-कहाँसे उन्होने सामग्री एकत्रित की है। इसके लिए उन्हें यात्राएँ करना पडी हैं। यापनीयोंके मुख्य उद्भव स्थान कर्नाटक भी जाना पडा है। यह भी सच है कि स्व० प० नाथूराम प्रेमी और डॉ० ए० एन० उपाध्येने इनके मार्गको प्रशस्त किया है। श्रीमती पटोरियाने जो तथ्य और निष्कर्ष निकाले हैं वे यद्यपि उत्तेजक एव समीक्षा-योग्य हो सकते हैं। किन्तु वे विद्वानोंके लिए विचारणीय अवश्य हैं। और हम कहेंगे कि विद्वानोंको उन-पर अवश्य विचार करना चाहिए। यह तथ्य तो सभीको स्वीकार्य होगा कि दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दो जैन धाराओंको जोडनेवाली यह धारा रही है, जिसे यापनीय कहा जाता था, जिसके अन्दर भी काष्ठा, माथुर आदि कई छोटी-छोटी धाराएँ अपने-अपने क्षेत्रमें बह निकली हैं। यापनीय कठोर तपस्वी, जिनधर्म प्रभावनामें तत्पर और साहित्य-सर्जक रहे हैं। जब उनके कई विचारो तथा आचारोका दिगम्बरो और श्वेताम्बरो द्वारा विरोध होने लगा तो उन्हें इन दोनोंमे खासकर दिगम्बरोंमें मिल जाना पडा। उनका साहित्य, मूर्तियाँ, मन्दिर आदि भी उन्हींमें समाहित हो गये। आ० कुन्दकुन्दके नामपर बने मूल सघसे उन्हें सम्भवत सामना करना पडा। मूल सघका निर्माण उनके बढते हुए शिथिलाचारको रोकनेके लिए आवश्यक था। बौद्धोंमें जब शिथिला-रकी पराकाष्ठा हो गयी तो उसे जन्म स्थान छोडकर बाहर जाना पडा। शायद स्थिति यापनीयोकी रही होगी। पर उनके सगठन और प्रभावको भुलाया नही सकता

इस दिशामें श्रीमती डॉ० कुसुम पटोरियाका प्रयास निश्चय ही श्लाघ्य है। हमें खुशी है कि वे नागपुर विश्वविद्यालयमें संस्कृत-विभागमें व्याख्याता होती हुई भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी और मराठी भाषाओंकी विशेषज्ञ है तथा साहित्य-सृजनमें संलग्न हैं। हम उन्हें इस महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान-कृति 'यापनीय और उनका साहित्य'को प्रस्तुत करनेके लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देते हैं।

ट्रस्टके सभी सदस्यगण भी धन्यवादार्ह है, जिनका सहयोग हमें सदा मिलता रहता है। इस अवसरपर हम अपने अनन्यमित्र स्व० श्री मोतीलालजीके सुयोग्य पुत्र प्रिय जयप्रकाश एवं उनके परिवारको नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमारे वाराणसी-प्रवासमें हमें सभी सुविधाएँ प्रदान की और इस ग्रन्थके प्रकाशनमें सक्षम हो सके।

प्रिय बाबूलालजी फागुल्ल मालिक महावीर प्रेसको हमारा हृदयसे धन्यवाद है, जिन्होंने बड़ी तत्परतासे एक-सवामाहमें इस ग्रन्थको छापकर दे दिया। प्रिय श्रीलालजी जैन व्यवस्थापक, वीर सेवामन्दिर ट्रस्टने प्रूफ संशोधन आदिमें लगनके साथ सहयोग किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद है।

४ भोगावीर कॉलोनी, — **डॉ० दरबारीलाल कोठिया**

लंका, वाराणसी-५, — मानद मंत्री

१८-१२-१९८८,

निवेदन

यापनीय सघ जो कि जैन परम्पराकी तीसरी मध्यमार्गी धारा थी। उसका आज अस्तित्व लुप्त हो चुका है। उसका नाम भी जैन समाजके स्मृतिपटलसे मिट चुका था। ऐसी स्थितिमें इस सम्प्रदायके परिचयको पुन प्रकाशमें लानेका श्रेय दो मूर्द्धन्य विद्वानों स्व० प० नाथूराम प्रेमी व स्व० डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्येको है। इस विषयमें इन दोनो विद्वानोंके कतिपय महत्वपूर्ण शोध-निबन्ध प्रकाशमे आये हैं, जिनसे प्रेरणा पाकर मेरे मनमें यापनीयोके सम्बन्धमे अधिक जाननेकी उत्सुकता व इस विषय पर कार्य करनेकी इच्छा जागृत हुई। श्रद्धेय डॉ० भागचन्द्र जैन (विभागाध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, ना० वि० वि०, नागपुर) ने इसके लिए प्रोत्साहित किया। तदर्थ मैं उनकी हृदयसे ऋणी हूँ। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशामें प्रयासकी परिणति है।

विषयकी गहनताके कारण प्रबन्ध-लेखनकी अवधिमें अनेक बार निराशा ही हाथ लगी। इस निराशाजनक स्थितिसे उबारा स्नेहमूर्ति डॉ० दरबारीलाल कोठियाने। वार्द्धक्य और अस्वस्थताके उपरान्त भी जिस तत्परतासे वे मेरा मार्गदर्शन करते रहे, उसके लिए कृतज्ञता और आभार प्रदर्शनके लिए मेरे शब्द असमर्थ हैं। वैसे आजीवन उनकी ऋणी रहना ही मेरे लिए सुखद भी है। उन्होने ग्रन्थको अपने आशीर्वचनोंसे अलकृत करनेकी कृपा की है।

प्रस्तुत प्रबन्ध छह परिच्छेदोमें विभक्त है। प्रथम परिच्छेदमें भ० पार्श्वनाथकी परम्परासे लेकर भद्रबाहुस्वामी तककी परिस्थितियोंका विश्लेषण करते हुए यापनीयों-के प्रादुर्भावकी पृष्ठभूमिपर विचार किया है। द्वितीय परिच्छेदमें अन्य दिगम्बर सघोका विवरण देते हुए यापनीयोसे उनके सम्बन्ध तथा यापनीयोकी उन संघोमें विलीनीकरणकी प्रक्रियापर विचार किया गया है। तृतीय परिच्छेदमें परम्पराकी दृष्टिसे विवादास्पद ग्रन्थोंकी परम्पराको निर्धारित करनेका प्रयास है।

यापनीय ग्रथकार उदारचेता व साम्प्रदायिक अभिनिवेशसे रहित रहे हैं, इसलिए इन्होने प्रत्यक्ष रूपमें ऐसे कोई सकेत नही छोडे हैं, जिनसे कि किसी निष्कर्ष पर आसानीसे पहुँचा जा सके। ये ग्रथकार प्राय अपने सम्प्रदायके उल्लेखसे भी दूर रहे हैं। प्रतिकूल विचारधाराके खडनमें भी इन्होने रुचि नही ली है। यही कारण है कि इनका साहित्य सरलतासे दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदायोमें अन्तर्भुक्त हो सका है। साथ ही दूसरी परम्परामें अन्तर्भुक्त होने पर इस साहित्यने अनेक प्रक्षेपणोको सहा है, इसके प्रमाण है। प० कैलाशचन्द्र शास्त्रीने वर्तमान भगवती आराधना और उसकी विजयोदया टीकामें अनेक अन्तरोका उल्लेख किया है।

यापनीयोकी तटस्थवृत्तिके अतिरिक्त दिगम्बर-श्वेताम्बरोकी उपेक्षा भी इनके साहित्यके कालकवलित होनेका कारण है। 'यापनीयतन्त्र' जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रथकी अनुपलब्धि इसका प्रमाण है, जो कि यापनीयोके सिद्धान्तोको समझने में प्रामाणिक साधन हो सकता था। आचार्य हरिभद्रसूरिकी कृपासे इस ग्रन्थका नाम सुरक्षित रह गया है।

उपर्युक्त कारणोसे तथ्योकी उपलब्धि कष्टप्रद सिद्ध हुई है। यापनीयोंसे सम्बद्ध शिलालेख भी इनके सम्बन्धमें विशेष जानकारी देनेमें सहायक सिद्ध नही हुए हैं। फिर भी हमने चार वर्षोके अथक प्रयत्नसे यापनीयोंके सम्बन्धमें अधिकाधिक ज्ञातव्य सामग्री एकत्रित करनेका भरसक प्रयास किया है। तथ्योकी विवेचनामें अनाग्रही निष्पक्ष दृष्टि रखनेका प्रयत्न किया है।

तृतीय परिच्छेदमें निर्धारित यापनीय साहित्यके आधार पर चतुर्थ परिच्छेदमें यापनीयोके सिद्धान्त तथा पचम परिच्छेदमे उनकी आचार-संहिताका उल्लेख किया है। अन्तिम छठे परिच्छेदमें उनके प्रदेयका विचार है।

यापनीयोकी कार्यस्थली कर्नाटक रही है, इसलिए हमने लब्धप्रतिष्ठ कन्नड विद्वानोसे परामर्श किया। मूडविद्री और जैनविद्री (श्रवणबेलगोल) की यात्रा कर पण्डिताचार्यवर्य चारुकीर्ति भट्टारकद्वय, प० शिशुपाल शास्त्री, स्व० पं० के० भुजबली शास्त्री आदिसे प्रत्यक्ष चर्चा की और जानना चाहा कि जैन कन्नड साहित्य अथवा कन्नड लिपिमे लिखित सस्कृत-प्राकृत साहित्यमें सम्भवत. यापनीयोंके विषयमें दुर्लभ जानकारियाँ सग्रहीत हो। मूडविद्रीमें श्रीमती प्रेमवती जैनने कुछ जैन कन्नड ग्रथोकी भूमिका व प्रशस्तियोके हिन्दी अनुवाद भी मेरे लिये किये, परन्तु अपेक्षित सफलता हाथ नही लगी। कन्नड़भाषी सस्कृत-प्राकृतके विद्वान यदि इस दिशामे प्रयत्न करें तो शायद कुछ नये तथ्य प्राप्त हो सकें। इन सभी विद्वानोकी सहज आत्मीयताके लिए मैं उनकी आभारी हूँ, जिन्होने मेरे प्रवासके दौरान मेरे अध्ययनमे हर सम्भव सहायता की।

स्व० डॉ० आ० ने० उपाध्ये, स्व० नाथूराम प्रेमी, स्व० प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, स्व० डॉ० हीरालाल जैन, प० फूलचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन आदि विद्वानोकी मैं हृदयसे आभारी हूँ, जिन्होने अपने ग्रन्थो, ग्रन्थोकी भूमिकाओ, पत्राचार अथवा सम्मुखचर्चाके रूपसे परोक्ष-अपरोक्ष रूपसे मेरी सहायता की है। इनके अतिरिक्त उन सब अनेक विद्वानो और ग्रन्थपालोकी मैं कृतज्ञ हूँ, जो मेरे प्रबन्ध-लेखनमे सहयोगी हुए हैं।

प्रबन्धकी पूर्तिका अधिकाश श्रेय मेरे उन आत्मीयजनोको है, जो इसको शीघ्रा-

तिशीघ्र पूर्ण होकर पुस्तक रूपमें देखनेके लिए मुझसे भी अधिक लालायित थे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मात्र औपचारिकता होगी, परन्तु उनका अनुल्लेख अनुचित होगा। अम्मां (श्रीमती मजरी देवी जैन), जिन्होंने न केवल पढने-लिखनेके सस्कार दिये, अपितु जीवनमें खूब पढ़नेका ढेर-सा आशीष दिया, बाबूजी (श्री नेमीचन्द्र जैन), जिन्होंने सस्कृत, प्राकृत तथा जैन दर्शनके अध्ययनके प्रति अभिरुचि जगाई, जिसके फलस्वरूप मैंने पहला शोध-प्रबन्ध प्राकृत कथाकाव्यो पर लिखा। पतिदेव श्री राजेन्द्र पटोरिया, जिन्होंने अध्ययनकी रुचिको न केवल जागृत रखा, अपितु निरन्तर प्रोत्साहित किया। इस दूसरे प्रबन्धकी कल्पनाका श्रेय उन्हींको है। उनके हार्दिक सहयोगके बिना प्रबन्धका न आरम्भ सम्भव था और न अन्त। उनके सहयोगके बिना अध्ययन-यात्राएँ भी सम्भत्र नही थी। परिजनोकी इस कडीमें मातृस्वरूपा सासजी श्रीमती ताराबाई पटोरियाका उल्लेख आवश्यक है, जिन्होने अनेक कष्ट उठाकर अनुकूल वातावरण प्रदान किया।

वीर-सेवा-मदिर ट्रस्ट बनारसको मैं अत्यंत आभारी हूँ, जिसने मेरे श्रमको पुस्तकाकार देकर सफल बनाया। इसे पुस्तकका रूप देनेके लिये श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल, सञ्चालक, महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी, धन्यवादके पात्र हैं।

हमारा प्रयास तथा परिश्रम कहाँ तक सफल हुआ, इसके परीक्षक सुधी पाठक ही हैं। उनकी प्रतिक्रियाओकी प्रतीक्षा रहेगी। अन्तमे पउमचरिउकारके शब्दोंमें मेरा नम्र निवेदन है—

ऊण अइरित्त वा ज एत्थ कय पमायदोसेण।
तं मे पडिपूरेउं खमन्तु, इह पडिया सव्वं॥

अर्थात् प्रमादवश मैंने जो कुछ न्यून या अतिरिक्त लिख दिया हो, पण्डितजन उसे सुधारकर क्षमा करें।

आजाद चौक, सदर,
नागपुर–४४०००१ (महा०),
११ दिसम्बर, १९८८

कुसुम पटोरिया
(डॉ० श्रीमती कुसुम पटोरिया)

विषयानुक्रमणिका

विषय | पृष्ठ

प्रथम परिच्छेद

द्वितीय परिच्छेद

तृतीय परिच्छेद

पंचम परिच्छेद

षष्ठ परिच्छेद

जैन-परम्परा की तृतीय शाखा 'यापनीय' और उसका उदय

सुदूर अतीतकालसे मानवताको शीतलता प्रदान करनेवाली एवं शिवमौख्यदात्री निर्ग्रन्थ-सरिता अनवरत प्रवाहित रही है। इस युगके आरम्भमे सभ्यता और संस्कृतिके साथ इस सरिताका सुखद प्रवाह तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा आरब्ध हुआ, जो कालके थपेडोकी चोटें खाता हुआ निरन्तर प्रवाहमान रहा और अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर तक चला आया। यह निर्ग्रन्थ संस्कृति कभी लुप्त भी हुई तो पुन अपने समग्र प्रभावको लेकर उदित भी हुई।

पर महावीरके पश्चात् कालान्तरमे निर्ग्रन्थसरिता दो धाराओमें विभक्त हो गई—एक दिगम्बर और दूसरी श्वेताम्बर। इन दोनो धाराओको जोडने हेतु एक मध्यम मार्गके निर्माणका, जिसे 'यापनीय' कहा गया, प्रयास किया गया। यह नया प्रयास, इन दोनो धाराओंमे फासला न होने पाये और वे अपने एक निर्ग्रन्थ रूपमें बनी रहें, इसके लिए इसने सक्षम प्रयास किया होगा। परन्तु यह मध्यम मार्ग जोडनेके कार्यमें उतना सफल नही हो सका और एक तीसरी धाराके रूपमें ही उसने अस्तित्व लिया।

यहाँ जैन परम्पराकी इसी तीसरी धारा यापनीयके सम्बन्धमें विस्तृत ऊहापोह किया जावेगा। साहित्यिक, शिलालेखीय, मूर्तिलेखीय व अन्यस्रोतीय प्रमाणोके प्रकाश-में हम देखनेका प्रयास करेंगे कि जैन परम्पराकी यह तृतीय शाखा किस प्रकार उद्भूत हुई और एक समय तक वह विकसित होती गई—उसके अनुयायी, उसका प्रभाव तथा उसका साहित्य वृद्धिगत होता गया एव मूर्तियोकी प्रतिष्ठा, मन्दिरोका निर्माण और जैनधर्मकी प्रभावनाके उत्सव आदि कार्य इसके द्वारा होते गये। और हम यह भी देखेंगे कि वह किस प्रकार लुप्त हो गई या उक्त दोनो धाराओंमें वह विलीन हो गई।

इतिहास और पुरातत्वविद् प० नाथूराम प्रेमीने लिखा है—कि "जैन धर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। इन दोनोंके अनुयायो लाखो हैं और साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतभेदोंसे साधारणत सभी परिचित हैं, परन्तु इस बातका बहुत ही कम लोगो को पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था, जिसे 'यापनीय', 'आपुलीय' या 'गोप्य' सघ कहते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नही है।"[1]

१ 'यापनीयो का साहित्य' शीर्षक निबन्ध, अनेकात १९३९, और अब 'जैन साहित्य और इतिहास' द्वितीय संस्करण, १९५६, पृ० ५६।

श्री प्रेमीजीने यह भी लिखा है कि 'यापनीय संघके साहित्यसे जैन धर्मका तुलनात्मक अध्ययन करने वालोको बड़ी सहायता मिलेगी। दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेदोंके मूलका पता लगानेके लिए यह दोनोंके बीचका और दोनोंको परस्पर जोड़ने वाला साहित्य है और इसके प्रकाशमें आये बिना जैनधर्मका प्रारम्भिक इतिहास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा।'[१]

जैन परम्परामे मतभेदका बीजारोपण कब हुआ, इस सम्बन्धमें मतभेद है। डॉ० उपाध्ये और श्रीमती स्टिवेन्सन भगवान पार्श्वनाथ और महावीरके शिष्योंके मतभेदोसे जैन परम्परामें सम्प्रदाय-भेद मानते हैं।

डॉ० उपाध्येका विचार

डॉ० उपाध्येका विचार है कि निगण्ठनातपुत्त या महावीरने जिस धार्मिक और श्रमण-संघका नेतृत्व किया था, वह उनसे पूर्व पार्श्वप्रभु द्वारा संस्थापित था और इसीलिए भ० महावीरका 'पासावच्चिज्ज' कहा जाता था, अर्थात् वे पार्श्वप्रभु द्वारा संस्थापित धर्मके अनुसर्ता थे। पर वे यह भी मानते हैं कि 'उत्तराध्ययनके तेइसवें अध्ययनमे स्पष्ट उल्लेख है कि पार्श्वप्रभु और भ० महावीरके शिष्य परस्पर मिलकर अपने श्रमण-आचारोंके विभिन्न विवादोको सुलझानेका प्रयास करते हैं। यही वे विवाद हैं, जिन्होंने आगे चलकर जैन परम्परामें कई वर्ग, धर्मभेद या सम्प्रदाय पैदा कर दिये।'[२]

श्रीमती स्टिवेन्सनका मत

श्रीमती सिंक्लियर स्टिवेन्सनने लिखा है कि—'संभावना है कि जैन समाजमें सदासे दो पक्ष रहे हैं एक वृद्धो और कमजोरोका, जो पार्श्वनाथके समयसे ही वस्त्र धारण करते आ रहे हैं और जिसे स्थविरकल्प कहते हैं। यह श्वेताम्बर सम्प्रदायका पूर्वज है। दूसरा पक्ष जिनकल्प है, जो नियमोका अक्षरश पालन करता था, जैसा कि महावीरने किया था। यह पक्ष दिगम्बरोका अग्रज था।'[३]

---

१ वही, पृ० ५८।

२ 'जैन सम्प्रदायके यापनीय संघ पर कुछ और प्रकाश' अनेकान्त (त्रैमासिक), वीर-निर्वाण विशेषांक, १९७५, पृ० २४४।

३ द हार्ट ऑफ जैनिज्म, मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली (भारतीय संस्करण), १९७०, पृ० ७९—

The Probality is that there and always been two parties in the Community. the older and weakes section who wore clothes and dated from Parshvanathas time and who were

समीक्षात्मक विमर्श

उपर्युक्त कथनोंसे जान पडता है कि डॉ० उपाध्ये यापनीयोंका सम्बन्ध पार्श्व-परम्परासे मानते हुए प्रतीत होते हैं और श्रीमती स्टिवन्सन वस्त्रधारी मुनियों (श्वेताम्बरो) का सम्बन्ध भी पार्श्व-परम्परासे ही स्वीकार करती हैं। पर ध्यातव्य है कि श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय तीनों ही परम्पराएँ भगवान महावीरको अपना आराध्य मानती हैं तथा तीनोंकी मान्यताके अनुसार उनका विद्यमान आगम-साहित्य भी भगवान महावीरकी परम्पराका साहित्य है। किसी भी परम्पराने अपनेको पार्श्वप्रभुसे सम्बद्ध नहीं बतलाया। यह एक ऐसा तथ्य है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

पार्श्वनाथकी परम्परा

श्वेताताम्बर परम्परा द्वारा सकलित आगम-साहित्यसे पार्श्वनाथके धर्म तथा अनुयायिओंके विषयमें महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। भगवान महावीरके जीवनकालमें पार्श्वनाथके अनुयायी विद्यमान थे, जिन्हें पार्श्वापत्यीय कहा गया है।[1] भगवान महावीरके माता-पिता भी 'पासावच्चिज्ज' कहे गये हैं।[2] उत्तराध्ययनके केशी-गौतम सवादसे भी स्पष्ट है कि भगवान महावीरके समयमें पार्श्वनाथके अनुयायी श्रमणसघ विद्यमान थे।[3]

पार्श्वनाथके अनुयायिओंके लिए 'पासत्थ' शब्दका प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ कालान्तरमें शिथिलाचारी साधु हो गया। भगवती आराधनामें लाखो पार्श्वस्थ साधुओंसे एक सुशील साधुको श्रेष्ठ कहा गया है, जिसका आश्रय लेनेसे ज्ञान, दर्शन चारित्र और शील बढते हैं।[4] यहीं पार्श्वस्थ मुनिको विषयासक्त, कषायपूर्ण, अभिमानी

---

called the sthavirakalpa, and the Jinkalpa or puritans, who kept the extreme letter of laws as Mahavir had done and who are the forusnners of the Digambaras

१ (क) सूत्रकृताङ्ग २/७, (ख) भगवतीसूत्र १/९, (ग) स्थानाङ्ग ९, (घ) भगवतीसूत्र १५।

२ आचाराग २/१५/१५ 'महावीरस्स अम्मा-पियरो पासावच्चिज्जा'

३ उत्तराध्ययन २३वाँ अध्ययन।

४ भगवती आराधना, गाथा ३५४।

पासत्थसदसहस्सादो वि सुशीलो वर खु एक्को वि।
ज ससिदस्स सील दसणणाणचरणाणि वड्ढंति ॥

चरित्रहीन और निधर्मी कहा गया है।[१] मूलाचारमें भी पार्श्वस्थ साधुको अवंदनीय कहा गया है।[२]

सूत्रकृताङ्गमें पार्श्वस्थ मुनियोंको अनार्य, स्त्री-आसक्त, मूर्ख और जिनशासन-पराङ्मुख कहा गया है। वे स्त्रीसेवनमें भी कोई दोष नहीं देखते।[३] व्यवहारसूत्रमें पार्श्वस्थ साधुओंके प्रति अनादर व्यक्त किया गया है।[४]

भावपाहुडमें आचार्य कुन्दकुन्द भी 'पासत्थभावणा' से दुःख-प्राप्ति बताते हैं।

पासत्थभावणाओ अणाइकालं अणेयवाराओ।
भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभावबीएहिं ॥१४॥

पार्श्वस्थ साधुओंके प्रति इस अनादरका कारण है कि भगवान महावीरके समय तक इन साधुओंमें शिथिलाचारिता आ गई थी। उत्तराध्ययन और भगवतीसूत्रके उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि भगवान महावीरके धर्मसंघकी स्थापना हो जाने पर भी पार्श्वस्थ साधुओंके अपने पृथक् संघ थे। भगवतीसूत्रमें कालासवेसियपुत्त तथा गांगेय नामक पार्श्वापत्यीय साधुओंका वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कालासवेसिय-पुत्तने महावीरसंघीय स्थविरसे कई प्रश्न किये। अन्तमें नमस्कार कर कहा कि 'भगवन्! ज्ञानके साधनोंके अभावमें मैंने अदृष्ट, अश्रुत, अविज्ञात, अव्याकृत, अव्युच्छिन्न और अनवधारित पदोंका श्रद्धान नहीं किया। मैं आपके पासमें चातुर्याम धर्मसे सप्रतिक्रमण पञ्च महाव्रत धारण करना चाहता हूँ।[५]

इससे ज्ञात होता है कि परम्परागत ज्ञानके साधनोंके अभावमें पार्श्वापत्यीय साधु पार्श्वनाथकी परम्पराको भूल चुके थे। अधिकांश साधु शिथिलाचारी तथा ज्ञानहीन हो गये थे। भगवान महावीरके सुदृढ चारित्रवान् तथा अतिशय ज्ञानी साधुओंके समक्ष समाजमें इनका आदर और प्रभाव भी कम हो गया था, अतः अनेक पार्श्वस्थ साधु महावीरके संघमें दीक्षित हो गये थे। यही भगवतीसूत्रमें गांगेय नामक एक और पार्श्वापत्यीय साधुके भगवान महावीरसे प्रश्न पूछने और उन्हींके संघमें सम्मिलित हो जानेका उल्लेख है।[६]

---

१ वही, गाथा १३००।
२ मूलाचार ७/९५-७।
३ सूत्रकृताङ्ग ३/४/६९-७४।
४ व्यवहारसूत्र, गाथा २३०।

सेज्जायरकुलनिस्सिय ठवणकुलपलोयणा अभिहडेय।
पुव्विपच्छासथव निइअग्गपिंडभोइ पासत्थो॥

५ भगवतीसूत्र, शतक १, उद्देशक ९, सूत्र ७७।
६ वही, शतक ९ उद्देशक ५, सूत्र ३७९।

यद्यपि केशी जैसे कतिपय पार्श्वापत्योय अपना पृथक् अस्तित्व भो बनाये हुए थे।[1] इनके कुछ विशालसघ थे, जो बहुश्रुत भी थे। भगवतीसूत्रमें पाँचसो साधुवाले बहुश्रुत पार्श्वापत्यीय साधुसघका उल्लेख मिलता है।[2]

पार्श्वस्थ साधुओमें शिथिलाचारका कारण यह था कि पार्श्वनाथका धर्म चातुर्याम धर्म था। अपरिग्रहमे गर्भित होनेसे उसमे ब्रह्मचर्यका पृथक् निर्देश नही था। इस अनिर्देशसे उन साधुओमे शिथिलाचारकी प्रवृत्ति चल पडी थी। भगवान महावीरने इसीलिए ब्रह्मचर्यका पृथक् उल्लेख करके प्रतिपादन किया।[3] मूलाचार,[4] उत्तराध्यनसूत्र[5] तथा स्थानागसूत्रकी टीकामें[6] इसका कारण शिष्योकी मनोवृत्ति बताया गया है। प्रथम तीर्थङ्करके शिष्य सरलस्वभावी तथा जडबुद्धि थे, अत वे बार-बार समझाने पर भी शास्त्रका मर्म समझ नही पाते थे। अन्तिम तीर्थंकरके शिष्य कुटिल और जड़मति थे। मध्यके तीर्थङ्करोके शिष्य दृढबुद्धि, एकाग्रमन तथा प्रेक्षापूर्वकारी थे। इसीलिए प्रथम और अतिम तीर्थंकरके धर्ममे प्रतिक्रमण अनिवार्य था, जबकि बाईस तीर्थंकरोंके शिष्य अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करते थे।

श्वे आगम-साहित्यके अनुसार तीर्थकरोके धर्ममें दूसरा अन्तर सचेलता और अचेलताका है। भगवान महावीरका धर्म अचेल और बाईस तीर्थंकरोका सचेल-अचेल दोनों प्रकारका है।[7] उत्तराध्ययनके केशी-गौतम सूत्रमे पार्श्वनाथके धर्मको सान्तरोत्तर कहा गया है। आचारागकी टीकामे शीलाकने इनका अर्थ 'कभी धारण करे और कभी अपने पास रखे' किया है।[8]

---

१ उत्तराध्ययन, २३ वाँ अध्ययन।

२ भगवतीसूत्र, शतक २, उद्देशक ५, सूत्र १०७।
'तेण कालेण पासावच्चिज्जा थेरा भगवंता—बहुस्सुया बहुपरिवारा पचहि अणगारसएहि सद्धि—।'

३ उत्तराध्ययन २३/१२।
'चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पच सिक्खिओ।
देसिओ वड्ढमाणेण पासेण य महामुणी ॥'

४ मूलाचार ७।३७, ३८,१३२, १३३।

५ उत्तराध्ययन २३।२७, २८।

६ शीलाककृत टोका सूत्र २६६।

७ पचाशक विवरण, १२, निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे प्रकाशित-
आचेलक्को धम्मो पुरिमस्य य पच्छिमस्स जिणस्स।
मज्झिमयाण जिणाण होई सचेलो अचेलो य ॥

८ आचाराग, प्रथम श्रुतस्कन्ध, विमोक्ष अध्ययन, चतुर्थ उद्देशक, सूत्र ५१।

६. यापनीय और उनका साहित्य

(भ० पार्श्वनाथ और महावीरके धममे उक्त अन्तर तथा पाश्वस्थ साधुसघोके उल्लेखके उपरान्त भी यापनीय या श्वेताम्बर किसी भी सम्प्रदायका सीधा सम्बन्ध पार्श्वनाथकी परम्परासे नही माना जा सकता, क्योकि श्रमण-सघकी ये तीनो धाराएँ अपने आपको भगवान महावीरके द्वारा उपदिष्ट आगमसे सम्बद्ध बताती है। प्रतीत होता है कि महावीरके सघके उदयके पश्चात् पार्श्वनाथकी परम्पराके साधुओका स्वतत्र अस्तित्व अधिक काल तक नही टिक सका।)

महावीरका सघ

उक्त विवेचनसे जान पडता है कि सम्प्रदायभेद महावीरके सघमे ही उत्पन्न मतभेदोका परिणाम है। अत इस दृष्टिसे यहाँ महावीरके सघकी स्थिति पर विचार करना आवश्यक है।

भगवान महावीरने जिस समय अपने धर्मसघकी स्थापना की थी, उस समय अनेक धर्मसघ विद्यमान थे। वे सभी सघ शताब्दियो पूर्व ही नामशेष हो गये। श्रमणसघने भी धार्मिक विद्वेष, भीषण दुर्भिक्ष, राजनैतिक परिवर्तन जैसे घोर सकट झेले। जहाँ अन्य धर्मसघ विषम परिस्थितियोमे अपने अस्तित्वको खो बैठे, वहाँ श्रमणसघ अपने व्यापक सिद्धान्तो और उदात्त आदर्शोके कारण आज भी सप्राण है। कालके प्रभावसे जैनधर्मकी अध्यात्मसहिता पूर्वापेक्षा परिक्षीण अवश्य हुई है, पर उसके शिवसौख्यदाता मोक्षमार्गोपदेशरूप मूलस्वरूपमे कोई अन्तर नही आया है।

कालके आघातोमे भी जैनसघके अब तक विद्यमान रहनेका कारण उसके अपने उदात्त सिद्धान्त हैं। (भगवान महावीरने अपना वह सघ दूरदृष्टिसे चतुर्विध सघके रूपमे स्थापित किया था। इस चतुर्मुखी सघव्यवस्थाने धर्मतीर्थकी वृद्धिमें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

जैन श्रमणोंके अपरिमेय आत्मबल तथा परीषहोको जीतनेकी असाधारण क्षमताने कठोर-से-कठोर परिस्थितियोमे सघको जीवित बनाये रखा है। (जैन श्रमणोका लक्ष्य तप-त्यागसे परिपूर्ण साधना द्वारा अधिकाधिक आत्मबल अर्जित करना है। उनके शरीर जहाँ त्याग, तपस्या व उपसर्ग और परीषहोको विजित करनेमे कठोर रहे है, वहाँ उनके हृदय अहिंसा और विश्वबन्धुत्वकी भावनासे सरस और स्निग्ध रहे हैं।)

महावीरका यह सघ कुछ काल बाद समयके प्रभाव व कतिपय सिद्धान्तोमें मतभेद उत्पन्न हो जानेके कारण विभाजित हो गया।

महावीरके उपरान्त सघकी स्थिति

बौद्ध-साहित्यमें एक उल्लेख तीन स्थानो[1] पर आया है। इसके अनुसार[2] 'पावामें निगण्ठनातपुत्त कालकवलित हो गये हैं। उनके दिवङ्गत होते ही निर्ग्रन्थ दो भागोमें बट गये, लडने लगे, विवाद करने लगे। वचनोसे एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। कहने लगे तू इस धर्मविनयको नही जानता। मिथ्याज्ञानी हैं। मैं सम्यक् प्रतिपन्न हूँ। मेरा कथन सार्थ है, तेरा निरर्थक। तूने पहले कथनीय बात बादमें कही। बादमें कथनीय बात पहले कही। तेरा विवाद बिना विचारका है। तूने वाद आरभ किया था, पर निगृहीत हो गया। इस वादसे बचनेके लिए तू इधर-उधर भटक। यदि इस वादको समेट सकता है तो समेट। इस प्रकार नात-पुत्तीय निगण्ठोंमे मानो युद्ध ही हो रहा था।'

इस उल्लेखके आधार पर कुछ विद्वान् भगवान महावीरके निर्वाणके तुरत पश्चात् सघभेद मानते हैं। इस विषयमें डॉ० उपाध्येका कथन है कि 'महावीर या निगण्ठनातपुत्तके निर्वाणके बाद जैन सघमे होनेवाली विघटनकारी प्रवृत्तियो एव मतभेदोसे महात्मा बुद्ध अच्छी तरह परिचित हो गये थे। अत उन्होने अपने शिष्यो-को सावधान किया था कि वे ऐसे वर्गभेदकी प्रवृत्तियोंसे बचें।'[2]

यहाँ हम उस परम्परा पर बल देना चाहते हैं, जो अन्तिम केवली जम्बूस्वामी तक महावीरकी परम्पराको अविच्छिन्न मानतो है और जो दोनो सम्प्रदायोंको मान्य है। बुद्धवचनोका त्रिपिटकके रूपमें सग्रह बुद्ध-निर्वाणके शताब्दियो बादकी घटना है। साथ ही जैनों और बौद्धोंमे दीर्घकाल तक प्रतिस्पर्द्धा व वैमनस्य रहा है, अत इस प्रकारके उल्लेख उसीके परिणाम हो सकते हैं। श्वेताम्बर परम्परामें

---

१ (क) मज्झिम-निकाय, भाग ३ सामगामसुत्त, (ख) दीघनिकाय भाग ३ पासादिक-सुत्त, (ग) दीघनिकाय भाग ३, सङ्गीतिसुत्त।

'तेन खो पन समयेन निगण्ठा नातपुत्तो पावाय अधुना कालङ्कतो होति। तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति। 'न त्व इम धम्मविनय आजानासि'। 'मिच्छा-पटिपन्नो त्वमसि अहमस्सि सम्मापटिपन्नो'। 'सहित मे असहित ते'। 'पुरे वचनीय पच्छा अवच, पच्छावचनीय पुरे अवच।' 'अधिचिण्णं ते विपरावत्त'। 'आरोपितो ते, वादो'। 'निग्गहीतोसि चर पादप्पमोक्खाय, निब्बेढेहि वा सचे णहोमीति।' ववो येव खो मञ्जे निगण्ठेसु नातपुत्तियेसु वत्तति।' म नि भाग ३ पृ ३७, दीघनिकाय भाग ३, पृ ९१ व १३७।

२ 'जैन सम्प्रदायके यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश,' अनेकान्त, १९७५।

गौतम गणधर तथा प्रथम निह्नव जामालिके वादविवादका उल्लेख है। यह उल्लेख उसी घटनाका विकृत रूप रहा हो, तो आश्चर्य नही है।

सघभेदका कारण निह्नव नही

डॉ उपाध्येके अनुसार 'भगवान महावीरके जीवनकालमे ही (श्वे० परम्परानुसार) उनके जामाता जामालि द्वारा प्रचलित 'बहुरत' तथा तिष्यगुप्त द्वारा प्रचलित 'जीवप्रदेश' जैसे सैद्धान्तिक मतभेद तो विद्यमान थे ही। भगवान महावीरके निर्वाणके बाद जैन परम्परा दिगम्बर और श्वेताम्बररूपमे विभक्त हो गई, जिसका मूल कारण सभवत कुछ साधुओका दक्षिण भारतमें स्थायी रूपमे बस जाना हो, जिसके पीछे श्रमण-आचारो सम्बन्धी थोडी बहुत मतभेदोकी तीव्रता हो, जो पहलेसे ही चले आ रहे थे। आर्याषाढ (वी नि के २१४ वर्ष पश्चात्) द्वारा प्रचलित मतभेद जैन परम्परामे और अधिक विभाजन करनेके लिए चिरस्थायी बन सके।'[1]

निह्नवोका विवरण श्वेताम्बर परम्परामें ही मिलता है। ये निह्नव है जामालि, तिष्यगुप्त, आर्याषाढ, अश्वमित्र, गग, रोहगुप्त और गोष्ठामाहिल।[2] इनमेंसे प्रथम निह्नव बहुरत सिद्धान्तका जनक जामालि भगवान महावीरके ही जीवनकालमें उनकी ज्ञानोत्पत्तिके १४ वर्ष बाद हुआ। इसके दो वर्ष पश्चात् दूसरा निह्नव जीवप्रदेशका समर्थक तिष्यगुप्त हुआ। शेष निह्नव भगवान महावीरके निर्वाणोपरान्त कई शताब्दियो बाद तक उत्पन्न हुए हैं। आठवें निह्नव बोटिकका उल्लेख विशेषावश्यक भाष्यमें ही मिलता है।

---

१ वही, पृ २४४।

२ स्थानाङ्गसूत्र ७/१४०-२।

समणस्स ण भगवओ महावीरस्य तित्थसि सत्त पवयणणिण्हगा पण्णत्ता। त जहा बहुरया, जीवपएसिया, अव्वत्तिया सामुच्छेइया, दोकिरिया, तेरासिया अबद्धिया। एएसि ण सत्तण्ह पवयणणिण्हगाण सत्त धम्मायरिया हुत्ता। जमाली, तीसगुत्ते, आसाढे, आसमित्ते, गगे, छलुए, गोट्ठामाहिले। एतेसि ण सत्तण्ह पवयणणिण्हगाण सत्त उप्पत्तिनगर होत्था। सगहणी गाथा—सावत्थी उसभपूर सेसविया, मिहिलउल्लगातीर पुरिमतरजि दसपुर णिण्हगउप्पत्तिणगराइं॥

आवश्यकनियुक्तिगाथा (७७९-७८३) में इनका काल भी दिया है। वहा सात निह्नवोका उल्लेख कर स्थान व काल आठ निह्नवोके बताये गये हैं। उपसहारमें फिर सात ही निह्नव बताये गये हैं।

निह्नव शब्दका अर्थ विशेषावश्यक[1] भाष्यमे किसी विशेष दृष्टिकोणसे आगमिक परम्परासे विपरीत अर्थ प्रस्तुत करने वाला किया गया है। तत्त्वार्थवार्तिकमे[2] ज्ञानका अपलाप करने वालोको निह्नव कहा गया है।

उक्त सातो निह्नव भगवान महावीरकी विचार-धारासे मतभेद रखते हैं। जामालि और तिष्यगुप्त तो उनके जीवनकालमें ही उनके सघसे पृथक् हो गये थे। जैनसघको तीनो धाराए तो भगवान महावीरको अपना आराध्य मानती हैं। साथ ही इन सातो निह्नवोके सिद्धान्त तो किसोको भी मान्य नही है। श्वेताम्बर आगम-साहित्यमें इनका उल्लेख भर है। अन्य दो परम्पराओमे इनका उल्लेख भी नही है। अत इन निह्नवोसे, उनके मतभेदोसे भगवान महावीरकी परम्परामें विभाजन मानना तर्कसगत नही है।

सघभेद और गणधर

जैसा कि हम कह आये है कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो परम्पराएँ भगवान महावीरकी परम्पराको अन्तिम केवली जम्बूस्वामी तक अवच्छिन्न मानती हैं। अन्तर यही है कि श्वेताम्बर परम्परामें कहा गया है कि गौतम स्वामीके केवली हो जानेसे सुधर्मा स्वामी ही पट्ट पर आसीन किये गये—'श्रीगौतमस्वामिन केवलित्वात् पट्टस्थाप्यत्वाभावेन श्रीसुधर्मस्वामिन एव पट्टे स्थापना।'[3] दिगम्बर परम्पराकी सभी पट्टावलियाँ गौतम गणधरसे प्रारभ होती हैं।[4] यापनीय परम्पराका एक शिलालेख सुधर्मा स्वामीसे प्रारभ होता है। यह शिलालेख १२ वो सदी पूर्वार्धका हूलि (जिला बेलगाँव, मैसूर) से प्राप्त है और इस प्रकार है—'श्रीवीरनाथस्य गणेस्वरोऽभूत् सुधर्मनामा प्रविधूत ।'[5]

श्वेताम्बर परम्परामें गौतम गणधरको पट्धर न माने जानेके विषयमें हस्तिमल्ल महाराज[6] द्वारा निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किये गये हैं।

१ स्वय भगवान महावीरने आर्य सुधर्माको चिरञ्जीवी जानकर गणधरोंके समक्ष खड़ा करके कहा—मैं तुम्हें धुरीके स्थानपर रखकर गणकी अनुज्ञा देता हूँ।

---

१ विशेषावश्यकभाष्यगाथा २३०८।
२ तत्त्वार्थवार्तिक ७/१०/२।
३ कल्पसूत्र, भाग २, पृ० ४७२।
४ देखिए, तिलोयपण्णत्ती, धवला टीका, जबूदीवपण्णत्ती आदि।
५ जैन शिलालेख सग्रह भाग ४ में सग्रहीत।
६ जैन साहित्य का मौलिक इतिहास, भाग २, पृ. ६१,६२।

२. अग्निभूति आदि जिन नौ गणधरोने भगवान महावीरकी विद्यमानतामें मुक्तिलाभ किया था, वे अपने-अपने निर्वाणसे एक मास पूर्व ही आर्य सुधर्माको गणनायक एव दीर्घ आयुष्मान् जानकर अपने-अपने गण सौंप गये थे।

३ भगवान महावीरके निर्वाणके साथ ही इन्द्रभूति गौतमको केवलज्ञानकी उपलब्धि हुई। केवलज्ञानी व्यक्ति किसीका उत्तराधिकारी नही हो सकता, क्योंकि वह स्वय आत्मज्ञानका पूर्ण अधिकारी होता है।

दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परामे इस अन्तरका कारण यह है कि दिगम्बर परम्परा श्रुतज्ञानको परम्परासे प्राप्त मानती है, जबकि श्वेताम्बर परम्परामें सभी गणधर भगवानकी वाणीको अङ्गोंमें निबद्ध करते है, अत. उनमें वाचनाभेद भी पाया जाता है।

कल्पसूत्रमे भगवानके ग्यारह गणधर तथा नौ गण बताये गये हैं। इसका स्पष्टीकरण करते हुए वही कहा गया है कि वाचनाभेदसे गणभेद होता है और एक ही प्रकारकी वाचना मानने वाले साधुसमुदायको गण कहते है। अन्तिम चार गणधरोमे दो-दोकी एक-एक ही वाचना थी।[1]

इस मान्यताके प्रकाशमें जब हम श्वेताम्बर परम्परामें गौतम गणधरकी शिष्य-परम्पराका अभाव तथा सुधर्माकी शिष्य-परम्पराका अस्तित्व पाते हैं, तो यह आशङ्का होती है कि शायद वाचनाभेदके कारण ही गौतम गणधरको दिगम्बर परम्परामे और सुधर्माको श्वेताम्बर परम्परामे अग्रस्थान मिला होगा।

दिगम्बर परम्परामे षट्खण्डागमके धवला-टीकाकार वीरसेन अगज्ञानका प्रवाह गौतमसे सुधर्मा तथा सुधर्मासे जम्बूस्वामीको प्राप्त हुआ मानते हैं। श्वेताम्बर आगमोमें भी विशेषत भगवतीसूत्रमें गौतम इन्द्रभूति द्वारा भगवानसे पूछे गये प्रश्नोका बाहुल्य है। साथ ही पट्टधर न मानने पर भी उन्हें सम्माननीय स्थान प्राप्त है। इससे ज्ञात होता है कि वाचनाभेद स्वीकार करने पर भी, इस समय सम्प्रदायभेदकी परिस्थितियाँ नही थी। यह सभव है कि आगे चलकर सम्प्रदायभेदमें वाचनाभेद भी एक कारण बना हो। पर यह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभयमान्य तथ्य है कि जम्बूस्वामी तक महावीरका सघ अखण्ड एव अविच्छिन्न रहा है।

---

१ कल्पसूत्र, पृ ४३८-९।

एव एकादशाना गणधराणा नवगणा जाता। तद्यथा सप्ताना गणधराणा परस्परभिन्नवाचनया सप्तगणा जाता। अकम्पिताचलभ्रात्रोर्द्वयोरपि परस्पर समानवाचनया एको गणो जात। एव मेतार्य-प्रभासयोर्द्वयोरपि एकवाचनया एको गणो जात।

जम्बूस्वामीके उपरान्त सघ की स्थिति

जम्बूस्वामीके उपरान्त सघकी स्थितिके विषयमें दोनो सम्प्रदायोमें निम्न-लिखित मान्यताभेद है[१]—

१ दिगम्बर परम्परा चौदह पूर्वधारियोका समय वीर नि स ६२ से १६२ वर्ष तक अर्थात् १०० वर्ष मानती है। श्वेताम्बर परम्परा वीर नि स ६४ से १७० अर्थात् १०६ वर्ष मानती है।

२ दोनो परम्पराओंमे चतुर्दश पूर्वधरोकी सख्या पाँच मानी गई है। दिगम्बर परम्परामें श्रुतकेवलियोके नाम विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु है और श्वेताम्बर परम्परामे प्रभव, शयभव, यशोभद्र, सभूतिविजय और भद्रबाहु है। भद्रबाहुको छोडकर शेष चार नाम व व्यक्ति दोनो परम्पराओमें भिन्न-भिन्न है। अभिधानचिन्तामणिमें स्थूलभद्रको भी श्रुतकेवली माना गया है।[२]

३ दश पूर्वधर आचार्योका समय दिगम्बर परम्परामें १८३ वर्ष व श्वेताम्बर परम्परा में ४१४ वर्ष माना गया है।

४ दशपूर्वधरोकी सख्या दोनोमें ११ है, पर नाम भिन्न है।

५ दिगम्बर परम्परा मानती है कि दशपूर्वधरोमें अन्तिम दशपूर्वधर आचार्य धरसेनके स्वर्गस्थ होते ही वीर नि स ३४५ में पूर्वज्ञानका विच्छेद हो गया और वह आशिक रूपमें विद्यमान रहा।

६ दिगम्बर परम्परा ११ अगोका विच्छेद वीर नि स ६८३ से मानती है, श्वेताम्बर परम्परा ११ अगोंका अस्तित्व मानती है।

७ श्वेताम्बर परम्परा बारहवें दृष्टिवादका उच्छेद मानती है, दिगम्बर परम्परा इसके कुछ अशका अस्तित्व स्वीकार करती है। दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराकी उक्त विभिन्न मान्यताएँ इन दोनोकी दो विभिन्न परम्पराओको व्यक्त करती हैं।

विशेषावश्यकभाष्यमे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने जम्बूस्वामीके पश्चात् जिन दश बातो का विच्छेद बताया है, उनमे एक जिनकल्प है। (कठोर तपश्चरण करने वाले निर्वस्त्र साधुओको जिनकल्प तथा किञ्चित् सुखसाध्य तपश्चरण करने वाले सवस्त्र साधुओको स्थविरकल्पी कहा गया है।)

---

१ दिग० परम्पराके लिए देखिए, तिलोयपण्णत्ती ४/१४७६-८४, धवला पुस्तक १, पृ ६६, इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार ७२-८ श्वे परम्पराके लिए हेमचन्द्रकृत परिशिष्ट पर्व १, विचारश्रेणि।

२ अभिधानचिन्तामणि १/३३-३४

पं बेचरदासजी दोशीका कथन है कि 'जिनकल्पके उच्छेदके उल्लेखका यह ही उद्देश्य हो सकता है। जम्बूस्वामीके बाद जिनकल्पके विच्छेदकी घोषणा कर जिनकल्पके आचरणको बन्द करना और जो इस ओर प्रवर्तित हों, उन्हें इस प्रकारके आचरणसे रोकना । इसीमें श्वेताम्बरत्व और दिगम्बरत्वके विग्रहकी जड़ समाई हुई है तथा इसके बीजारोपणका समय भी वही है, जो जम्बूस्वामीके निर्वाणका समय है। , क्षमाश्रमणजीके समय संभव है ऐसा विचार पहलेसे चला आता हो, अतः उन्होंने इसे सूत्रग्रन्थोंमे समाविष्ट कर दिया हो ।'[1]

श्वे आगमोंमें भगवान महावीरके धर्मको अचेलक कहा गया है। इन स्थितिकल्पोंमे आचेलक्य प्रथम तथा व्रत (पञ्चमहाव्रत) द्वितीय कहा है। यद्यपि व्रतोंमे अपरिग्रहव्रतमें आचेलक्य गर्भित है फिर भी श्वेताम्बर परम्परामें भी आचेलक्यको पृथक् रूपसे ग्रहण किया गया है। यह पृथग्ग्रहण आचेलक्यके महत्त्वका ही उद्घोषित करता है।

आचारांगमें अल्प या बहुत सूक्ष्म या स्थूल सचेतन या अचेतन परिग्रहको परिग्रह कहा है।[2] इसकी टीकामें आचार्य शीलांकका कथन है कि बोटिक भी पीछी रखते हैं, शरीर रखते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यदि यह कहा जाये कि ये सब धर्मके सहायक हैं तो वस्त्र-पात्र भी धर्मके साधन हैं।

आचारांगमे ही कहा गया है कि 'अचेल साधुको यह चिन्ता नही सताती कि मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है, वस्त्र मागूँगा, धागा मागूँगा, सुई मागूँगा, जोडूँगा, सीऊँगा, उधेड़ूँगा, पहनूँगा या ओढूँगा ।[3]

यही विमोक्षाध्ययनमें वस्त्रधारी साधुके लिए भी कहा है कि 'हेमन्त बीत जानेपर यदि वस्त्र जीर्ण न हुए हो तो कही रख दें अथवा अवश्यकता हो तो पहन ले अन्यथा

---

१ जैन साहित्यका इतिहास (पूर्व पीठिका), प कैलाशचन्द्र शास्त्री, पृष्ठ, ४८७ से उद्धृत।

२ 'आवती केयावती लोगसि परिग्गहावती से अप्प वा बहु वा अणु वा थूल वा चित्तमत वा अचित्तमत वा ।'

३ 'जे अचेले परिवुसिए तस्स ण भिक्खुस्स नो एव भवइ—परिजुण्णे मे वत्थे, वत्थ जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामि, सधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि, वुक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि पाउणिस्सामि ।'—अध्ययन ६, उद्देशक ३ सूत्र ५९।

उतार दे। अथवा तीनमे दो रख ले (अवमचेलक हो जाए) अथवा एक शाटक अथवा अचेल हो जाए।'[1]

इस प्रकार आचारागमें वस्त्रधारी साधुके लिए भी मात्र शीत ऋतुमें तीन वस्त्रोका विधान किया है और ग्रीष्म ऋतुमे सतरुतर या ओमचेल या एकशाटक अथवा अचेल ही रहने का निर्देश है।

स्थानागमे भी पांच बातोको लेकर अचेलताको प्रशस्त बताया है—अल्प प्रतिलेखन, प्रशस्त लाघव, विश्वासोत्पादक रूप, उत्कट तप तथा विपुल इन्द्रिय-निग्रह।[2] तथा तीन कारणोसे वस्त्रधारणकी अनुज्ञा है—लज्जा-निवारण, ग्लानि-निवारण और परीषह-निवारण।[3]

प्राचीन आगमोमें जो वस्त्रकी स्थिति अपवादरूपसे थी, उत्तरकालीन ग्रन्थकारो और टीकाकारोने उसी वस्त्र-पात्रवादके प्रचार और पोषणको अपना लक्ष्य बनाया। सर्वप्रथम विशेषावश्यक भाष्यमे ही जिनकल्पके उच्छेदकी घोषणा तथा वस्त्रका जोरदार समर्थन मिलता है।

न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा।
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इह वुत्त महेसिणा॥

दशवैकालिकका उक्त कथन कि (लज्जा अथवा सयमके लिए) वस्त्रधारण परिग्रह नही है, इस बातको सूचित करता है कि इस समयमे भी सघमें वस्त्रके विषयको लेकर मतभेद था। श्वेताम्बर मान्यतानुसार जम्बूस्वामीके निर्वाणके पश्चात् द्वितीय श्रुतकेवली शयभवने अपने पुत्र मणकके स्वाध्यायहेतु दशवैकालिकका प्रणयन किया।[4] उक्त कथनका आधार लेकर उत्तरकालीन आचार्य मूर्च्छा परिग्रह है, वस्त्र-पात्र नही, यह कहकर विरोधियोका मुख मुद्रित करने लगे।

---

१ 'अह पुण एव जाणिज्जा—उवाइक्कते खलु हेमते गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नाइ वत्थाइ परिटठविज्जा, अदुवा सतरुत्तरे अदुवा ओमचेले अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले।'—आचाराग ७।२०८, २०९

२ पचहि ठाणेहि अचेलए पसत्ये भवइ। त जहा—अप्पा पडिलेहा, लाघविए पसत्थे, रूवे वेसासिए, तवे अणुण्णाए, विउले इदियनिग्गहे।' ५।३

३ 'तिहि ठाणेहि वत्थ धरेज्जा। त जहा—हिरिपत्तय, दुगुछापत्तिय, परीसहपत्तिय।' ३।१७

४ मणग पडुच्च सेज्जभवेण निज्जूहिया दसज्झयणा।
वेयालियाइ ठविया तम्हा दसकालिय नाम॥
दशवैकालिक निर्युक्ति, गाथा १५।

बृहत्कल्पसूत्र[1] तथा विशेषावश्यकभाष्य[2] में अचेलके दो भेद किये हैं—सताचेल (जिनकल्पी सहित समस्त साधु) व असतचेल (तीर्थंकर)।

इस प्रकार जम्बूस्वामीके उपरान्त जिनकल्पकी व्युच्छित्तिकी घोषणा करके आचारांगसूत्रवृत्ति, स्थानांगसूत्रवृत्ति, उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति, विशेषावश्यकभाष्य, बृहत्कल्प, पञ्चाशकविवरण, जीतकल्प, प्रवचनसारोद्धार आदिमें अचेलताके आश्रयसे सचेलताका पोषण मिलता है।

अन्तिम केवली जम्बूस्वामीके बाद दिग० परम्परामें विष्णु और श्वेताम्बर परम्परामें प्रभव प्रथम श्रुतकेवली माने गये हैं। तिलोयपण्णत्ती आदिमें विष्णुके स्थान पर नन्दि या नन्दी मुनि भी कहा गया है। आचार्यका पूरा नाम विष्णुनन्दि अनुमानित किया गया है। विष्णु मुनि उस पक्षके पक्षधर थे, जो भगवान महावीरके नियमोंके यथावत् परिपालनको प्रश्रय देता था, ऐसा प्रतीत होता है। आचार्य प्रभवके संघके मुनियोंकी किञ्चित् सुखशीलता विष्णुमुनिके संघस्थ मुनियोंको अरुचिकर प्रतीत हुई होगी। तभी दोनोंकी भिन्न परम्पराएँ मिलती हैं। परवर्ती कालमें जम्बूस्वामीके उपरान्त जिनकल्पके विच्छिन्न होनेकी घोषणामें भी यही परम्पराभेद कारण दिखाई देता है। विष्णुमुनिके पश्चात् उस संघके संरक्षक क्रमशः आचार्य नन्दिमित्र, अपराजित और गोवर्द्धन हुए। प्रभवके उत्तराधिकारी क्रमशः आचार्य शय्यंभव, यशोभद्र एवं संभूतिविजय हुए।

इन चारों श्रुतकेवलियोंके पश्चात् भद्रबाहु एक ऐसे प्रभावशाली आचार्य हुए, जिन्हें सम्पूर्ण जैनसंघने श्रद्धाके साथ स्वीकार किया है। इनसे पूर्वके आचार्योंके नाम व काल भिन्न हैं। इससे स्पष्ट है कि ये एक दूसरेसे भिन्न हैं पर इस समय तक सम्प्रदायभेद नहीं हुआ था, इसी कारण भद्रबाहु दोनों परम्पराओंमें मान्य हो सके। फिर भी श्वेताम्बर परम्परामें जो सम्मान स्थूलभद्रका है, वह भद्रबाहुका नहीं। स्थूलभद्रने दश पूर्वोंका ज्ञान भद्रबाहुसे ही प्राप्त किया था, फिर भी उनके जीवन-कालमें उनकी अनुपस्थितिमें ही ग्यारह अंगोंका संकलन उनकी अवहेलना व्यक्त करता है। साथ ही श्वे० परम्परामें जिस प्रकार गौतम गणधरकी शिष्य-परम्पराका अभाव है, उसी प्रकार भद्रबाहुकी शिष्य-परम्पराका भी अभाव है।

श्वेताम्बर परम्परामें कल्पसूत्र, स्थविरावलीके अनुसार आचार्य यशोभद्रने संभूतिविजय और भद्रबाहु नामक दो श्रुतकेवली शिष्योंको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यशोभद्रके पश्चात् दो आचार्योंकी परम्परा आरंभ हुई। आचार्य

---

१ दुविहो होति अचेलो सताचेलो असतचेलो य।
तित्थयरा असतचेला सतचेला भवे सेसा॥

२ विशेषावश्यकभाष्य २५९८–२६०१

हस्तिमलने गच्छाचारप्रकीर्णका उद्धरण देते हुए कहा है कि 'यशोभद्रके स्वर्गारोहण के पश्चात् सभूतिविजय और भद्रबाहु ये दोनों आचार्य चन्द्र और सूर्यकी तरह अपनी ज्ञानरश्मियोंसे अज्ञान-तिमिरका नाश करते हुए विभिन्न क्षेत्रोंमें विचरण करने लगे।'[1]

इस आदरपूर्वक उल्लेखके उपरान्त भी यह ध्यातव्य है कि भद्रबाहुसे श्वेताम्बर परम्पराकी आचार्यपरम्परा नही चली। यशोभद्रके प्रथम शिष्य सभूतिविजयके शिष्य स्थूलभद्रसे ही श्वेताम्बर परम्पराकी आचार्यपरम्परा प्रचलित हुई है। श्वेताम्बर परम्परामे भद्रबाहुकी इस स्थितिसे स्पष्ट है कि भद्रबाहु विष्णुमुनिकी परम्पराके थे। (यशोभद्रके शिष्य सभूतिविजय और सभूतिविजयके शिष्य स्थूलभद्र प्रभवस्वामीकी परम्परामें थे।) प्रतीत होता है कि भद्रबाहुके प्रभावशाली व्यक्तित्वके कारण प्रभवस्वामीकी परम्परामें उन्हें सम्मान प्राप्त हो सका।

भद्रबाहुके उपरान्त सघकी स्थिति

भद्रबाहुके समयसे तो उनमें पार्थक्य और अधिक स्पष्ट हो गया। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो परम्पराएँ भद्रबाहुके समयसे ही सघ-विभाजन मानती हैं।

देवसेनने अपने दर्शनसारमें लिखा है[2] कि 'विक्रम राजाकी मृत्युके १३६वें वर्षमें सौराष्ट्र देशके वलभीपुरमें श्वेतपट सघ उत्पन्न हुआ। श्री भद्रबाहुगणिके शिष्य शाति नामक आचार्य थे। उनका जिनचन्द्र नामका शिथिलाचारी दुष्ट शिष्य था। उसने मत चलाया कि स्त्रियोको उसी भवमे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, केवलज्ञानी भोजन करते हैं और उन्हें रोग होता है। वस्त्रधारी तथा निर्ग्रन्थके सिवाय अन्य लिगसे भी मुक्ति सभव है तथा प्रासुक भोजन सर्वत्र किया जा सकता है।'[3]

भावसग्रहकार देवसेनने श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा अधिक विस्तारसे दी है[4]—'उज्जयिनी नगरीमें निमित्तज्ञानी भद्रबाहु आचार्य थे। निमित्तज्ञानके बलसे द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षको जानकर उन्होने समस्त गणधरोंको सघसहित अन्यत्र विहार करनेका आदेश दिया। उनमेंसे एक शाति नामक आचार्य अपने शिष्योंके साथ सौराष्ट्र देशकी वलभी नगरीमें पहुँचे। दुर्भाग्यसे वहाँ भी अकाल पड गया। इस निमित्तको पाकर सबने कम्बल, दण्ड, तूम्बा, पात्र, आवरण और सफेद वस्त्र धारण

१ जैन साहित्यका मौलिक इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ३२९।

२ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्य मरणपत्तस्स
सोरट्ठे बलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥ गा० ११ ॥

३ दर्शनसार, गाथा ११-१४।

४ भावसग्रह, गाथा ५३-७०।

कर लिए। ऋषियोंका आचरण छोड़कर दीनवृत्तिसे भिक्षा ग्रहण करना तथा वसतिकामें बैठकर स्वेच्छापूर्वक खाना आरम्भ कर दिया। सुभिक्ष होने पर शान्ति आचार्यने उन्हें पुनः मुनियोग्य श्रेष्ठ आचरणके लिए प्रेरित किया। इससे रुष्ट होकर एक शिष्यने दीर्घदण्डसे उनके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका प्राणान्त हो गया। वह शिष्य संघका स्वामी बना और उसने प्रकटरूपसे श्वेताम्बर मतका प्रवर्तन किया।'

हरिषेणकृत बृहत्कथाकोशके अनुसार 'भद्रबाहु पुण्ड्रवर्धन देशके निवासी ब्राह्मणके पुत्र थे। चतुर्थ श्रुतकेवली गोवर्धनने उन्हें सुयोग्य जानकर उनके पितासे मांग लिया और पढ़ाकर विद्वान् बनाया। बादमें भद्रबाहुने मुनि-दीक्षा ले ली और वे आचार्य गोवर्धनके स्वर्गगमनके उपरान्त पञ्चम श्रुतकेवली हुए।

दिव्यज्ञानी भद्रबाहुने द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षको जानकर संघको समुद्रके समीप जानेका निर्देश किया। इसी समय सम्राट् चन्द्रगुप्तने दीक्षा ले ली। उनका नाम विशाखाचार्य हो गया। संघ विशाखाचार्यके साथ पुन्नाट देशको चला गया। भद्रबाहु मुनिने भाद्रपद देश[1] में जाकर समाधिमरण किया।

सुभिक्ष होने पर विशाखाचार्य समस्त संघके साथ दक्षिणापथ देशसे मध्यदेशमें लौट आये। रामिल्ल, स्थविर-स्थूल और भद्राचार्य तीनों दुर्भिक्ष कालमें सिन्धु देशमें चले गये थे। वहाँ से लौटकर कहा कि वहाँके लोग दुर्भिक्ष पीड़ितोंके भयसे रातमें ही खाते थे। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप लोग भी रातके समय हमारे घरसे आहार ले जाया करें। उनके ऐसा कहने पर हम लोग वैसा ही करने लगे। एक दिन अंधेरे-में कृशकाय निर्ग्रन्थ साधुको देखकर एक गर्भिणी श्राविकाका भयसे गर्भपात हो गया। तबसे श्रावकोंका कहना स्वीकार कर यतिगण बायें हाथसे अर्धफालकको आगे कर दाहिने हाथमें भिक्षापात्र लेकर रात्रिमें आहारके लिए निकलने लगे।

सुभिक्ष हो जाने पर रामिल्ल, स्थविरस्थूल और भद्राचार्यने सकल संघको बुलाकर निर्ग्रन्थ रूप धारण करनेके लिए कहा। कुछने अर्द्धफालकको छोड़कर निर्ग्रन्थ रूप धारण कर लिया। शक्तिहीनोंने जिनकल्प एवं स्थविरकल्पका भेद करके अर्द्धफालक सम्प्रदायका चलन किया।

इन्हीं अर्द्धफालकोंसे काम्बल तीर्थका प्रवर्तन हुआ। वलभी नरेश वप्रवादकी पटरानी अर्द्धफालकोंकी भक्त थी, पर राजाको यह रूप ठीक प्रतीत नहीं हुआ, उसने सबसे कहा कि यदि निर्ग्रन्थ रूप धारण करनेमें असमर्थ हो, तो शरीरको ऋजुवस्त्रसे ढाककर विहार करो। उसकी आज्ञासे लाटवासियोंका यह काम्बल तीर्थ

---

१. यहाँ श्रीमदुज्जयिनीभव भाद्रपद्देशम् कहा गया है।

प्रवर्तित हुआ । इसके पश्चात् सावलिपत्तनमें उस काम्बल सम्प्रदायसे यापनीय सघ उत्पन्न हुआ ।'[1]

इन कथाओके प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं—

१ भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समय उत्तरभारतमें भीषण दुर्भिक्ष पडा, उस अवसर पर सघ आचार्यके आदेशसे दक्षिणापथकी ओर प्रस्थान कर गया ।

२ दुर्भिक्षके समय उत्तरभारतमें रह गये साधुओमें शिथिलाचारिता व्याप्त हो गयी थी ।

३ दुर्भिक्ष समाप्तिके उपरान्त भी शिथिलाचारिताको न त्यागने वाले साधुओंसे क्रमश अर्द्धफालक, काम्बल तथा यापनीय सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई ।

श्वेताम्बर परम्परामें भद्रबाहुका परिचय तित्योगालियपइन्ना, आवश्यकचूर्णि आदि ग्रन्थोमें अति सपेक्षमें मिलता है । गच्छाचार प्रकीर्णा, दोघट्टी वृत्ति, प्रबन्ध-चिन्तामणि और प्रबन्धकोशमें वह कुछ विस्तारसे मिलता है । कई भद्रबाहुओंके जीवन-चरित्र परस्पर मिल जानेसे इनका परिचय विमिश्रित हो गया है ।

श्रुतकेवली भद्रबाहु विषयक श्वेताम्बर मान्यताओका निष्कर्ष इस प्रकार है—

१ अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु चतुर्दश पूर्वधर थे । इनके समयमें द्वादशवर्षीय दुष्काल पडा, उस समय वे बारह वर्ष तक नेपालमें रहे और महाप्राण योग धारण किया ।

२ दुर्भिक्षकी समाप्ति हो जाने पर विभिन्न क्षेत्रोमें गये हुए श्रमण-श्रमणी समूह पुन पाटलिपुत्र पहुँचे । भीषण दुष्कालके दुसह परीषहोंके भुक्तभोगी वे सब श्रमण परस्पर एक दूसरेको देखकर ऐसा अनुभव करने लगे, मानों परलोकमें जाकर लौटे हो । जब सभी श्रमणोने देखा कि दीर्घकालके दैवो प्रकोपके कारण श्रमणवर्ग समयपर एकादशागीके पाठोका स्मरण, चिन्तन, मनन, पुनरावर्तन आदि नही कर सके हैं । परिणामस्वरूप सूत्रोके अनेक पाठ, अधिकाश श्रमणोके स्मृतिपटलसे तिरोहित हो चुके हैं, तब अगशास्त्रोकी रक्षाके लिए ज्ञानवृद्ध, शास्त्रपारगामी स्थविरोकी पाटलिपुत्रमें वी नि स एक सौ साठमें आगमोंकी बृहद् वाचना हुई । श्रमण-सघके आचार्य उस समय नेपाल देशमें महाप्राण ध्यानकी साधना प्रारम्भ करने गये हुए थे, अत स्वर्गस्थ आचार्य सभूतिविजयके शिष्य स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामें यह वाचना हुई । कतिपय मासोके अनवरत एव अथक प्रयाससे सम्पूर्ण एकादशागीकी वाचना सम्पन्न हुई ।

३ चतुर्दश पूर्वधारी भद्रबाहु इस समय नेपालमें महाप्राण ध्यान कर रहे थे । तब साधुओके एक सघाटकको भद्रबाहुको लानेके लिए नेपाल भेजा गया । ध्यानमें

---

१ बृहत्कथाकोश (हरिषेणकृत) भद्रबाहुकथा सख्या १३१ ।

२

संलग्न होनेके कारण भद्रबाहु द्वारा सघाज्ञाके अस्वीकार किये जाने पर संघने दूसरा सघाटक भेजा। उस सघाटकने भद्रबाहुसे पूछा—'सघकी आज्ञा न माननेवालेके लिए किस प्रकारके प्रायश्चित्त का विधान है ?' भद्रबाहुने कहा–बहिष्कार। पर मैं महाप्राण ध्यानकी साधना आरम्भ कर चुका हूँ। सघ मुझ पर अनुग्रह करे और सुयोग्य शिक्षार्थी श्रमणोको यहाँ भेज दे। मैं उन्हें प्रतिदिन सात वाचनाएँ दूँगा।' तदनन्तर सघने स्थूलभद्र आदि श्रमणोको पूर्वज्ञानके अभ्यास हेतु भेजा।

इससे ज्ञात होता है कि जम्बूस्वामीके समय जिस मतभेदका बीज बो दिया गया था, वह भद्रबाहुके समय उभर कर सामने आया और फलस्वरूप दो परम्पराओं का जन्म हुआ।

आगम-सकलन

द्वादशागके अविकल ज्ञाता भद्रबाहुके जीवनकालमें ही श्वेताम्बर परम्पराको श्रुतव्युच्छित्तिका भय क्यो व्याप्त हो गया ? उनकी अनुपस्थितिमें ही एकादशाङ्गों-का सकलन क्यो कर लिया गया ? श्रुतकेवली भद्रबाहुके जीवित रहते हुए हो साधु-सघको एकत्रित करके उनकी स्मृनिके आधार पर आगमवाचनाका क्या औचित्य था ? आचार्य स्थूलभद्र भी यदि परम्परासे प्रवाहित एकादशागके वेत्ता थे, तो फिर उनकी अध्यक्षतामें स्मृतिके आधार पर श्रुतसकलनका प्रयास क्यो किया गया ? आगम सकलनके विषयमें ऐसे अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं।

श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार महाप्राण ध्यानमें लीन होनेके कारण भद्रबाहु आगमन-वाचनामें उपस्थित न हो सके। स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामें समस्त साधु-समाजकी स्मृतिके आधार पर एकादशागकी सकलना की गई। अवशिष्ट द्वादशाग-मेंसे पूर्वज्ञानके लिए स्थूलभद्र आदि पाचसौ साधु भद्रबाहुके पास पहुँचे। स्थूलभद्र इसी सकलित एकादशाग धारक होगे, अन्यथा यदि वे परम्परासे प्राप्त ग्यारह अगो-के धारक होते, तो स्मृतिके आधार पर आगम-संकलनकी आवश्यकता नही होती फिर भी यदि सामूहिक रूपसे आगम-सकलन किया गया, तो इससे प्रतीत होता है कि उन्होने अपने विचारभेदोको बद्धमूल करनेको दृष्टिसे सबको आमन्त्रित कर आगम सकलन किया होगा, जिससे कि उस पर प्रामाणिकताकी मुहर लगाई जा सके।

दिगम्बर परम्पराको सकलश्रुतवेत्ता भद्रबाहुके जीवित रहते साधुसमाजको एकत्रित कर आगम-सकलनकी आवश्यकता प्रतीत नही हुई। भद्रबाहुके उपरान्त भी आचार्य श्रुतज्ञानको अपने उत्तराधिकारीको सौंपते रहे, अत मेधा व धारणा शक्तिकी कमीके कारण श्रुत क्रमश क्षीण होता गया, पर एकाएक व्युच्छिन्न नही हुआ। वह द्वितीय पूर्वके वेत्ता धरसेनाचार्य तक अनवच्छिन्न रूपसे चला आया।

उन्होने अपना वह श्रुत पुष्पदन्त और भूतबलिको प्रदान किया, जिन्होने उसे षट्-खण्डागमके रूपमें निबद्ध किया।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो ही परम्पराएँ सघ-विभाजन श्रुतकेवली भद्रबाहुके जो सम्राट चन्द्रगुप्तके समकालीन है, समयसे मानती हैं। आगम-सकलनकी घटनाने तो दोनो सम्प्रदायोके विभाजनको और अधिक उजागर कर दिया। हेम-चन्द्रसूरिके[1] अनुसार भी पाटलिपुत्रमें हुई प्रथम वाचनाके समय सघभेदका आरम्भ हो गया था।

द्वितीय वाचना—आचार्य स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामे सकलित यह आगम श्रुत-का अन्तिम रूप नही था। वीर नि स ८२७से ८४०के मध्य मथुरामें आर्य स्कन्दिलकी अध्यक्षतामें एक और वाचना हुई। इस समय भी दुर्भिक्ष पडा था। लगभग इसी समय वलभीमें नागार्जुनकी अध्यक्षतामें दक्षिणमें भी एक वाचना हुई। आचार्य स्कन्दिल एव नागार्जुन दोनो वाचनाओंके उपरान्त मिल नही सके, इसी कारण दोनो वाचनाओमे रहे हुए पाठभेदोका निर्णय अथवा समन्वय नही हो सका।

नन्दिचूर्णिमें जिनदासगणि महत्तरने स्कन्दिलाचार्यकी अध्यक्षतामें होने वाली वाचनाका उल्लेख इस प्रकार किया है—

> 'बारस सवच्छरिए महते दुब्भिक्खे काले भत्तट्ठा अण्णण्णतो हिण्डियाणं गहणगुणणणुप्पेहाभावाओ विप्पणट्ठे सुत्ते, पुणो सुभिक्खे काले जाए महुराए महते साधुसमुदये खदिलायरियप्पमुहसंघेण जो अ सभरइत्ति इव सघडिय कालियसुय। जम्हा एव महुराए कय तम्हा माहुरी वायणा भण्णइ।'[2]

इसके टीकाकार मलयगिरिने भी लिखा है[3] कि 'दुर्भिक्ष समाप्त होने पर दो सम्मेलन हुए एक वलभीमें और दूसरा मथुरामे, इसी कारण वाचनाभेद हुए। माथुरी वाचना तत्कालीन युगप्रधान आचार्य स्कन्दिलको अभिमत थी और उन्हीके द्वारा अर्थरूपसे शिष्यबुद्धिको प्राप्त हुई थी, अत वह अनुयोग उनका अनुयोग कहा जाता है। मलयगिरिने दूसरोका मत बताते हुए कहा है कि कुछ इस प्रकार कहते हैं कि दुर्भिक्षवशात् कुछ भी श्रुत नष्ट नही हुआ, किन्तु अनुयोगधर कालकवलित हो गये, केवल स्कन्दिलसूरि बचे। उन्होने मथुरामें पुन अनुयोगका प्रवतन किया, अत यह माथुरी वाचना कहलाई।'

---

१ परिशिष्ट पर्व ९/५५-७६ व तित्थोगालियपइन्ना गाथा ७२०-३

२ जिनदासमहत्तरकृत नन्दिचूर्णी, पृ ८

३ नन्दिसूत्र (आगमोदय समिति, बम्बईमे प्रकाशित) गाथा ३३ की टीका।

तृतीयवाचना

वीर निर्वाण संवत् ९८० में वलभीमें आचार्य देवर्द्धिगणिकी अध्यक्षतामें अतिम वाचना हुई, जिसमें श्रुतको पुस्तकारूढ कर लिया गया, अत इसके उपरान्त वाचनाकी आवश्यकता ही नही रही। समयसुन्दरगणिने अपने सामाचारी शतकमें लिखा है कि 'देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमणने द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षके कारण बहुतसे साधुओं का मरण तथा अनेक बहुश्रुतोंका विच्छेद हो जाने पर श्रुतभक्तिसे प्रेरित होकर भावि जनताके उपकारके लिए वीर निर्वाण सवत् ९८० में श्री सघके आग्रहसे बचे हुए सब साधुओको वलभी नगरीमें बुलाया और उनके मुखसे विच्छिन्न होनेसे अवशिष्ट रहे कमती, वढती, त्रुटित, अत्रुटित आगमपाठोको अपनी बुद्धिसे क्रमानुसार सकलित करके पुस्तकारूढ किया।'[1]

देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमणके पश्चात् भी आगमोमें परिवर्तन हुआ है, जिसे याकोबी आदि पाश्चात्य तथा प बेचरदास दोशी आदि जैन विद्वानोने स्वीकार किया है।[2]

इस सब विवेचनसे यही प्रतीत होता है कि यद्यपि जम्बूस्वामीके उपरान्त ही परम्पराभेद दिखाई देता है, परन्तु उस समय तक सम्प्रदायभेद नही हुआ था, सभवत मतभेद रहे होगे।

स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामें हुए आगम सकलनके समय ये उभर कर सामने आये। इसलिए अनेक इतिहासज्ञ इसी समय सम्प्रदायभेद मानते हैं।[3]

इस स्थितिमें देवसेनके इस कथनका कि 'वलभीमें विक्रम सवत् १३६ में श्वेताम्बर सघकी उत्पत्ति हुई' क्या आधार है? नही कहा जा सकता।

विक्रम सवत् १३६ अर्थात् वीर निर्वाण स ६०६ का समय न तो भद्रबाहु प्रथमके समयसे मेल रखता है और न वलभीमें हुई तीसरी आगमवाचनासे, जिसका समय वीर नि स ९८० और वाचनान्तरसे ९९३ है, जो वि० स ५१० और ५२३ होता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, (इस वलभी वाचनासे पहले माथुरी वाचनाके समानान्तर वलभीमें ही नागार्जुनसूरिकी अध्यक्षतामें एक और वाचनाका उल्लेख मिलता है, परन्तु इसका समय भी वीर नि स ८२७ से ८४० है।)

---

१ जैन साहित्यका इतिहास (पूर्व पीठिका), प कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, पृ ४९९ से उद्धृत।

२ दृष्टव्य, जैन साहित्यका इतिहास (पूर्वपीठिका), पृ ५२०–५२७

३ एशियन्ट इडिया, आर सी मजूमदार, पृ १७९, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, १९५५, पृ १४७ व भारतके प्राचीन राजवश भाग २, श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ, पृ ४१

देवसेन द्वारा उल्लिखित संघविभाजनका यह काल श्वे परम्पराके अनुसार आर्य-वज्रके आचायत्वका है। पट्टावली-समुच्चयमें सग्रहीत 'सिरिदुसमाकालसमणसंघथय' नामक पट्टावलीमे आर्य वज्र (वइर) का उल्लेख है। इसी पट्टावलीकी अवचूरीमें इनका समय वी० नि० स० ६१७ बताया गया है। यही 'अत्रान्तरे वोटिका निर्गता' भी उल्लिखित है।[1] कल्पसूत्र स्थविरावलीमें प्रथम आर्य व्रजका समय वी० नि० स० ५४८ और द्वितीय आर्य व्रजका वी० नि० स० ६१७ दिया गया है। तिलोयपण्णत्तिमें आचार्य वज्रयशका उल्लेख प्रज्ञाश्रमणके रूपमें है।[2] श्वे० परम्पराके अनुसार इनके समयमें दो भीषण दुर्भिक्ष पडे। एक दुष्कालके समय उन्होंने सघको आकाशगामिनी विद्या द्वारा माहेश्वरीपुरी पहुँचाया, दूसरे दुर्भिक्षके समय पांच सौ साधुओ सहित आमरण अनशन किया। सभव है कि इस समय भी कोई विवाद हुआ हो। श्रीमती स्टिवेन्सनने पहलेसे चले आये दो पक्षोमें विभाजन इसी समय स्वीकार किया है।[3]

परन्तु सघविभाजन श्रुतकेवली भद्रबाहुके समय ही मानना चाहिए और इसके उपरान्त कभी यापनियोका प्रादुर्भाव माना जाना चाहिए। खारवेलके शिलालेखमे उल्लिखित 'यापनावकेहि, पदको विद्वानोने यापनीयोसे सम्बद्ध माना है।

खारवेलका शिलालेख

खारवेलका यह हाथीगुम्फा अभिलेख खण्डगिरि उदयगिरि पर्वतके दक्षिणकी ओर लाल बलुवे पत्थरकी एक चौडी प्राकृतिक गुहामें उत्कीर्ण है। इस अभिलेखमें कलिंग चक्रवर्ती जैन सम्राट खारवेलके व्यक्तित्व और शासनकाल की घटनाओका विस्तृत परिचय दिया गया है। खारवेलकी तिथि ई० पू० २० वर्ष स्वीकार की गई है।[4] शिलालेखके अनुसार शासनके तेरहवें वर्षमें खारवेलने जीर्ण आश्रय वाले याप (ज्ञापक/उद्यापक) साधुओके लिए निषद्या बनवाई—तेरसमे च वसे सुपवत विजयिचके कुमारीपवते अरहिते य (T) परिखम-व्यसताहि काय्यनिसीदीयाय यापनावकेहि

१ पटटावलीसमुच्चय, भाग १, पृ० १६।

२. पण्गासमणेसु चरियो वइरजसो णाम ओहिणाणीसु।
चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुसीलादिसपण्णो ॥ ४।१४८०।

३ Vajraswami was followed by Vajrasma and under his leadership the Digambara finally separated from the main community The heart of Jainitsm, Mrs sinclair Stevenson, Munshiram Manoharlal New Delhi, Page 78

४. महावीर जयन्ती स्मारिका, जयपुर, ७७ में प्रकाशित 'खारवेलकी तिथि' शीर्षक लेख ।

राजभितिनि चिनवतानि वोसामितानि (।) पूजानि पानठत्रामा खारवेलसिरिना जोवदेव-सिरि-कल्प राखिता (।) ।[1]

सम्राट खारवेलने कुमारी पर्वत पर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें अनेक तपस्वी, ऋषि तथा श्रमण सम्मिलित हुए थे। इस शिलालेख की १६ वी पंक्ति का 'मुरियकालवोछिनं चोयठि अगसतिक तुरिय उपादायाति ।' इस प्रकार संशोधन करके डॉ० काशीप्रसाद जायसवालने[2] इसका अर्थ किया है 'मौर्यकालमें विच्छिन्न हुए चौंसठ भागवाले चौगुने अंगसप्तिकका उसने उद्धार किया अथवा तुरियका अर्थ चतुर्थ पूर्व भी किया जा सकता है, जिसके ६४ भागोंमें सात अथवा सौ या एकसौ चौंसठ अंग थे।'

इन अर्थोको करके डॉ० जायसवालने लिखा है कि 'जैन आगमोंके इतिहासके और अधिक गहरे अध्ययनसे हम यह निर्णय करनेमें समर्थ होंगे कि इन तीनों अर्थोमेंसे कौन-सा अर्थ ग्राह्य है, किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमें जैन मूल ग्रन्थोंके विनाशको लेकर जैन परम्परामें जो विवाद चलता है, उसका उक्त पाठसे आश्चर्यजनक समर्थन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि उड़ीसा जैनधर्मके उस सम्प्रदायका अनुयायी था, जिसने चन्द्रगुप्तके राज्यमें पाटलिपुत्रमें होनेवाली वाचनामें संकलित आगमोंको स्वीकार नही किया था।'[3]

आचार्य हस्तिमल्लने हिमवन्त स्थविरावली नामक ग्रन्थके खारवेल विषयक उल्लेखोको उद्धृत किया है। उसके अनुसार 'तीर्थङ्कर एवं गणधरो द्वारा प्ररूपित

---

१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख न० २, पृ० ६

२ जर्नल ऑफ बिहार उडीसा रिसर्च सोसायटी, भाग १३, पृ० २३६।

३ कुछ अन्य विद्वानोने इसका अर्थ करते हुए लिखा है—तेरहवां वर्ष समाप्त होनेके पूर्व खारवेल द्वारा एक जैन साधुपरिषद्का आयोजन किया गया। समूचे देशसे जैन वाङ्मयके अध्येता विद्वान् श्रावक और साधु कुमारी पर्वत पर एकत्र हुए और सूत्रोका पठन-पाठन तथा यथासंभव लेखन हुआ। जैन वाणीका यह गुम्फन वर्णमालाके चौंसठ वर्णो, स्वरो और संयुक्ताक्षरोमे किया गया, इसका संकेत शिलालेखके 'चोयठि-अग-सतिक' से मिलता है। अन्यत्र इन्ही लेखकोने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—'चौराहोमे, अन्त भागोमे वैदूर्ययुक्त ७५ लाख मुद्राओं द्वारा' स्तम्भ स्थापित किया गया। प्रमुख कलाओसे समन्वित चतुष्षष्टि प्रकार वाद्यपूर्ण शान्तिकालीन तूर्य उत्पन्न किया।' देखिए—'खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, महावीर जयन्ती स्मारिका, जयपुर १९७६ तथा 'हाथीगुम्फा शिलालेखकी विषयवस्तु' वीर निर्वाण स्मारिका, जयपुर १९७५.।

जिनवचनको नष्टप्राय जानकर उस भिक्षुराज राजाने जिनप्रवचनके सग्रह व जिनधर्मके विस्तारके लिए सम्प्रति नृपकी भाँति निर्ग्रन्थ श्रमण एव श्रमणियोकी एक परिषद् कुमारी पर्वत पर आयोजित की। उसमे आर्य महागिरिकी परम्पराके आर्य वलिस्सह, बोधिलिंग, देवार्य, धरसेन, नक्षत्र आदि जिनकल्प तुल्य दो सौ निर्ग्रन्थ उपस्थित हुए। खारवेल द्वारा प्रेरित उन स्थविरोने अवशिष्ट जिनप्रवचन दृष्टिवादको सर्वसम्मत रूपसे भोजपत्र, ताडपत्र और वल्कलपत्रोपर लिखा। इस प्रकार वे सुधर्मा द्वारा उपदिष्ट द्वादशाङ्गीके रक्षक बने।[1]

हिमवत स्थविरावलीमें जिन छह जिनकल्पी आचार्योंके नाम हैं उनमें चार बुद्धिल, देवार्य, धर्मसेन और नक्षत्र तो दिगम्बर परम्पराके आचार्य हैं। इसके अतिरिक्त जिन दो श्रमणो आर्य महागिरि और बलिस्सहका उल्लेख है, वे भी श्वेताम्बर परम्पराके ग्रन्थोमें जिनकल्पी कहे गये हैं।[2] आर्य वलिस्सह भी इन्ही आर्य महागिरिके शिष्य थे तथा अपने गुरुके समान आचार-साधनामें विशेष निष्ठा रखने वाले थे। आचार्य यशोभद्रके जिस प्रकार भद्रबाहु व स्थूलभद्र दो शिष्य हुए, उसी प्रकार स्थूलभद्रके महागिरि और सुहस्ती दो शिष्य हुए, इसमे सुहस्तिका गण विशाल और विख्यात कहा गया है।

इसमे दृष्टिवादके सकलनका उल्लेख है, पर श्वेताम्बर परम्परा दृष्टिवादको उच्छिन्न मानती है। दिगम्बर परम्परामें स्मृतिके आधारपर श्रुतसकलनकी परम्परा नही है। कषायपाहुड तथा षट्खण्डागम सामूहिक प्रयासके प्रतिफल नही है, अत सभव है इसका सम्बन्ध यापनीयोसे हो अर्थात् खारवेल यापनीय परम्परासे सम्बद्ध हो, क्योंकि वे सकलित आगमोके साथ असकलित षट्खण्डागम आदिको भी प्रमाण मानते हैं।

परन्तु मुनिजिनविजयजीने हिमवन्त स्थविरावलीको जाली एव कल्पित घोषित किया है,[3] अत इसकी प्रामाणिकतामे सन्देह है।

खारवेल शिलालेखके बारम्बार पठन, अध्ययन व अर्थग्रहणके प्रयास अभी भी जारी है। सही अर्थका निर्णय अभी तक सभव नही हो सका है, फिर भी खारवेल जैसे धर्म-

---

१ जैन साहित्यका मौलिक इतिहास, द्वि० भाग, पृ० ४७७ व ४८४ का फुटनोट।

२ हेमचन्द्रसूरि, परिशिष्ट पर्व ११/३-४

महागिरिर्निज गच्छमन्यददात्सुहस्तिने, विहर्तुं जिनकल्पेन त्वेकोऽभून्मनसा स्वयम्। व्युच्छेदाज्जिनकल्पस्य गच्छनिश्रास्थितोऽपि, जिनकल्पार्हया वृत्या विजहार महागिरि ॥

३ अनेकान्त, दिल्ली, वर्ष १, पृ. ३५१-२।

प्रभावक सम्राटका दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओंमें अनुल्लेख विस्मयजनक है, साथ ही इस सभावनाका पोषक है कि खारवेलका सम्बन्ध यापनीय परम्परासे हो। शिलालेखगत याप (जाय) शब्द इस सभावनाको बल देता है। यही कारण हो सकता है कि श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें अनेक वाचनाओंकी तरह खारवेलके यतिसम्मेलनका उल्लेख नही है।

अर्द्धस्फालक सम्प्रदाय

यापनीयोके प्रादुर्भावके विमर्शके सम्बन्धमे इस सम्प्रदायपर भी विचार करना उचित जान पडता है। बृहत्कथाकोषकार हरिषेण तथा भट्टारक रत्ननन्दीने अर्द्धफालक सम्प्रदायका उल्लेख किया है।

बृहत्कथाकोषके अनुसार[1] दुर्भिक्षकी स्थितिमें जिस समय शिथिलाचारिताका प्रवेश हुआ, उस समय स्पष्टत वस्त्रधारण नही किया गया, अपितु बायें हाथसे एक वस्त्रखडको सामने करनेका प्रचलन हुआ।

यह अर्द्धफालक या अर्द्धस्फालक सम्प्रदाय काल्पनिक न होकर वास्तविक है इसकी पुष्टि मथुराके ककाली टीलेमे प्राप्त अवशेषोसे होती है।

मथुराके ककाली टीलेसे प्राप्त अवशेष

मथुराके ककाली टीलेसे प्राप्त जैन अवशेष कनिष्क, हविष्क और वासुदेवके समयके हैं, जिनका समय ईसाकी प्रथम और द्वितीय शताब्दी माना जाता है।[2] वहाँसे प्राप्त शिलालेखके सम्बन्धमें डॉ० बुलहरने लिखा है कि 'शिलालेखोमे जो आचार्यो और उनके गण-गच्छोका उल्लेख मिलता है, वह जैनोंके इतिहासके लिए कम महत्त्वपूर्ण नही है। शिलालेखोका कल्पसूत्रोसे मेल खा जाना एक तो यह प्रमाणित करता है कि मथुराके जैन श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे और दूसरे जिस सघभेदने जैन सम्प्रदायको परस्पर विरोधी दो सम्प्रदायोमे विभाजित कर दिया, वह ईस्वी सन्के प्रारभ होनेसे बहुत पहले हो चुका था।'[3]

मथुराके ककाली टीलेसे प्राप्त जैन अवशेषोमेंसे एक शिलापट्टसे इसके अस्तित्व-का समर्थन होता है। लखनऊ-सग्रहालयके तत्कालीन अध्यक्ष डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने उक्त शिलापट्टके सम्बन्धमे लिखा है—'पट्टके ऊपरी भागमें स्तूपके दो ओर चार तीर्थङ्कर हैं, जिनमेंसे तीसरे पार्श्वनाथ (सर्पफणालकृत) और चौथे सभवत

---

१ बृहत्कथाकोष, भद्रबाहुकथा, श्लोक ५८, पृ० ३१८।

२. जैन साहित्यका मौलिक इतिहास (आचार्य हस्तिमल्ल), प्रस्तावना, पृ० ३२।

३ ऑन द इण्डियन सेक्ट आफ जैनाज, पृ० ४४

भगवान महावीर हैं। पहले दो ऋषभनाथ और नेमिनाथ हो सकते हैं, पर तीर्थंकर मूर्तियो पर न कोई चिन्ह है और न वस्त्र। पट्टमे नीचे एक स्त्री और उसके सामने एक नग्न श्रमण खुदा हुआ है। वह एक हाथमें सम्मार्जनी और बाएँ हाथमें एक वस्त्र लिये हुए हैं, शेष शरीर नग्न है।'[1]

श्वेताम्बर साधुओमें वस्त्रधारणकी प्रवृत्ति धीरे-धीरे समाविष्ट हुई थी। हरिभद्र-सूरिने निष्कारण वस्त्रधारण करने वालोको क्लीब कहा गया है।[2] आरम्भमें जो वस्त्रखण्ड धारण किया जाता था, उसे चोलपट्ट कहा जाता था।[3] चोलपट्टका प्रमाण स्थविरके लिए दो हाथ और युवाके लिए चार हाथ था।[4] बादमें इस वस्त्रखण्डको धागेसे बाँधा जाने लगा। इससे लगता है कि यह अर्द्धफालक सम्प्रदाय श्वेताम्बर परम्पराका पूर्वज है।

बोटिक निह्नव

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने आठवाँ निह्नव बोटिक माना है। उसकी उत्पत्तिकी कथा भी दी है।

वीर निर्वाणके ६०९ वर्ष पश्चात् रथवीरपुरमे बोटिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई। रथवीरपुरमें दीपक उद्यानमें आर्य कृष्णसे शिवभूतिने उपधिके विषयमें पूछा। जिनकल्पका प्रकरण आने पर उसने प्रश्न किया—'आजकल जिनकल्प क्यो नही धारण किया जाता ?' आर्य कृष्णने उत्तर दिया—'उच्छिन्न हो गया', पर इस उत्तरसे उसका समाधान नही हुआ। उसने कहा—'अशक्तके लिए उच्छिन्न हो सकता है, समर्थके लिए नहीं।'

शिवभूति अपने गुरु कृष्णके प्रति पूर्वसे ही कलुषित भावना रखता था, अत विवाद करते हुए उसने कहा—'सूत्रोमें अपरिग्रह व्रत कहा गया है। परिग्रहसे कषाय, मूर्च्छा, भय आदि दोष होते हैं। जिनेन्द्र अचेल थे, अत उन्होने जिनकल्पका विधान किया है। मुनियोंको अचेल परीषह जीतनेका विधान है। सूत्रमें तीन स्थानोको छोडकर अचेलता कही गई है, अत अचेलता ही श्रेयस्कर है।' गुरुने समझाया कि 'यदि परिग्रह कषाय है, तो शरीर कषायोत्पत्तिका हेतु है। शरीरादिकी तरह वस्त्र भी मोक्ष-हेतु होनेसे अपरिग्रह ही है। मूर्च्छारहित व्यक्तिके वस्त्र भी अपरिग्रह है। यदि वस्त्ररहित होना ही मोक्षका साधन है, तो पशु आदिको मोक्ष होना चाहिए।

---

१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २, पृ० ८० का फुटनोट।

२ सबोधप्रकरण, गाथा ३४।

३ अभिधानराजेन्द्र, चोलस्य पुरुषचिह्नस्य प्रावरणवस्त्र चोलपट्टम्।

४ प्रवचनसारोद्धार, नेमिचन्द्राचार्यरचित, द्वार ६१, गाथा ५२०।

अतिशय उत्कृष्ट सहनन, चतुर्ज्ञान, ज्ञानातिशयसे सम्पन्न तथा निश्छिद्र पाणिपात्र होनेके कारण जिनेन्द्र अचेल रहते हैं। शिष्योके उक्त सहननका अभाव होनेसे वे प्रयोजनवश सवस्त्र तीर्थका प्रवर्तन करते हैं अर्थात् निष्क्रमणके समय देवदूष्य धारण करते हैं, उसके जीर्ण हो जाने पर दूसरा धारण नही करते। यदि जिनवचन मानकर ही जिनकल्प ग्रहण करना चाहते हो तो उन्हीका वचन मानकर जिनकल्पकी व्युच्छित्ति क्यों नही मानते।'

त जति जिणवयणातो पवज्जसि पवज्ज तो म छिण्णो तु।
अत्थि त्ति पमाण किध वोच्छिण्णो त्ति ण पमाण ॥

आचार्यके समझाने पर भी वह वस्त्रत्याग कर चला गया। शिवभूतिके कौन्डिन्य और कोट्टवीर नामक दो शिष्य हुए। इन्होमे बोटिकोकी परम्परा उद्भूत हुई।[1]

जिभद्रगणिके अनुसार जिनकल्प दिगम्बरत्वका प्रतिरूप है तथा शिवभूतिने व्युच्छिन्न जिनकल्पका पुन प्रवर्तन किया। इस कथाको परवर्ती ग्रन्थकारोने ग्रहण किया है। शीलाक तथा मलयगिरिने भी बोटिकोके प्रति इसी प्रकारका अनादर प्रदर्शित किया है।

श्रीकल्याणविजयने श्वेताम्बर आगामोके अनुसार दिगम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिके विषयमें कहा है—'महावीर निर्वाणके चौसठ वर्ष तक उनके शिष्योमे स्थविरकल्पक तथा जिनकल्पक दोनो तरहके साधु रहे, पर बादमें जिनकल्पकका आचरण बद पड गया और लगभग १५० वर्ष तक उसकी कुछ भी चर्चा नही हुई। स्थविरकल्पमें रहने वाले साधु यद्यपि नग्नप्राय रहते थे तथापि शीतनिवारणार्थ कुछ वस्त्र तथा पात्र अवश्य रखते थे। यह स्थिति स्थूलभद्रके समय तक चलती रही। स्थूलभद्रके शिष्य आर्य महागिरिने फिर जिनकल्प धारण करके उसे पुनरुज्जीवित किया। बादमें उनके एव सुहस्तिगिरिके शिष्योमें स्पष्टत· नग्नचर्या और करपात्रवृत्तिको लेकर विरोध होने लगा। आर्य महागिरिसे दो-तीन पीढीतक चलकर वह विरोध नामनि-शेष हो गया। स्थविरकल्प चलता रहा। सभी श्रमण आचाराग सूत्रके अनुसार एक एक पात्र तथा शीतकालमें ओढनेके लिए एक, दो तथा तीन वस्त्र रखते थे। कटिबन्धका भी प्रचार हो गया था। साधुओके बस्तीमे रहनेके कारण नग्नताका सर्वथा अन्त हो गया था। इसी अवसर पर रथवीरपुरमें आर्य कृष्णके शिष्य शिवभूतिने फिरसे जिनकल्पकी चर्चा खडी की और स्वय जिनकल्पी बनकर मतभेदको नवीनरूपसे पल्लवित किया। बोटिक शिवभूतिसे बोडियलिंगकी उत्पत्ति हुई, जिनके परम्पराशिष्य कोडकुन्दु और कोट्टवीर हुये। यही दिगम्बरोके पूर्वज थे।'[2]

---

१ विशेषावश्यकभाष्य, भाग २, गाथा ३०३२-३१०३।

२ श्रमण भगवान महावीर, पृ. २८९ और आगे।

इन दोनो वर्णनोंके सम्बन्धमें यहाँ कई प्रश्न उठते हैं—

१ शिवभूतिको कथाका समर्थन क्या किसी अन्य स्रोतसे होता है ?

२ कृष्णशिष्य शिवभूतिका उल्लेख क्या दिगम्बर परम्परामे है ? क्या इनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रमाणिव होता है ?

३ क्या बोटिक दिगम्बर थे ? जिनभद्रगणिकी उक्त कथा और उनका अनुकरण करने वाले आचार्योंके सिवाय क्या अन्यने बोटिकमतका उल्लेख किया है ?

शिवभूतिकी कथाका समर्थन किसी अन्य स्रोतसे नही होता। दिगम्बर परम्परामें कृष्णशिष्य शिवभूतिका उल्लेख नही है। बोटिकोकी कथा जिनभद्रके अतिरिक्त कही नही मिलती। इस कथाके अनुसार शिवभूतिने जिनकल्पका पुन प्रवर्तन किया, परन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थोमें भी यह उल्लेख पाते हैं कि इनके पूर्व आर्य महागिरि भी वज्रवृषभनाराचसंहननके अभावमे भी जिनकल्पके धारक थे। उनके शिष्य बलिस्सहको भी जिनकल्पी कहा गया है, फिर शिवभूतिके प्रति ही आक्रोश क्यों ?

डॉ ज्योतिप्रसाद जैन भगवती आराधनाकार शिवार्यको श्वेताम्बर परम्पराके शिवभूति बतलाते हुए कहते है—'शिवार्य सभवत' श्वेताम्बर परम्पराके शिवभूति हैं। ये उत्तरापथकी मथुरा नगरोसे सम्बद्ध हैं और इन्होने कुछ समय तक पश्चिमी सिन्धमें निवास किया था।'[१]

(शिवार्य और शिवभूतिको यदि एक माना जाए, तो बोटिक सम्प्रदायका अर्थ होगा यापनीय सम्प्रदाय, क्योकि यापनीय सम्प्रदायका श्वेताम्बरोसे यही भेद है कि अचेलताको उत्सर्ग तथा वस्त्रग्रहणको अपवाद मानते हैं। साथ ही दिगम्बर परम्परा यापनोयोंको श्वेताम्बरोसे उद्भूत मानती है। इस स्थितिमें शिवार्यको यापनीय सघका आद्य आचार्य मानना होगा।)

श्वेताम्बर परम्परामें शिवभूतिको कृष्णका शिष्य माना गया है। अपभ्रशकथाकोशमें भी 'श्यामलीसुतसे' यापनीय परम्पराका आरभ माना गया है।[२] सामलि—सामल—श्यामलको कृष्णका पर्यायवाची माना जा सकता है। सुतका अर्थ शिष्य भी लिया जा सकता है, पर शिवार्यने अपने गुरुओका नामोल्लेख किया है, उनमें आर्य कृष्णका नाम नही है। यहाँ आर्यनन्दि, सवगुप्त तथा मित्रनन्दिका उल्लेख है।[३] यदि यह मानलें कि आर्य कृष्णसे मतवैभिन्न्य रखनेके कारण उनका गुरु रूपमे उल्लेख नही

---

१ द जैन सोर्सेज ऑफ दी हिस्ट्री आफ एशियन्ट इण्डिया, पृ १३०-१।

२ श्रीचन्द्रकृत अपभ्रशकथाकोशगत भद्रबाहुकथा, पृ ४८१।
'सामलिसुएण ततो विहिउ जप्पुलियसघु मूढहिं महिऽ।'

३ मूलाराधना कलकत्ता, १९७६, गाथा २१६५।

किया होगा तो भी प्रमाणोंके विना उन्हें नवीन परपराका आद्य आचार्य नहीं माना जा सकता। शिवार्यके गुरु सर्वगुप्तका शाकटायनने 'उपसर्गगुप्त व्याख्यातारः' कहकर उल्लेख किया है। इससे शिवार्य और शाकटायनकी भाँति ये भी प्रभावशाली यापनीय आचार्य ही प्रतीत होते हैं। अत प्रतीत तो यही होता है कि शिवार्यके पूर्व ही यापनीय सघ एक प्रतिष्ठित सघ था। इसके अतिरिक्त देवसेनने यापनीय सघकी उत्पत्ति श्रीकलश नाम साधुसे मानी है। ऐसी स्थिति मे यापनीय संघके सस्थापक कौन थे, यह अनिश्चित है।

बोटिक शब्द कैसे निष्पन्न हुआ ? श्वेताम्बर साहित्यमें इसका कोई स्पष्टीकरण नही है। उसके अनुसार शिवभूति बोटिक था, उसीके द्वारा प्रवर्तित होनेसे उस सम्प्रदायको बोडियलिंगकी सज्ञा प्राप्त हुई। सभवत नग्न व मुडित होनेके कारण शिवभूतिको बोटिक कहा गया है। बोडियलिंगका अर्थ नग्नवेश प्रतीत होता है।[१]

बोटिक सम्प्रदायकी उल्लिखित कथाके अनुसार उच्छिन्न जिनकल्पको स्वीकार करना ही बोटिकसम्प्रदायका श्वेताम्बर सम्प्रदायसे भेद है। यापनीय तथा श्वेताम्बर परम्पराकी तुलनामें भी हम यही पाते हैं कि दोनोमे अन्तर केवल अचेलताकी स्थितिमें ही है। स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति आदि सिद्धान्त तथा आगमसकलन आदि सभी बातोंमें सादृश्य है। इस कथामें शिवभूति अपने गुरुसे यही कहते हैं कि 'शक्तिहीनोंके लिए जिनकल्प व्युच्छिन्न हो सकता है, समर्थके लिए नही।' इस कथनसे अपवादरूपमे शक्तिहीनोके लिए स्थविरकल्पकी स्वीकृति प्रतीत होती है। शिवभूतिका उक्त कथन यापनीय परम्पराके ही अनुकूल है, दिगम्बर परम्परामे तो वस्त्रकी आपवादिक स्थिति भी अस्वीकृत है।

बोडियलिंगकी कथामें इसे सचेल परम्परासे उत्पन्न अचेल परम्परा बताया गया है। दिगम्बर परम्परा भी यापनीयोकी उत्पत्ति सचेल परम्परासे मानती है।

पं कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने डॉ याकोबीके एक लेखका जिक्र किया है, जिसके अनुसार डॉ हर्मन यॉकोबी भी इसे दिगम्बर परम्परासे भिन्न किसी परम्पराका उल्लेख मानते हैं।[२] इस प्रकार बोटिकलिंगका अर्थ यापनीय प्रतीत होता है। शिवार्य याप-

---

१. अर्द्धमागधी कोष व महाराष्ट्रीय व देश्य प्राकृतकोष (परिशिष्ट पाँचवाँ भाग) गुलाबवीर ग्रन्थमाला २१ वाँ रत्न, १९३८।
उक्त कोशके अनुसार बोडका अर्थ दुष्ट, बोड्डका अर्थ मूर्ख, बोडका अर्थ धार्मिक और तरुण तथा बोडियका अर्थ मुण्डितमस्तक किया गया है।

२. जैन धर्मका इतिहास (पूर्वपीठिका), पृ ३९४।
शास्त्रीजी लिखते हैं—जर्मन ओरियन्टल सोसायटीके जर्नलमें डॉ याकोबीने एक विस्तृत लेख प्रकाशित कराया था। उसमें उन्होने लिखा है कि 'बोटिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके बहुत काल पश्चात् हुई है।'

नीय परम्पराके एक प्रमुख व प्राचीन आचार्य हैं, अत परवर्ती कालमें प्रभावशाली होनेके कारण सम्प्रदायप्रवर्तनकी कथा उन्हीके नाम पर मढ दी गई होगी। कालान्तरमें बोटिकका अर्थ दिगम्बर माना गया और प्रमुख दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्दको उनका शिष्य बना दिया गया। इस कथाको निबद्ध रूप देने वाले जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं—उनके पूर्व इस कथाका प्रकाशक कोई अन्य ग्रथ नही मिलता।

यापनीय सघका प्रादुर्भाव

यहाँ यह विचारणीय है कि यापनीय सघ कब और कैसे प्रादुर्भूत हुआ ? जैन साहित्यका आलोडन करने पर जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

(क) **देवसेनका उल्लेख**—दिगम्बर परम्पराके आचार्य देवसेनने अपने दर्शनसारमें यापनीय सघकी उत्पत्तिका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यापनीय सघ कल्याण नामक नगरमें श्वेताम्बर मुनि श्रीकलशसे वि स २०५ मे उत्पन्न हुआ है,—

कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पच-उत्तरे जादे।
जावणियसघमावो सिरिकलसादो हु सेवडदो ॥[1]

देवसेनके इस उल्लेखके अनुसार यह सघ जैन सघके विक्रम सवत् १३६में दिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदायोमें विभक्त होनेके लगभग ६५-७० वर्ष बाद उदयमें आया। ये देवसेन अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थोके रचयिता हैं। इन्होने अनेक ऐतिहासिक सकेत भी प्रस्तुत किये हैं जिन्हें विद्वानोने प्रमाणरूपमें माना है।[2] इन्होने अपना समय वि स ९९० स्पष्ट दिया है।[3] इनके उल्लेखके अनुसार यापनीय संघ आजसे लगभग १८०० वर्ष पहले बन चुका था और अपने अस्तित्वमें आ चुका था।

(ख) **रत्ननदि का उल्लेख**—दिगम्बर परम्पराके ही आचार्य रत्ननन्दिने अपने भद्रबाहुचरितमें यापनीयोकी उत्पत्तिके बारेमें लिखा है कि करहाटाक्षके राजाकी रानीका नाम नृपुला देवी था। एक बार रानीने राजासे कहा कि मेरे पैतृक नगरसे कुछ

---

१ दर्शनसार, गाथा २९।

२ उदाहरणके लिए देखिए—
जइ पउमणदिणाहो सीमधरसामिदिव्वणाणेण
ण विवोहइ तो समणा कह सुमग्ग पयाणति ॥

३ पुव्वायरियकयाई गाहाइ सचिउण एयत्थ
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए सवसतेण ॥
रइयो दसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवई
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए ॥ दर्शनसार, गाथा ४९, ५०।

गुरुजन यहाँ पधारे हैं। आप अनुनयपूर्वक उन्हें यहाँ निमन्त्रित करें। साधुओंके नगरमें प्रवेश करनेपर राजाने देखा कि ये नग्न हैं। इनके हाथमें पात्र और दण्ड भी है। इसलिए राजाने उन्हें अनादरपूर्वक छोड़ दिया। राजाके अभिप्रायको जानकर रानीने उनसे निर्ग्रन्थवेश धारण कर पुनः पीछी कमण्डलु लेकर नगरमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की। उन साधुओंने रानीकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इन्हीं साधुओंने यापनीय मतकी नींव डाली। भद्रबाहुचरितके प्रकरणोपयोगी दो पद्य यहाँ उद्धृत हैं—

तदातिवेशं भूपाद्यैः पूजिता मानिताश्च ते।
धृतं दिग्वाससां रूपमाचारः सितवाससाम्॥
गुरुशिक्षातिगं लिङ्गं नटवत् भण्डिमास्पदम्।
ततो यापनसंघोऽभूत्तेषां कापथवर्तिनाम्॥

इन पद्योंमें कहा गया है कि ये साधु राजा आदिके द्वारा सम्मानित किये गये। उन साधुओंका रूप दिगम्बरोंका तथा आचार श्वेताम्बरोंका था। उन्होंने गुरुकी शिक्षाका उल्लंघन करके वेश धारण किया हुआ था। उनका यह वेश नटोंकी तरह हास्यास्पद था। इन कुमार्गगामी साधुओंका संघ ही यापनीयसंघके रूपमें विख्यात हुआ।

जिस प्रकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने बोटिकोंकी उत्पत्ति गुरु कृष्णके प्रति शिवभूतिके विद्रोहमें बताई है, वैसा ही कथन यहाँ 'गुरुशिक्षातिगं लिङ्गम्—'शब्दों द्वारा व्यक्त होता है।

(ग) रविषेण और स्वयम्भू द्वारा आचार्य प्रभवका उल्लेख—आचार्य रविषेणने अपनी कथाके स्रोतके विषयमें लिखा है कि वर्द्धमान जिनेन्द्र द्वारा कथित यह अर्थ इन्द्रभूति गौतमको प्राप्त हुआ, फिर धारिणीपुत्र सुधर्माको, फिर प्रभवको और उनके पश्चात् क्रमसे अनुत्तरवाग्मी कीर्तिको प्राप्त हुआ, उनके द्वारा लिखित कथार्थको प्राप्त करके रविषेणने यह प्रयत्न किया है।[2]

स्वयम्भूने अपनी कथाका आधार आचार्य रविषेणको बताया है। उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार कथन किया है कि वर्द्धमान मुख-कुहर विनिर्गत इस सुन्दर रामकथा रूपी नदीको गणधर देवोंने बहते हुए देखा है। पहले इन्द्रभूति गौतमने देखा, फिर

---

१ भद्रबाहुचरित ४/१५३-४

२ पद्मचरितम् १/४१-४२

वर्द्धमानजिनेन्द्रोक्त सोयमर्थो गणेश्वर
इन्द्रभूति परिप्राप्त सुधर्म धारिणीभवम्।
प्रभव क्रमत कीर्ति ततोनुत्तरवाग्मिन
लिखित तस्य सम्प्राप्य रवेर्यत्नोऽयमुद्गत ॥

गुणोंसे अलकृत धर्म (सुधर्मा) ने, फिर संसारसे विरक्त प्रभवने, तदनन्तर अनुत्तरवाग्मी कीर्तिधरने। इसके पश्चात् आचार्य रविषेणके प्रसादसे कविराजने इसमें अपनी बुद्धिसे अवगाहन किया।[1] यह उल्लेख इस बातका समर्थन करता है कि यापनीय आचार्य प्रभवस्वामीकी परम्पराके रहे हैं तथा दिगम्बर परम्परा यापनीयोकी उत्पत्ति श्वेताम्बरोसे मानती है, उसका समर्थन होता है। यद्यपि प नाथूराम प्रेमीने जो 'स्वयभु व त्रिभुवनस्वयभू' नामक निबन्धमें आरम्भिक अश दिये हैं वहाँ 'पहवें'के स्थान पर 'एवहिं' पाठ है, परन्तु सम्पादित कृतिका 'पहवें' पाठ ही उचित मालूम पडता है, क्योंकि प्रत्येक पक्तिमें एक आचार्यका नाम है, यहाँ भी होना चाहिए। प प्रेमीजीने स्वयभूके हरिवश पुराण (रिट्ठणेमिचरिउ)के भी प्रारभिक व अन्तिम अश दिये हैं। इस अन्तिम अशमें विष्णुकुमार, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन तथा भद्रबाहुकी परम्पराका उल्लेख है। परन्तु यह अश किसी गुणकीर्तिके शिष्य जसकीर्तिकी रचना है, जैसा कि वही पर उल्लिखित है।[2]

(घ) यापनीयोंकी उत्पत्तिके सन्दर्भमें आगमसकलनपर विचार—स्मृतिके आधारपर सकलित श्रुतको मान्यता प्रदान करने वाली परम्परामें भी मतभेद रहा है। इस सकलनके समय ही श्रुतके अधिकारी विद्वानोंमें मतभेद था। प्रथम श्रुतसकलन स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामें हुआ। स्थूलभद्रके दो प्रमुख शिष्य थे—महागिरि और सुहस्ति। इन दोनोंके मध्य जिनकल्प और करपात्रवृत्तिको लेकर विरोध रहा है।[3] आचार्य हेमचन्द्रने महागिरिको जिनकल्पी कहा है।[4] अन्यत्र आचार्य सुहस्तिका गण विशाल बताया गया है। आर्य सुहस्तिको श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो मान्यता प्राप्त है, वह महागिरिको नही है। उनके शिष्य बलिस्सह भी जिनकल्पी कहे गये हैं, जबकि श्वे मान्यतानुसार तो जम्बूस्वामीके उपरान्त ही जिनकल्प व्युच्छिन्न

---

१ पउमचरिउ १/६–९

यह रामकह-सरि सोहन्ती। गणहरदेवहिं दिट्ठ वहन्ती॥
पच्छइ इदभूइ-आयरिए। पुणु धम्मेण गुणालकरिए॥
पुणु पहवे ससारासाराए। कित्तिहरेण अणुत्तरवाए॥
पुणु रविसेणायरिय पलाएँ। बुद्धिएँ अवगाहिय कइसए॥

२ विशेषके लिए देखिए—प० प्रेमीका 'स्वयभू और त्रिभुवनस्वयभू' नामक लेख 'जैन साहित्य और इतिहास'में प्रकाशित, पृ २१७।

३ श्रमण भगवान महावीर, मुनि कल्याणविजयजी, श्री क वि शास्त्रसग्रह समिति, जालौर, स १९९८, पृ २८९।

४ परिशिष्ट पर्व, ११/३-४।

हो गया था। इस विरोधमें यापनीयो और श्वेताम्बरोंके पार्थक्यके बीज दृष्टिगत होते हैं।

दूसरी वाचना भी जो एक ही समयमें दो स्थानोमें वलभी और मथुरामे हुई बताई गई है, इसका कारण भी आचार्योंमें मतभेद प्रतीत होता है, जो उस समय उभर कर सामने आया होगा। दोनों वाचनाओंके प्रमुख नागार्जुन और स्कन्दिल-सूरि वाचनाओके उपरान्त मिल नही सके थे, यह उल्लेख भी मतभेदो की पुष्टि करता है।

यापनीय माथुरी वाचनाको मानते थे, इसकी पुष्टि पाल्यकीर्तिके स्त्रीमुक्ति-प्रकरणगत एक श्लोकसे होती है, जिसमे कोष्ठकमें माथुरागमका उल्लेख मिलता है—अष्टशतमेकसमये पुरुषाणामादिरागम. (माथुरागमे) सिद्धि (सिद्धम्)।[1] यहां पाल्यकीर्तिने जिस आगमोल्लेखका सकेत किया है, उसे आचार्य प्रभाचन्द्रने उद्धृत किया है—

अट्ठसयमेगसमये पुरुसाण निव्वुदी समक्खादा।
थीलिंगेण य वीस सेसा दसक त्ति बोधव्वा ॥[2]

प कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने अपराजितसूरि रचित विजयोदया सहित भगवती आराधनाका सम्पादन किया है.[3] वे इसकी भूमिकामे लिखते हैं—'अपराजित सूरिने अपनी टीकामें आगमोसे अनेक उद्धरण दिये हैं, किन्तु उनमेंसे कम ही उनमें मिलते हैं।' इससे भी इस बातका समर्थन होता है कि इन्हें मान्य आगम-ग्रन्थ माथुरी वाचनाके रहे होगे।

जैसा कि हम बता चुके हैं दिगम्बर-श्वेताम्बर परम्पराओमें दिन-प्रतिदिन कटुता बढती गई। वे नदीकी पृथक दिशाओंमे प्रवाहित होने वाली दो धाराओकी भाँति वे उत्तरोत्तर दूर होती गई। तत्वज्ञान एक होने पर भी आचारगत भिन्नताके कारण उनमें काफी अन्तर आ गया था। आचाराग आदि श्वेताम्बर साहित्यसे स्पष्ट है कि वे अचेलक परम्पराको उत्सर्ग मानते थे। वस्त्र परिस्थितिविशेषमें धारण किये जा सकते थे। वह अपवाद मार्ग था, परन्तु धीरे धीरे उन्होने अपवाद मार्गको ही उत्सर्ग मानकर उत्सर्गको विच्छिन्न घोषित कर दिया। जम्बूस्वामीके समयसे ही अपवादमार्गकी ओर रुचि बढ रही थी। धीरे-धीरे उपधियाँ बढती ही चली गई।

१ शाकटायनव्याकरणके आरम्भमे प्रकाशित स्त्रीमुक्तिप्रकरण, कारिका ३५
२ न्यायकुमुदचन्द्र, भाग २, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैनग्रथमाला, १९४१, पृ ८६९
३ भगवती आराधना, भाग १, जैन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर १९७८, प्रस्तावना, पृ ३६, ३७।

आचाराङ्ग आदिमे जिस वस्त्र-पात्रकी स्थिति परिस्थितिविशेषमे स्वीकृत थी, परवर्ती कालमें उसे आवश्यक रूप दे दिया गया। इस शिथिलताका विरोध जिन श्वेताम्बर परम्पराके ही जागरूक आचार्योंने किया, वे ही सभवत यापनीय आचार्य कहे जाते रहे।

दिगम्बर सम्प्रदायमें आचार्य कुन्दकुन्दने स्पष्ट शब्दोंमे अचेल एवं पाणिपात्रको ही मोक्षमार्ग बताते हुए अन्य मार्गोंको उन्मार्ग घोषित किया। अपवादकी कोई स्वीकृति नही थी। उन्होने शिथिलताके प्रवेशको रोकनेके लिए कहा—"जिनेन्द्रने अचेल एव पाणिपात्रको ही एकमात्र मोक्षमार्ग बताया है, शेष समस्त अमार्ग हैं। वस्त्रधारी भले ही तीर्थंकर हो, सिद्धपदको प्राप्त नही कर सकता। मुक्तिका मार्ग नाग्न्य ही है, शेष उन्मार्ग हैं।"

णिच्चेल याणिपत्त उवइट्ठ परमजिणवरिदेहिं।
एक्को हि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सव्वे॥
ण वि सिज्झइ वत्थधरो जइ वि होइ तित्थयरो।
णग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे॥[1]

यापनीय सघके प्रादुर्भावको इस स्थितिमें सामञ्जस्य एव समन्वय स्थापित करनेकी भावनाका प्रतिफल कहा जा सकता है।

दिगम्बर साहित्यमें यापनीयोंके जो उल्लेख मिलते हैं, उनमे भिन्न भिन्न स्थलों पर उनके सघकी उत्पत्ति बतलाई गई है। कथाओंके अतिरिक्त कोई ऐसे प्रमाण या संकेत उपलब्ध नही होते, जिनसे यह निर्णय किया जा सके कि उनकी उत्पत्तिका स्थान अमुक एक है और उनका प्रमुख नायक अमुक है। श्वेताम्बर परम्परासे उद्भूत होनेसे दिगम्बर आचार्योंने इन्हें जैनाभास कहा है—

गोपुच्छिका श्वेतवासा द्राविडा यापनीयका.।
नि पिच्छिकाश्चेति पञ्चैते जैनाभासा प्रकीर्तिता.॥[2]

श्वेताम्बरोंने इसे दिगम्बरोका उपभेद माना है। इसका कारण इसका नग्नताको उत्सर्ग मानना है। साथ ही उत्पत्तिके बाद ये श्वेताम्बरोको अपेक्षा दिगम्बरोंके अधिक समीप होते गये हैं।

दिगम्बराणा चत्वारो भेदा नाग्न्यव्रतस्पृशः।
काष्ठासघो मूलसघ सघौ माथुरगोप्यकौ॥[3]

स्वय यापनीयोने अपने बारेमें कोई ज्ञातव्य जानकारी नहीं दी है। इनके उपलब्ध शिलालेखोंसे भी इनकी उत्पत्तिके विषयमें कोई सूचना नही मिलती।

1. सुत्तपाहुड गाथा, १० व २३।
2. नीतिसार, इन्द्रनन्दिकृत, श्लोक १०।
3. षड्दर्शनसमुच्चय, राजशेखरसूरि, पृ० ४५।

प्राप्त शिलालेखोसे स्पष्ट है कि वे दिगम्बरोके मध्य ही रहते थे। डॉ० उपाध्येने इन ऐतिहासिक लेखोका वर्णन करते हुए कहा है कि 'ऐतिहासिक लेखो, विवरणों एव साहित्यिक उल्लेखोंसे यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि यापनीय दिगम्बरोंके साथ-साथ रहा करते थे। यापनीयोके कुछ मन्दिर और मूर्तियाँ आज भी दक्षिण भारतमे दिगम्बरो द्वारा पूजे जाते हैं।'[1] ये षट्खण्डागम आदि सिद्धान्तग्रन्थोंमें पारगत हुआ करते थे। षट्खण्डागमको प्रमाण माननेमें उन्हें कोई विरोध प्रतीत नहीं हुआ होगा, क्योकि सत्प्ररूपणासूत्र ९२।९३ में उन्हें अपने अभिमत स्त्रीमुक्ति सिद्धान्तका समर्थन प्रतीत हुआ होगा।[2] भगवती आराधनाकी अपराजितसूरिकी टीकासे प्रकट है कि इन्होने दिगम्बर आचार्यों तथा ग्रन्थोको प्रमाणरूपमें उद्धृत किया है, पर आगमोंके अतिरिक्त अन्य किसी श्वेताम्बर ग्रन्थ या आचार्यको प्रमाणरूपसे उपन्यस्त नही किया है। इसका कारण कि ये आरभसे ही शिथिलाचारके विरोधी थे, अत इन्होने आचरण-की शुद्धताके समर्थक दिगम्बरोसे समीपताका अनुभव किया होगा।

जैनोकी इस तीसरी परम्पराने दिगम्बरोकी भाँति केवल उत्सर्ग या श्वेताम्बरोंकी भाँति केवल अपवाद मार्ग स्वीकार न करके अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्गको अपनाया। इसने न तो स्मृतिके आधार पर सकलित आगमको आमान्य ही किया और न आगमो द्वारा वस्त्रपात्रवादके पोषणको ही अपना लक्ष्य बनाया।

वस्त्रपात्रवाद और स्मृतिके आधार पर सकलित आगम टी०, सघभेदके मूल कारण रहे हैं, तथा इन्ही आधारो पर दिगम्बर और श्वेताम्बर विचारधाराएँ पृथक् हुई हैं। कालान्तरमे इन दोनो परम्पराओमे समन्वय करनेके लिए मध्यस्थता जैसा कार्य करनेके लिए यापनीय सम्प्रदायका उदय हुआ हो, तो आश्चर्य नहीं। विचारोकी दृष्टिसे सकलित आगमोको मान्यता देनेसे वे श्वेताम्बर परम्पराके सन्निकट हैं। आचारों की दृष्टिसे दिगम्बरोके समीप हैं, जैसा कि भट्टारक रत्ननन्दिके पूर्वोक्त उल्लेखसे विदित होता है।

यापनीय शब्दका अर्थ

यापनीय शब्दका मूल अर्थ अपने आपमें एक स्वतन्त्र प्रश्न है। इसके लिए यापनीय, जापनीय, जावलिय, जावलिगेय, जप्पुलिय, आपुलिय आदि शब्दोंका

---

१ 'यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश' शीर्षक निबन्ध अनेकात (त्रैमासिक पत्रिका) व वीर–निर्वाण विशेषाक, पृ २४४।

२ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ११ किरण १ मे प्रकाशित डॉ हीरालाल जैनका निबन्ध 'क्या षट्खण्डागमसूत्र और उनके टीकाकारोका अभिप्राय एक ही है ?' दृष्टव्य है।

व्यवहार किया गया है। श्री के० टी० 'तैलगके अनुसार यापनीय शब्दका अर्थ है बिना ठहरे सदा ही विहार करनेवाले (भ्रमणशील)।[1] उपाध्येजीने इसका अर्थ 'निकला हुआ' किया है।[2] उनके अनुसार जवणिज्ज साधु वे हैं जो यम-यामका जीवन बिताते थे। इस सन्दर्भमें पार्श्वप्रभुके चउज्जाम या चातुर्याम धर्मसे यम-यामकी तुलना की जा सकती है।[3] श्री कल्याणविजयजीका मत है कि 'जिस प्रकार मरुधाराके यति परस्पर मिलते एव बिछुडते समय 'मत्थएण वदामि' कहकर एक दूसरेका अभिवादन करते थे, इस कारण इस यतिसमूहका नाम ही जनसाधारण द्वारा 'मत्थेण' रख दिया गया तथा वर्षमें एक बार लुचन करने वाले साधु समुदायका कूर्चिककी तरह बढी हुई दाढी-मूछ देखकर 'कूर्चिक' नाम रख दिया गया, ठीक उसी प्रकार यापनीयो द्वारा गुरुवदनके समय 'जावणिज्जाए' शब्दका कुछ उच्च स्वरमें प्रयोग किये जानेके फलस्वरूप संभवत जनसाधारणने इस साधुसमुदायका नाम जावणिज्ज (यापनीय) रख दिया है।[4]

मूलाचार और भगवती आराधनामे (जो कि यापनीय ग्रथ हैं जैसा कि हम तीसरे अध्यायमें देखेंगे) 'निर्यापक' शब्दका बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, यहाँ इसका प्रयोग तारक (पार उतारने वाला) इस अर्थमे हुआ है।

णिज्जावगो य णाण वादो झाण चरित्त णावा हि।
भवसागर तु भविया तरति तिहि सण्णिवायेण ॥[5]

इन उल्लेखोंको देखते हुए प्रतीत होता है कि निर्यापनीय (पार उतारने योग्य) के भावको व्यक्त करनेके लिए 'यापनीय' शब्द व्यवहारमें आया होगा। उत्कृष्ट ज्ञान और चारित्रके धारक इस साधु-सघका नाम यापनीय पड गया हो।

आचार्य हरिभद्रकी ललितविस्तरामें 'यापनीयतत्र' ग्रथका उल्लेख है। ग्रन्थके इस नामसे जान पडता है कि यापनीयोने स्वय अपने लिए 'यापनीय' शब्दके व्यवहारको स्वीकार कर लिया था।

डॉ० उपाध्येकी तरह 'या' धातुका अर्थ निकला हुआ मानें, तो इसका अर्थ सचेलक परम्परासे उद्भूत अचेलक परम्परा भी हो सकता है।

---

१ इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग ७, पृ० ३४ की पादटिप्पणी।
२ 'जैनदर्शन', वर्ष ४, अक ७ में प्रकाशित 'यापनीय सघ' नामक निबध।
३ 'यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश', वीर-निर्वाण विशेषाक, अनेकात (त्रैमासिक), १९७५, पृ० २४६।
४ पट्टावली-पराग-सग्रह, प० कल्याणविजयगणि, क वि शास्त्रसग्रह समिति जालौर, १९६६।
५ मूलाचार, १०/७।

हमारा विचार है कि यम अर्थात् अहिंसादि महाव्रतो तथा नग्नतापर दृढ रहनेके कारण और उसका ही जोवन-यापन करनेसे इन्हें यापनीय कहा गया है तथा भवसागरसे पार कराने वाला होनेसे उनके सम्प्रदायको यापनीय सम्प्रदाय। हमारा यह भी विचार है कि इस सघका मूल नाम प्राकृत भाषाका जावणिय या जवणिज्ज आदि रहा होगा, जिसका सस्कृत रूपान्तर यापनीय किया गया जिस प्रकार कि मूल 'समण' शब्द संस्कृतमे श्रमण हो गया है।

यापनीयोके उल्लेख

आगमग्रन्थोमें व्याख्याप्रज्ञप्ति, नायाधम्मकहाओ तथा पुष्पिका नामक उपाङ्गमें 'जवणिज्ज' शब्दका प्रयोग मिलता है। इन तीनो स्थलोमे जवणिज्जका अर्थ इन्द्रिय-निग्रह और मनोनिग्रहसे है। इन तीनो ग्रन्थोमें उल्लिखित 'जवणिज्ज' शब्दका सस्कृत रूपान्तर यमनीय या यामनीय हो सकता है। इसीलिए डॉ० उपाध्येने इनकी तुलना पार्श्वप्रभुके चातुर्यामसे की है। उदाहरणस्वरूप व्याख्याप्रज्ञप्तिके अठारहवें शतकसे निम्नलिखित प्रसग उद्धृत किया जाता है—

सोमिल ब्राह्मण तथा भगवान महावीरके प्रश्नोत्तरका प्रसग है—

'जत्ता ते भते। जवणिज्ज (ते भंते।) अव्वाबाह ते भते। फासुयविहार (ते भते)।

सोमिला जत्ता वि मे। अव्वाबाह वि मे फासुयविहार वि मे। किं ते भते जवणिज्ज!

सोमिला जवणिज्जे दुविहे पण्णत्ते। त जहा—इदियजवणिज्जे य नोइदिय-जवणिज्जे य।'

यहाँ स्पष्ट है कि जवणिज्ज' शब्द इन्द्रिय-निग्रह और मनोनिग्रहरूप यमके अर्थमें प्रयुक्त है, यापनीयके अर्थमे नही, परन्तु यापनीयोके लिए मूल प्राकृत शब्द 'जवणिज्ज' ही रहा होगा, जो उनके अशिथिल आचारका द्योतक रहा होगा।'

हरिभद्रसूरिने[1] ललितविस्तरामें स्त्रीमुक्तिका वर्णन करते हुए यापनीयतन्त्रको प्रमाणरूपसे प्रस्तुत किया है, जैसा कि पहले उल्लेख कर चुके हैं।

राजशेखरसूरिने[2] षड्दर्शनसमुच्चयमें दिगम्बरोंके काष्ठा, मूल, माथुर और गोप्य (यापनीय) सघोका उल्लेख किया है। इसके टीकाकार गुणरत्नसूरीश्वरने इनके विषयमें लिखा है—'दिगम्बरा पुनर्नाग्न्यलिङ्गा पाणिपात्राश्च चतुर्धा काष्ठासघ-मूलसघ-माथुरसघ-गोप्यभेदात। गोप्यास्तु वन्द्यमाना धर्मलाभ भणन्ति। स्त्रीणा मुक्ति केवलिना भुक्ति च मन्यन्ते। गोप्या यापनीया इत्यत्युच्यन्ते।'

१. ललितविस्तरा, पृ ४०२।

२ षड्दर्शनसमुच्चय, राजशेखरसूरि, पृ ४५।

यापनीयोंके साहित्यसे स्पष्ट है कि इन्होने अपने सम्प्रदाय आदिका उल्लेख नही किया है, साथ ही दूसरे सम्प्रदायोपर आक्षेप भी नही किये हैं। सभवत. यापनीय साधु अपनी उदारता तथा तटस्थ वृत्तिके कारण ही सम्प्रदायका अनुल्लेख करते थे। अपने सम्प्रदायको गुप्त रखनेके कारण ही इन्हें गोप्य कहा गया होगा। अथवा मन-वचन-काय पर नियत्रण (गुप्ति) रखनेसे ये गोप्य कहलाते होगे।

श्रुतसागरसूरिने दंसणपाहुडकी टीकामें यापनीयोको खच्चरोके समान दोनो मतोको मानने वाला बताया है।

'यापनीयास्तु वेसरा गर्दभा इवोभय मन्यन्ते, रत्नत्रय पूजयन्ति, कल्प च वाचयन्ति, स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष, केवलिजिनाना कवलाहार, परशसने सग्रन्थाना मोक्ष च कथयन्ति।'[1]

इसके अतिरिक्त जैसा कि कह चुके हैं कि हरिषेणके बृहत्कथाकोश, देवसेनके दर्शनसार, रत्ननन्दिके भद्रबाहुचरित तथा श्रीचन्द्रके अपभ्रश कथाकोशमे यापनीयोकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कथाएँ आई है। इनमेसे हरिषेण[2] तथा [3]श्रीचन्द्रने इनका दो पक्तियोमें उल्लेख भर किया है।

जैन साहित्यका गहरा अध्ययन और अनुसधान करने पर भी यापनीय सघके जन्म, जन्मस्थली तथा आद्य आचार्य विषयक निर्णयात्मक तथ्य अनिश्चित ही रहता है। डॉ० उपाध्येके उल्लेखानुसार कोप्पक्ष (आधुनिक कोप्वल) को यापनीयोका मुख्य पीठ बताया गया है।[4] देवसेनने इस सघकी उत्पत्ति कल्याणनगरमे, रत्ननन्दिने करहाटाक्षमें और हरिषेणने सावलिपत्तनमें मानी है। श्वेताम्बर परम्परामेंबोटिकके नामसे इनकी उत्पत्ति मथुराके आस-पास रथवीरपुरमे मानी गई है। शिलालेखीय उल्लेखोंके अनुसार कर्नाटकके कुछ जिले इनके कार्यक्षेत्र थे। आन्ध्र तथा तमिलनाडुमें भी इनके कतिपय शिलालेख मिले हैं।[5] शिलालेखोंके आधार पर ही प्रेमीजीने भी निर्देश किया है कि किसी समय यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आसपास बहुत

---

१ दंसणपाहुड टीका गाथा १।

२ बृहत्कथाकोश, भद्रबाहुकथा, स० १३१, पृ ३१९।

तत काम्बलिकात्तीर्थान्नून सावलिपत्तने
दक्षिणापथदेशस्थे जातो यापनसघक.॥

३ कहकोसु, ४७।१८।

सामलिसुएण तत्तो विहिउ, जप्पुलियसघु मूढहिं महिउ।

४ 'यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश' शीर्षक निबन्ध, अनेकान्त, १९७५।

५ देखिए, दूसरा अध्याय, यापनीयोंसे सम्बन्धित शिलालेख।

प्रभावशाली रहा है। कदम्ब[1], राष्ट्रकूट[2] और दूसरे वशके[3] राजाओंने इस सघको और इसके साधुओको अनेक भूमिदान आदि दिये थे।

श्वेताम्बर उत्तरभारतसे तथा दिगम्बर दक्षिण भारतसे अपेक्षाकृत अधिक सम्बद्ध रहे हैं। इसलिए सभावना यही है कि इनकी जन्मस्थली उत्तरभारत रही होगी। श्वेताम्बरोसे पृथक् होनेके पश्चात् ये भ्रमणशील साधु दक्षिणभारतमें पहुँचे। वहाँ नग्नता आदि समान आचार वाले दिगम्बर साधुओके प्रभावक्षेत्रको इन्होने अपना कार्यक्षेत्र बनाया होगा। इनकी कार्यस्थली कर्नाटक है, यह शिलालेखो से स्पष्ट है। उत्पत्तिस्थलके विषयमे किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचना शक्य नही है।

●

१ कदम्बवशी राजाओके दानपत्र, जैनहितैषी, भाग १४, अक ७-८।

२ इ ए १२, पृ १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षका दानपत्र।

३ इ ए भाग २, पृ १५६-१५७ में पृथ्वीकोगणि महाराजका दानपत्र।

द्वितीय परिच्छेद

यापनीय व अन्य दिगम्बर संघ

प्रास्ताविक

प्रथम अध्यायमें हम यह बता चुके हैं कि दक्षिण भारतमें यापनीय संघ और अन्य दिगम्बर सघोंके साथ-साथ उल्लेख मिलते हैं। दक्षिण भारत, जो यापनीयोकी कार्य-स्थली है, दिगम्बरोका केन्द्र रहा है। इनके दिगम्बरोंके साथ इस सम्बन्धको देखते हुए तथा परवर्ती कालमें दिगम्बरोमे विलयको ध्यानमें रखते हुये दिगम्बर सघोके साथ ही यापनीयोकी तुलना समीचीन है।

परम्परानुसार भगवान महावीरके निर्वाणोपरान्त लगभग सातसौ वर्षों तक दिगम्बर सम्प्रदाय अविच्छिन्न रहा। श्रुतावतारके रचयिता इन्द्रनन्दिके अनुसार पुण्ड्रवर्धनपुरवासी आचार्य अर्हद्‌बलिने सघ-निर्माणका कार्य किया। अपने कथनके समर्थनमें उन्होने एक प्राचीन श्लोक भी उद्‌धृत किया है—

> आयातौ नन्दिवीरौ प्रकटगिरिगुहावासतोऽशोकवाटाद्-
> देवाश्चान्योपरार्दिजित इति यतिपौ सेनभद्राह्वयौ च।
> पचस्तूप्यात्सगुप्तौ गुणधरवृषभ शाल्मलीवृक्षात्
> निर्यातौ सिंहचन्द्रौ प्रथितगुणगणौ केसरात्खण्डपूर्वात् ॥[1]

भट्टारक इन्द्रनन्दिनने अपने नीतिसारमें इसका समर्थन किया है।

डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरीका कथन है कि अर्हदबलि द्वारा संघोंकी प्रतिष्ठापनाकी कल्पना मूलसघ कुन्दकुन्दान्वयको नवसगठित करनेवाले आचार्योंकी कल्पना थी, इसके पीछे ऐतिहासिक आधार बहुत कम है।[2] श्रवणवेलगोलके एक शिलालेखमें अकलकदेवके पश्चात् सघोकी स्थिति बताई गयी है।[3]

दिगम्बर सम्प्रदायके प्रमुख चार सघ हैं—मूलसघ, द्रविडसघ, काष्ठासघ और यापनीय सघ। इनमे प्राचीन मूल, द्राविड व यापनीय तीनो सघोंमें कतिपय गणो व गच्छोंके समान नाम मिलते हैं। मूलसघमें द्रविडान्वय तथा द्रविडसघमें कोण्डकुन्दान्वयका उल्लेख मिलता है। मूलसघके सेन व सूरस्थगण द्रविडसघमें भी प्राप्त होते हैं। नन्दिसघ तीनोंमें ही है। मूलसघके बलात्कारगण, क्राणूरगण यापनीयसघमें भी हैं। इनसे इन सघो की शाखाओके सक्रमणका पता चलता है।

---

1. श्रुतावतार, इन्द्रनन्दि, श्लोक १६।
2. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३, प्रस्तावना, पृ० ४३।
3. जैन शिलालेख सग्रह, भाग १, लेख क्रमाक १०८, श्लोक १९-२१।

मूलसंघ—यापनीय, द्राविड़, काष्ठा (गोपुच्छिक), निष्पिच्छिक आदि तथाकथित जैनाभासो को छोडकर शेष दिगम्बर सम्प्रदायको मूलसघ कहा गया है। प० नाथूरामजी प्रेमीका कथन है कि "अपनेसे अतिरिक्त दूसरोको अमूल—निराधार घोषित करनेके लिए ही नामकरण किया होगा और यह तो वह स्वय ही उद्घोषित कर रहा है कि उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसरे दलोका अस्तित्व था"[1]।

ज्ञात होता है कि जब दिगम्बर सम्प्रदायमें कतिपय शिथिलाचारी सघोका आविर्भाव हो गया, तब आचार्य कुन्दकुन्दकी भाँति आचरणकी विशुद्धताके पक्षपाती आचार्योंने शिथिलाचारिताके विरोधमे अपने सघको भगवान महावीरके मूलसघके निकट घोषित करनेके लिये मूलसघ नाम दिया। दिगम्बर सम्प्रदायमे आचार्य कुन्दकुन्द आचरणकी शुद्धताके प्रबल समर्थक थे, अत. मूलसघका सबन्ध आचार्य कुन्दकुन्दके साथ स्थापित किया गया तथा अपनेसे अतिरिक्त जैन सघोको जैनाभासी और मिथ्यात्वी घोषित कर दिया गया।[2] उत्तरकालमें मूलसघका प्रणेता आचार्य कुन्दकुन्दको माना जाने लगा। यही कारण है कि परवर्ती अभिलेखोमें मूलसघके प्रणेता स्पष्टतया आचार्य कुन्दकुन्द उल्लिखित हैं।[3] आचार्य कुन्दकुन्द आचारशुद्धताके प्रबल समर्थक थे और मूलसघ भी आचारगत शुद्धताके लिये किये गये आदोलनोका परिणाम है, अत. मूलसघीय मुनियो द्वारा उनको सस्थापनाका श्रेय आचार्य कुन्दकुन्दको प्रदान करना स्वाभाविक है।

मूलसघका सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख नोणमगलकी ताम्रपट्टिकाओपर है। प्रथम पट्टिकाका समय अनुमानत ३७० ई० माना गया है।[4] नोणमगल (मलूर तालुका) की ही दूसरी ताम्रपट्टिकापर माधव द्वितीयके पुत्र एव उत्तराधिकारी कोङ्गुणिवर्माके अपने गुरु परमार्हत विजयकीर्तिके उपदेशसे अपने राज्यके प्रथमवर्षमे ही मूलसघके चन्द्रनन्दि द्वारा प्रतिष्ठापित उरनूरके जिन मन्दिरके लिये एक गाँव प्रदान करने तथा एक दूसरे जिन मदिरके लिये चुगीसे प्राप्त धनका चतुर्थ भाग दानमें देनेका उल्लेख है।[5] लुइस राइस महोदयने इसका समय सन् ४२५ के लगभग माना है।[6]

---

१. जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय सस्करण, प० नाथूरामजी प्रेमी, पृ० ४८५।

२. इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार, १०। गोपुच्छिकाः श्वेतवासाः द्राविडो यापनीयका ।
निःपिच्छिकाश्चेति पचैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥

३. इण्डियन एण्टीक्वेरी, पृ० ३४१।

४. जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख न० ९०, पृ० ५५।

५. जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख नं० ९४।

६. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३ की चौधरीकृत प्रस्तावना, पृ० ७७।

उक्त दोनों लेखोंमे मूल सघके पश्चात्कालीन लेखोमें दिखनेवाले किसी गण, गच्छ एव अन्वय आदिका निर्देश नही है। उनका उल्लेख सातवी शतीके उत्तरार्धसे मिलता है।[1]

मूलसघके अन्तर्गत देवगण, सेनगण, सूरस्थगण, बलात्कारगण, क्राणूरगण तथा नन्दिसघ (नन्दिगण)के नाम मिलते हैं। नामकरणका आधार मुनियोंके नामान्त शब्द तथा स्थानविशेष अवगत होते हैं।

देवगण

शिलालेखीय उल्लेखोंके आधारसे देवगण सबसे प्राचीन है। इस गणका अस्तित्व लक्ष्मेश्वरसे प्राप्त चार तथा कडवन्तिसे प्राप्त एक लेखसे ज्ञात होता है।[2] इसके पश्चात् अन्य लेखोमें इसका उल्लेख नही मिलता। इसके नामकरणके सम्बन्धमे शिलालेखोंसे कोई प्रकाश नही पडता। देवगण यह नाम इस गणके प्राय. सभी आचार्योंके देवात नाम होनेसे पडा होगा। आचार्योंके नाम पूज्यपाद, उदयदेव, रामदेव, जयदेव, विजयदेव, एकदेव, जयदेव, अकदेव, महीदेव आदि है।

सेनगण

देवगणके समान सेनगण भी प्राचीन है इसका प्रथम उल्लेख सूरतके ताम्रपत्र सन् ८२१ में है। इस लेखमें इसे चतुष्टय मूलसघका उदयान्वय सेनसघ कहा गया है। इसकी आचार्य परम्परा मल्लवादी, सुमति, पूज्यपाद, अपराजित गुरु इस प्रकार दी गई है।[3] इसका दूसरा शिलालेखीय उल्लेख मूलगुण्डसे प्राप्त लेखमें सन् ९०३ का है। इस लेखमें चन्द्रिकवाटके सेनान्वयके कनकसेन मुनिको अरसार्य नामक व्यक्ति द्वारा एक खेत दान देनेका उल्लेख है। इसमें दी हुई गुरुपरम्परा इस प्रकार है—पूज्यपाद, कनकसेन, वीरसेन तथा कनकसेन।[4]

आचार्य वीरसेन और जिनसेनने धवला और जयधवलामें अपने वशको पञ्चस्तूपान्वय कहा है।[5] पञ्चस्तूपान्वयका मूल कुछ विद्वान् पूर्वीय बगालसे और कुछ मथुराके पञ्चस्तूपोंसे, जिनका उल्लेख हरिषेणके कथाकोशमें है,[6] मानते हैं। यह पञ्चस्तूपान्वय ईसा की पाँचवी शताब्दीमें निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके साधुओका एक सघ था,

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख न० १११।
२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, सख्या १११, ११३, ११४, १४९ तथा १९३।
३ जैन शिलालेख स० भाग ४ स० ५५।
४ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख सख्या १३७।
५ धवला, गाथा ४, जयधवला, श्लोक ५।
६ हरिषेणकृत वृहत्कथाकोश, वैरकथानक, श्लोक १३२।

यह बात पहाडपुर (जिला राजशाही बगाल) से प्राप्त एक लेखसे मालूम होती है।[१]

सर्वप्रथम नवमी शताब्दीके उत्तरार्ध (सन् ८९८ के पहले) में वीरसेनके प्रशिष्य, जिनसेनके शिष्य तथा उत्तरपुराणके रचयिता गुणभद्रने अपनेको सेनान्वयका कहा है।[२] अत पञ्चस्तूपान्वय ही उत्तरकालमें सेनान्वयके नामसे प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है। इन्द्रनन्दिके अनुसार भी पञ्चस्तूपसे आये मुनियोंके सघको सेन नाम दिया गया था। वीरसेन-जिनसेनके बाद किसी आचार्यने पञ्चस्तूपान्वयका उल्लेख नही किया। किंतु सूरतके ताम्रपत्रसे वीरसेनके समयमें ही सेनसघ की परम्पराका अस्तित्व प्रमाणित होता है।

सेनगणके प्रमुख तीन उपभेद हैं—(अ) पोगरी या होगरीगच्छ, (ब) पुस्तकगच्छ तथा (स) चन्द्रकपाट।

पोगरिय गच्छका प्रथम लेख वि० स० ९५० का है। इस लेखमे मूलसंघ सेनान्वय-पागरिय गणके आचार्य विनयसेनके शिष्य कनकसेनको ग्रामदानका उल्लेख है।[३] इसके बाद पोगरिगच्छके उल्लेख १३वी शताब्दी तक मिलते हैं। होन्वाडसे प्राप्त एक लेखमे ब्रह्मसेन-आर्यसेन-महासेन-जिनवर्मकी गुरुपरम्परा दी हुई है[४]। बलगाम्वेके लेखमे गुणभद्रके सहधर्मी महासेन तथा गुणभद्रके शिष्य रामसेनका उल्लेख है।[५] हिरे-आवलिसे प्राप्त लेखमें वीरसेनके सहधर्मी माणिक्यसेनका उल्लेख है।[६] यहीके दूसरे लेखमें चन्द्रप्रभ सिद्धान्तदेवके शिष्य माघवसेन भट्टारकका निर्देश है।[७] बेतूरुसे प्राप्त भग्न कन्नड शिलालेखमें वीरसेन-जिनसेन-गुणभद्र-तथा फिर महसेनके पुत्र (शिष्य) मुनि पद्मसेनकी परम्परा प्राप्त होती है।[८]

चन्द्रकवाट अन्वयका पहला लेख मूलगुण्डसे प्राप्त लेख है।[९] दूसरा लेख विक्रम सवत् ११०० का है। यह चालुक्य सम्राट सोमेश्वर प्रथम आहवमल्लके राज्यमें

१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १६, किरण १, पृष्ठ १-६ जै० शि० स० भाग ४ स० १९।

२ उत्तरपुराण, १/२।

३ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० ६१।

४ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेखस० १८६, पृ० २२७।

५ जैन शि० स०, भाग २, लेख स० २१७, पृ० ३११।

६ जैन शि० स०, भाग ३, लेख स० ३२२, पृ० ५९।

७ जैन शि० स०, भाग २, लेख स० २८६, पृ० ४३६।

८ जैन शि० स०, भाग ३, लेख स० ५११, पृ० ३५८।

९. जैन शि० स०, भाग २, लेख स० १३७।

लिखा गया था। इसमे नयसेन पण्डितको भूमिदानका उल्लेख है। नयसेनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार दी गई है—मूलसघ सेनान्वय चन्द्रकवाट अन्वयके अजितसेन-कनकसेन-नरेन्द्रसेन-नयसेन। नरेन्द्रसेन और नयसेन व्याकरणशास्त्रके पण्डित थे।[१] चामुण्डरायपुराणके प्रारम्भमे चन्द्रिकावाटके धमसेन, कुमारसेन, नागसेन, वीरसेन, चन्द्रसेन, नयसेन, अजितसेनका उल्लेख है।

सेनगणके तीसरे उपभेद पुस्तकगच्छका उल्लेख १४वी शताब्दीके एक शिलालेखमे है। इनकी गुरुपरम्परा वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र त्रैविद्यदेव, सूरसेन, कमलभद्र, देवेन्द्रसेन, कुमारसेन, हरिसेन, प्रभाकरसेन, लक्ष्मीसेन है।[२]

सोनागिरिके एक मूर्तिलेखमे पुष्करगच्छ ऋषभसेनान्वयके विजयसेन व लक्ष्मीसेनका उल्लेख है। यहाँ सेनगणका नाम नही है, किंतु अन्य लेखोसे विदित होता है कि यह पुष्करगच्छ पोगरिगच्छ ही है।[३]

हिरे आवलिसे इस सेनगणके कई लेख प्राप्त हुए है जो १२वी से १५वी शताब्दी तकके हैं।[४] इस आधारपर यह स्थान इस गणके साधुओका प्रमुख केन्द्र माना गया है। एक लेखमें सेनगणके साथ कुन्दकुन्दान्वय जुडा है।[५] सम्भव है १५वी शताब्दीसे इस गणका प्रभाव क्षीण होने लगा था, पर सेनगणकी पुष्करगच्छ शाखा कारजामें १५वी से २० शती तक विद्यमान थी।

देशीगण

दक्षिण भारतमें कन्नड प्रातका वह भाग जो पश्चिमी घाटके उच्चभूमिभाग बालाघाट और गोदावरी नदीके बीचमें है, प्राचीन समयमें 'देश' कहलाता था। यहांके साधुओका गण देश, देसिय, देसिग एव महादेसि गण कहा गया है। शिलालेखोके अवलोकनसे प्रतीत होता है कि कर्नाटक प्रातके कई स्थान इस गणके केन्द्र थे। इनमें हनसोगे (चिकहनसोगे) प्रमुख था। यहांके आचार्योंसे ही इस गणकी हनसोगे बलि या गच्छ निकला है। गच्छका अर्थ शाखा तथा बलिका अर्थ परिवार किया गया है।[६]

---

१ जैन शि० स०, भाग ४, लेख स० १३८।

२ जैन शि० स०, भाग ४, लेख स० ४१५।

३ जैन शि० स०, भाग ५, लेख सं० २५८।

४ उदाहरणार्थ—जैन शि० स०, भाग २, लेखस० २८६, भाग ३, लेखस० ३२२, ५३८, ६११ आदि।

५ जैन शि० स०, भाग ३, स० ५३८।

६ जैन शि० स०, भाग ३, प्रस्तावना, पृ० ५४।

चिकहनसोगेसे प्राप्त शिलालेखोके अनुसार वहाँ इस गणकी अनेक बसतियाँ थी, जिन्हें चगाल्व नरेशो द्वारा सरक्षण प्राप्त था।[1] हनसोगे वलि (पनसोगे वलि)[2] तथा इगुलेश्वर वलि[3] पुस्तक गच्छके ही दो प्रमुख उपभेद हैं।

पुस्तकगच्छ इस गणका प्रमुख गच्छ है, जिसके लगभग १०० लेख पाँचो सग्रहोंमे सग्रहीत हैं। हगरिटगेके लेखमें पुस्तकगच्छके गोमिनि अन्वयके मुनिके समाधिमरणका उल्लेख है।[4]

लेखोकी सहायतासे हनसोगे वलिके आचार्योंकी यह परम्परा प्राप्त होती है—पूर्णचन्द्र-दामनन्दि-श्रीधर-मलधारिदेव। मलधारिदेवके तीन शिष्य दामनन्दि, चन्द्रकीर्ति व शुभचन्द्र। चन्द्रकीर्तिके शिष्य दिवाकरनन्दि। दिवाकरनन्दिके जयकीर्ति व कुक्कुटासन मलधारिदेव अपरनाम गण्डविप्रमुक्त। कुक्कुटासनमलधारिदेवके शुभचन्द्र।[5] चिकहनसोगेसे प्राप्त एक अन्य लेखमें इस वलिके श्रीधरदेवके शिष्य नेमिचन्द्रके समाधिमरणका उल्लेख है।[6] एक लेखमें नयकीर्तिके शिष्य वलिचन्द्र[7] तथा अन्यत्र ललितकीर्ति, देवचन्द्र तथा नयकीर्तिका उल्लेख है।[8]

पुस्तकगच्छकी वाणद वलिका उल्लेख भी एक लेखमें है।[9]

देशीगणके दूसरे उपभेद आर्यसघ प्रतिवद्धग्रहकुलका उल्लेख १०वी शताब्दीके एक लेखमें है।[10] यह लेख उडीसाके खण्डगिरिपर मिला है।

देशीगणका तीसरा उपभेद चन्द्रकराचार्याम्नाय मध्यप्रदेशसे प्राप्त एक लेखमें है।[11] मैणदान्वय नामक चौथे उपभेदका उल्लेख १३वी शताब्दीके लेखमे मिलता है।[12] दो

---

१ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १७५, १९५, १९६, २२३, २४०, २४१।
२ जै० शि० स०, भाग ३, लेख स० २२३, २३२, २३९, २४१, २५३, २६९, २८४, २८५, ३७२, ४४९, ५२६, ५५१, ५६० आदि।
३. जै० शि० स०, भाग ३, स० ४११, ४६५, ५१४, ५२१, ५२४, ५७१, ५८४, ६००, ६७३ आदि।
४. जै० शि० स०, भाग ६, स० १३९।
५ जै० शि० स०, भाग ३, स० २२३, २३२, २३९, २४१, २६०, २६९ आदि।
६ जै० शि० सं०, भाग ४, लेख स० ७४।
७ जै० शि० स०, भाग ४, लेख स० २७२।
८ जै० शि० स०, भाग ४, स० २९२, ३३५, ४१६, ५२८।
९. जै० शि० स०, भाग ३, स० ४७८।
१०. जै० शि० स०, भाग ४, स० ९४।
११ जै० शि० स०, भाग ४, स० २१७।
१२. जै० शि० स०, भाग ४, सं० ३७२।

लेखोमें इस गणके वक्रगच्छको परम्पराभी गयी दी है । श्री कत्तिले वस्तीके स्तम्भ-लेख पर मूलसघ देशीगण वक्रगच्छ कोन्डकुन्दान्वयके वड्डदेवबलिके देवेन्द्र सिद्धान्तदेवके समकालीन शिष्योका उल्लेख है। देवेन्द्र सिद्धान्तदेवके शिष्य वृषभनन्द्याचार्य तथा चतुर्मुखदेव । चतुर्मुखदेवके शिष्य गोपनन्दि । गोपनन्दिके सधर्मा महेन्द्र-चन्द्र-पण्डित-देव । चतुर्मुखदेवके शिष्य प्रभाचन्द्र, उनके सधर्मा दामनन्दि, गुणचन्द्र, माघनन्दि-सिद्धान्तदेव, जिनचन्द्र, देवेन्द्र, वासवचन्द्र, त्रिमुष्टिमुनीन्द्र हुए । त्रिमुष्टि मुनीन्द्र गोपनन्दि आचार्यके शिष्य थे । इनके सधर्मा माघनन्दि, कल्याणकीर्ति व बालचन्द्र मुनि हुये ।[1] हलेबीडके कन्नड शिलालेखमें वक्रगच्छतिलक बालचन्द्रकी प्रशसा है । इनके शिष्य रामदेव बताये गये हैं।[2] चौधरीजीने इसे पुस्तकगच्छका दूसरा नाम कहा है ।[3] पर दोनो लेखोमें वक्रगच्छ या पुस्तक गच्छको एक नही कहा गया है ।

कोन्डकुन्दान्वय देशीगण

कोन्डकुन्दके साथ देशीगणका सर्वप्रथम प्रयोग सन् ९३१ में हुआ है ।[4] मर्कराके ताम्रपत्रोमें देशीयगण कोन्डकुन्दान्वयका प्रयोग है ।[5] परीक्षण किये जाने पर ये लेख कृत्रिम सिद्ध हुये हैं ।[6] कोन्डकुन्दान्वयका अर्थ कोण्डकुन्दमे निकला हुआ मुनिवश जैसे अरुगलान्वय, कित्तूरान्वय आदि, पर जहाँ किसी गण या परम्पराके साथ प्रयुक्त हुआ है, वहाँ इस गण या परम्परासे सम्बद्ध सघ होता है । कतिपय विद्वान् साहित्यिक उल्लेखोंके आधारपर मूलसघ और कुन्दकुन्दको पर्यायवाची मानते है ।

वदनगुप्पे समय ८०८ ईसवीके लेखमें कोण्डकुन्देय अन्वयके सिर्मलगेगूरु गणके कुमारनन्दि-एलवाचार्य-वर्धमानगुरु इस परम्पराका उल्लेख है ।[7] कोण्डकुन्दान्वयका स्वतन्त्र प्रयोग ८-९ वी शताब्दीके लेखोमे है ।[8] कोण्डकुन्दान्वयको गण भी माना गया है ।[9] गङ्गनरेश मारसिंह प्रथमके प्रभावक सेनापति श्रीविजयने मण्णेमें एक विशाल जिनालय बनाकर तोरणाचार्यके प्रशिष्य व पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र मुनिको

---

१. जै० शि० स०, भाग १, सं० ५५ ।
२ जै० शि० स०, भाग २, स० ४२६ ।
३. जै० शि० स०, भाग ३ को चौधरी कृत प्रस्तावना, पृ० ५६ ।
४ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १५० ।
५ इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग १, पृ० ३६३-३६५ में प्रकाशित ।
६. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३ की चौधीकृत प्रस्तावना, पृ० ४७ का फुटनोट ।
७ जै० शि० स०, भाग २, लेख स० १८० ।
८ वही, स० १२२, १२३, १३२ ।
९ वही, सं० १२२ ।

बसदिके लिये एक गाँव और कुछ भूमियाँ दानमें दी थी।[१] उक्त श्रीविजय द्वारा निर्मापित जिनभवनके लिये प्रभाचन्द्र मुनिके शिष्य वध्ययय्के लिये एक गाँव दानमें दिया।[२] हुम्मचसे प्राप्त एक लेखमें कोण्डकुन्दान्वयके मौनिसिद्धान्त भट्टारक का उल्लेख है।[३]

मूलसघके साथ देशीगण कोण्डकुन्दान्वयका प्रयोग ८६० ई० के लेखमें है।[४] यह लेख बहुत समय तक ताम्रपत्रके रूपमें रहा, बादमें मुनि मेघचन्द्र त्रैविद्यके शिष्य वीरनन्दि मुनिने कुछ लोगोके आग्रहसे पाषाणपर उत्कीर्ण कराया था। सभवत लेखके उत्कीर्णन काल (१२वी शताब्दी) में मूलमघ और कोण्डकुन्दान्वय पर्यायवाची हो गये थे, अत यहाँ मूलसघ ओर जोड दिया गया प्रतीत होता है।

लेखीय आधारोसे प्रतीत होता है कि कोण्डकुन्दान्वयका प्रचलन ई० ७वींके उत्तरार्धसे प्रारभ हुआ था और उसने ८-९वी शताब्दीमें प्रभावशाली बननेके प्रयत्न किये थे। उसका प्रथम प्रभाव कर्नाटक प्रान्तके देशस्थ साधुओ पर पडा, जिसके सम्पर्कसे देशियगण कोण्डकुन्दान्वयके कहलाने लगे।

(कतिपय लेखोके आधारपर देशीगण कोण्डकुन्दान्वयकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है—त्रैकालयोगीश—देवेन्द्रमुनि, चान्द्रायणद—गुणचन्द्र, अभयनन्दि, शीलभद्र भट्टार, जयनन्दि, गुणनन्दि व चन्द्रनन्दि।[५])

कोण्डकुन्दान्वयका कुछ प्रभाव द्रविड सघ पर भी पडा था, पर वह प्रभाव स्थायी न था, क्योकि एक लेखके अतिरिक्त और किसी लेखमें द्रविड सघ कोण्ड-कुन्दान्वयका उल्लेख नही मिला।[६]

सूरस्थ गण

सूरस्थगणका सर्वप्रथम उल्लेख कादलूर ताम्रपत्रका है।[७] लेखोमें इसका नाम सूरस्त, सुराष्ट्र एव सूरस्थ है।[८] इन लेखोमें इसके अन्वय या गच्छ आदिका उल्लेख नही है। अन्य लेखोंसे इसके चित्रकूटान्वयका पता चलता है।[९] सूरस्थगण प्रारभमें

---

१ जै० शि० स०, भाग २, लेख स० १२२।

२. वही, १२३।

३ वही, १३२।

४ वही, १२७।

५ वही, स० १२७, १५०, २०४, २३३, २५६।

६ वही, स० १६६।

७ वही, भाग ५, क्रमाक १७

८ वही, भाग २, क्रमाक १२७, १५०, २०४, २५६।

९ जैं० एण्टीक्वेरी, भाग ११, अक २, पृ० ६३–५।

मूलसघके सेनगणसे सम्बन्धित बताया गया है। मूलसघकी एक शाखा सौराष्ट्र गण (सूरस्थगण) धारवाड तथा बीजापुर जिलेमें कार्यशील थी।

इसके दो उपभेदो—चित्रकूटान्वय तथा कौरुरगच्छका पता चलता है[1]। इस गणकी परम्परामें इन आचार्योंके उल्लेख हैं—अनन्तवीर्य, बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, कल्नेलेयदेव (रामचन्द्र), अष्टोपवासिमुनि, हेमनन्दि, विजयनन्दि, एकवीर और उनके सघर्मा पल्ल पडित। इसमें हेमनन्दि मुनीश्वरको राद्धान्तपारग और सूरस्थगणभास्कर बतलाया गया है।[2] कादलूर ताम्रपत्रमे प्रभाचन्द्र योगीश—कल्नेलेयदेव—रविचन्द्रमुनीश्वर—रविनन्दिदेव—एलाचार्य मुनीद्र इस प्रकार बतायी गयी है।[3]

अविकगुन्दके लेख[4] में जयकीर्ति भट्टारक तथा अलदगेदिके १३वी शतीके तीन लेखोंमे[5] इस गणकी नागचन्द्र—नन्दिभट्टारक—नयकीर्ति इस आचार्य-परम्पराका उल्लेख है। इस गणके किसी भी लेखमें कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख नही है।

क्राणूरगण

क्राणूरगणके तीन उपभेदोंका पता चलता है—तिन्त्रिणी गच्छ, मेषपाषाणगच्छ और पुस्तकागच्छ। १०वी शताब्दीसे १६वी शताब्दी तक इस गणके उल्लेख प्राप्त होते हैं। मूलसघके देशियगण और क्राणूरगणकी अपनी-अपनी वसतियाँ होती थी। दड्डिगसे प्राप्त एक लेखमें लिखा है कि होयसल सेनापति मरियाने और भरतने दड्डिगकेरे स्थानमें पाँच वसतियाँ बनवायी थी, जिसमें चार देशियगणके लिये तथा एक क्राणूरगणके लिये थी।[6]

कल्लूर गुण्डसे प्राप्त एक लेखमें क्राणूरगण मेषपाषाणगच्छके आचार्योंकी वशावली दी है। दक्षिण देशवासी गग राजाओंके कुलके समुद्धारक श्री मूलसघके नाथ सिंहनन्दि नामके मुनि थे। इनके पश्चात् अर्हद्बल्याचार्य, बेट्टद—दामनन्दि—भट्टारक, बालचन्द्र भट्टारक, मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव, गुणचन्द्र पण्डितदेव, गुणनन्दि हुए। इनके बाद महान तार्किक एव वादी प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव हुए। उनके शिष्य-माघनन्दि सिद्धान्तदेव और उनके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए। इनके सघर्मा अनन्तवीर्य मुनि, मुनिचन्द्रमुनि, उनके शिष्य श्रुतकीर्ति, उनके शिष्य कनकनन्दि त्रैविद्य हुए,

---

१ जै० शि० स० भाग ४ सं० १५३, १५८, २३८, ३७४, व ११७।

२ वही, भाग २ लेखसं० २६९।

३ वही, भाग ५ क्रमाक १७।

४ वही, भाग ५, लेख स० ११८।

५ वही, भाग ५, क्रमाक १६३-५।

६ जै० एण्टीक्वेरी भाग ९, अक २, पृ० ६९, न० ५८।

जिन्हें राजाओके दरबारमें त्रिभुवन—मल्लवादिराज कहा जाता था। इनके सधर्मा माधवचन्द्र, उनके शिष्य बालचन्द्र त्रैविद्य थे।[१] पुरलेके लेखमें इस गच्छके कई मुनियों के उल्लेख हैं।[२]

क्राणूरगणके तिन्त्रिणीगच्छकी आचार्यपरम्पराका उल्लेख भी कई लेखोंसे मिलता है। रामनन्दि—पद्मनन्दि—मुनिचन्द्र। मुनिचन्द्रके दो शिष्य भानुकीर्ति एव कुलभूषण। भानुकीर्तिके शिष्य नयकीर्ति और कुलभूषणके सकलचन्द्र हुए।[३]

क्राणूरगणके एक तगरिलगच्छका भी उल्लेख है।[४]

क्राणूरगणका उल्लेख यापनीय सघमें भी मिलता है।

बलात्कारगण

नन्दिसघकी गुर्वावलिके अनुसार बलात्कारगणके अग्रणी पद्मनन्दि हुए, जिन्होंने सरस्वतीकी पाषाणमूर्तिको वाचाल कर दिया था।[५] दिगम्बर—श्वेताम्बरोंके शास्त्रार्थके अनेक उल्लेख हैं तथा सर्वत्र दिगम्बर शास्त्रार्थकारके रूपमें पद्मनन्दि ही उल्लिखित हैं। बलात्कारगणके आचार्योंने भी अपने गणके आद्य पद्मनन्दि (कुन्दकुन्दाचार्य) को ही माना है। मूलसघके साथ नन्दिसघ बलात्कारगण सारस्वतगच्छके आद्य आचार्य पद्मनन्दि ही बताये गये हैं। इनके एलाचार्य, कुन्दकुन्द आदि पांच नाम बताये गये हैं।[६]

बलात्कारगणका प्रथम उल्लेख मैसूरसे प्राप्त १०७१-७२ ई० के लेखमें है। इसमें वर्धमान, महावादी विद्यानन्द, गुणकीर्ति, विमलचद्र, गुणचन्द्र, गण्डविमुक्त उनके गुरु बन्धु अभयनन्दिका उल्लेख है। इसके अगले लेखमें अभयनन्दि, सकलचन्द्र, गण्डविमुक्त (द्वितीय), त्रिभवनचन्द्रका उल्लेख है।[७] डॉ० चौधरीके अनुसार बलगार नामक स्थानविशेषसे निकलनेके कारण वह बलगार नामसे ख्यात हुआ होगा। इस नामका

---

१ जै० शि० स० भाग २ लेख स० २२७।

२ वही, भाग २, लेख स० २९९।

३ वही, भाग ३ : लेख स० ३१३, ३७७, ३८९, ४०८ और ४३१।

४ वही, भाग १ . लेख स० ५००।

५ नन्दिसघ-गुर्वावली, श्लोक न० ३६।

पद्मनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणी।
पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥

६ जै० शि० स० भाग ३ स० ५८५।

७ जै० शि० स० भाग ४ स० १५४ व १५५।

एक स्थान भी दक्षिण भारतमें हैं।[1] प० परमानदजी शास्त्रीके अनुसार बलात्कार स्थानवाची न होकर जबर्दस्ती क्रियायोमें उद्यत होने या लगने आदिके कारण इसका नाम बलात्कारगण हुआ जान पडता है।[2] डॉ० चौधरीका अनुमान ही हमें भी उचित जान पडता है।

बलात्कारगणका उल्लेख श्रीनन्दिके शिष्य श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणके टिप्पण, पुराणसार तथा पद्मचरितटिप्पणको प्रशस्तिमे किया है।[3] इनका समय सन् १०३० है। इस गणमें अनेक विद्वान् भट्टारक हुए हैं, उनके पट्ट भी अनेक स्थानो पर रहे हैं। इस कारण बलात्कारगणका विस्तार अधिक रहा है। उसकी दो शाखायें कारजा एव लातूरमें स्थापित हुई थी। सूरतमें भी बलात्कारगणकी गद्दी थी। ग्वालियर और सोनागिरि माथुरगच्छ और वलात्कारगणके केन्द्र थे। देहली, जयपुर, नागौर, ईडर आदिमें इसका विस्तार हुआ है, किंतु इसके अधिकाश उल्लेख कर्नाटकमे प्राप्त हुए हैं।

प्राय चौदहवी शताब्दीसे इसके साथ सरस्वतीगच्छ जुडा है। बलगाम्बेके लेखमें बलात्कारगणके चित्रकूटाम्नायके मुनि मुनिचन्द्र और उनके शिष्य अनन्तकीर्तिका उल्लेख है।[4] कोणूरके लेखमें मुनियोकी परम्परा दी गयी हैं—नयनन्दि—श्रीधर। श्रीधरके तोन शिष्य चन्द्रकीर्ति, श्रुतकीर्ति और वासुपूज्य। चन्द्रकीर्तिके नेमिचन्द्र और वासुपूज्यके पद्मप्रभ।[5]

चौदहवी शतीके उत्तरार्धसे इस गणका विशेष प्रभाव द्योतित होता है। १३७१ ई० के तवनन्दिके शिलालेखमें बलात्कारगणके अग्रणी सिहनन्द्याचार्यका उल्लेख है।[6] अन्य दो लेखोमें इस गणकी परम्परा इस प्रकार मिलती है—कीर्तिदेव, कीर्तिदेवके शिष्य सुदाम और देवेन्द्रविशालकीर्ति, देवेंद्र विशालकीर्तिके शुभकीर्तिदेव, और उनके भट्टारक—धर्मभूषण (प्रथम), अमरकीर्ति। अमरकीर्तिके दो शिष्य धर्मभूषण (द्वितीय)

---

१ जै० शि० स० भाग ३ : प्रस्तावना ' पृ० ६२।

२ जै० धर्मका प्राचीन इतिहास, भाग २, पृ० ५७।

३ उत्तरपुराणटिप्पण "बलात्कागणश्रीश्रीनन्दाचार्यसत्कविशिष्येण चन्द्रमुनिना।"
पद्मचरितटिप्पण "श्रीमद्बला (त्कार) गणश्री सघ "

४. जै० शि० स० भाग २ लेख न० २०८।

५ वही, भाग २, लेख स० २२७।

६ वही, भाग ३ : स० ५६९।

व सिंहनन्दि । धर्मभूषणके वर्धमान स्वामी । वर्धमान स्वामीके धर्मभूषण (तृतीय)[1] दो अन्य लेखोमे भी इनके उल्लेख मिलते हैं ।[2]

शत्रुंजयसे प्राप्त लेखकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है—

सकलकीर्ति, भुवनकीर्ति, ज्ञानभूषण, विजयकीर्ति, शुभचन्द्र, सुमतिकीर्ति, गुणकीर्ति, वादिभूषण, रामकीर्ति, पद्मनन्दि ।[3] चितौडके सन १३००के लेखमें उत्तर-भारतमें इस गणकी आचार्य परम्परा निम्नप्रकार दी गयी है—केशवचन्द्र—देवचन्द्र—अभयकीर्ति—वसन्तकीर्ति—बिशालकीर्ति—शुभकीर्ति—धर्मचन्द्र ।[4] चित्तौडके एक अन्य लेख व देवगढके लेखसे इसका समर्थन होता है ।[5]

देवगढसे प्राप्त एक लेखमे बलात्कारगणके मदसारदगच्छकी गुरुपरम्परा दी गई है । यह श्रीमद् शारद्गच्छ अर्थात् सरस्वतीगच्छ ही है ।[6]

परम्परा इस प्रस प्रकार है धर्मचन्द्र—रत्नकीर्ति—प्रभाचन्द्र—पदमनन्दि—शुभचन्द्र ।[7] इस गणके भट्टारकोने पर्याप्त ग्रन्थ-सर्जना की है ।

नन्दिगण

श्रवणबेलगोलसे प्राप्त पांच-छह लेखोंमें नन्दिगणकी पट्टवलियां दी गयी हैं ।[8] वह परम्परा इस प्रकार है—पद्मनन्दि (कोण्डकुन्द) के अन्वयमें उमास्वाति–बलाकपिच्छ–गुणनन्दि–देवेन्द्र सैद्धान्तिक–कलधौतनन्दि । इस सग्रहमें लेख न० ४० में बलाकपिच्छके बाद देवनन्दि (पूज्यपाद) और अकलकका नाम दिया गया है । इसी लेखमें कहा गया है कि मूलसघके नन्दिगणका प्रभेद देशीगण हुआ, जिसमें गोल्लाचार्य नामके प्रसिद्ध मुनि हुये ।[9] लेख न० १०८ के शिलालेखमें भी इसी प्रकार "नन्दिसघ सदेशीगणे गच्छे च पुस्तके" कहा गया है । इसी प्रकार न० ४२, ४३, ४७, ५०

---

१ वही, भाग १ से १११ तथा भाग ३ लेख ५८५ तथा डॉ० दरबारीलाल कोठिया द्वारा सम्पादित न्यायदीपिका, प्रस्तावना, ९१-९६

२. जै० शि० स० भाग ३ स० ६६७ व ६९१ ।

३ जै० शि० स०, भाग ३, स० ७०२ ।

४ जै० शि० स०, भाग ५, सं० १५२ ।

५. वही, १५३, १७२ ।

६. जै० शि० स० भाग ४, प्रस्तावना—जोहरापुरकर, फुटनोट पृ० १२ ।

७ जै० शि० स०, भाग ३, स० ६१७ ।

८ जै० शि० स०, भाग १ : लेख स० ४०,४२,४३,४७, व ५० ।

९ वही, ४०, श्लोक न० १३, पृ० २५ ।

आदि लेखोंमें भी आरभमें नन्दिसघका उल्लेख है तथा बीचमें या अन्तमें मूल सघ देशीगणका उल्लेख है ।

नन्दिगणकी परम्पराके गुणनन्दि, देवेन्द्र सैद्धान्तिक आदि देशियगणकी परम्परासे सम्बन्धित हैं, यह देशीगणकी अन्य आचार्यपरम्पराओसे ज्ञात होता है । कोण्डकुन्दाचार्य, उमास्वाति, समन्तभद्राचार्य आदि आचार्योंके नाम द्रविडसघसे सम्बन्धित नन्दिगणके ११ वी शताब्दीके लेखोंमें भी दिखाई देते हैं ।[1]

मूलसघ और द्रविडसंघके लेखोमें नन्दिगणके प्राचीन आचार्योंके नाम एकसे देखकर चौधरीका अनुमान है कि इन दोनो सघोंमे कोई प्राचीन नन्दिगण बाहरसे सम्मिलित किया गया होगा । यापनीयसघमें नन्दिसघ महत्त्वपूर्ण था । इसीसे द्रविड-सघ और मूलसघने नन्दिगणको अपनाया है ।[2]

प्रथम भागके लेख न १०५ तथा १०८में नन्दिगणको नन्दिसघ कहा गया है यहां सेन, नन्दि, देव और सिंह इन सघोका इतिहास भी दिया गया है ।

नविलूर या नमिलूर सघका उल्लेख भी कुछ लेखोमें है । एक लेखमें इसे ही पहले नमिलूर फिर मयूर सघ कहा गया है । एक अन्य लेख मे इसे मयूर ग्राम सघ कहा है । स्पष्ट उल्लेख न होनेपर भी डॉ० हीरालालजीने इसे देशीगणके अन्तर्गत माना है ।[3]

निगमावन्य

(बीजापुर) विजापूर मैसूरसे सन १३१०का एक लेख मूलसघ निगमान्वयका प्राप्त हुआ है । इसमें कृष्णदेव द्वारा एक मूर्ति स्थापनाका उल्लेख है ।[4]

कूर्चक सम्प्रदाय

कदम्ब राजवशके दानपत्रोमें कूर्चकोंके सम्प्रदायका उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है कि कर्नाटक प्रान्तमे ईसाकी पाँचवी शताब्दी या उसके पहले जैनोका एक सम्प्रदाय "कूर्चक" नामसे और वह निर्ग्रन्थ, श्वेतपट और यापनीय सघसे पृथक् था, क्योकि एक दानपत्रमे मृगेशवर्मा द्वारा स्वर्गगत शान्तिवर्माकी भक्तिसे पलाशिका नामक नगरमें जिनालय निर्माण कराके अपनी विजयके आठवें वर्षमें यापनीयों, निर्ग्रन्थो और कूर्चको के लिये भूमिदानका उल्लेख है ।[5]

---

१ जै शि स भाग २ : लेख स २१३, २१४ २८७ आदि

२ जै शि स भाग ३ प्रस्तावना पृ ५७

३ जै शि स भाग १ की प्रस्तावना, डॉ० हीरालाल जैन

४ जै. शि स भाग ४, स ३९०

५ जै शि. स भाग २, लेख स ९,९९

प्रेमीजी के अनुसार दाढ़ी-मूछ रखनेके कारण जैन साधुओंका यह सम्प्रदाय कूर्चक-सम्प्रदाय कहलाता होगा। वरांगचरितके कर्ता आचार्य जटासिंहनन्दि संभवत ऐसे ही साधुओंमें थे, जिनकी जटाओंका वर्णन "जटा प्रचलवृत्तय" के रूपमें आचार्य जिनसेनने अपने आदिपुराणमें किया है। उत्तराध्ययन और बृहत्कल्पसूत्रके लघुभाष्य और वृत्तिमें कूर्ची साधुओंके उल्लेख हैं, जो प्रसंगत अजैन साधुओंके प्रतीत होते हैं। इस परसे अनुमान होता है कि जैन साधुओंमें भी कूर्चक-सम्प्रदाय रहा होगा।[1]

लेख न १०३ में बहुवचनका प्रयोग है, जिससे कूर्चक सम्प्रदायके कई संघ होनेका ज्ञान होता है। इसी लेखमें कूर्चकोंके अवान्तर भेद-वारिषेणाचार्य संघका उल्लेख है। इसके अनुसार उक्त संघके प्रधान मुनि चन्द्रक्षान्तको कदम्ब नरेश हरिवर्माने अपने पितृव्य शिवरथके उपदेशसे सिंह सेनापतिके पुत्र मृगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिरमें अष्टान्हिका पूजाके लिये तथा सर्वसंघके भोजनके लिये वसुन्तवाटक नामक ग्राम दानमें दिया था।

लेख न १०३ मे अहिरिष्टि नामक एक और श्रमणसंघका उल्लेख है, जिसे सेन्द्रक सामन्त भानुशक्तिकी प्रार्थना पर कदम्बनरेश हरिवर्माने मरदे नामक ग्राम दानमे दिया था। उक्त संघके आचार्य धर्मनन्दिको यह दानमें भेंट किया गया था, ताकि वे अपने अधीन चैत्यालयकी पूजा आदिका प्रबन्ध कर सकें और उस दानका उपयोग साधुओंके लिये भी कर सकें। यद्यपि इस लेखमें कूर्चक सम्प्रदायका उल्लेख नहीं है तथापि चौधरीजीका अनुमान है कि वारिषेणाचार्यसंघके समान ही अहिरिष्टि श्रमणसंघ भी कूर्चकोंका एक भेद था।[2]

द्राविड या द्रविड संघ

द्रविड देशके साधु समुदायका नाम द्रविड संघ है। इस संघके अनेकों लेख प्राप्त हैं। इसे द्रमिड, द्रविड, द्रविण, द्राविड, द्रविल, दरविल, या तिवुल नामसे उल्लिखित किया गया है।

देवसेनाचार्यके अनुसार[3] पूज्यपादके शिष्य वज्रनन्दिने वि० स० ५२६ में दक्षिण

---

१. श्री नाथूराम जी प्रेमी जैनसाहित्य का इतिहास, पृ ५५९-५६२

२. डॉ० चौधरीकृत प्रस्तावना पृ० ३३

३. दर्शनसार २४-८ सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुट्ठो।
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्थो।
अप्पासुयचणयाण भक्खवणदो वज्जिदो मुणिदेहि।
परिरइय विवरीय विसेसिय वग्गण चोज्जं॥

मथुरा 'मदुरा'में द्राविडसघकी स्थापना की। यह प्राभृतग्रथोका ज्ञाता, महान् शक्तिशालो तथा दुष्ट था। मुनियोने इसे अप्रासुक चने खानेसे रोका, जिससे बिगडकर इसने विपरीत प्रायश्चित्त ग्रन्थोकी रचना की। इनकी दृष्टिमें बीजोमें जीव नही होता। मुनियोके लिए स्थिति-भोजनका विधान नही है। ये सावद्य तथा गृहकल्पित[1] अर्थको नही मानते। इन्होने कछार, खेत वसतिका और वाणिज्य आदि द्वारा जीवन-निर्वाह तथा शीतल जलमें स्नान करते हुए प्रचुर पापका सचय किया।

इस सघके लेख प्राय कोगाल्ववशी, शान्तरवशी तथा होटसलवशी राजाओके राज्यकालके हैं। इन वशोके नरेशोंका इस सघको सरक्षण प्राप्त था। इस सघके आचार्योंने पद्मावतीकी पूजा एव प्रतिष्ठाके प्रसारमें बडा योग दिया था।

वीरगण वीर्णय्यान्वय

सन् ९१५ के वजीरखेड ताम्रपत्रोमें इस सघके विशेष वीरगण वीर्णय्यान्वयके लोकमेंद्रके शिष्य वर्धमानगुरुको मिले हुये ग्रामदानका वर्णन है। चन्दनापुरीकी अमोघवर्सति तथा वडनेरकी उरिअम्मबसतिकी देखभाल उनके द्वारा होती थी। यह लेख द्राविड सघके प्राप्त उल्लेखोमें प्राचीनतम है तथा इसमे वर्णित वीरगण वीर्णय्य-अन्वयका अन्य किसी लेखमें उल्लेख नही मिलता।

द्राविडसघ कोण्डकुन्दान्वय

इस सघके आदि एव प्राचीन कुछ लेख होय्सलोंके उत्पत्ति-स्थान अगदि (सोसेबूर) से ही प्राप्त हुये हैं। एक लेखमे द्रविडसंघ कोण्डकुन्दान्वयका उल्लेख है।[2]

मूलसघ द्रविडान्वय

अगदिके ही दूसरे लेखमें व्रजपाणि-पडितका उल्लेख है, जिन्हें मूलसघ द्रविडान्वयका कहा गया है।[3] इस लेखमें वज्रपाणि व्रतीश्वरके अतिरिक्त रविकीर्ति और कल्ने-

---

बीएसु णत्थि जीवो उब्भसण णत्थि मुणिदाण।
सावज्ज ण हु मण्णइ ण गणइ गिहकप्पिय अट्ठ॥
कच्छ खेत्त वसहि कारिऊण जीवतो।
ण्हतो सीयलनीरे पाव पउर च सचेदि॥
पचसए छव्वीसे विक्कमरायस्य मरणपत्तस्स।
दक्खिणमहुराजादो दाविडसघो महामोहो॥

१ हमें गृहकल्पितका अर्थ स्पष्ट नही हो सका है।
२ जै० शि० स०, भाग ५ . क्रमाक १४ व १५
३ जै० शि० स०, भाग २ . क्रमाक १७८

लेयदेवका उल्लेख है। इन दोनोंके उल्लेख मूलसघ सूरस्थगणके दो लेखोंमें मिलते हैं।[1] अङ्गदिके ही एक अन्यलेखमे वज्रपाणिपण्डितको सूरस्थ-गणका कहा गया है।[2] इससे प्रतीत होता है वज्रपाणि पडित सूरस्थगणसे सम्बन्धित थे।

डॉ० चौधरीजीका अनुमान है कि देवसेनके दर्शनसारमें निर्दिष्ट द्राविड सघके सस्थापक वज्रनन्दि ही उक्त वज्रपाणि हो सकते है।[3] वज्रपाणि पण्डितकी गुरु-शिष्यपरम्पराका पता लेखोसे नही चलता। इसके बाद इस सघके लेखोंमें नन्दिसघके आचार्योकी परम्परा चलने लगती है।

नन्दिसघ अरुङ्गलान्वय

यही इस सघका प्रमुख व महत्वपूर्ण अन्वय है। ११वी शताब्दीके अनेकों लेखोंमें द्रविड गणके साथ नन्दिसघ अरुङ्गलान्वयका उल्लेख है।[4]

द्रविड सघका प्रथम कुन्दकुन्दान्वय तथा मूलसंघके साथ और फिर नन्दिसघके साथ सम्बन्ध देखकर चौधरीजीका अनुमान है कि नवसगठित द्रविड सघने प्रारभमें अपना आधार मूलसघ या कुन्दकुन्दान्वयको बनाया होगा, पर पीछे यापनीय सम्प्रदायके विशेष प्रभावशाली नन्दिसघमें इस सम्प्रदायमें अपना व्यावहारिक रूप पानेके लिये उससे विशेष सम्बन्ध रखा या द्रविडगणके रूपमें उक्त सघके अन्तर्गत हो गया। बादमें यह द्रविड गण इतना प्रभावशाली हुआ कि उसे ही संघका रूप दे दिया गया और साथमें नन्दिसघको नन्दिगणके रूपमें निर्दिष्ट किया गया।[5] दर्शनसारमें द्रविड सघको यापनीयोके साथ जो जैनाभास कहा गया है, वह सभवत. इस ओर ही सकेत कर रहा है।[6]

अनेको लेखोमे प्राचीन प्रतिष्ठित आचार्योको द्रविड संघ नन्दिसघके अन्तर्गत समाविष्ट करनेका प्रयत्न किया गया है। जैसे कुन्दकुन्द, भद्रबाहु, समन्तभद्र, सिंह-नन्दि, अकलकदेव, वज्रनन्दि व पूज्यपाद।[7]

---

१ जै० शि० स० भाग २ लेख सं० २६९ व भाग ५ स० १७

२ जै० शि० स० भाग २ लेख स० १८५

३ जै० शि० स० भाग ३, प्रस्तावना पृ० ३६

४ जै० शि० स० भाग ३ क्र० १८८, १८९, १९०, १९२, २०२, २१४, २१५, २१६ आदि।

५. जै० शि० स०, भाग २, स० २१३, २१४

६. जै० शि० स०, भाग ३, प्रस्तावना पृ० ३५

७. जै० शि० स०, भाग २, स० २१३, २१४

इस सघके अन्तर्गत नन्दिसघके साथ प्रत्येक लेखमें अरूङ्गलान्वयका उल्लेख मिलता है। अरूङ्गल नामका स्थान तामिल प्रान्तके गुडियपत्तन तालुकामें है। अरूङ्गलान्वयका अर्थ अरूङ्गलप्रदेशसे उद्भूत किया गया है।

ग्यारहवी—बारहवी शताब्दीमें द्राविड सघके मुनियोकी गद्दियाँ कोङ्गाल्व राज्यके मल्लूर तथा शान्तर राजाओ की राजधानी हुम्मचमें थी। हुम्मचसे प्राप्त लेखोमें इस संघके अनेकों आचार्योंका परिचय मिलता है। इन लेखोके अनुसार इस सघकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है—मौनिदेव, विमलचन्द्र भट्टारक, कनकसेन, वादिराज। कनकसेनके शिष्य दयापाल, पुष्पसेन, वादिराज, श्रीविजय (पण्डित पारिजात) पुष्पसेनके शिष्य गुणसेन थे। गुणसेनके चार शिष्य श्रेयासदेव, कमलभद्र अजितसेन (वादीभसिंह) कुमारसेन।[1]

अङ्गदिसे प्राप्त लेखमें मौनिदेव और विमलचन्द्र भट्टारकका द्रविड सघ कुन्दकुन्दान्वयके आचार्यके रूपमें उल्लेख है।[2] कनकसेन वादिराजका दूसरा नाम हेमसेन दिया गया है।[3] वादिराजका पूरा नाम श्री वर्द्धमान जगेदकमल्ल वादिराज है।[4]

वादिराजके अन्य सधर्माओमें पुष्पसेन और श्रीविजय पण्डित थे। पुष्पसेनकी पादुकाओकी स्थापनाका स्मारक लेख मूल्लूरसे प्राप्त लेखमें है, जिसमें उन्हें गुणसेन पण्डितका गुरु कहा गया है।[5] गुणसेनके कई लेख मुल्लूरसे प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्हें कोङ्गाल्व नरेश राजेन्द्र चोलके कुलगुरु बताया गया है।[6] एक लेखमें इन्हें पोटसलाचारी लिखा है, जिससे होयसल राजाओ पर भी इनके प्रभावका सकेत मिलता है।[7] एक लेख इनके समाधिमरणका स्मारक है, जिसमें इन्हें द्रविडगण, नदिसघ, अरुङ्गलान्वयका नाथ तथा अनेक शास्त्रोका वेत्ता लिखा है।[8]

श्री विजय पण्डितके सम्बन्धमें ज्ञात होता है कि वे अनेक प्रतिष्ठित आचार्योंके गुरु थे।[9] उनका दूसरा नाम वोडेयदेव या ओडेयदेव था, जो कि तियगुडिके निडुम्बरे

---

१ जै० शि० स०, भाग २, स० २१३–२१६
२ जै० शि० स०, भाग २, स० १६६
३ जै० शि० स०, भाग २, स० २१३–२१५
४ जै० शि० स०, भाग ३, स० ३४७
५ जै० शि० स०, भाग २, स० १७७
६ जै० शि० स०, भाग २, सं० १८८–१९२
७ जै० शि० स०, भाग २, स० २०१
८ जै० शि० स०, भाग २, स० २०२
९ जै० शि० स०, भाग २, स० २१३

तीर्थ, अरुङ्गलान्वय, नन्दिगणके अधीश्वर थे। उन्हें तामेल्लरु (तमिलप्रातीय) कहा गया है।[१]

श्रीविजयके शिष्योंमें श्रेयासदेवको उर्वीतिलक जिनालयका प्रतिष्ठापक कहा गया है।[२] दूसरे शिष्य कमलभद्रका उल्लेख दो लेखोमें है।[३] तीसरे शिष्य अजितसेन बडे ही विद्वान् थे। उनकी चतुर्मुख, तार्किकचक्रवर्ती, वादीभसिंह, वादिघरट्ट एव वादीभ-पचानन आदि उपाधियाँ थी।[४] कुछ अन्य लेखोमें भी इनका विवरण है।[५]

हुम्मचके अन्य लेखोसे इनकी अन्य आचार्यपरम्परा ज्ञात होती है। श्रीविजयके चार शिष्य थे। श्रेयासदेव, अजितसेन, कुमारसेन तथा कमलभद्र। अजितसेनके तीन शिष्य—मल्लिषेण मलधारी, शान्तिनाथ तथा पद्मनाभ, मल्लिषेण मलधारीके तीन शिष्य—श्रीपाल,चन्द्रप्रभ और वादिराज। श्रीपालके वासुपूज्य व वादिराजके पुष्पसेन। वासुपूज्यके वृषभनाथ तथा मल्लिषेण पण्डित।[६]

द्राविडसघ सेनगण

सन् ११६७ के उज्जिलिके लेखमें[७] द्राविड संघ–सेनगण–कौरुर गच्छके इन्द्रसेन आचार्यको मिले हुए भूमिदानका वर्णन है। द्राविडसघके साथ सेनगणका सम्बन्ध बताने वाला यह प्रथम लेख है। कौरुर गच्छका सम्बन्ध सूरस्थ गणके साथ है। वज्रपाणि पण्डितको सूरस्थ गणसे सम्बद्ध बताया गया है। इससे प्रतीत होता है कि सेनगण व सूरस्थ दोनोका ही द्राविड सघके साथ सम्बन्ध रहा है।

काष्ठासघ

काष्ठासघ अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। आचार्य देवसेनके दर्शनसारके अनुसार काष्ठा-सघकी उत्पत्ति जिनसेनके सतीर्थ्य विनयसेनके शिष्य कुमारसेन द्वारा वि० स० ७५३ में हुई, जो नन्दितटमें रहते थे।[८] काष्ठासघकी मान्यताओको बतलाते हुये उन्होंने कहा है कि काष्ठासघी स्त्रियोकी पुन दीक्षा, क्षुल्लकोको वीरचर्या, कर्कशकेशग्रहण तथा छठे अणुव्रतको मानते थे।

---

१ जै० शि० स०, भाग २, स० २१४

२ जै० शि० स०, भाग २, स० २१३।

३ जै० शि० स०, भाग २, स० २१४ व २१६।

४ जै० शि० स०, भाग २, स २१४ व २४८।

५ जै० शि० स०, भाग २, स० २२६, २४८।

६ जै० शि० स०, भाग २, स० २१३ व २१४

७ जै० शि० स०, भाग ५, स १०४।

८ दर्शनसार गाथा ३८

सत्तसए तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
णदियडे वरगामे कट्ठो सघो मुणेयव्वो॥

इत्थीण पुणदिक्खा खुल्लयलोयस्स वीरचरिअत्त।
कक्कसकेसग्गहण छट्ट च अण्णुव्वदं णाम॥[1]

प० परमानन्दजी शास्त्रीके अनुसार दर्शनसारमें काष्ठासघके सस्थापकका समय जो वि० स० ७५३ बतलाया है, वह सगत प्रतीत नही होता, क्योकि विनयसेनके लघु गुरुबन्धु जिनसेनने जयधवला टीका शक स० ७५९, (ई० सन ८३७) में बनाकर पूर्ण की है, अत इसे वि० स० न मानकर शक सवत् माननेसे सगति ठीक बैठ जाती है।[2]

प्रेमीजीने भी इस पर सन्देह करते हुए लिखा है कि दर्शनसारके अनुसार गुणभद्र-की मृत्युके पश्चात् विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासघकी स्थापना की। गुणभद्रने अपना उत्तरपुराण वि० सन् ९१५ के लगभग समाप्त किया है। इसीको मृत्युकाल मान लें तो काष्ठासघकी उत्पत्ति डेढसौ वर्ष पीछे चली जाती है।[3] अत दर्शनसारमें उल्लिखित काष्ठासघकी उत्पत्तिके समयको सुनिश्चित नही कहा जा सकता।

प० बुलाकीचन्द्र कृत वचन-कोश (वि० सं० १७३७) के अनुसार काष्ठासघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पट्टाधिकारी लोहाचार्य द्वारा अगरोहा नगरमें हुई और काठकी प्रतिमाकी पूजाका विधान करनेसे उसका नाम काष्ठासघ पडा। कवि पामोने भी लोहाचार्यके द्वारा काष्ठासघकी स्थापना तथा उसके चार गच्छ माने हैं।[4]

१९वी २०वी शताब्दीके लेखोमें काष्ठासघके अन्तर्गत लोहाचार्यान्वयका उल्लेख मिलता है। इस सघके प्राय सभी लेख उत्तर और पश्चिम भारतमें ही प्राप्त हुए हैं। इस काष्ठासघ तथा माथुरसघका हो उत्तर भारतसे विशेष सम्बन्व रहा है, अन्य सघ दक्षिण भारतसे ही सम्बन्ध रखते हैं। बाबू कामताप्रसादजीने इसकी उत्पत्ति स्थानसापेक्षिताके कारण मथुराके पास यमुनाके किनारे काष्ठा नामक ग्राममें मानी है।[5] विश्रुति है कि लोहाचार्यने ही अग्रवालोको दिगम्बर जैनधर्ममें दीक्षित किया था,

---

१ दर्शनसार गाथा ३५।

२ प० परमानन्द जी शास्त्री, जैनधर्मका प्राचीन इतिहास, भाग २, पृ० ६।

३ नाथूरामजी प्रेमी - जैन साहित्य का इतिहास (अमितगति) पृ० २७७

४ भट्टारक सम्प्रदाय, लेख स० ७४७, पामोकृत भरतभुजबलिचरित।

श्रीकाष्ठाबरसग गग सम निर्मल कहिये।
क्षलित पाप-कलकपक गणधरमुनि सहिये।
लोहाचार्य वर मुनी गुणी बहु शास्त्रह ज्ञाता।
कलजुग जानी चार गछ थापे सुभे हाता।

५ सिद्धान्त भास्कर, भाग २, किरण ४ पृ २८-९.

जिन लेखोमें अग्रवालोका निर्देश है उनमें काष्ठासघ और लोहाचार्यान्वयका भी निर्देश मिलता है।[1] अत बुलाकीदासके कथनमे कुछ तथ्य प्रतीत होता है। दो लेखोमें माथुरान्वय पुष्करगणके साथ काचीसघका भी उल्लेख प्राप्त होता है।[2] यह काचीसघ काष्ठासघ ही हो सकता है।

काष्ठासघका सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख दूबकुण्डसे प्राप्त लेखमें है। सन् १०८८ के लेखमें देवसेन—कुलभूषण-दुर्लभसेन-शान्तिषेण-विजयकीर्तिकी परम्परा प्राप्त होती है।[3] इससे सात वर्ष बादके एक अन्य लेखमे काष्ठासघ महाचार्यवर्य देवसेनकी चरणपादुकाओंकी स्थापनाका निर्देश है।[4] चौदहवी शताब्दीके पश्चात् इस सघकी अनेक परम्पराओके उल्लेख मिलते हैं। भट्टारक सुरेन्द्रकीर्तिने,[5] जिनका समय सवत् १७४७ है, अपनी पट्टावलीमें कहा है कि काष्ठासघमे नन्दितट, माथुर, बागड और लाडबागड ये चार प्रसिद्ध गच्छ हुए। सुरेन्द्रकीर्ति स्वय नन्दितट गच्छके भट्टारक थे। दर्शनसारके अनुसार भी काष्ठासघसे ही उसकी उत्पत्तिके दोसौ वर्ष पश्चात् माथुरसघकी स्थापना हुई किन्तु माथुर, बागड और लाडबागडके १२वी सदी तकके जो उल्लेख मिलते हैं, उनमे उन्हें सघकी सज्ञा दी गयी है, तथा काष्ठासघके साथ उनका कोई सम्बन्ध नही बताया गया है।

माथुर सघके प्रसिद्ध आचार्य अमितगतिने स० १०५० से १०७३ तक जो अनेक ग्रन्थ रचे हैं, उनकी प्रशस्तिमें माथुरसघका तो यशोगान है किन्तु काष्ठासघका कोई निर्देश नही है। इसी प्रकार लाडबागड सघके आचार्य जयसेनने सवत् १०५५में धर्मरत्नाकर ग्रन्थ रचा। इसी सघके दूसरे आचार्य महासेनने लगभग इसी समय प्रद्युम्नचरित रचा तथा सवत् ११४५मे इसी गणके आचार्य विजयकीर्तिके उपदेशसे एक मन्दिर बनवाया गया। तीनोने अपनी प्रशस्तियोमें लाडबागड गणकी प्रशसा तो की है किन्तु काष्ठासघका कोई उल्लेख नही किया है। बागडसघके आचार्य सुरसेनके उपदेशसे

---

१. भट्टारक सम्प्रदाय डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर, लेख न० ५५५, ५६०, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५९२, ५९३, ६१३, ६१५, ६१६, ६१८

२ लेख न० ६३३, ६४०

३. लेख न० २८८

४ लेख न० २३५

५. काष्ठासघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुरा ।
तत्र गच्छाश्च चत्वारो राजन्ते विश्रुता: क्षितौ ।
श्रीनन्दितटसज्ञश्च माथुरो बागडाभिध ।
लाडबागड इत्येको विख्याता. क्षितिमण्डले ।।

प्रतिष्ठापित की गयी एक प्रतिमापर जो लेख मिलता है, उसमें भी काष्ठासघका कोई उल्लेख नही है।[1] इस प्रतिमाका समय सवत् १०५१ है। बागडसघके दूसरे आचार्य यश कीर्तिने जगत्सुन्दरी-प्रयोगशाला नामक ग्रन्थ लिखा है। इसमें भी काष्ठासघका कोई निर्देश नही है। इससे प्रतीत होता है कि लगभग बारहवी शताब्दी तक माथुर, लाडबागड और बागडका काष्ठासघसे कोई सम्बन्ध नही था। बादमे ये तीनो काष्ठासघमें अन्तर्भुक्त हो गये। डॉ० विद्याधर जोहरापुरकरके अनुसार बारहवी शताब्दीमें चारो सघोंका एकीकरण सभवत देवसेनने किया होगा, सवत् १५४५ में जिनकी चरणपादुकायें स्थापित की गई।

परन्तु दर्शनसारमें बताये गये काष्ठासघकी उत्पत्तिके काल (वि स ७५३) को सही न भी मानें, तो इतना तो मानना ही होगा कि दर्शनासारके रचनाकाल अर्थात् वि स ९९०में काष्ठासघ अस्तित्वमे था। हाँ, यह कहा जा सकता है कि देवसेनके समय नन्दितटगच्छ ही काष्ठासघ रहा होगा। तभी माथुर, बागड और लाडबागड गच्छको पूर्व उल्लेखोमें सघ कहा गया है। इस नन्दितटगच्छ से, जिसे काष्ठासघ कहते थे, मिलकर चारो गच्छ काष्ठासघ कहलाने लगे हो।

नन्दितट गच्छ

(इसकी उत्पत्ति नन्दितट (नादेड) महाराष्ट्रमें हुई। दर्शनसारके अनुसार यही काष्ठासघका उत्पत्तिस्थल है। हमारे अनुमानसे भी काष्ठासघका मूल यही नन्दितट गच्छ है) परवर्ती कालमें माथुर, बागड, नन्दितटका सम्बन्ध दक्षिणसे है, अन्य तीन सघोका उत्तर व पश्चिम भारतसे प्रतीत होता है। एक लेखमें इसका नाम मण्डिततट भी मिलता है।[2]

नन्दितटगच्छके विद्यागण तथा रामसेनान्वय नाम भी मिलते है। रामसेनने नरसिंहपुरा और उनके शिष्य नेमिषेणने भट्टपुरा जातिकी स्थापना की। रत्नकीर्तिके पट्टशिष्य लक्ष्मीसेनसे नन्दितटगच्छका वृत्तान्त उपलब्ध होता है। इनके दो शिष्यों-भीमसेन एव धर्मसेनसे दो परम्परायें आरभ हुई। (भीमसेनके पट्टशिष्य सोमकीर्ति हुए। आपने सवत् १५३२में वीरसेनसूरिके साथ एक शीतलनाथकी मूर्ति स्थापित की। सवत् १५३६में गोढिलीमें यशोधरचरितकी रचना की तथा सवत् १५४०में एक मूर्ति स्थापित की। आपने सुल्तानफिरोजशाहके राज्यकालमें पावागढमें पद्मावतीकी कृपासे आकाशगमनका चमत्कार दिखलाया था।)

सोमकीर्तिके बाद क्रमश विजयसेन, यश-कीर्ति, उदयसेन, त्रिभुवनकीर्ति, रत्नभूषण, जयकीर्ति, केशवसेन भट्टारक हुए।

---

१ जै० शि० स०, भाग ५, स० २१

२. भट्टारक सम्प्रदाय लेख स० ११९।

नन्दितटगच्छकी दूसरी परम्परा लक्ष्मीसेनके शिष्य धर्मसेनसे आरभ होती है। इनके बाद क्रमश विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वसेन, विजयकर्ति भट्टारक हुए। विजयकीर्तिके एक शिष्य विद्याभूषणके शिष्य श्रीभूषणने श्वेताम्बरोको वादमे परास्त किया। श्रीभूषणके बाद क्रमश चन्द्रकीर्ति, राजकीर्ति, लक्ष्मीसेन, इन्द्रभूषण तथा सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए। सुरेन्द्रकीर्तिके तीन पट्टशिष्य थे—लक्ष्मीसेन, सकलकीर्ति और देवेन्द्रकीर्ति।[1]

माथुरगच्छ

माथुरगच्छके सस्थापक दर्शनसारके अनुसार रामसेन हैं। इन्हें ही नि पिच्छिक भी कहा गया है। माथुरान्वयके आचार्य छत्रसेनका नाम अथूंणाके लेखसे मालूम होता है। यहाँ भी काष्ठासघका उल्लेख नही है।[2] मसारसे प्राप्त तीन प्रतिमालेखोंमें इस सघके आचार्य कमलकीर्तिको माथुरान्वयी कहा गया है।[3] ग्वालियरसे प्राप्त दो लेखोंमें तोमरवशीय नरेश डूगरसिंह और उसके पुत्र कीर्तिसिंहके समय इस सघके कतिपय भट्टारकोंके नाम मिलते हैं। एक लेखमें भट्टारक गुणकीर्ति और उनके शिष्य यश कीर्तिका उल्लेख मिलता है। साथमें प्रतिष्ठाचार्य पण्डित रइधूका।[4] भट्टारक यश कीर्ति अपभ्रशके पाण्डवपुराण और हरिवशपुराण तथा चन्द्रप्रभचरितके रचयिता हैं। इन्होने प्रसिद्ध कवि स्वयभूके जीर्ण-शीर्ण हरिवशपुराणका समुद्धार किया था। ये गुणकीर्ति भट्टारकके अनुज तथा शिष्य थे। यश कीर्तिके शिष्य मलयकीर्ति व प्रशिष्य गुणभद्र हुए।[5] प्रतिष्ठाचार्य रइधू अनेको ग्रन्थोके रचयिताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इस सघके दूसरे भट्टारकोंके नाम गुरुपरम्परापूर्वक मिलते हैं। वे हैं क्षेमकीर्ति हेमकीर्ति, विमलकीर्ति तथा क्षेमकीर्ति, हेमकीर्ति, कमलकीर्ति एव रत्नकीर्ति।[6] माथुरगच्छ पुष्करगच्छ का उल्लेख करने वाला स० १८८१का एक लेख पभोसा (कौशाम्बी) से प्राप्त हुआ है, जिसमें भट्टारक जगतकीर्ति और उनके शिष्य ललितकीर्तिका निर्देश है।

माथुर सघके आचार्य अमितगति द्वितीयने अपनी जो गुरुपरम्परा दी है, वह इन्हीं अमितगतिसे शुरू की है। वे हैं अमितगति द्वितीय, शान्तिषेण, अमरसेन, श्रीषेण, चद्रकीर्ति

---

१ विशेष विवरणके लिये देखिये, भट्टारक सम्प्रदाय।

२ जै० शि०, भाग ३, ३०५ क

३ वही, भाग ३ लेख नं० ५८६

४ भट्टारक सम्प्रदाय, लेखसख्या ६३३।

५ जै० साहित्य और इतिहास, प० नाथूराम प्रेमी, पृ० ५३५।

६. जै० शि०, भाग ३, स० ६४३

एवं अमरकीर्ति। अमरकीर्तिकी रचनायें सं० १२४४ से १२४७ तककी उपलब्ध है। इन्ही अमरकीर्तिके शिष्य इन्द्रनन्दिने वि०स० १३१५ में हेमचन्द्रके योगशास्त्रकी टीका बनाकर समाप्त की है। इससे स्पष्ट है कि काष्ठासघके माथुरसघकी यह परम्परा १०१५ से १३१५ तक चलती रही है। इसके बाद इसी परम्परामें उदयचन्द्र, बालचन्द्र और विनयचन्द्र हुए। इन्होने अपनी रचनाओ द्वारा अपभ्रश साहित्यको वृद्धिगत किया है।

बागड गच्छ

बागड गच्छके दो लेख प्राप्त होते हैं। कटोरिया (राजस्थान) से प्राप्त सन ९९५ के मूर्तिलेखमें आचार्य सुरसेनका उल्लेख है।[1] सन् १००४के अजमेर सग्रहालयके मूर्ति-लेखमें आचार्य धर्मसेनका उल्लेख है।

लाडबागड गच्छ

लाड (गुजरात) और बागड दोनो मिलाकर गच्छ हुआ। जयसेनके मतसे इस सघका आरम्भ मेदार्यकी उग्र तपश्चर्यासे हुआ, जो खण्डिल्ल ग्रामके पास निवास करते थे। इनकी गुरु-परम्परा धर्मसेन, शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन इस प्रकार थी। बादमें इसका प्रभाव मालवा और धाराके आसपासके क्षेत्रोमें रहा है। इससे सम्बन्धित एक लेख दूबकुण्डसे प्राप्त हुआ है। इस शाखाके देवसेन, कुलभूषण, दुर्लभसेन, शान्तिषेण एव विजयकीर्ति नामक आचार्योंके नाम गुरु-शिष्यपरम्परासे दिये हुए हैं।[2]

आचार्य महासेनने प्रद्युम्नचरितकी रचना की। वे मुजराज तथा सिन्धुलके मन्त्री पर्पट द्वारा सम्मानित हुए थे। जयसेन–गुणाकरसेन–महासेन यह इनकी गुरु-परम्परा थी।

महेन्द्रसेनने त्रिषष्टिशलाकापुरुषकी रचना की तथा मेवाडमें क्षेत्रपालको उपदेश देकर चमत्कार प्रदर्शित किया। अनन्तकीर्तिके शिष्य विजयसेनने वाराणसीमें पागुल हरिश्चन्द्र राजाकी सभामें चन्द्र तपस्वीको पराजित किया। इनके शिष्य चित्रसेनके समयसे इस सघका 'पुन्नाट' यह नाम लुप्तप्राय हो गया। इनके पट्टशिष्य पद्मसेन हुए। पद्मसेनके शिष्य नरेन्द्रसेनने शास्त्रविरुद्ध उपदेश करने वाले आशाधरका अपने सघसे बहिष्कार किया। पद्मसेनके बाद क्रमश त्रिभुवनकीर्ति और धर्मकीर्ति भट्टारक हुए। धर्मकीर्तिके तीन शिष्य हुये हेमकीर्ति, मलयकीर्ति, व सहस्रकीर्ति। दिल्लीके शाह पेरुने स०१४९३ में श्रुतपचमीके उद्यापनके निमित्त मूलाचारकी एक प्रति मलयकीर्तिको अर्पित की। मलयकीर्तिने एलदुग्गके राजा रणमलको उपदेश देकर

---

१ जै० शि० भाग ४ क्र० २१।

२ भट्टारक सम्प्रदाय स. २२८।

तरसुवामें मूलमघका प्रभाव कम कर शान्तिनाथकी विशालमूर्ति स्थापित की थी। मलय-कीर्तिके पट्टशिष्य नरेन्द्रकीर्तिके आकाश मार्गमे गमनका उल्लेख मिलता है। नरेन्द्र-कीर्तिके शिष्य प्रतापकीर्तिकी पिच्छी चामरकी थी। इनके शिष्य त्रिभुवनकीर्ति हुए।

पुन्नाटसघ

शिलालेखोंमें सन् ११५४ के सुलतानपुरके आसपासके मूर्तिलेखोंमें आचार्य अमृतचन्द्रके शिष्य विजकीर्तिको पुन्नाट गुरुकुलका कहा गया है।[1] इसके अतिरिक्त पुन्नाटसघीय दो आचार्य हैं, प्रथम हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेन (शक स० ७०५) और द्वितीय वहत्कथाकोशके प्रणेता हरिषेण। दोनोने ही अपने ग्रन्थकी रचना वर्द्धमान-पुरमें की है और दोनोने ही अपनेको पुन्नाटसघी घोषित किया है। आचार्य हरिषेणने वृहत्कथाकोशकी रचना यापनीय ग्रन्थ भगवती आराधनाकी गाथाओंको आधार बनाकर की है। इसके अतिरिक्त दोनो ग्रन्थोमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनका दिगम्बर परम्परासे विरोध है।[2]

पुन्नाट-सघको काष्ठासघका उपभेद लाडवागड माना गया है। एक लेखमें स्पष्ट कहा गया है—"तत पुन्नाटगच्छ इति भाडागारे स्थित लोके लाटवर्गटनामाभिधानं पृथिव्या प्रथित प्रकटीबभूव[3]।" प्रेमीजीका कथन है कि "जान पडता है कि पुन्नाट (कर्नाटक) से बाहर (काठियावाड) जाने पर ही यह सघ पुन्नाटसघ कहलाया, जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोडकर दूसरे स्थानमें जा रहता है, तब वह पूर्वस्थानवाला कहलाने लगता है।[4] हमे भी यही प्रतीत होता है कि जैसे कर्नाटकसे गुजरात आने पर ये पुन्नाटसघीय कहलाये उसी प्रकार गुजरात और वागड (लाडवागड) से धारा और मालवा पहुँचने पर इनके गच्छको लाडवागड कहा गया।

हमारी दृष्टिसे भी काष्ठासघका यह पुन्नाट गच्छ आचार्य जिनसेन और हरिषेणके पुन्नाट सघका ही परवर्ती रूप है। परन्तु काष्ठासघमें इसका अन्तर्भाव आचार्य जिनसेन और हरिषेणके बाद ही हुआ होगा। पहले यह स्वतत्र सघ रहा होगा, तभी उक्त दोनो आचार्योंने काष्ठासघका उल्लेख नही किया है।

वृहत्कथाकोषके कुछ उल्लेखोंमें स्त्रीमुक्ति,[5] गृहस्थमुक्ति,[6] स्त्रीके तीर्थंकर

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ५, क्रमाक ९८

२ देखिए, तीसरा अध्याय—"पुन्नाटसघीय दो आचार्य"।

३ भट्टारक सम्प्रदाय लेख स० ६३१।

४ जैन साहित्य और इतिहास पृ० १२२।

५ कथा ५७ श्लोक २३५।

६. कथा ५७ श्लोक ५६७।

नामगोत्रवध करनेका विधान।[1] है। यही एणिकापुत्रके गगा पार करते समय समाधिमरण कर मोक्ष जानेका वर्णन है।[2] हरिवशपुराणमें भी कुछ उल्लेख विचारणीय है। राजा जितशत्रुका अपनी पुत्री यशोदाका भगवान महावीरसे विवाहके लिए उत्सुक होना।[3] नैगमदेव द्वारा सतान-परिवर्तन,[4] नन्दिषेण मुनि द्वारा रोगी मुनिको गोचरी वेलामें सिद्धियोके बलसे आहार लाकर देना।[5] नारदकी मोक्षगति।[6]

इन उल्लेखोसे पुन्नाट सघ हमें यापनीय सघ प्रतीत होता है। यही पुन्नाट सघ जब पुन्नाट गच्छके रूपमें काष्ठासंघमें अन्तर्भावित हुआ, तब अपने विचारोंसे इसने उसे भी प्रभावित किया। काष्ठासघकी मान्यताओका निर्देश करते हुए हम कह आये हैं कि दर्शनसारमें कहा गया है कि वे स्त्रियोको पुन दीक्षा, क्षुल्लकोको वीरचर्या, कर्कशकेशग्रहण तथा छठा अणुव्रत मानते थे।

("इत्थीण पुण दिक्खा" का अर्थ दर्शनसारके वचनिकाकारके अनुसार छेदोपस्थापना है। इनके अनुसार मूलसघमे स्त्रियोको छेदोपस्थापना नही बतायी गयी है, पर काष्ठासघके प्रवर्तकोने उन्हें छेदोपस्थापना बताई है। इसके लिये उन्होने आचार्य कुन्दकुन्दके षट्पाहुडकी गाथा भी उद्धृत की है। षट्पाहुडकी टीकामें श्रुतसागरसूरिने भी कहा है, गोपुच्छिक स्त्रियोको छेदोपस्थापनाकी आज्ञा देते हैं। छेदोपस्थापनाका अर्थ है प्रायश्चित्त कर लेने पर पुन दीक्षा प्राप्त करना।)

क्षुल्लकोकी वीरचर्याका समर्थन लाटीसहितासे होता है। लाटीसहिता में एकादशप्रतिमाधारी श्रावकके विषयमें कहा गया है कि एकादशप्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक ईषत्मुनि और कर्म-निर्जराका स्वामी होता है। उत्कृष्ट श्रावकके दो भेद हैं ऐलक व क्षुल्लक। इन दोनो प्रकारके श्रावकोमें जो ऐलक हैं, वह केवल कोपीनमात्र वस्त्रको धारण करता है। पुस्तक आदि उपधि धारण करता है। दाढी, मूँछ व मस्तकके केश लुचन करता है। पीछी कमण्डलु धारण करता है। सावद्य वस्तु ग्रहण नही करता है। कोपीनके अतिरिक्त समस्त क्रियायें मुनिके समान होती हैं। ऐलक दुर्धर व्रतोको

१ कथा १०८, श्लोक १२५।
२ कथा १३०, श्लोक ९।
३ पर्व ६६, श्लोक ८।
४ पर्व ३५, श्लोक ४।
५ पर्व १८, श्लोक १६४।
६ ह० पु० ६५।२४ व ८२।१३ और २२।

धारण करता है। चैत्यालय, सघ तथा वनमे मुनिके समीप रहता है। दोपहरसे कुछ पूर्व आहारके लिये ईर्यापथशुद्धिसे नगरमें जाता है तथा घरोकी सख्याका नियम लेकर जाता है। पाणि-पात्र भोजी होता है। निर्व्याजसे मोक्षकारणभूत उपदेश देता है। द्वादशविध-तपश्चरण करता है और किसी व्रतमें दोष लग जाने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है।[1]

माथुरसघीय आचार्योंने तो क्षुल्लकोकी वीरचर्याका स्पष्ट निषेध किया है।[2] इससे प्रतीत होता है कि क्षुल्लकोकी वीरचर्याकी मान्यता माथुरसघको छोडकर शेष काष्ठासघ अर्थात्, नन्दितट, बागड तथा लागवागड गच्छकी थी।

रात्रिभोजनविरमणको पूज्यपाद, अकलंक आदि आचार्योंने अहिंसाव्रतकी आलोकित–भोजन-पान भावनामें अन्तर्भूत किया है।[3] यापनीय तथा काष्ठासघी आचार्योंने इसका पृथक् छठे अणुव्रतके रूपमें उल्लेख किया है।[4]

डॉ० चौधरीका यह अनुमान बुद्धिको लगता है कि यापनीयोके सघ परवर्ती कालमें मूलसघ, द्राविडसघ आदि अन्य दिगम्बर सम्प्रदायोमें अन्तर्भुक्त हो गये हैं, क्योकि यह पुन्नाट सघ लाडबागड देशमें पहुँचकर लाडबागड गच्छके रूपमे विश्रुत हुआ जैसा कि कह चुके हैं कि यह कवि पामोके भुजबलिचरितसे प्रकट है।[5] लाडबागड गच्छ काष्ठासघमें अन्तर्भुक्त हुआ है, यह भट्टारक सुरेन्द्रकीर्तिकी पट्टावली मे कहा गया है।[6] स्त्रियोकी पुन दीक्षा जो काष्ठासघकी विशेषता बतायी गयी है, सभवत उसका कारण उस सघमें अन्तर्भुक्त यापनीय सघ हो, क्योकि यापनीय सघ स्त्रीमुक्तिका समर्थक रहा है। साथ ही क्षुल्लकोकी वीरचर्यामें भी यही गृहस्थोंके

---

१. लाटीसहिता, सर्ग ६, श्लोक ५६–६२।

२ सागारधर्मामृत ७।५० तथा ८।३६।

३ ननु च षष्ठमणुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसख्यानम्। न, भावनास्वन्तर्भावात्। सर्वार्थसिद्धि ७।१

स्यान्मतमिह रात्रिभोजनवर्जनाख्य तु षष्ठमणुव्रतमालोकितपानभोजनभावना-रूपमग्रे वक्ष्यते।—राजवार्तिक।

४ मूलाचार ५।९८, भगवती आराधना गा० ११७९, विजयोदया, पृ० ३३० तथा मूलाराधनादर्पण ६।११८५–८।

५ भट्टारक सप्रदाय, लेखाक ६३१।

६. भट्टारक सम्प्रदाय, पृ० २९३–४।

प्रति उदारभावना काम कर रही है। रात्रिभोजनविरमणको छठा व्रत मानना तो स्पष्टतया यापनीय मान्यता है।[1]

पुन्नाट सघके विषयमें प्रेमीजीका कथन है कि "पुन्नाट सघका सुदूर कर्नाटकसे चलकर काठियावाडमें पहुँचना और वहाँ दो सौ वर्ष तक रहना एक असाधारण बात है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके चौलुक्य और राष्ट्रकूटोसे ही जान पडता है, जिनका शासन काठियावाडमे बहुत समय तक रहा है।[2]

ध्यातव्य है कि यापनीयोको चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाओका सरक्षण प्राप्त रहा है, अत इससे भी इस सभावनाको बल मिलता है कि पुन्नाटसघ उत्तरभारत (काठियावाड) में आकर काष्ठासघके सम्पर्कमें आया तथा लाडबागड अथवा पुन्नाटगच्छके रूपमें काष्ठासघमें अन्तर्भुक्त हो गया।

लाडबागडगच्छीय आचार्य जयसेनने लाडबागड गच्छका आरम्भ मेदार्य मुनिकी उग्र तपस्यासे माना है। मेदार्य मुनिकी यह उग्र तपस्या भी श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है। भगवती-आराधनामें इसका उल्लेख है। यह भी इसका परोक्ष सकेत है कि यापनीय पुन्नाटसघ ही परवर्तीकालमें पुन्नाटगच्छ अथवा लाडबागड गच्छके रूपमें काष्ठासघमे अन्तर्भुक्त हुआ। डॉ० जोहरापुरकरने भी यापनीय पुनागवृक्षमूलगणको पुन्नाटसघका ही एक रूपान्तर होनेकी सभावना व्यक्त की है।[3]

यद्यपि हरिवशपुराणमें केवली-कवलाहारका विरोध प्राप्त होता है, जो यापनीयों के विरुद्ध है, पर इसका कारण यापनीयोका दिगम्बर सप्रदायमें विलीनीकरण हो जानेके उपरात दिगम्बर आचार्यों द्वारा किया गया सशोधन तथा प्रक्षेपण हो सकता है। हमारा यह कथन निराधार नही है। भगवती आराधनाके प्रक्षेपके विषयमें विजयोदयासहित भगवती आराधनाके सम्पादक प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीका कथन द्रष्टव्य है— "विजयोदयाके अध्ययनसे प्रकट होता है कि उनके सामने टीका लिखते समय जो मूलग्रन्थ था उसमें और वर्तमान उपलब्ध मूलमे अन्तर है।[4] स्वयभूके रिट्ठणोमिचरिउके अन्तिम अशमें मुनि जसकित्तिने भी हाथ लगाया है।[5] तिलोयपण्णत्तिमें मिलावटको भी विद्वानोने प्रमाणपुरस्सर सिद्ध किया है।[6]

---

१ विशेषके लिए देखिए, इसी ग्रन्थके चौथा अध्यायका "रात्रिभोजनविरमणव्रत"।
२ जैन साहित्यका इतिहास, द्वितीय सस्करण, पृ० १२१।
३ भट्टारकसम्प्रदाय, पृ० २५७-२६०।
४ भगवती आराधना, भाग १, प्रस्तावना, पृ० ९।
५ जैन साहित्य और इतिहास, प० नाथूरामजी प्रेमी, पृ० २०२।
६ वही, पृ० ११ और आगे।

कित्तूर संघ

श्रवणबेलगोलके एक शिलालेखमें कित्तूर नामके संघका उल्लेख है।[1] कित्तूर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी राजधानी थी, जो इस समय मैसूरके होगडेवनकोटे तालुकेमें है। प्रेमीजीके अनुसार यह कित्तूर संघ या तो पुन्नाटसंघका ही नामान्तर होगा या उसकी एक शाखा।[2]

भट्टारक-सम्प्रदाय

दिगम्बर संघोंका विवरण प्रस्तुत करते हुए भट्टारक सम्प्रदायका उल्लेख भी प्रासंगिक है। यद्यपि यह कोई पृथक् संघ न होकर शिथिलाचारको प्रोत्साहित करने वाली परम्परा विद्यमान रही है। सभी संघोंमें यह परम्परा विद्यमान रही है।

डॉ० विद्याधर जोहरापुरकरने जैन समाजके इतिहासमें तीन कालखण्ड माने हैं। भ० महावीरके निर्वाणके करीब ६०० वर्ष तक जैन समाज विकासशील था। जैन सिद्धान्तोंके प्रसार व विकासके लिए जैन मुनि निरन्तर भ्रमणका अवलम्बन लेते रहे। इस समय तपश्चर्याके नियम भगवान द्वारा उपदिष्ट आदर्शके निकट थे।

दूसरी शताब्दीसे जैन-समाज व्यवस्थाप्रिय होने लगा। मठ, मंदिरोंका निर्माण वेगसे हुआ। यह काल भी ६०० वर्ष तक चला।

तृतीय कालखण्डमें विकास व व्यवस्थाकी प्रवृत्तियाँ पीछे रह गईं और आत्म-संरक्षणकी प्रवृत्तिको ही प्राधान्य मिलने लगा। इसी प्रवृत्तिके फलस्वरूप साधुसंघोंमें भट्टारक सम्प्रदाय उत्पन्न हुए और बढ़े।

श्रुतसागरसूरिने वसन्तकीर्तिके द्वारा मण्डपदुर्ग (माडलगढ) (राजस्थान) में यह प्रथा आरंभ की गई, माना है।

भट्टारकोंकी विशिष्ट आचरण-पद्धतियाँ धीरे-धीरे बहुत पहलेसे ही अस्तित्वमें आ चुकी थीं। शिथिलाचारकी प्रवृत्ति तथा संहननकी मंदताने चैत्यवासकी ओर प्रेरित किया। चैत्यवासकी यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि रत्नमालामें कलिकालमें वनवास-को वर्जित ही बता दिया गया।[3]

दिगम्बर सम्प्रदायमें भट्टारक प्रथाका आरंभ वस्त्रग्रहणका आरम्भ है। तात्त्विक दृष्टिसे नग्नता आवश्यक मानकर भी व्यवहारमें वस्त्रका उपयोग भट्टारकोंके लिए समर्थनीय माना गया। दिगम्बर भट्टारक नग्नमुद्राको पूज्य मानते थे। आहारादिके समय उसे धारण भी करते थे। स्नानको भी वर्जित नहीं मानते थे।

१ जै० शि० सं०, भाग १, सं० १९४।
२ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ११४।
३ शिवकोटिकृत रत्नमाला, श्लोक नं० २२।

मठाधीश होकर पीठ स्थापित करते थे तथा उस प्रचुर सम्पदाके उत्तराधिकारी होते थे।

प्रेमीजीके अनुसार देवसेनने दर्शनसारमें जो काष्ठासघ, माथुरसघ और द्राविडसघको जैनाभास बताया है, उसका कारण इनका मठाधीश होना ही है, अन्यथा इनका मूलसघसे ऐसा कोई विशेष भेद नही है, जिसके आधारपर इन्हें मिथ्यात्वी कहा जा सके।

यद्यपि पाँचवी शताब्दीमे ही मूलसघीय मुनियोको दान दिये जानेके विवरण मिलते हैं, इस स्थितिमें भी देवसेनने जो अन्य सघोको जो जैनाभास कहा है, उसका कारण यह हो सकता है कि देवसेनाचायने पूर्वाचार्योंकी गाथायें सग्रहीत की हैं। उस समय मूलसघके साधुओमें चैत्य स्थिति नही थी।[1]

भट्टारकप्रथाके प्रभावसे कोई भी दिगम्बर सघ अप्रभावित नही रहा, सभी संघोमे इसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला।

वस्त्रके अतिरिक्त भट्टारकोको दूसरा विशिष्ट आचरण मठ और मदिरोका निवास-स्थानके रूपमे निर्माण और उपयोग था। इसीके अनुषगसे भूमिदानको स्वीकार कर खेती आदिकी व्यवस्था भी भट्टारक देखने लगे थे। इन कारणोंसे भट्टारको का स्वरूप साधुत्वसे अधिक शासकत्वकी ओर झुका। वे राजाके समान ही छत्र, चँवर, पालकी, बहुमूल्य वस्त्र, गद्दे, स्वर्णमण्डित कमण्डल-पिच्छि आदि रखने लगे। अधिकारक्षेत्रका रक्षण भी आग्रहपूर्वक करने लगे।

साधुत्वके कारण भट्टारकोका आवागमन भारतके प्राय सभी भागोमें होता था। इनके पीठ भी भारतके अनेक स्थानो पर मिलते है। दक्षिणमें मूडबिद्री, श्रवणबेलगोल, कारकल, हुमच इन स्थानोमे पीठ स्थापित हुये। महाराष्ट्रमे मलखेड बलात्कारगणका पीठ था। इसकी दो शाखायें कारजा और लातूरमे स्थापित हुई। कारजामे सेनगण और लाडबागडके भी पीठ थे। गुजरातमे सूरत बलात्कारगणका और सौजित्रा नन्दितटगच्छका केन्द्र था। समुद्रतटवर्ती इलाकोमे नवसारी, भडौंच, जाबूसर, घोघा आदि स्थानोमे भट्टारकोका अच्छा प्रभाव था। उत्तर गुजरातमें ईडरका पीठ महत्त्वपूर्ण था। धारामें सागवाडा और अटेरके पीठ स्थापित हुये। ग्वालियर और सोंनागिरि माथुरगच्छ और बलात्कारगणके केन्द्र थे। राजस्थानमें नागौर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड, भानुपुर और जेरहट आदि स्थानोमें बलात्कारगणके केन्द्र थे। हिसारमे माथुरगच्छका प्रधान पीठ था। दिल्लीमें भी भट्टारको की गद्दी रही है। आराके समीप मसाढमें काष्ठासघके कुछ उल्लेख मिलते हैं। पूर्व भारतसे भट्टारकोकी गद्दीका प्राय कोई स्थायी सम्बन्ध न था।

---

1 जैन साहित्यका इतिहास द्वितीय सस्करण, पृ० ४८६।

भट्टारकोके जीवनका सबसे अधिक विस्तृत कार्य मूर्ति और मदिरोकी प्रतिष्ठा थी। समाजको धर्ममे स्थिर रखनेके लिए प्रतिष्ठोत्सवको धार्मिकसे अधिक सामाजिक रूप प्राप्त हुआ। मूर्ति-प्रतिष्ठाके साथ यत्रोकी प्रतिष्ठा भी इस कालकी विशेष-निर्मिति है। सभी धर्मतत्वोको मूर्तरूपमे लानेकी प्रवृत्ति ही इस यत्रप्रतिष्ठाका मूलभूत कारण है। यक्ष-यक्षणियोकी स्वतन्त्र मूर्तियोका भी निर्माण हुआ।

इस युगमे मौलिक साहित्यके निर्माणकी प्रवृत्ति छूट गयी थी और पूर्व ग्रन्थोके सक्षेप और रूपान्तर अधिक हुये है। सस्कृतके तीन जैन बडे पुराण-हरिवश, पद्म और महापुराणके आधारपर पुराण और कथायें लिखी गयी। पूजा-पाठकी रचना अधिक मात्रामें हुई। प्राचीन हस्तलिखित और ताडपत्रीय ग्रन्थोकी पाण्डुलिपियोकी रक्षा भट्टारकोके कार्यका श्रेष्ठ अग है। शिष्यपरम्पराका विस्तार और जातिसघटना भट्टारकोका ही कार्य है। तीर्थक्षेत्रोकी यात्रा और व्यवस्था मध्ययुगीन जैन समाजके धार्मिक जीवनके प्रमुख अग थे। भट्टारकोने यात्रायें भी की और उनकी व्यवस्था भी की। चमत्कारप्रदर्शन कर जनताको प्रभावित किया। मूर्तिप्रतिष्ठाके साथ ही आवश्यक होनेसे मदिरोमें अकित व उपयोगी शिल्पकला, चित्रकला और सगीतकलाको प्रोत्साहन मिला।

भट्टारक-सम्प्रदायका इतिहास जैन समाजकी मुख्यत मुनि-आचारकी अवनतिका इतिहास है, वहाँ समाजको धर्ममें स्थिर रखनेका भी महत्वपूर्ण इतिवृत्ति है। वादिराज, धर्मभूषण तृतीय, सोमदेव, शुभचन्द्र, सकलकीर्ति और प्रतिष्ठाचार्य जिनचन्द्र जैसे भट्टारकोंके साहित्यसर्जन एव ऐतिहासिक महत्वको भुलाया नही जा सकता।

यापनीय सघ

यापनीय सघका सामान्य परिचय प्रथम अध्यायमे आ चुका है। यहाँ उसके विशिष्ट शिलालेखीय उल्लेखोंके आधार पर अन्य सघोंके साथ सम्बन्ध बतानेका उपक्रम किया गया है। यापनीय सघका उल्लेख करने वाले अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनके गणो एव गच्छोका परिचय मिलता है। यह सम्प्रदाय बडा ही राजमान्य था और लम्बे समय तक अस्तित्वमें रहा। कदम्ब, चालुक्य, गग, राष्ट्रकूट और रट्ट वशके राजाओने इस सघको और इसके साधुओको अनेक भूमि आदि दान दिये थे।

यापनीय सघके विवरणोंसे व लेखोंसे इस सघके कुमुदिगण, पुन्नागवृक्षमूल, कारेय, कनकोपलसभूतवृक्षमूल, कोटिमडुव, कण्डूर, वन्दियूर गण तथा नन्दिसघका पता चलता है।

कदम्ब वशके प्रारम्भिक राजाओंके कालमें यह सघ बडा प्रभावपूर्ण था। कदम्ब नरेश मृगवेशवर्मा (सन् ४७०–९०) ने पलासिका नामक स्थानमें इस सघको निर्ग्रन्थ

और कूर्चक सघोके साथ भूमिदान द्वारा सत्कृत किया था।[1] मृगेशवर्माके पुत्र रविवर्माने यापनीय सघके प्रमुख आचार्य कुमारदत्तको पुरुखेटक ग्राम दानमें दिया था।[2] कृष्णवर्माके पुत्र देववर्माने भी विभिन्न यापनीय सघोको कुछ क्षेत्र दानमें दिया था।[3]

नन्दि सघ

यापनीय सम्प्रदायमें नन्दिसघ प्राचीन एव प्रमुख था। इस सघके आचार्योके नाम विशेषत. नन्द्यन्त और कीर्त्यन्त होते थे।[4] देवरहल्लिके शिलालेखमें श्रीमूलमूलगणसे अभिनन्दित नन्दिसघान्वयके एरेगित्तूर नामक गण तथा पुलिकल् गच्छका उल्लेख है। यहाँ यापनीय सघका नाम नही है। इस गच्छकी परम्पराके चन्द्रनन्दि, कुमारनन्दि, कीर्तिनन्दि, विमलचन्द्राचार्यका उल्लेख है।[5] कडवके लेखमे श्रीयापनीय नन्दिसघ, पुन्नागवृक्षमूलगण, श्रीकित्याचार्यान्वयका उल्लेख है। इसकी परम्परा इस प्रकार है—कूविलाचार्य, विजयकीर्ति, अर्ककीर्ति। इसके अनुसार राष्ट्रकूट राजा प्रभूतवर्षने जालमगल नामक गाँव अर्ककीर्तिको भेंट दिया।[6] मदनूरके लेखमे यापनीय सघके कोटिमडुवगण तथा नन्दिगच्छका उल्लेख है। गणधरके सदृश जिननन्दि मुनीश्वरके शिष्य दिवाकराख्य मुनि थे, जो मानो केवलज्ञाननिधि तथा गुणोंसे स्वय जिनेन्द्रके सदृश थे। उनके शिष्य श्रीमान्दिरदेव हुए।[7] इस लेखके अनुसार पूर्वी चालुक्यवशके अम्म द्वितीयने जैनमन्दिरके लिये मलियपुण्डी (आन्ध्र) ग्रामका अनुदान दिया था। यह नन्दिसघ वृक्षमूलपरक गणोंसे सम्बन्धित है।

पुन्नागवृक्षमूलगण

पुन्नागवृक्षमूलगणका सर्वप्रथम उल्लेख राष्ट्रकूट राजा प्रभूतवर्षके समयका कडबका उपर्युक्त दानपत्र है। इसके उपरान्त सन् १०२० के रढवग् लेखमें यापनीय सघ पुन्नागवृक्षमूलगणके प्रसिद्ध उपदेशक आचार्य कुमारकीर्ति पण्डितदेवका उल्लेख

---

१ जै० शि० स० भाग २, स० ९९।

२ वही, स० १००।

३ वही, स० १०५।

४ वही, स० १२४।

५. जैन० शि० स०, भाग २, सं० १२१।

६. वही, स० १२४।

७. वही, सं० १४३।

है ।[१] सन् १०२८के होसुर (धारवाड) के लेखमें यापनीयसघ पुन्नागवृक्षमूलगणके गुरु जयकीर्तिका उल्लेख है ।[२]

हूलिका विवरण दो भागोमें उपलब्ध है। प्रथम विवरणमे यापनीय सघ पुन्नागवृक्षमूलगणके बालचन्द्र भट्टारकदेवका उल्लेख है तथा दूसरेमें रामचन्द्रदेवका विशेष उल्लेख है ।[३]

कोल्हापुरके शिलाहारवशीय बल्लालदेव और गण्डारादित्यके समयमें ११०८ ई० मे मूलसघ पुन्नगवृक्षमूलगणकी आर्यिका रात्रिमती कन्तिकी शिष्या वम्मगवुण्डने मदिर बनवाया था, जिसके लिये अनुदानका उल्लेख होन्नुर लेखमें विद्यमान है ।[४]

१२वी शताब्दीके असिकेरे (मैसूर) के लेखमें मूर्ति प्रतिष्ठा करनेवाले पुन्नागवृक्षमूलगण यापनीय सघके माणिकसेट्टिका उल्लेख है ।[५] कगवाड (बेलगाँव) के तलघरमें भगवान् नेमिनाथके पीठिकालेखमें यापनीयसघ पुन्नागवृक्षमूलगणके साधुओमें नेमिचन्द्र, धर्मकीर्ति और नागचन्द्रके नाम भी उल्लिखित हैं ।[६] कोल्हापुरके मगलवार पेठ मदिरमें कन्नड लेखमे यापनीय सघ पुन्नागवृक्षमूलगणके विजयकीर्तिके शिष्य रवियण्णके भाई द्वारा पाठशाला बनवाये जानेका उल्लेख है ।[७] एकसाम्बि (बेलगाँव) में यापनीय सघ पुन्नागवृक्षमूलगणके महामडलाचार्य विजयकीर्तिको दान दिये जानेका उल्लेख है ।[८]

त्रिभुवनमल्लके शासनमें १०९६ ई० के दोणि (धारवाड) के विवरणमें यापनीय सघ वृक्षमूलगणके मुनिचन्द्र त्रैविद्यभट्टारकके शिष्य चारुकीर्ति पण्डितको उपवन दानका उल्लेख है ।[९]

शिर 'जमखडि' विवरणसे ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथ भट्टारककी प्रतिमा कुसुम जिनालयके लिए यापनीय सघ और वृक्षमूलगणके कालसेट्टिने भेंट की थी ।[१०]

---

१ जर्नल ऑफ द बाम्बे हिस्टारिकल सोसायटी १११, पृ० १०२–२०० ।
२ यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश, डॉ० एन० उपाध्ये, अनेकात १९७५ ।
३ जैन शि० स०, भाग ४, स० १३० ।
४ इण्डियन एण्टीक्वेरी NII, पृ० १०२ ।
५ जर्नल ऑफ कर्नाटक यूनि० भाग १०, वर्ष १९६५, पृ० १५९ ।
६ जिनविजय (कन्नड), बेलगाँव, जुलाई १९३१ ।
७ जिनविजय (कन्नड), बेलगाँव, मई-जून १९३१ ।
८ जैन शिलालेख सं०, भाग ४, स० २५९ ।
९ जैन शिलालेख स०, भाग ४, स० १६८ ।
१० जैन शि० लेख स०, भाग ४, लेख स० ६०७ ।

कण्डूर गण

२८० ई० के सुगन्धवर्तिके लेखमे यापनीय सघ कण्डूर गणके कुछ आचार्योंके नाम हैं,—बाहुबलि देव (भट्टारक), रविचन्द्रस्वामी, अर्हनन्दि, शुभचन्द्र, मौनिदेव और प्रभाचन्द्र देव आदि।[1] सौदत्तिके लेखमे भी रविचन्द्रस्वामी तथा अर्हनन्दिका उल्लेख है।[2]

डॉ० पी० बी० देसाईने दौसुर (सौदत्ति) वेलगाँव'के एक दूसरे लेखका विवरण दिया है, जिसमें यापनीय सघके शुभन्द्र प्रथम, चन्द्रकीर्ति, शुभचन्द्र द्वितीय, नेमिचन्द्र कुमारकीर्ति, प्रभाचन्द्र और नेमिचन्द्र द्वितीयका उल्लेख है।[3]

हूलि (जिला, वेलगाँव) के १२ वी सदीके लेखमें यापनीय सघ कण्डूरगणके बाहुबलि, शुभचन्द्र, मौनिदेव और माघनन्दिका उल्लेख मिलता है।[4]

१२ वी सदीके लोकापुर (वेलगाव)के विवरणके अनुमार यापनीय सघके कण्डूर-गणके सकलेन्दु सैद्धान्तिकके शिष्य अभय सिद्धान्तचक्रवर्ती नागचन्द्रसूरिके उपदेशसे कल्लभावुण्डके पुत्र ब्रह्मने पुरुदेवकी मूर्तिकी स्थापना की।[5]

१३वी सदीके अदरगुचि (धारवाड) के विवरणसे यापनीयसघ कण्डूरगणकी उच्छगि स्थित वसदिको दी जाने वाली भूमिकी सीमाओका लेखा-जोखा प्राप्त होता है।[6]

कनकोपलसम्भूतवृक्षमूलगण

४८८ ई अल्तेम (जिला कोल्हापुर)के लेखमे कनकोपलमभूतवृक्षमूलगणके आचार्यों-की परम्परा इस प्रकार दी गयी है—सिद्धनन्दि, चितकाचार्य, (जिनके पाँच सौ शिष्य थे) नागदेव और जिननन्दि। जिननन्दिके लिये चालुक्यनरेश जयसिहके एक सामन्त सेन्द्रकवशी सामियारने एक जैन मदिर वनवाकर कुछ भमि और एक गाँव दानमें दिया था। इसी लेखमें काकोपलाम्नायका भी उल्लेख है।[7]

कुमुदिगण-मुगद (जिला-मैसूर)के लेखमें यापनीय सघ और कुमुदिगणका सन्दर्भ मिलता है। इसमे अनेक साधुओंके नामोल्लेख हैं—श्रीकीर्ति, गोखडि, प्रभाशशाक

---

१ जैन शि० लेख स०, भाग २ लेख स० १०६
२ जैन शि० लेख स०, भाग २ लेख स० २०५
३ जैनिज्म इन साऊथ इडिया, पृ० १६५
४. जैन शि० लेख स०, भाग ४ स० २०७
५ जैन० शि० लेख स०, भाग ५ स० ११७
६ जैन शि० लेख स०, भाग ४, स० ३६८
७ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख स० १०६

नयवृत्तिनाथ, एकवीर, महावीर, नरेन्द्रकीर्ति, नागविविक वृतीन्द्र, निरवद्यकीर्ति भट्टारक, माघवेन्दु, वालचन्द्र, रामचन्द्र, मुनिचन्द्र, रविकीर्ति, कुमारकीर्ति, दामनन्दि, त्रैविद्य गोवर्धन, दामनन्दि, बड्ढाचार्य आदि ।[१]

गरग् (जिला, धारवाड)के लेखमें यापनीय सघ कुमुदिगणके शातिवीरदेवके समाधिमरणका स्पष्ट उल्लेख है ।[२] यहींके एक अन्य लेखमें भी इस गणका उल्लेख है ।[३]

९वी शताब्दीके कीरप्पाक्कम् (चिंगलपेट, मद्रास)के लेखमें यापनीय सघ कुमुलिगणिके महावीरगुरुके शिष्य अमरमुदलगुरु द्वारा निर्मित देशवल्लभ जिनालयका वर्णन प्राप्त होता है ।[४]

कारेयगण

११वी शताब्दीके कल्भावीके लेखमे मइलापान्वय कारेयगणके शुभकीर्ति, जिनचन्द्र, नागचन्द्र, गुणकीर्ति, देवकीर्तिके उल्लेख हैं ।[५] बइल होगल (वेलगाँव)के लेखमें यापनीय सघ मइलापान्वय कारेयगणके मूल भट्टारक और जिनेश्वरसूरिका वर्णन है ।[६]

सन् १२१९के वदलि (वेलगाँव)के लेखमें यापनीयसघ कारेयगणके माघव भट्टारक, विजयदेव, कीर्ति भट्टारक, कनकप्रभ और श्रीधर त्रैविद्यदेव ।[७]

१२०९ तथा १२५७ ई०के हन्नकेरि लेखमें यापनीय सघ मइलापान्वय कारेयगणके सन्दर्भ मिलते हैं । इसमे जिन गुरुओके नाम अकित हैं वे हैं कनकप्रभ और श्रीधर ।[८] कनकप्रभ जातरूपधर (दिगम्बर) विख्यात थे तथा अपनी निर्ग्रन्थताके लिये अति प्रसिद्ध थे ।

सौदत्तिके लेखमें गुणकीर्तिके शिष्य इन्द्रकीर्तिका, जो मैलापतीर्थ कारेयगणके थे, निर्देश है ।[९]

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, लेख स० १३१ ।
२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० ६११ ।
३. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० ६१२ ।
४ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० ७० ।
५ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख स० १८२ ।
६ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, लेख स० २०९ ।
७. कर्नाटक इन्सक्रिप्शन्स, भाग १, धारवाड, १९४१ पृ० ७५-६ ।
सपादक—आर० एस० पचमुख
८. इन्सक्रिप्शन प्रथम नार्थ कर्नाटक एण्ड कोल्हापुर स्टेट, १९३१ ।
९. जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख स० १३० ।

(कोटि) मडुवगण

यापनीय नन्दिगच्छके साथ कोटिमडुवगणका उल्लेख है।[1] १२वी सदीके मध्यमें लिखे गये अमिकेरे (मैसूर)के लेखमे प्रारम्भिक श्लोकोमेसे एक श्लोकमे मडुवगण यापनीय सघकी भूरि-भूरि प्रशसा की गयी है। इसमे प्रतिष्ठाचार्य कुमारकीर्ति यापनीय मडुवगणसे सम्बन्धित थे।[2] सन् ११२४ में सेडम लेखमें मडुवगणके प्रभाचन्द्र त्रैविद्य-का उल्लेख है।[3]

वलहारगण

कलुचुम्बुरुके लेखमे अडुकलि गच्छ वलहारगणके आचार्योकी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी गयी है—सकलचन्द्र, अय्यपोटि और अर्हनन्दि। अर्हनन्दि मुनिको अम्मराज द्वितीयने सर्वलोकाश्रय जिनालयकी भोजनशालाकी मरम्मत करानेके लिये अत्तिलिनाडु प्रान्तके कलुचुम्बरु नामक ग्रामको दानमें दिया था।[4]

पूर्वीय चालुक्यवशके अम्मराज द्वितीयके एक अन्य लेखमें यापनीय सम्प्रदायके नन्दिगच्छ कोटि मडुवगणका उल्लेख है।[5] इसी राजाका पूर्वोक्त लेख है, जिसमें अडुकलिगच्छ वलहारिगणका उल्लेख है, अत १०४८ ईसवीके वेलगामिसे प्राप्त एक अन्य लेखमें केवल वलगार गण (वलहारि गण) का उल्लेख है और नन्द्यन्त नाम वाले मेघनन्दि व केशवनन्दि (अष्टोपवासी) मुनियोके नाम है।[6]

वडियूर या वन्दियूर गण

धर्मपुरी 'जिला बीड महाराष्ट्र'से प्राप्त लेखमे वसदिके आचार्य यापनीय सघ और वदीयूरगणके महावीर पण्डितका बल्लेख है।[7] तेंगलि 'गुलवर्ग'के १२वीं शताब्दी की प्रतिमाके पीठिकालेखसे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा यापनीय सघके वडियूर गणके नागदेव सैद्धान्तिकके शिष्य ब्रह्मदेवने कराई थी।[8] वरगलके सन् ११३२ के लेखमें इस गणके गुणचन्द्र महामुनिके स्वर्गवासका उल्लेख है।[9]

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, स० १४३।

२ जर्नल ऑफ कर्नाटक यूनि०, भाग १०, सन् १९६५, पृ० १५९।

३ जैनिज्म इन साउथ इण्डिया, पी० बी० देसाई, पृ० ४०३।

४ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख सख्या १४४।

५. जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख सख्या १४३।

६ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख सख्या १६०।

७. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ५, स० ७०।

८. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ५, स० १२५।

९. जैन शिलालेख सग्रह, भाग ५, लेख स० ८६।

जम्बूखण्डगण

गोकाक (बेलगाँव) से प्राप्त ताम्रपत्रमें जम्बूखण्डगणके आचार्य आर्यनन्दिको दिये गये दानका विवरण है ।[1]

सिंहवूरगण

रण्णिवेण्णूर (धारवाड, मैसूर) के लेखमें नागुल पोन्लब्बे द्वारा स्थापित नागुलबसदिके लिये शक स० ७८१ ई० मे कुछ भूमि सिंहवूरगणके नागनन्द्याचार्यको दिये जानेका वर्णन है ।[2]

यापनीय सघका अन्य दिगम्बर सघोंसे सम्बन्ध

यापनीय सघके कतिपय गण दिगम्बर सम्प्रदायके अन्य सघो द्वारा आत्मसात् कर लिये गये तथा कुछ समयप्रवाहमे विलीन हो गये, यह शिलालेखोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है । हम देख चुके हैं कि यापनीय सघके उल्लेख चौथीसे पन्द्रहवी शताब्दी तक मिलते मे, उनसे ज्ञान होता है कि इस सघके साधुओका वर्चस्व एव प्रभुत्व आजके धारवाड, बेलगाँव, कोल्हापुर और गुलबर्गा आदि क्षेत्रोमें विपुलतासे था । आन्ध्र तथा तमिल-नाडुके कुछ हिस्सोमें भी इसका प्रभाव था । दक्षिण भारतमे दिगम्बरोके साथ इन्हें भी भूमिदान देकर सत्कृत किये जानेके उल्लेख है ।

नन्दिसघ यापनीय सम्प्रदायका एक महत्त्वपूर्ण सघ था । परवर्ती शताब्दियोमें यापनीय नन्दिसघसे सम्बन्धित लेख प्राप्त नही होते । ११ वी शताब्दीमें नन्दिसघ द्रविडसघसे तथा १२वी शताब्दीमें मूलसघसे[3] सम्बन्धित दिखाई देता है । यापनीय नन्दिसघके साथ अरुगलान्वयका उल्लेख मिलता है । तामिल प्रान्तमे यापनीय नन्दिसघका अस्तित्व पूर्वीय चालुक्योके राज्यमे था । इस विषयमे डॉ० चौधरीका कथन है कि तामिल प्रान्तके यापनीयोके नन्दिसघसे ही द्रविडसघके नन्दिसघको उत्तराधिकार मिला था ।[4]

श्रवणबेलगोलसे प्राप्त लेखोंमे नन्दिगणकी गुरुपरम्परा दी गयी है, जिसमे अन्तमे या बीचमे इसे मूलसघ देशियगण कहा गया है, पर आरभमे केवल नन्दिगण कहा गया है । मूलसघसे सम्बद्ध नन्दिगणके प्राचीन आचार्य वे ही हैं, जो द्रविड सघसे सम्बद्ध नन्दिगणके हैं । इस आधार पर डॉ० चौधरीने अपने अनुमानकी पुष्टि की है

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० २२ ।

२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० ५६ ।

३ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३, प्रस्तावना, पृ० ३० व ३७ ।

४ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३, प्रस्तावना, पृ० ३७ ।

कि इन दोनो सघो मे नन्दिगण कोई प्राचीनगण है, जो दोनोमे बाहरसे आया है। ये आचार्य उसी गणके हैं और वह सघ यापनीय सघ है।[1]

नन्दिगणकी उक्त दोनो सघो (मूल तथा द्राविड) से सम्बन्धित परम्परामें प्राय सभी प्रतिष्ठित आचार्योंको समाविष्ट करनेकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इन आचार्योंमें आचार्य कुन्दकुन्दका नाम भी परिगणित है। मूलसघ और द्राविडसघकी नन्दिगणप्रभेदकी आचार्यपरम्परा बादमें जोडो गयी तथा आनुमानिक है। कालक्रमकी दृष्टिसे भी यह परम्परा विचारणीय है। द्रविड सघ नन्दिसघ परम्परामें कोण्ड-कुन्दाचार्य, भद्रबाहु, समन्तभद्रस्वामी, सिहनन्दि, अकलकदेव, वजनन्दि एव पूज्य-पादस्वामी यह क्रम है।[2]

डॉ० उपाध्येकी सूचनाके अनुसार कन्नड ग्रन्थ "गणभेद"की पाण्डुलिपिमे चार गण माने गये हैं। सेनगणको मूलसघसे, बलात्कारगणको नन्दिसघसे, देशीगणको सिह सघसे तथा कालोग्रगणको यापनीय सघसे सम्बन्धित बताया गया है।[3]

इस ग्रन्थके अनुसार बलात्कारगण नन्दिसघसे सम्बद्ध था। और जैसा कि हम देखते हैं कि नन्दिसघ सर्वप्रथम यापनीय सघसे सम्बद्ध था। बलहारिगणके दो लेख हैं। एक लेखमें[4] अड्डकलिगच्छ बलहारिगणका निर्देश है और दूसरेमें केवल बलगारगणका।[5] ये दोनो यापनीय सघके माने गये हैं। ये क्रमश १० वी शताब्दी उत्तरार्ध और ११वी शताब्दी पूर्वार्धके हैं। ११ वी शताब्दीके उत्तरार्धसे बलहारि अथवा बलगारगणको हम बलात्कारगणके रूपमें मूलसघसे सम्बद्ध पाते हैं।[6] बलगार शब्द स्थानविशेषका द्योतक है। बलगार ग्राम भी था।[7] बलगार शब्दका सस्कृत रूपान्तरण बलात्कार किया गया है। यह सस्कृत बलात्कार शब्द स्थान-विशेषका द्योतक नही है।

यापनीय पुन्नागवृक्षमूलगण भी परवर्ती कालमें मूलसघमें विलीन प्रतीत होता है। होन्नूरके लेखमें मूलसघ पुन्नागवृक्षमूलगणका उल्लेख है।[8]

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३, प्रस्तावना (नन्दिगण), पृ ५६–५८।

२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २ लेख स० २१३–२१४।

३ "यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश", डॉ० ए०एन० उपाध्ये, अनेकात १९७५।

४ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, स० १४४।

५ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, स० १६०।

६ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, स० १५४।

७ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३, प्रस्तावना, पृ० ६२।

८ इण्डियन एण्टीक्वेरी, lvii, पृ० १०२।

यापनीय कण्डूरगणका अस्तित्व रट्टनरेशोके दो लेखोमे है।[1] ये लेख दसवीं शताब्दी उत्तरार्धके हैं। इसके पश्चात् ११वी शताब्दीके उत्तरार्धमें मूलसघके साथ क्राणूर गणको सम्बद्ध बताया गया है।[2]

पहले लिख चुके है कि कन्नडग्रन्थ गणभेदमे कालोग्रगण (कण्डूरगण) यापनीय सघका एक प्रमुख गण बताया गया है। मूलसघके साथ क्राणूर गणके उल्लेख ११वी शताब्दीके उत्तराधसे १४ वी शताब्दीके अन्त तक मिलते है। मेपपापाण और तिन्त्रि-णीक गच्छ इसके प्रसिद्ध गच्छ हैं। ये दोनो पापाणान्त और वृक्षपरक नामक यापनीय सघके कनकोपल तथा पुन्नागवृक्षमूलगण आदि गणोको स्मृति दिलाते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द प्रभावशाली आचार्य थे, मूलसघने उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडकर दिगम्बर सम्प्रदायमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अत द्राविड और यापनीयसघके अनेक गच्छ उस प्रभावशाली मूलसघमे सम्मिलित हो गये थे। मूलसघका प्राचीन व महत्वपूर्ण सघ सेनसघ है। यह तथ्य शिलालेखीय तथा साहित्यिक उल्लेखोसे प्रमाणित है। उल्लिखित गणभेदनामक पाण्डुलिपिमे भी सेनगणको मूलसघसे सम्बद्ध माना गया है। सेनगणके अतिरिक्त देवगण भी प्राचीन है, जिसके प्राचीन पांच उल्लेख लक्ष्मेश्वर और कडवन्तिसे प्राप्त हुये हैं, इसके पश्चात् इसका कोई शिला-लेखीय उल्लेख नही है।

नीतिवाक्यामृत तथा यशस्तिलकचम्पूके रचयिता सोमदेवने यशस्तिलककी प्रशस्तिमें अवश्य अपने प्रगुरु यशोदेवको देवसघतिलक कहा है। आचार्य सोमदेव व उनके गौडसघका विवरण देने वाला ताम्रपट–वेमुलवाड (करीमनगर, आध्र) से प्राप्त हुआ है। इस कीर्तिलिखमें चालुक्य राजा बद्दिग द्वारा गौडसघके आचार्य सोमदेवसूरिके लिए एक जिनालय बनवाये जानेका उल्लेख हैं। इस दानपत्रमें इन्हें गौडसघीय यशोदेवके प्रशिष्य तथा नेमिदेवके शिष्य कहा गया है।[3] इससे देवसघकी एकता प्रतीत होती हैं इसे देव नामान्त मुनियोका गण होनेसे देवगण और गौडदेशसे सम्बद्ध होनेके कारण गौडसघ ये दोनो सज्ञायें प्राप्त हुई होगी।

सेनगण और देवगणके अतिरिक्त अन्य कई गण मूलसघमें सम्मिलित हो गये हैं। मूलसघ द्रविडान्वय मूलसघमें द्राविडसघीय गणोके अन्तर्भावको सूचित करता है। अङ्गदिसे प्राप्त द्रविडसघीय लेखोमें सूरस्थगणके वज्रपाणि पण्डित, रविकीर्ति और

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख स० १६० व २०५।

२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख स० २०७ व २०९।

३ जैन साहित्य और इतिहास, प० नाथूराम प्रेमी, पृ० १७७, द्वितीय सस्करण तथा डॉ० वी राघवन "नीतिवाक्यामृत आदिके रचयिता" जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २।

कल्नेलेयदेव मुनियोके उल्लेख है।[1] यही उल्लेख मूलसघ सूरस्थगणके शिलालेखोमें मिलते हैं, वहाँ सूरस्थगणको सेनसघकी शाखा वताया गया है। सूरस्थगणके चित्रकूटान्वय तथा कौरुरगच्छ उपभेद मिलते हैं। यहाँ भी रविचन्द्र, रविनन्दि तथा कल्नेयेलदेवके उल्लेख मिलते हैं।[2] इससे द्राविड तथा मलसघके सूरस्थगणकी एकता स्पष्ट होती है। द्राविडसघमे सेनगण कौरुरगच्छका भी उल्लेख मिलता है।

नन्दिसघके माध्यमसे द्राविडसघ तथा मूलसघके साथ यापनीयसघका सम्बन्ध था।[3] यापनीय बलात्कारगण तथा क्राणूरगण भी परवर्ती कालमे मूलसघमें अन्तर्भावित हो गये है। परवर्ती काष्ठासघ भी यापनीयसघसे प्रभावित है, यह हम पुन्नाटसघके अन्तर्गत देख चुके हैं।

काष्ठासघका उपभेद लाडबागड गच्छ है। यह सघ पहले पुन्नाटसघके रूपमें था।[4] पुन्नाटसघीय आचार्य जिनसेन (हरिवशपुराणकार) तथा हरिषेण (बृहत्कथाकोशकार) के ग्रन्थोंके अन्त परीक्षण इन्हें यापनीय सभावित करते हैं।

जयसेनने अपने ग्रन्थ धर्मरत्नाकारमें लिखा है कि लाडबागड गच्छका आरम्भ मेदार्यकी उग्रतपश्चर्यामे हुआ है।[5] मेदार्य (मेतार्य) की यह कथा श्वेताम्बर तथा यापनीय सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है।

काष्ठासघी मान्यताएँ यापनीयोंसे प्रभावित है। यापनीय स्त्रीमुक्ति, गृहस्थमुक्ति तथा अपवादलिंग मानते थे। काष्ठासघी भी स्त्रियो व गृहस्थोके प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं। यापनीय सवस्त्रमुनिको अपवादलिंगी कहते हैं। काष्ठासघीय लाटीसहितामे ग्यारहवी प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावकको ईषतमुनि तथा वीरचर्याका अधिकारी माना गया है। उत्कृष्ट श्रावकके दो भेद हैं—ऐलक व क्षुल्लक। ऐलक शब्द हमे

---

१ जन शिलालेख सग्रह, भाग २, स० १६६, १७८।

२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, लेख स० २६९।

३ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ३, चौधरीकृत प्रस्तावना, पृ० ३० और आगे।

४ भट्टारक सम्प्रदाय, लेखाक ६३१—
तत. पुन्नाटगच्छ इति भाडागारे स्थित लोके लाटवर्गटनामाभिधान पृथिव्या प्रथित प्रकटीबभूव।

५ धर्मरत्नाकर ५, अ० ८, पृ० १०३। भट्टारक सम्प्रदाय, लेखाक ६२५
मेदार्येण महार्षिभिर्विरहता तेपे तपो दुश्चर।
श्रीखण्डिल्लकपत्तनान्तिकरणाभ्यर्थिप्रभावात्तदा ॥
शाठ्येनाप्युपतस्पृता सुरतरुप्रख्या जनाना श्रिय.
तेनाजीयत लाडबागड इति त्वेको हि सघोऽनघ. ॥

चेलक (चेलखण्डधारी)।[1] से विकसित प्रतीत होता है। दिगम्बर निर्वस्त्रता मुनिके लिए अपरिहार्य मानते हैं। अत दिगम्बर और यापनीयोके पारस्परिक साहचर्यमे यह अपवादलिगी मुनि उत्कृष्ट श्रावकके रूपमे मान्य कर लिया। इसे एकादश प्रतिमाधारी श्रावकके रूपमे मान्य कर लिया गया। हमारी दृष्टिसे परिवर्तीकालमें नग्नत्वको ही मुनिवेश माननेवाली दिगम्बर परपराने यापनीयोके प्रभावसे उनके अपवादरूपमें मान्य सचेल (चेलक) मुनिको ऐलकके रूपमें मान्यता प्रदान की होगी। और उसे एकादश प्रतिमाधारी श्रावकमे श्रेष्ठ बतानेके लिए ही ग्यारहवी प्रतिमाके दो भेद किये गये। क्षुल्लकोकी वीरचर्याको मानने वालोमे भी यही गृहस्थोंके प्रति उदार दृष्टिकोण तथा अपवादलिगी मुनिकी दृष्टिमे इसे गृहस्थोमे श्रेष्ठ स्थान दिलानेकी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। अत यह मान्यता माथुरसघके अतिरिक्त शेष तीन काष्ठासघोकी मानी जानी चाहिए, जिसके विषयमें हम बता चुके हैं। लाडबागड तो यापनीय शाखा ही है। हम यह भी बता चुके हैं कि रात्रिभोजनविरमणको पच-महाव्रतोके पालनके लिए छठा व्रत मानना भी यापनीय मान्यता है, जिसे काष्ठासघने स्वीकार किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यापनीय सघ, जिसके शिलालेखीय उल्लेख चौथीसे पन्द्रहवी शताब्दी तक मिलते हैं, धीरे-धीरे दिगम्बर सम्प्रदायमे विलीन हो गया। इसका कारण एक ओर यापनीयोकी सहिष्णुवृत्ति और दूसरी ओर दिगम्बरोका अधिक प्रभाव, साथ ही दिगम्बरोंसे इनकी समानता है।

नन्दिसघ पहले ही मूलसघ द्वारा अपना लिया गया था। मूलसघके बढते हुए प्रभावके कारण बलात्कारगण तथा क्राणूरगण आदि भी उसीमें सम्मिलित हो गये। यह शिलालेखोंसे स्पष्ट है। कुछ गण जो अपनी विचारधाराको एकाएक छोड नहीं सके, वे काष्ठासघमे अन्तर्भूत हो गये। इस विश्लेषणसे यापनीय सघके अन्य सघोंमें विलयकी धुंधली रूपरेखा दिखाई देती है।

●

१. रत्नकरण्डश्रावकाचारमें ऐलकको चेलखण्डधारी कहा गया है।

तृतीय परिच्छेद

यापनीयोंका साहित्य

यापनीय साहित्य : एक विमर्श

यापनीय आचार्योने विपुल साहित्यकी सर्जना कर जैन साहित्यको अभिवृद्ध किया है। इनका अधिकाश साहित्य दिगम्बर-साहित्यमें अन्तर्भुक्त हो गया है। मूलाचार, भगवती आराधना, सन्मति-तर्क तथा स्वयभूके पउमचरिउ आदि ग्रन्थोंके अवलोकनसे स्पष्ट है कि यापनीयोंके साहित्यका दिगम्बर साहित्यसे बहुत अधिक साम्य है व यापनीय आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें कही भी अपने सघका उल्लेख नही किया है।

हरिभद्रसूरिने अपनी ललितविस्तरामें इनके 'यापनीय तत्र' से उद्धरण दिया है, किन्तु उक्त ग्रन्थके अप्राप्य होनेसे उनके समस्त आचार-विचारोंसे परिचित होना कठिन है। हरिभद्र[1] तथा श्रुतसागरसुरि[2] के उल्लेखोसे हम मात्र इतना जान सकते हैं कि वे आचरणमें दिगम्बर मुनियोकी भाँति निर्वस्त्र रहते थे, तथापि सवस्त्रताको अपवादरूपमें स्वीकार करते थे। विचारोकी दृष्टिसे वे श्वेताम्बरोकी भाँति स्त्रीमुक्ति केवलिभुक्ति, गृहस्थमुक्ति तथा परशासनसे भी मुक्ति स्वीकार करते हुए श्वेताम्बर आगमोंको भी प्रमाण मानते थे। डॉ० ए० एन० उपाध्येके अनुसार वे दिगम्बर ग्रन्थ षट्खण्डागम आदिके भी वेत्ता रहे हैं।[3] मूलाचार और भगवती आराधनासे स्पष्ट है कि यापनीय साधुओंकी चर्या दिगम्बर साधुओंकी भाँति ही थी। यही कारण है कि दिगम्बर साहित्यसे यापनीय साहित्यको पृथक् करना एक क्लिष्ट कार्य है।

पूर्वोल्लिखित शिलालेखोंके आधारसे अवगत होता है कि यापनीय सम्प्रदायका प्रभाव कर्नाटक प्रदेशमें विशेष रूपसे रहा है, अत प्राकृत, सस्कृत और कन्नड भाषामें लिखित यापनीय-साहित्यके कन्नडलिपिमें लिखे जाने और उसके पाए जानेकी अधिक संभावना है।

यापनीयोंके इस साहित्यको सैद्धातिक, दार्शनिक, आचारात्मक, लक्षणात्मक और कथात्मक इन विभागोमें विभक्त किया जा सकता है।

सैद्धातिक साहित्य

(1) तत्त्वार्थसूत्र

यह यापनीय ग्रन्थ है। इसमें १० अध्याय तथा लगभग ३५० सूत्रोमें समस्त जैन तत्वज्ञानका प्रतिपादन किया गया है। इसका विशेष विचार आगे किया गया

---

१ ललितविस्तरा, पृ० ४०२।

२ दसणपाहुड–टीका, गाथा, ११।

३ अनेकान्त, वीर-निर्वाण विशेषाक १९७५, "जैन सम्प्रदायके यापनीय सघ पर कुछ और प्रकाश।"

है। इसमे सम्पूर्ण जैन धर्म, दर्शन और न्यायको सन्निविष्ट किया गया है। इस रचनामें साम्प्रदायिकताका समावेश न होनेसे इसे दोनो सम्प्रदायोमें आदर प्राप्त है। इस ग्रन्थ पर दोनो सम्प्रदायोंमें लिखी गई विस्तृत और गम्भीर टीकाएं इसकी महत्ता और लोकप्रियताकी सूचक हैं। इसे जैन परम्पराका आद्य सूत्रग्रन्थ कहे जानेका गौरव प्राप्त है।

दार्शनिक साहित्य

(क) सन्मति-तर्क

दार्शनिक ग्रन्थोमें सिद्धसेन दिवाकर यापनीय सघके महत्त्वपूर्ण आचार्य हैं। इनकी प्रतिभा बहुमुखी तथा व्यक्तित्व तेजस्वी था। इनका सन्मतितर्क दर्शनका प्रभावक ग्रन्थ है, जिसका दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनो परम्पराके आचार्योंने बहुमानपूर्वक उल्लेख किया है। अकलकदेव, वीरसेन, विद्यानन्द आदि दिगम्बर आचार्योंने इनके ग्रन्थवाक्योंका उल्लेख किया है। आचार्य हरिभद्र, अभयदेव आदि श्वेताम्बर आचार्योंने भी इनका निर्देश किया है।

प्राकृत गाथाओमें रचित इस ग्रन्थमें तीन काण्ड हैं। प्रथम काण्डमें द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नय तथा सप्तभगीका विवेचन है। द्वितीय काण्डमें दर्शन और ज्ञानका विवेचन है। इसीमे केवलीके ज्ञान और दर्शनका अभेद प्रतिपादित किया है। तृतीय काण्डमें अनेकान्तवादका विवेचन है। ग्रन्थकी प्रत्येक गाथामें विपुल अर्थ तथा दर्शन निहित है। तत्त्वार्थसूत्र की भाँति यह ग्रन्थरत्न भी जैन परम्परामें बहुमान्य रहा है।

(ख) स्त्रीमुक्तिप्रकरण तथा केवलिभुक्तिप्रकरण

शाकटायनने दो स्त्रीमुक्ति तथा केवलिभुक्ति नामके दार्शनिक ग्रन्थ लिखे हैं। यद्यपि मान्यताके रूपमें दोनो सिद्धांत श्वेताम्बर तथा यापनीय दनो सम्प्रदायोको मान्य रहे हैं, तथापि इनका सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन शाकटायन द्वारा ही किया गया है। शाकटायनके नैयायिक शैलीमें रचित इन सिद्धातोकी समीक्षा दिगम्बराचार्य प्रभाचन्द्रने अपने न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमातण्डमें की है।

आचार-ग्रन्थ

(क) मूलाचार

यह मुनि आचारका प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। दिगम्बर सम्प्रदायमें इसे बहुत आदर एव मान्यता प्राप्त है। मूलाचारको धवला-टीकामें आचार्य वीरसेनने आचाराङ्गके रूपमें उल्लिखित किया है। मूलाचारकी आचारवृत्ति संस्कृत टीकाके रचियता वसुनन्दिके अनुसार यह आचाराङ्गके आधारपर निर्मित सक्षिप्त ग्रन्थ है।

यह ग्रन्थ बारह अधिकारोंमें विभक्त है। आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें अवश्य मुनि आचारका प्रतिपादन है, उन्हें छोड़कर दिगम्बर परम्परामे मूलाचारके अतिरिक्त मुनि आचारका सम्पूर्णतया प्रतिपादक और कोई प्राचीन एव स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है।

(ख) भगवती-आराधना

यह भी मनि आचारका प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण और दिगम्बर सम्प्रदायमें मान्य प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें कुल २१६६ गाथाएँ हैं। इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूप इन चार आराधनाओका विस्तृत और अपूर्व वर्णन है। ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति उपलब्ध है, उसमे पाणितलभोजी शिवार्यने अपने ज्ञानदाता गुरु आर्य जिननन्दिगणि, आर्य सर्वगुप्तगणि और आर्य मित्रनन्दिके चरणोके निकट मूल सूत्र और उसके अभिप्राय-को अच्छी तरह समझकर पूर्वाचार्यो द्वारा निबद्ध की गई रचनाके आधारसे इसे अपनी शक्तिके अनुसार लिखा प्रकट किया है।

जैनधर्ममें समाधिमरणका विशेष महत्त्व है। मरणकी सफलतापर जीवनकी सफलता तथा सुन्दर भविष्यकी आशा निर्भर रहती है। भगवती आराधनामें मरणके भेद-प्रभेदो तथा उत्तम मरणसम्बन्धो शिक्षाएँ हैं। समाधिमरणका इतना व्यवस्थित और विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थमे प्राप्त होता है।

(ग) श्रीविजयोदया-टीका

भगवती आराधनापर कई टीकायें है। इनमेसे एक अपराजितसूरि द्वारा लिखित श्रीविजयोदया नामकी बृहद् टीका है। इस टीकाकी प्रशस्तिमें अपराजितासूरिने अपने-को बलदेवसूरिका शिष्य और चन्द्रनन्दि महाप्रकृत्याचार्यका प्रशिष्य बताया है। नागनन्दिगणिकी चरणसेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और श्रीनन्दिगणिकी प्रेरणासे उन्होने यह टीका लिखी। वे आरातीय सूरियोमें श्रेष्ठ थे।

प० आशाधरजीने अपराजितका अपने ग्रन्थोमें श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उल्लेख किया है[1]। इसी नामपर उनके द्वारा रचित दशवैकालिक तथा भगवती आराधनाकी टीकाओके नाम भी 'श्रीविजयोदया' हैं।

दिगम्बर सम्प्रदायमें 'आरातीय' पद विजयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त तथा अर्हद्दत्त इन चार आचार्योंके अतिरिक्त किसीके लिए व्यवहृत नही किया गया है[2]। सर्वार्थ-

---

१ "एतच्च श्रीविजयाचार्यविरचितसस्कृतमूलाराधनाटीकाया सुस्थितसूत्रे विस्तरत समर्थित दृष्टव्यम्।"

अनगारधर्मामृत, टीका पृ० ६७३।

२ विनयधर श्रीदत्त शिवदत्तोऽन्योऽर्हद्दत्तनामैते।

आरातीया यतयस्ततोऽभवन्नङ्गपूर्वधरा॥

इन्द्रनन्दिकृतश्रुतावतार, श्लोक २४।

सिद्धिमें दशवैकालिक आदिको उपनिवद्ध करने वाले आचार्योंको आरातीय कहा गया है।[1]

अपराजितसूरिका अध्ययन विस्तृत और गम्भीर था। वे गम्भीर आगमवेत्ता थे। उनकी इस टीकामें उद्धरणोका वाहुल्य है, जिससे उनका अन्य ग्रन्थोंके स्वाध्यायका ज्ञान होता है। भगवती आराधना तथा यापनीयोके आचार-विचारोको समझनेके लिए यह टीकाग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।

लाक्षणिक ग्रन्थ

(क) शाकटायन व्याकरण

शाकटायन प्रसिद्ध व प्रतिभाशाली आचार्य है। शाकटायन व्याकरणकी चिन्तामणि टीकाके कर्ता यक्षवर्माने तो इन्हें "सकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्" कहा है। इनके व्याकरणका नाम शब्दानुशासन है, जिसपर इनकी अमोघवृत्ति नामक स्वोपज्ञ वृत्ति है। राजशेखरकी काव्यमीमासासे इनके किसी साहित्य-शास्त्रविषयक ग्रन्थके प्रणेता होनेकी सभावना प्रतीत होती है। उन्होने 'इति पाल्यकीर्तिः' कहकर इनके मतको उद्धृत किया है। इनका यह व्याकरण सस्कृत-व्याकरणकी शृखलामें महत्त्वपूर्ण कडी है। शाकटायन वैयाकरणके साथ-साथ तार्किक व सैद्धान्तिक भी थे।

(ख) स्वयभू-छद

यह छंदशास्त्रका ग्रन्थ है। इसमें आरभके तीन अध्यायोमें प्राकृत छन्दोका वर्णन है और शेष पाँच अध्यायोमें अपभ्रश छदोका विवेचन किया गया है।

पउमचरिउसे स्वयभूके व्याकरण ग्रन्थका पता चलता है—

तावच्चिय सच्छदो भमइ अवब्भस-मच्चमायगो।
जाव न सयभु-वायरण-अकुसो तच्छिरे पडई॥
सच्छन्द-वियड-दाढो छदोलकार-णहर-दुप्पेच्छो।
वायरण-केसरड्ढो सयभु पचाणणो जयउ॥

कथात्मक

(क) पद्मचरित

कथात्मक साहित्य-ग्रन्थोमें आचार्य रविषेणका पद्मचरित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसमें राम-कथाकी विमलसूरिके पउमचरिउकी परम्पराको ग्रहण किया गया है। यह संस्कृतमें रचित प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

---

१. आरातीयैः पुनराचार्यैः कालदोषात्सक्षिप्तमायुर्मतिबलशिष्यानुग्रहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिबद्ध तत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णवजल घटगृहीतमिव।
सर्वार्थसिद्धि, अध्याय, सूत्र २०।

८) (ख) हरिवश पुराण

पुन्नाटसघीय आचार्य जिनसेनकृत महापुराणमें ६६ सर्ग हैं। इसकी रचना वर्द्धमानपुरमें हुई।

९ (ग) पउमचरिउ

साहित्य-ससारको स्वयभूकी तीन कृतियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। पउमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ और स्वयभूछंद। इनमें पउमचरिउ और स्वयभूछद प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयभूने रिसिपंचमी और सुद्धयचरित नामक दो ग्रन्थोका और उल्लेख किया है।

स्वयभूकी प्रबन्ध-प्रतिभा अप्रतिम है। (अपनी इसी प्रतिभाके बलपर उन्होने पउमचरिउ और रिट्ठणेमिचरिउ इन दो अमर महाकाव्योकी रचनाकर अपभ्रश भाषाको अभूतपूर्व गौरवसे मडित किया है)।

(१०) कथाकोश

आचार्य हरिषेणने भगवती आराधनाके आधारपर आराधनाके महत्त्वको प्रदर्शित करने वाली कथाओकी रचना की है, जिसे उन्होने कथाकोश कहा है। उसे ही बृहत्कथाकोश कहा जाता है। ये भी पुन्नाटसघीय आचार्य हैं। इन्होने भी अपने ग्रन्थकी रचना वर्द्धमानपुरमें की है।

यापनीयोंके उपलब्ध साहित्यके इस परिचयको देखते हुए कहा जा सकता है कि यापनीय आचार्योंने विविध एव विपुल साहित्यकी रचनाकर जैन साहित्यके भण्डारको समृद्ध किया है। इनका पर्याप्त साहित्य साम्प्रदायिक उपेक्षाके कारण नष्ट हो गया प्रतीत होता है। विभिन्न शास्त्रभडारोमें अनुसधान करनेपर अभी भी उनका बहुत-सा साहित्य उपलब्ध हो सकता है।

तत्त्वार्थसूत्रकारकी परम्परा

यहाँ विचारणीय है कि तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताकी परम्परा क्या है?

उद्भव-स्रोतके समान होनेके कारण जैन तत्त्वज्ञानमें सैद्धान्तिक मतभेद नगण्य-सा है। श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदायोमें मुख्य भेद बाहय आचारविषयक है अत एव तत्त्वज्ञानविषयक कृतिको देखकर कृतिकारकी परम्पराका निर्धारण एक जटिल समस्या है। विशेषत' ऐसी कृतिके विषयमें जिसे दोनो सम्प्रदायोमे समान समादर प्राप्त है, यह समस्या और अधिक जटिल बन जाती है। तत्त्वार्थसूत्र ऐसी ही रचना है, जिसका आद्यन्त वाचन उसे एक साम्प्रदायिक अभिनिवेशसे रहित आचार्यकी कृति घोषित करता है।

[श्वेताम्बर. विद्वान् भाष्य और प्रशमरति आदिके आधारपर उन्हें श्वेताम्बर

परम्पराका मानते रहे हैं,[1] किन्तु भाष्य और प्रशमरतिके आधारपर सूत्रकारकी परम्पराका निर्धारण गलत दिशामें प्रयाण होगा, क्योंकि इन ग्रन्थोंकी एककर्तृकता स्वयं विवादास्पद है। सूत्रके टीकाकार भी सूत्रकारकी परम्पराके निर्धारणमें सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। श्वेताम्बर टीकाकार इन्हें श्वेताम्बराचार्य मानते रहे हैं और दिगम्बर टीकाकार दिगम्बर। श्वेताम्बराचार्य सिद्धसेनगणिके टिप्पणसे अवश्य यह ज्ञात होता है कि श्वेताम्बर परम्परामें कुछ लोग इन्हें दिगम्बर निह्नव समझते रहे हैं।[2] भाष्यके आधारपर ही पं० नाथूरामजी प्रेमीने सूत्रकारको यापनीय स्वीकार किया है।[3]

तत्वार्थसूत्रके सूत्रोंपर ही विचार करके सूत्रकारकी परम्पराका निर्धारण उचित योग्य होगा। तत्वार्थसूत्रके वर्तमानमें दो सूत्रपाठ उपलब्ध हैं। एक भाष्यसम्मत और दूसरा (पूज्यपादकी टीका तत्वार्थवृत्ति) सर्वार्थसिद्धिसम्मत। इन दोनोंमें कुछ पाठभेद हैं। समान सूत्रपाठोंमेंसे भी कुछ सूत्र सूत्रकारकी परम्पराके निर्धारणके लिए विचारणीय हैं।

पं० सुखलालजी द्वारा विवेचित "तत्वार्थसूत्र हिन्दी विवेचन" की प्रस्तावनामें जापानी विदुषी कु० सुजुको ओहिराका एक निबन्ध प्रकाशित हुआ है—"तत्वार्थसूत्रका मूल पाठ"।[4] इस निबन्धमें उन्होंने अपने अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि श्वेताम्बर पाठ मूल है। इनके अध्ययनके तीन पहलू हैं,—१ भाषागत परिवर्तन, २ प्रत्येक आवृत्तिमें सूत्रोंका विलोपन, ३. सूत्रगत मतभेद। उनका कथन है कि इस समस्याके समाधानमें मुख्यतया अन्तिम दो साधनोंका उपयोग किया गया है, परन्तु तार्किक दृष्टिसे समुचित निर्णयके लिए वे पूर्णतः सक्षम सिद्ध नहीं हुए हैं। आश्चर्य-

---

१. पं० सुखलालजी संघवी, तत्वार्थसूत्रकी प्रस्तावना, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध-संस्थान, तृतीय संस्करण, १९७६।

२. जैन साहित्यका इतिहास भाग २, पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, पृ० २३९,

परमेतावच्चतुरैः कर्तव्यं श्रृणुत वच्मि सविवेकं।
शुद्धो योऽस्य विधाता स दूषणीयो न केनापि।

टीका—एवं चाकर्ण्य वाचको ह्युमास्वातिर्दिगम्बरो निह्नव इति केचिन्मावदन्नदः शिक्षार्थं परमेतावच्चतुरैरिति पद्यं ब्रूमहे—शुद्धः सत्यः प्रथमः इति यावद्य. कोऽप्यस्य ग्रन्थस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेण न निन्दनीय एतच्चतुरैर्विधेयमिति।

३. जैन साहित्यका इतिहास, पं० नाथूरामजी प्रेमी—पृ० ५२०–५४७।

४. तत्वार्थसूत्रकी प्रस्तावना, पं० सुखलालजी संघवी, तृतीय संस्करण, १९७६।

बात यह है कि भाषागत अध्ययन भी विशेष उपयोगी सिद्ध नही हुआ, यद्यपि साधन सर्वथा प्रामाणिक है। अब हम मतभेदके दो प्रकरणोकी छानबीन रेंगे। ये इस प्रकार हैं—१ पौद्गलिक बन्धका नियम और २ परीषह। ये दो करण, जिनमे दोनों परम्पराओके सैद्धान्तिक मतभेदका समावेश है, विचाराधीन लपाठकी यथार्थताकी सिद्धिके लिए महत्त्वपूर्ण हैं।"

इस प्रकार इस निबन्धके अनुसार मुख्य विचारणीय दो प्रकरण हैं। पुद्गल बन्धके नियम, २. परीषह-विधायक सूत्र। सूत्रकारकी परम्पराके निर्धारणके लिए यहाँ हम भी इन्ही प्रकरणोका विचार प्रस्तुत करते हैं।

बन्ध-विचार

तत्त्वार्थसूत्रमें पौद्गालिक बन्धके निरूपक सूत्र इस प्रकार हैं—

स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध ५-३३

न जघन्यगुणानाम् ५-३४

गुणसाम्ये सदृशानाम् ५-३५

द्वयधिकादिगुणाना तु ५-३६

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ ५-३७ दिगम्बर पाठ

बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ५-३६ श्वेताम्बर पाठ

इन सूत्रोमें प्रथम चार सूत्र दोनो सूत्रपाठोमें समान हैं। अन्तिम सूत्रमें किंचित् भेद है। सूत्रोंके समान होने पर भी दोनोके अर्थमें पर्याप्त भिन्नता है। समान सूत्रोके अर्थमें भिन्नता होना आश्चयजनक है।

सर्वार्थसिद्धिके अनुसार बन्ध-विचार

स्निग्ध और रूक्ष गुणोंके कारण ही पुद्गलपरमाणु परस्पर बन्धको प्राप्त होते हैं, जिन परमाणुओमें स्निग्ध या रूक्ष गुणाश जघन्य हो, उनका बन्ध नहीं होता। मध्यम या उत्कृष्ट गुणाशवाले परमाणुओमें बधनेकी योग्यता है, पर ये भी सदैव बन्धको प्राप्त नही होते, इनमें भी अपवाद हैं। गुणाशोकी समानता होने पर सदृश (तुल्यजातीय) परमाणुओका बन्ध नही होता। पूज्यपादके अनुसार इसका अर्थ है कि सम गुणाश वाले सदृश और विसदृश दोनो ही परमाणुओका बन्ध नही होता है। चौथे (३६ वें) सूत्र द्वारा बन्धकी मर्यादा निश्चित की गयी है। इस सूत्रका अर्थ यह है कि दो गुणाश अधिक होने पर ही बन्ध होता है। परमाणुओकी बन्धयोग्यता सर्वत्र द्वयधिकता मानी गयी है।

आचार्य पूज्यपादकी व्याख्याका निष्कर्ष यह है कि जघन्य गुणाशवाले पुद्गलोका परस्पर बन्ध नही होता। एक पुद्गल परमाणु जघन्य तथा दूसरा मध्यम या उत्कृष्ट हो तो भी बन्ध नही होता। यह द्वितीय सूत्रका अर्थ है। मध्यम तथा उत्कृष्ट गुणाशोमें

भी सम गुणांश होने पर सदृश या विसदृश परमाणुओंका परस्पर बन्ध नहीं होता, यह तृतीय सूत्रका अर्थ है । "गुणसाम्ये सदृशानाम्" में सदृशोंके प्रतिषेधसे विसदृशोंका ग्रहण नहीं किया गया है ।[1] सदृशका सदृश या विसदृशके साथ बन्ध होनेके लिए दो गुणांश अधिक होना आवश्यक है । एक या तीन आदि अधिक होने पर बन्ध नहीं होता है । यह चौथे सूत्रका अर्थ है । बन्ध होने पर दो अधिक गुणांशवाला हीन गुणांशवालेको अपने रूप परिणमा लेता है, यह पाँचवें सूत्रका अर्थ है ।

आचार्य अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिकमें एवं आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें सर्वार्थसिद्धिकारके अनुसार व्याख्यान किया है । उसके समर्थनमें युक्तियाँ दी हैं ।

पूज्यपाद स्वामी, अकलंकदेव तथा आचार्य विद्यानन्द तीनोंको ही षट्खण्डागमकी पौद्गलिक बन्धकी विधायक गाथा ज्ञात नहीं है । आचार्य अकलंकदेव उस गाथाके "विसमे समे वा" का अर्थ अतुल्यजातीय और तुल्यजातीय करते हैं किन्तु उनका यह अर्थ उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि गाथाकी प्रथम पंक्तिमें स्निग्धका स्निग्धके साथ तथा रूक्षका रूक्षके साथ द्व्यधिक होने पर बन्ध होता है, इस कथनमें तुल्यजातीय बन्धका कथन आ ही गया है और दूसरी पंक्तिमें स्निग्ध और रूक्षका बन्ध बताया गया है । यहाँ अतुल्यजातीय बन्धका कथन आ ही गया है । इस स्थितिमें "विसमे समे वा" का अर्थ अधिक और पुनरुक्त हो जाता है । साथ ही 'विसमे समे वा" का अर्थ दूसरी पंक्तिके साथ है, तो इसका अर्थ हुआ "स्निग्ध और रूक्षका बन्ध जघन्यको छोड़कर अतुल्यजातीय अथवा तुल्यजातीय दोनों ही स्थितियोंमें होता है ।" यह अर्थ नितान्त दोषपूर्ण है, क्योंकि स्निग्ध और रूक्षका बन्ध सदैव अतुल्यजातीय ही होता है, तुल्यजातीय नहीं । षट्खण्डागमके बन्ध-नियम पर आगे विचार किया जायेगा ।

भाष्यानुसार बन्ध-विचार

स्निग्ध व रूक्ष अवयवोंका परस्परमें बन्ध होता है । जघन्य गुणवाले परमाणुओंका पारस्परिक बन्ध नहीं होता अर्थात् दो जघन्य गुण वाले परमाणुओंका पारस्परिक बन्ध नहीं होता, परन्तु एक जघन्य गुणांशका अन्य मध्यम या उत्कृष्ट गुणांशके साथ बन्ध होता है । मध्यम तथा उत्कृष्ट गुणांशोंमें भी समान गुणांशवाले सदृश अवयवोंका पारस्परिक बन्ध नहीं होता । असमान गुणांशवाले सदृश अवयवोंका बन्ध होता है । दो, तीन, चार आदि गुणांश अधिक होने पर ही सदृशोंका बन्ध होता है ।

---

१. एतदुक्तं भवति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्षैः, त्रिगुणस्निग्धानां त्रिगुणरूक्षैः द्विगुणस्निग्धानां, द्विगुणस्निग्धैः द्विगुणरूक्षैश्चेत्येवमादिषु नास्ति, बन्ध इति । यद्येवं सदृशानामपि किमर्थम् ? गुणवैषम्ये सदृशानामपि बन्धनिषेधप्रतिपत्त्यर्थं सदृशग्रहणं क्रियते । सर्वार्थसिद्धि ५।३५ ।

दोनो परम्पराओकी भिन्नता इस प्रकार है :-

१ [भाष्यके अनुसार दोनो परमाणु जब जघन्य गुणवाले हो, तभी उनका बन्ध निषिद्ध है। जघन्यगुण और अजघन्यगुण वालोका बन्ध निषिद्ध नही है। पर सर्वार्थसिद्धिके अनुसार एक जघन्यगुण परमाणुका दूसरे अजघन्यगुण परमाणुके साथ भी बन्ध नही होता।]

२ "गुणसाम्ये सदृशानाम्"से भाष्यकारने यह फलितार्थ माना है कि विसदृशोमें सम और विषम दोनों स्थितियोमें बन्ध होता है। सर्वार्थसिद्धिकारने गुणाशोकी समानता होने पर सदृश और विसदृश दोनोका बन्ध नही माना है।

३ भाष्यानुसार "द्व्यधिकादिगुणाना तु" में "आदि" पदका "अर्थ तीन आदि सख्या लिया गया है, सर्वार्थसिद्धिकारके अनुसार "आदि" प्रकारवाची है।

४ "द्व्यधिकादि" सूत्रसे विहित बन्ध-विधान भाष्यानुसार केवल सदृशो पर लागू होता है, सर्वार्थसिद्धिमें वह विधान असदृश परमाणुओ पर भी लागू होता है।

सर्वार्थसिद्धिके अर्थकी दृष्टिसे यहा "गुणसाम्ये सदृशानाम्" सूत्र विचारणीय है। इसके अनुसार सदृश अथवा विसदृश दोनो स्थितियोमें द्व्यधिक गुणाश होना आवश्यक है और यह विधान "द्व्यधिकादिगुणाना तु" से हो ही रहा है, अत. "गुणसाम्ये" यह सूत्र यहाँ अनावश्यक लगता है। सदृश शब्द भ्रान्तिमूलक है और इसी प्रभावसे कु०सजुको ओहिराने श्वेताम्बर पाठको मूल माना है।

षट्खण्डागमके अनुसार बन्ध–विचार

इस प्रसगमे षट्खण्डागमके वर्गणाखण्डगत पुद्गलबन्धके निरूपक सूत्रोपर भी विचार किया जाता है—

वेमादा णिद्धदा वेमादा ल्हुक्खदा बधो। ३२

समणिद्धदा समल्हुक्खदा भेदो। ३३

णिद्धणिद्धा ण बज्झति ल्हुक्खल्हुक्खा य पोग्गला।

णिद्धल्हुक्खा य बज्झति रूवारूवी य पोग्गला ॥ ३४ ॥

वेमादा णिद्धदा वेमादा ल्हुक्खदा बधो। ३५ ॥

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण ल्हुखस्स ल्हुक्खेण दुराहिएण।

णिद्धस्स ल्हुक्खेण हवेदि बधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥ ३६ ॥

इन सूत्रोका अर्थ इस प्रकार है–विसदृश स्निग्धता तथा विसदृश रूक्षता बन्ध है। समस्निग्धता तथा समरूक्षता भेद (बन्धका कारण नही) है। स्निग्धका स्निग्धके साथ तथा रूक्षका रूक्षके साथ (सदृश) बध नही होता है, किन्तु सदृश और विसदृश ऐसे स्निग्ध और रूक्ष पुद्गल परस्पर बन्धको प्राप्त होते हैं। द्विमात्रास्निग्धता और द्विमात्रारूक्षता बन्ध है। दो गुण अधिक स्निग्धका स्निग्धके साथ

और दो गुण अधिक रूक्षका स्पर्श भाग तथा स्निग्ध पुद्गलका रूक्ष पुद्गलके साथ जघन्य गुणको छोड़कर सम अथवा विषम गुणांश होने पर बन्ध होता है।

षट्खण्डागमके उक्त प्रतिपादनके अनुसार पुद्गल-बन्धकी स्थितिको निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

क्रमांक	गुणांश	सदृशबन्ध	विसदृशबन्ध
१	जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२	जघन्य + एकादि अधिक	नहीं	नहीं
३	जघन्येतर + समजघन्येतर	नहीं	है।
४	जघन्येतर + एकाधिकजघन्येतर	नहीं	है।
५	जघन्येतर + द्वयधिकजघन्येतर	है।	है।
६	जघन्येतर + त्र्यादि–अधिकजघन्येतर	नहीं	है।

सर्वार्थसिद्धिकार, तत्त्वार्थवार्तिककार और तत्त्वार्थश्लोकवार्तिककारके अनुसार पुद्गल बंधकी स्थितिकी तालिका इस प्रकार है—

क्रमांक	गुणांश	सदृशबन्ध	विसदृशबन्ध
१	जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२	जघन्य + एकादि अधिक	नहीं	नहीं
३	जघन्येतर + समजघन्येतर	नहीं	नहीं
४	जघन्येतर + एकाधिकजघन्येतर	नहीं	नहीं
५	जघन्येतर + द्वयधिकजघन्येतर	है	है
६.	जघन्येतर + त्र्यादि अधिक जघन्येतर	नहीं	नहीं

भाष्यानुसारी तालिका इस प्रकार है—

क्रमांक	गुणांश	सदृशबन्ध	विसदृशबन्ध
१	जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२	जघन्य + एकादि अधिक	नहीं	है
३.	जघन्येतर + समजघन्येतर	नहीं	है
४	जघन्येतर + एकाधिकजघन्येतर	नहीं	है
५	जघन्येतर + द्वयधिकजघन्येतर	है	है
६	जघन्येतर + त्र्यादिअधिकजघन्येतर	है	है

१. षट्खण्डागम खण्ड ५; भाग ६, पुस्तक १४, सूत्र ३२, ३३, ३४, ३५ व ३६।

तत्त्वार्थसूत्रोंसे जो अर्थ व्यक्त होता है, वह इस प्रकार है—

१. स्निग्धता और रूक्षताके कारण पुद्गलोका परस्परमें बन्ध होता है।

१ जघन्यगुणवाले पुद्गलोका बन्ध नही होता।

३ शक्त्यशोके समान होने पर समान गुणवाले पुद्गलोका भी बन्ध नही होता। (अर्थात् विसदृश गुणवाले पुद्गलोका बन्ध होता है)।

४, किन्तु द्वयधिक गुणवाले सदृश पुद्गलोका बन्ध होता है।

५ बन्ध होने पर दो अधिक गुणवाला पुद्गल दो कम गुणवाले पुद्गलको अपने रूप परिणमा लेता है। श्वेताम्बर पाठके अनुसार समगुणाश होने पर विसदृशबन्धमें कोई एक सम गुणाश दूसरे समगुणागको अपने रूप परिणमा लेता है।

[उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रमें निबद्ध पुद्गलबन्धकी प्रक्रियाकी अर्थसगति दिगम्बर परम्पराको आर्षरूपमें मान्य षट्खण्डागमगत पुद्गलबन्धसे हो जाती है। अत इस दृष्टिसे तत्त्वार्थसूत्रके पुद्गलबन्धको दिगम्बर मान्यताकेविरुद्ध नही कहा जा सकता। षट्खण्डागम यापनीयोको भी मान्य था, अत तत्त्वार्थसूत्रगत पुद्गल-बन्ध-नियम यापनीय सम्मत भी कहा जा सकता है।]

परीषह-प्रकरण

तत्त्वार्थसूत्रकारने दश सूत्रोमें परीषहोका विचार किया है। उनके अनुसार जिनोपदिष्ट मार्गसे च्युत न होने और कर्मोंकी निर्जराके लिए परीषह सहन आवश्यक हैं। ये परीषह २२ हैं। सूक्ष्मसाम्पराय तथा छद्मस्थ वीतरागके चौदह परीषह तथा जिन भगवानके ११ परीषह कहे गये हैं। बादर साम्पराय तक सभी होते हैं।

[ये परीषह भिन्न-भिन्न कर्मोंके उदयसे सम्बद्ध हैं। ज्ञानावरणकर्मके उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान परीषह होते हैं। दर्शनमोहसे अदर्शन, अन्तरायसे अलाभ तथा चारित्र-मोहसे नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार-पुरस्कार परीषह होते हैं। शेष ग्यारह परीषह वेदनीय कर्मके उदयमे होते हैं।]

परीषहोसे सम्बद्ध इन सूत्रोका यह सरलार्थ है।

पूज्यपाद स्वामी तथा आचार्य अकलक आदिने छद्मस्थ वीतरागमें चौदहो परीषहोंके सद्भावका शक्तिमात्रकी विवक्षासे माना है। जिनेन्द्रके ११ परीषहोंके विधायक सूत्रके टीकाकारोने विभिन्न अर्थ किये हैं। सर्वार्थसिद्धिमें "न सन्ति" और राजवार्तिक-"कैश्चित् कल्प्यन्ते" का अध्याहार किया गया है।

सर्वार्थसिद्धिके अनुसार मोहनीयकर्मकी सहायताके अभावमें क्षुधादि वेदना रूप भावपरीषहोंका अभाव होनेपर भी वेदनीय कर्मके उदयरूप द्रव्य-परीषहका

---

१. त० सू० ९/११ की वृत्ति.

सद्भाव मानकर जिन भगवानमें उपचारसे ११ परीषह कहे गये हैं। "ननु च मोहनीयोदयाभावसहायात् क्षुधादिवेदनाभावेऽपि द्रव्यकर्मसद्भावापेक्षया परीषहोपचारः क्रियते।"

राजवार्तिककारने उदाहरण दिया है कि जब मंत्रबलके द्वारा विषद्रव्यकी मारण शक्तिका क्षय कर दिया जाता है, तब विषद्रव्य मरण करानेमें समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार ध्यानरूपी अग्निसे घातियाकर्मोंका क्षय हो जाने पर वेदनीयकर्म अपना फल दिखानेमें असमर्थ हो जाता है।[१]

आधुनिक विद्वानोमें प० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने परीषहोपर विस्तारसे विचार किया है। उनका कथन है कि परीषहोका विचार छठवें गुणस्थानसे आरभ होता है, क्योकि श्रमण्यपदका आरभ यही से होता है। छठवें गुणस्थानमें प्रमादके सद्भाव से वेदनीयके निमित्तसे जो वेदनकार्य छठवें गुणस्थानमें होता है, वह आगे कथमपि सभव नही है।

परीषह-जयका अर्थ बाधाके कारण उपस्थित होने पर उनमें जाते हुए चित्तका रोकना और आवश्यक कार्योंमें लगाना है। प्रमत्तसयत गुणस्थानमें ही जीव चित्तवृत्ति को रोकनेके लिए उद्यमशील होता है। आगेके गुणस्थानोमें चित्तका बाह्य कारणोंके रहते हुए भी उनमें रचमात्र भी प्रवेश नही होता। अगले गुणस्थानोमें न बाह्य कारण ही रहते हैं और न चित्तवृत्ति ही रहती है।

तत्त्वार्थसूत्रमें इन गुणस्थानोमें केवल अन्तरग कारणोको ध्यानमें रखकर ही परीषहोका निर्देश किया है। तत्त्वार्थसूत्रमें भी वे अन्तरग कारण ज्ञानावरण, वेदनीय, दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय और अन्तरायके उदयरूप कहे गये हैं।

प्रज्ञा और अज्ञान परीषह ज्ञानावरणके उदयसे होते हैं व ज्ञानावरणका उदय क्षीणमोह गुणस्थान तक होता है। अदर्शनपरीषह दर्शनमोहनीयके उदयसे और अलाभपरीषह अतरायके उदयमें होते हैं। इसलिये अदर्शनपरीषहका सद्भाव अप्रमत्तसयत गुणस्थान तथा अलाभपरीषहका सद्भाव क्षीणमोह गुणस्थानतक होता है।

क्षुधा आदि ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे होते हैं। इसप्रकार अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थानोमें सूत्रकारने जो परीषहोका सद्भाव कहा है उसमें उनकी दृष्टि कारणको ध्यानमें रखकर विवेचन करनेकी रही है। कार्यरूपमें ये परीषह छठवें गुणस्थानसे आगे नही होते।

सर्वार्थसिद्धिकारने पहले तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार व्याख्यान किया है, फिर विपर्यास

---

१. तत्त्वार्थसूत्र ९।११ का वार्तिक।

करने वालेको यह बतानेके लिए कि केवलीके कार्यरूपमें ग्यारह परीषह नही होते, "न सन्ति" पदका अध्याहार कर दूसरा अर्थ फलित किया है।[1]

पण्डितजीका उक्त विवेचन सर्वार्थसिद्धि आदिकी भाँति दिगम्बर परम्पराके अनुसार परीषहोकी व्याख्या है।

तत्त्वार्थसूत्रकारकी दृष्टिसे भी क्या इन सूत्रोका यही आशय है, यह विचारणीय है।

डॉ० हीरालाल जैनने एक निबन्धमे इस विषयमें अपनी कुछ युक्तियाँ दी हैं। प्रकृतमें उपयोगी होनेसे हम उन्हें उद्धृत कर रहे हैं—

१ सूत्रोंमे वाक्यशेषकी कल्पना तभी की जा सकती है, जब वे अपने रूपमे अधूरे हों और बिना कुछ जोडे उनका ठीक अर्थ ही न लगता हो। ऐसी अवस्थामे दो प्रकारसे वाक्यशेषकी कल्पना की जा सकती है। पूर्व निर्दिष्ट सूत्रोसे शब्दोकी अनुवृत्ति और दूसरे कदाचित् ऐसे शब्दोकी कल्पना, जो सूत्रकारकी विशेष शैलीके अनुसार हो और वह शैली अनेक स्थलोपर स्पष्ट दिखाई दे रही हो। प्रस्तुत स्थलमें "न सन्ति" तथा "कश्चित् कल्प्यन्ते" अध्याहार करनेका कोई आधार दृष्टिगोचर नही होता। इसके विपरीत इन वाक्याशोके अध्याहारसे कतिपय आशकाओको जन्म मिलता है कि शेष ११ कौनसे हैं तथा दूसरी आशका यह है कि सूत्रकारके समक्ष दो मतभेद थे, जिसका उन्होने उल्लेख किया है तथा उनका मत उसीके पक्षमे है।

२ यदि हम कर्मसिद्धातानुसार मोहनीय और वेदनीय कर्मोके स्वरूपपर विचार करें, तो ज्ञात होता है कि वेदनीय कर्मकी स्थिति और अनुभागबन्ध मोहनीयकर्मोदयके अधीन हैं। जब मोहनीयकर्मका उदय मन्द मन्दतर होने लगता है, तब उसीके अनुसार वेदनोयकर्मका स्थितिबन्ध भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है और जब सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तमें मोहके उदयका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वेदनीयका स्थितिबन्ध भी समाप्त हो जाता है। यहाँ तक तो वेदनीयकर्म मोहनीयके अधीन है, किन्तु बधे हुए कर्मकी सत्ता और उसके उदयमे वेदनीयकर्म मोहनीयसे सर्वथा स्वतत्र है। मोहनीयका उदयाभाव ही नही उसकी सत्ताभावके क्षय हो जाने पर भी वेदनीयके बँधे हुए कर्मकी सत्ता जीवमे बनी रहती है और वह बराबर उदयमें आती रहती है एव उसकी तीव्रता व मदता उसके अनुभागोदयपर अवलम्बित रहती है। जब मोहनीय कर्मका उदय रहता है, तब उसके योगसे वेदनोयोदयके अभावमें रागद्वेष परिणतिका भी अभाव माना जायगा, पर उससे वेदनीयोदयजन्य शुद्ध वेदना कम नही होगी, अभाव तो बहुत दूरकी बात है। हाँ, वेदनीय कर्मका उदय जितनी मात्रामें कम होगा, उतनी ही मात्रामें क्षुधादि वेदनायें कम होती

१ सर्वार्थसिद्धिकी प्रस्तावना, पृ० २६ और आगे।

जावेगी, किंतु वेदनाका सर्वथा अभाव तो तभी माना जा सकता है, जब उस कर्मके उदयका सर्वथा अभाव हो जाए। इस प्रकार कर्मोदय, वेदना और परीषहकी तीव्रता व मन्दताका तरतमभाव व अभाव उत्तरोत्तर आनुषगिक रूपसे होता है।

३ जब वेदनीयकर्मकी फलदायिनी शक्ति मोहनीयकर्मके अधीन नहीं है, तब अन्य घातियाकर्मोंके अधीन तो हो ही कैसे सकती है? दर्शनावरणकर्मके अभावसे उनकी समझदारी परिपूर्ण होगी एव मोहनोय कर्मके अभावसे रागद्वेष प्रवृत्ति नही होगी, पर इनसे वेदनोयकर्मजन्य वेदनामें तो कोई परिवर्तन न होगा। अन्तरायकर्मके अभावसे न केवल वेदनीयके उदयमें कोई बाधा नही आयेगी, बल्कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इन शक्तियोंके विकासकी रुकावट दूर हो जाएगी, अत एव यह कहना ठीक नही जान पडता कि घातियाँ कर्मोंके अभावमें वेदनीयकी फलदायिनी शक्ति नष्ट या जर्जरित हो जाती है। सूक्ष्मसाम्परायके अन्त समयमें जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त मात्र होता है, उसी समय वेदनीयका स्थितिसत्व थोडा नही असख्यातवर्ष प्रमाण होता है, जो क्षीणकषाय और सयोगी एव अयोगी गुणस्थानोमें बराबर अपनी स्थितिके अनुसार अनुभागका उदय दिखाया करता है। सयोगी जिन विहार करते हुये कर्मप्रदेशोकी निर्जरा करते हैं, पर वे भी उक्त कर्मस्थिति बहुत नही घटा पाते। उसकी स्थितिको आयुप्रमाण करनेके लिए उन्हें समुद्घात करना पडता है। वेदनीयका उदय, अभाव व मोक्ष आयुके अन्तके साथ ही हो पाता है।

४ शक्तिका सद्भाव होते हुये भी उसके उपयोगका अभाव वही माना जा सकता है, जहाँ उसका कोई प्रतिबन्धक कारण विद्यमान हो। वीतरागमें कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं है। साथ ही वेदनीयजन्य चर्यादि क्रियायें स्पष्टतः मानी ही जाती हैं।

५ मन्त्रबलसे विषद्रव्यका प्रभाव अवश्य नष्ट होता है, किन्तु घातियाँ कर्मोंके नाश और वेदनीय आदि अघातिया कर्मोंके उदयाभावमें उस प्रकारका कोई कारण-कार्य सम्बन्ध नही है।

६ केवलीके योग-निरोध रूप ध्यान वास्तविक होता है, इस दृष्टातमें भी उपचार घटित नही होता। दार्ष्टान्तिमे तो बिलकुल ही नही होता। वेदनीयकर्मका उदय होते हुए द्रव्यपरीषहका अभाव और वेदनारूप भावपरीषहका अभाव कैसे घटित होगा?

इस प्रकार टीकाकारोका विवेचन न तो सूत्रकारके वचनोंकी सार्थकता सिद्ध करनेमें समर्थ होता है और न कर्मसिद्धान्तके नियमोके अनुसार बैठता है।[1]

---

१. "क्या तत्त्वार्थसूत्रकार और उनके टीकाकारोंका अभिप्राय एक ही है?" —शीर्षक निबन्ध, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २।

'एकादश जिने' सूत्रसे यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूत्रकार जिनके ११ परीषह मानते हैं। यदि वे जिनके ११ परीषह नही मानते, तो वे ऐसे सूत्रकी रचना नही करते, जो उनके अभिप्रायके विपरीत हो और विवादका कारण बने। वे अपने अभिप्रायको स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित करते। उनके परीषह-विषयक सूत्रोका अर्थ यही है कि जिनके ११ परीषह होते हैं और यह मान्यता दिगम्बर परम्पराकी विरोधिनी है।

तत्त्वार्थसूत्रकी श्वेताम्बर श्रुतसे तुलना करनेपर प्रतीत होता है कि परीषहोका विचार श्वेताम्बरश्रुतगत विचारसे भिन्न है। वहाँ 'दसणपरीसह' अथवा 'सम्मत्त-परीसह' मानी गयी है, जबकि तत्त्वार्थसूत्रमें अदर्शन परीषहका उल्लेख है। भद्र-बाहुने उत्तराध्ययन निर्युक्तिमे एक जीवके एक समयमें अधिक-से-अधिक २० परीपहो-का सद्भाव स्वीकार किया है, तत्त्वार्थसूत्रमें एक समयमें १९ परीषह माने गये हैं।

यापनीय अपराजितसूरिको २२ परीषह मान्य हैं।[1] तत्त्वार्थसूत्रके परीषह सम्बन्धी विचार दिग० तथा श्वे० परम्पराके विरुद्ध है। परीषहोंकी सख्या २२, एक समयमें १९ परीषह मानना व एक परीषहका नामभेद ये तीन बातें श्वेताम्बर परम्पराके विरुद्ध हैं। इससे इनको यापनीय होना प्रतीत होता है।

कालद्रव्य

तत्त्वार्थसूत्रसे प्रतीत होता है कि तत्त्वार्थसूत्रकार कालको स्वतत्र द्रव्य मानने/न माननेके विषयमें तटस्थ हैं। श्वेताम्बर पाठ 'कालश्चेत्येके' (५/३८) तो निश्चित रूपसे कालके स्वतत्र द्रव्यत्वके विषयमें सूत्रकारको तटस्थताको द्योतित करता है। दिगम्बर सूत्रपाठ 'कालश्च'के द्वारा भी सूत्रकारकी मान्यताका विश्लेषण करें, तो कह सकते हैं कि सूत्रकार इस विषयमें तटस्थ थे।

अजीवद्रव्योके वर्णनसे पाँचव अध्यायका आरम्भ होता है। यहाँ प्रथम सूत्रमें धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन चारोको अजीवकाय कहा गया है। यहाँ कालके कायत्वका अभाव होनेसे उसका परिग्रहण नही किया गया। 'द्रव्याणि' व 'जीवाश्च' इन दोनों सूत्रोके उपरान्त कालद्रव्यका उल्लेख सभव तथा अवसरप्राप्त था, किन्तु यहाँ कालद्रव्यका वर्णन नही है।

जीवद्रव्यका वर्णन पहलेके अध्यायोमें हो चुका। पाँचवेमें कालव्यतिरिक्त चार अजीवद्रव्योका वर्णन कर चुकनेके पश्चात् सूत्रकार द्रव्यका सामान्यलक्षण करते हैं—'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्'।

---

१ भगवती आराधना—गाथा ८४ की व्याख्या क्षुधादयो बाधविशेषाः द्वाविंशतिप्रकारा।

इसके उपरान्त वे कालद्रव्यका वर्णन करते है। यदि वे कालको भी पृथक् स्वतन्त्र द्रव्य मानते, तो उसका उल्लेख भी अजीवद्रव्योकी गणनाके साथ अर्थात् 'अजीवकाया धर्माधर्माकाश-पुद्गला' के तुरन्त बाद 'द्रव्याणि' सूत्रके पहले करते अथवा 'जीवाश्च' के साथ अथवा तुरन्त बाद करते। इतना नही तो कम-से-कम द्रव्यका सामान्यलक्षण करनेके पूर्व अवश्य करते।

'आ आकाशादेकद्रव्याणि', 'निष्क्रियाणि च' इन सूत्रो द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्योको एक-एक तथा निष्क्रिय कहा है। कालद्रव्य भी निष्क्रिय है, पर उसकी निष्क्रियताका सूत्रोमें कही सकेत नहीं हैं। द्रव्योके प्रदेशोकी सख्या विचार करते समय 'नाणो' सूत्रके द्वारा अणुको अप्रदेशी कहा है। काल भी अप्रदेशी है, परन्तु उसका उल्लेख नही है। कालद्रव्यकी इस उपेक्षामे प्रतीत होता है कि वे काल स्वतन्त्र द्रव्य नही मानते और उनकी कालद्रव्यके सम्बन्धमें की गयी उपेक्षासे यह भी लगता है कि तत्त्वार्थसूत्रकार यापनीय परम्पराके हो सकते हैं क्योकि वे भी आगम ग्रन्थोको मानते थे। और अवशिष्ट आगमोको प्रमाण मानने वाली श्वेताम्बर परम्परामें ये कालको स्वतन्त्र द्रव्य मानने तथा न माननेकी दोनो परम्पराएँ हैं।

यहाँ यह ध्यातव्य है भगवती आराधना तथा विजयोदयामें कालको स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है।[1]

तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धके कारण

तीर्थङ्कर प्रकृति-बन्धके कारणोमें दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमें काफी मतभेद है। दिगम्बर परम्परा १६ कारण मानती है तथा श्वेताम्बर परम्परा २० कारण मानती हैं। षट्खण्डागमगत बन्धस्वामित्वविचयमें सख्यापूर्वक तीर्थङ्करप्रकृतिके बन्धके कारणोका नाम-निर्देश इस प्रकार किया गया है :—

दसणविसुज्झदाए विणयसपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु अपरिहीणदाए खणलवपडिबुज्झणदाए लद्धिसवेगसपण्णदाए जधाथामे तथा तवे, साहूण पासुअपरिच्चागदाए, साहूण समाहिसधारणाए, साहूण वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए, अरहतभत्तीए, बहुसुदभत्तीए, पवयणभत्तीए, पवयणवच्छलदाए, पवयणप्पभावणदाए, अभिक्खण अभिक्खण णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोद कम्म बधति।[2]

श्वेताम्बर आगम 'नायाधम्मकहाओ' के अनुसार तीर्थङ्करत्वके २० कारण ये हैं—

---

१ भगवती आराधना, गाथा ३६, मूलाराधना, स० भागचन्द पाटनी, कलकत्ता, १९७६।

२ षट्खण्डागम खण्ड ३, पुस्तक ८, सूत्र ४१।

अरहत-सिद्ध-पवयण-गुरुथेर-बहुस्सुए तवस्सीसु।
वच्छलया य तेसिं अभिक्खनाणोवओगो य॥
दसण-विणए आवस्सए सीलव्वए निरइयार।
खणलव-तवच्चियाए वेयावच्चे समाही य॥
अप्पुव्वनाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणा॥
एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्त लहइ जीवो॥[1]

तत्त्वार्थसूत्रमें तीर्थङ्करनामकर्मके वन्धके कारण इस प्रकार दिये हैं—'दर्शनविशुद्धिविनयसपन्नता शीलव्रतेष्वनतीचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वैयावृत्त्यकरण-महदाचार्य-बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थङ्करत्वस्य।[2]

तत्त्वार्थसूत्रकारके तीर्थङ्करप्रकृतिके वन्धके ये कारण दिगम्बर परम्परासे मेल खाते हैं। दिगम्बरश्रुत षट्खण्डागममे भी यही १६ कारण प्रतिपादित हैं। तुलनाके लिये तत्त्वार्थसूत्र, षट्खण्डागम और नायाधम्मकहाओकी तालिका प्रस्तुत है—

तत्त्वाथसूत्र	षट्खण्डागम	नायाधम्मकहाओ
१ दर्शनविशुद्धि	१ दर्शनविशुद्धता	१ दर्शननिरतिचारिता
२ विनयसम्पन्नता	२ विनयसपन्नता	२ विनयनिरतिचारिता
३ शालव्रतानतिचार	३ शीलव्रतनिरतिचारिता	३ शीलव्रतनिरतिचारिता
४ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग	४ अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञा-पयोगयुक्तता	४ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग
५ सवेग	५ लब्धिसवेगसपन्नता	५ त्यागसमाधि
६ शक्त्यनुसार त्याग	६ साधुप्रासुकपरित्यागता	६ तप समाधि
७ शक्त्यनुसार तप	७ यथाशक्ति तप	७ वैयावृत्यसमाधि
८ साधुसमाधि	८ साधुसमाधिसधारणता	८ अरिहतवत्सलता
९ वैयावृत्यकरण	९ साधुवैयावृत्ययोग-युक्तता	९ गुरुवत्सलता
१० अर्हद्भक्ति	१० अरहतभक्ति	१० बहुश्रुतवत्सलता
११ आचायभक्ति	११ बहुश्रुतभक्ति	११ श्रुतभक्ति
१२ बहुश्रुतभक्ति	१२ प्रवचनभक्ति	१२ आवश्यकनिरतिचारिता
१३ प्रवचनभक्ति	१३ आवश्यकापरिहीनता	१३ प्रवचनप्रभावना

१ नायाधम्मकहाओ अ० ८, सू० ६४ तथा आवश्यकनिर्युक्ति गाथा १७९-८१
२ तत्त्वार्थसूत्र ६|२४

तत्त्वार्थसूत्र	षट्खण्डागम	नायाधम्मकहाओ
१४ आवश्यकापरिहाणि	१४ प्रवचनप्रभावना	१४ प्रवचनवत्सलता
१५ मार्गप्रभावना	१५ प्रवचनवत्सलता	१५. क्षणलवसमाधि
१६ प्रवचनवत्सलत्व	१६ क्षणलवप्रतिबोधनता	१६ सिद्धवत्सलता
		१७. स्थविरवत्सलता
		१८ तपस्विवत्सलता
		१९ व्रतनिरतिचारिता
		२०. अपूर्वज्ञानग्रहण

तत्त्वार्थसूत्रमें प्रतिपादित आचार्यभक्ति षट्खण्डागममें उपलब्ध नही है, इसके स्थानपर क्षणलवप्रतिबोधनता दिया गया है, जिसका अर्थ धवलाकारके अनुसार काल-विशेषमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील गुणोको उज्जवल करना है।[1] नायाधम्मकहाओमें छह कारण तो बिलकुल ही पृथक् और अधिक है, शेष भी पूर्णतया नही मिलते है, पर तत्त्वार्थसूत्रमें प्रतिपादित तीर्थंङ्करप्रकृतिके कारण षट्खण्डागमके प्राय. अनुसार है, पूर्णतया वे हो नही।

श्रीविजयोदया टीकामें अपराजितसूरिने दर्शनविशुद्धि आदिको तीर्थङ्करत्वप्राप्तिका कारण बताया है,[2]। यद्यपि यहाँ उन्होंने कारणोकी सख्या नही दी है, तथापि "दर्शन-विशुद्धयादि' शब्दके उल्लेखसे प्रतीत होता है, उन्हें तत्त्वार्थसूत्र अथवा दिगम्बर सम्प्रदायसम्मत १६ कारण ही मान्य होगे, श्वेताम्बरमान्य बीस कारण नहीं, क्योकि श्वेताम्बरश्रुत नायाधम्मकहाओ आदिमें तीर्थङ्करपद प्राप्तिका प्रथमकारण अरिहंत-वत्सलता दिया गया है। इससे भी अनुमानित होता है कि तत्त्वार्थसूत्र श्वेताम्बर ग्रंथ नही हैं। इसके तीर्थंकरप्रकृतिबन्धके कारण दिगम्बर तथा यापनीय दोनो परपराओं-के अनुकूल हैं।

वाह्य तप

व्याख्याख्याप्रज्ञप्तिमें वाह्य तपके निम्नलिखित छह भेद बतलाये गये हैं—

१ "खणलवा णाम कालविसेसा। सम्मद्दसण-णाण-वद-सील-गुणाणमुज्जालण, कलकपक्खालण सधुक्खण वा पडिवुज्झण णाम, तस्स भावो पडिवुज्झणा।"

२ भगवती आराधना, गा० १७१२ की टीका।

कल्लाणपावगाण उपाये विचिणादि जिणमदमुवेच्च।
विचिणादि वा अवाए जीवाण सुभेय असुभे य॥

टीका—कल्लाणपवागाण उपाये तीर्थङ्करपददायकाना दर्शनविशुद्धयादीनामुपायान् विचिनोति जिनमत जिनकथित उपदेश।

अणसण ऊणोयरिया भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो पडिसंलीणता वज्झो तवो होई ॥[1]

(निर्युक्तिकार भद्रबाहुने दशवैकालिकनिर्युक्तिमें बाह्य तपोंके यही छह भेद माने हैं—१-अनशन, २-ऊनोदर, ३-वृत्तिपरिसख्यान, ४-रसत्याग, ५-कायक्लेश और ६-सलीनता ।)

तत्त्वार्थसूत्रकारने प्रतिसलीनता (सलीनता) के स्थानपर विविक्तशय्यासन तप माना है ।[2] मूलाचार और भगवती आराधना नामक ग्रथोमें यही तत्त्वार्थसूत्रोक्त छह बाह्य तप बताये गये हैं ।[3]

सम्यक्त्व, हास्य, रति व पुरुषवेदकी पुण्यरूपता

(भाष्यसम्मत सूत्रपाठ तथा उसके भाष्यमें सम्यक्त्व, हास्य, रति तथा पुरुषवेदको पुण्यरूप माना गया है ।)

सद्वेद्य-सम्यक्त्व-हास्य-रति-पुरुषवेद-शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ।(८/२६)

श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनो ही परम्पराओमें सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेदको पुण्य प्रकृति नही माना गया है, किन्तु यापनीय इन्हें पुण्यरूप मानते हैं । अपराजितसूरिने इन्हे पुण्यरूप माना है । तथा तत्त्वार्थसूत्रका यही भाष्यसम्मत सूत्रपाठ उद्धृत किया है ।[4]

सूत्रकारको यापनीय सिद्ध करनेवाला यह एक प्रवल प्रमाण है । भाष्यकार स्वय श्वेताम्बर परम्पराके विद्वान है तथा उक्त चारोकी पुण्यरूपता श्वेताम्बर परम्पराको भी इष्ट नही है तथापि उन्होने इस सूत्रका सग्रह किया है, क्योकि उन्हें यही सूत्रपाठ उपलव्व हुआ होगा ।

---

१ व्याख्याप्रज्ञप्ति श०, २५ उ० ७, सू० ८ ।

२ त० सू० ९।१८ ।

३ भगवती—आराधना गा० २०८ ।

अणसण अवमोयरिय चाओ य रसाण वुत्तिपरिसखा ।
कायकिलेसो सेज्जा य विवित्ता बाहिरतवो सो ॥

४ विजयोदया, पृ० ८१४, गाथा १८२८ की व्याख्या

"सद्वेद्य सम्यक्त्व रतिहास्यपु वेदा शुभे नामगोत्रे शुभचायु पुण्य, एतेभ्योऽन्यानि पापानि ।"

मूलाचारमें भी सम्यक्त्वको पुण्यरूप कहा गया है—

सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसायणिग्गहगुणेहिं ।
जो परिणदो स पुण्णो तव्विवरीदेण पाव तु ॥ ५/३७

यापनीय टीकाका अस्तित्व

उपर्युक्त ८/२६ सूत्रकी वृत्तिमें सिद्धसेनगणिने लिखा है कि इस मन्तव्यको (अर्थात् उक्त चारोको पुण्यरूप माननेका) रहस्य सम्प्रदायका विच्छेद होनेसे हम मालूम नही पडता । चौदहपूर्वधारी जानने होगे । उन्होने "अपरस्त्वाह" कहकर इन चारोको पुण्य प्रकृति मानने वाली कारिकाएँ उद्धृत की है—

> रति-सम्यक्त्व-हास्याना, पु वेदस्य च पुण्यताम् ।
> मोहनीयमिति भ्रान्त्या केचिन्नेच्छन्ति तच्च न ॥
> शुभायुर्नामगोत्राणि सद्वेद्य चेति चेन्मतम् ।
> सम्यक्त्वादिषु तथैवास्तु प्रसादनमिहात्मन. ॥
> मोहो राग. स च स्नेहो भक्तिराग. स चार्हति ।
> रागस्यास्य प्रशस्तत्वान्मोहत्वेनापि मोहता ॥

ये कारिकाएँ तत्त्वार्थसूत्रकी किसी यापनीय टीकाकी ही हो सकती है, जो रति, सम्यक्त्व, हास्य और पुरुषवेदको पुण्यरूप मानती है ।

श्रावकके बारह व्रतोंके अतिचारोका वर्णन

तत्त्वार्थसूत्रकारने ही सर्वप्रथम श्रावकके बारह व्रतोंके पांच-पांच अतिचारोका वर्णन किया है । इससे पूर्व दि० परम्परामें अतिचारोका वर्णन किसीने नही किया । ये अतिचार श्वेताम्बर आगम उपासकदशासूत्रमें मिलते है । उपासकदशासूत्रकी भाँति ही यहाँ आठ मूलगुणोका भी कोई वर्णन नही है ।

श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओका अनुल्लेख

सभी दिगम्बर श्रावकाचारोमे ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन मिलता है । आचार्य कुन्दकुन्दने तो चारित्तपाहुडमें श्रावकाचारका वर्णन प्रतिमाओंके आधार पर ही किया है ।

परन्तु यापनीयग्रन्थो-पद्मपुराण, हरिवशपुराण, पउमचरिय आदिमें ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन नही है । भगवती आराधना और उसकी यापनीय टीकामें जहाँ प्रसगवशात् श्रावकाचारका वर्णन है वहाँ भी श्रावककी प्रतिमाओका उल्लेख नही है ।

तत्त्वार्थसूत्रमे भी श्रावककी प्रतिमाओका उल्लेख नही है, किन्तु श्वेताम्बर आगम उपासकदशासूत्रमें ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन है ।

उक्त सूत्रोपर विचार करनेपर हमारा झुकाव तत्त्वार्थसूत्रकारको यापनीय माननेकी ओर है, क्योकि परीषह-प्रकरण तथा कालद्रव्यके प्रकरणके विवेचनमें हमने पाया कि सूत्रकार जिनके ११ परीषह मानते है और कालद्रव्यके प्रति अपनी तटस्थता

प्रदर्शित करते हैं, जबकि दिगम्बर परम्परा एकमतसे जिनके ११ परीषहका निषेध करती है।

इन्हें श्वेताम्बर परम्पराका भी नही माना जा सकता, क्योंकि इनके परीषह विषयक विचार श्वेताम्बरश्रुतगत विचारोसे भिन्न है। तीर्थङ्करप्रकृतिके कारणोंमें भी भिन्नता है। बाह्यतपके भेद भी श्वेताम्बरमान्य नही है।

भाष्यसम्मत सूत्रपाठ जिसमें सम्यक्त्व, हास्य, रति तथा पुरुषवेदको पुण्यरूप प्रतिपादित किया गया है, सूत्रकारकी यापनीयताका पोषक है।

["एकादश जिने" (सूत्र) इसके दिगम्बर न होनेका प्रमाण माना जाना चाहिये। साथ ही पुद्गल बन्धके नियामक सूत्रोंकी जो व्याख्या पूज्यपादने की है, उससे भी यही प्रतीत होता है, सर्वार्थसिद्धिकारके अनुसार दिगम्बर परम्परामे पुद्गल-बन्धके नियम अन्य ही थे, और उन्ही नियमोका प्रतिपादन इन सूत्रो द्वारा करनेका उन्होंने प्रयत्न किया है।]

तत्त्वार्थभाष्यकी स्वोपज्ञतापर विमर्श

श्वेताम्बर परम्परा तत्त्वार्थभाष्यको स्वोपज्ञ मानती है। प० सुखलाल निम्नलिखित कारणोंसे भाष्यको स्वोपज्ञ मानते हैं—

[१ भाष्यके प्रारभमें जो ३१ कारिकायें हैं, वे मूल सूत्ररचनाके उद्देश्यको जतलानेकी पूर्ति करती हुई मूलग्रन्थको ही लक्ष्य करके कही गयी मालुम होती हैं। ग्रन्थकारने अन्तमें सूत्र और भाष्यकार दोनोके कर्ता रूपसे अपना परिचय देनेवाली प्रशस्ति भी लिखी है]

[२ प्रारम्भिक कारिकाओंमें तथा कुछ स्थानों पर भाष्यमें भी "वक्ष्यामि" "वक्ष्याम" आदि प्रथम पुरुषका निर्देश है।]

[३ किसी भी स्थलपर सूत्रका अर्थ करनेमें शब्दोंकी खीचातानी नही हुई है। कही भी मूल-सूत्रका अर्थ करनेमें सदेह या विकल्प करनेमें नही आया। सूत्रकी किसी दूसरी व्याख्याको मनमें रखकर सूत्रका अर्थ नही किया गया और न कही पाठभेदका अवलम्बन किया गया है।]

४ कोई ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन आचार्य नही पाये जाते, जिन्होने दिगम्बर आचार्योंकी भाँति भाष्यको अमान्य रखा हो।[1]

प० नाथूरामजी प्रेमीने भी प्राय इन्ही कारणोंसे भाष्यको स्वोपज्ञ माना है।[2]

---

१ तत्त्वार्थसूत्र हिन्दी विवेचन सहित—"उमास्वातिकी परम्परा" (तृतीय सस्करण) १९७६, पृ० १५ और आगे।

२ जैन साहित्यका इतिहास · द्वितीय सस्करण उमास्वातीका सभाष्यतत्त्वार्थसूत्र, पृ० ५२१ और आगे।

भाष्यकी स्वोपज्ञताका खण्डन प० जुगलकिशोरजी मुख्तार[1], पं० लालबहादुरजी शास्त्री[2] तथा प० फूलचन्द्रजी शास्त्री[3] आदि विद्वानोने प्रमाणपुरस्सर किया है।

स्व० प० जुगलकिशोर मुख्तारने श्वेताम्बर विद्वान रत्नसिंहके टिप्पणका विवरण देते हुये बताया है कि श्वे० परम्परामें भाष्यको असदिग्धरूपसे स्वोपज्ञ नही माना गया है। टिप्पणकार भाष्यकार और सूत्रकारको पृथक् समझते थे।

टिप्पणके अन्तमे दुर्वादापहार रूपसे जो सात पद्य दिये हैं, उनमेंसे प्रथम पद्य और इसके टिप्पणमे साम्प्रदायिक कट्टरताका कुछ प्रदर्शन करते हुये उन्होंने इन शब्दोमें भाष्यकारका स्मरण किया है—

"प्रागेवैतददक्षिणभषणगणादास्यमानमिति मत्वा।
त्रात समूलचुल स भाष्यकारश्चिर जीयात्॥

टिप्पण—दक्षिण सरलोदाराविति हैम अदक्षिणा असरला
स्ववचनस्यैव पक्षपातमलिना इति यावत्त एव भषणा
कुक्कुरास्तेषा गणैरादास्यमान ग्रहिष्यमान स्वायत्ती-
करिष्यमाणमिति यावत्तथाभूतमिवैतत्तत्त्वार्थशास्त्र
प्रागेव पूर्वमेव मत्वा ज्ञात्वा येनेति शेष।
सहमूलचूलाभ्यामिति समूलचूल त्रात रक्षित स कश्चिद्
भाष्यकारो भाष्यकर्ता चिर दीर्घ जीयाज्जय
गम्यादित्याशीर्वचोऽस्माक लेखकाना निर्मलग्रन्थरक्षकाय
प्रावचनचौरिकायामशक्याय इति।"

टिप्पणकार उस भाष्यकारकी मंगलकामना करते है, जिसने समूलचूल तत्त्वार्थसूत्रकी रक्षा की। इससे यह भी ध्वनित है कि भाष्यकी रचना उस समय हुई, जब कि तत्त्वार्थसूत्रपर सर्वार्थसिद्धि आदि कुछ प्राचीन दिगम्बर टीकायें बन चुकी थी और उनके द्वारा दिगम्बर परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रका अच्छा प्रचार प्रारम्भ हो गया था। उस प्रचारको देखकर किसी श्वेताम्बर विद्वानको भाष्य रचनेकी प्रेरणा मिली है।

प० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने इस सटिप्पण प्रतिके भाष्यसम्मत तत्त्वार्थसूत्रसे पाठभेद तथा अधिक सूत्रोका उल्लेख किया है। वे लिखते हैं—

---

१ श्वेताम्बर तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्यकी जाँच" जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश प्रथम स० १९५६।

२ "क्या भाष्य स्वोपज्ञ और उसके कर्ता यापनीय हैं?" जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण।

३ सर्वार्थसिद्धिकी प्रस्तावना।

प्रतिमें पाये जाने वाले अधिक सूत्र ये हैं—

[तैजसमपि (२/५०)। धर्मा वंशाशैलाजनारिष्टा माघव्या माघवीति च। (३/२) उच्छ्वासाहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्या (४/२३)। स द्विविध (५/२४)। सम्यक्त्व च (६/२१)। धर्मास्तिकायाभावात्। (१०/७)]

[तत्त्वार्थभाष्यकार इन्हें सूत्ररूपमें स्वीकार नही करते। साथ ही तत्त्वार्थभाष्यके मुख्य टीकाकार हरिभद्रसूरि और सिद्धसेनगणि भी इन्हें सूत्र नही मानते, फिर भी टिप्पणकारने इन्हें सूत्र माना है। यदि हम इनके सूत्र होने और न होनेके मतभेद की बातको थोडी देरको भुला भी दें, तो भी इनके मध्यमे पाया जाने वाला "सम्यक्त्व च" सूत्र किसी भी अवस्थामें भुलाया नही जा सकता। तत्त्वार्थभाष्यमें तो इसका उल्लेख ही नही, अन्य श्वेताम्बर आचार्योंने भी इसका उल्लेख नही किया है, फिर भी टिप्पणकार किसी पुराने आधारसे इसे सूत्र मानते हैं। इतना ही नही वे इसे मूल सूत्रकारकी ही कृति मान कर चलते हैं।]

यह तो हुई सूत्रभेदकी चरचा। अब इसके एक पाठभेदको देखिये। दिगम्बर परम्पराके अनुसार तीसरे अध्यायमें सात क्षेत्रोके प्रतिपादक सूत्रके आदिमे "तत्र" पाठ उपलब्ध नही होता, किन्तु तत्त्वार्थभाष्यमान्य उक्त सूत्रके प्रारम्भमें 'तत्र" पद उपलब्ध होता है। फिर भी टिप्पणकार यहाँ तत्त्वार्थभाष्यमान्य पाठको स्वीकार न कर दिगम्बर परम्परा मान्य पाठको स्वीकार करते हैं[1]। इस टिप्पणसे यह स्पष्ट है श्वे० परम्परामें भी भाष्यकारको असदिग्ध रूपसे तत्त्वार्थसूत्रकार नही कहा गया है।

भाष्यकी स्वोपज्ञताके प्रमाणमें दी जाने वाली युक्तियोमें महत्त्वपूर्ण युक्ति यही दी गयी है कि सूत्रार्थके साथ भाष्यके अर्थमे कही विरोध या असगति नही है। मुख्तारजीको इस पर विचार करने पर कतिपय असगतियाँ प्राप्त हुई हैं।

१ "इन्द्रियकषायाव्रतक्रिया पचचतु पचपचविंशतिसख्या पूर्वस्य भेदा:।"

इस ६/६ सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने उक्त क्रमका उल्लघन कर अव्रत, कषाय और इन्द्रिय इस क्रमसे व्याख्यान किया है।

२ "इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषद्यात्मरक्षलोकपालानीक-
प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकश.।"

---

१ सर्वार्थसिद्धि प्रस्तावना पृ० २२-२३ तथा "तत्वार्थाधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण प्रति" नामक निबन्ध—जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश। लेखक प० जुगलकिशोर मुख्तार।

त० सू० ४/४के भाष्यमे इनके अतिरिक्त अनीकाधिपति नामकभेद अधिक गिनाया है। इसके विषयमे सिद्धसेनगणिका कथन है कि "अनीक और अनीकाधिपतियोकी एकताका विचार करके ही ऐसा विवरण किया है, अन्यथा दशकी सख्याका विरोध आता है।" पर यह कथन भी ठीक नही है क्योकि यदि देव और देवाधिपति एक ही हैं, तो फिर इन्द्रका पृथक्ग्रहण अनावश्यक है तथा भाष्यकारने अनीक और अनीकाधिपति दोनोकी अलग-अलग व्याख्या की है।

अनीकाधिपतयो दण्डनायकस्थानीया' अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव।

३ "सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतोऽरिष्टाश्च" ४/२६ सूत्रमें लौकान्तिक देवोके नौ भेद बताये हैं, परन्तु भाष्यकारने पूर्व सूत्रके भाष्य तथा इस सूत्रके भाष्यमें भी लौकान्तिक देवोके आठ भेद बताये हैं—

ब्रह्मलोक परिवृत्याष्टासु दिक्षु अष्टविकल्पा भवन्ति।
तद्यथा—एते सारस्वतादयोऽष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य
पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु प्रदक्षिणं भवन्ति यथासख्यम्।

प० सुखलालजीने दिगम्बर पाठके आधार पर "मरुत" शब्दको प्रक्षिप्त माना है।

भाष्यकी स्वोपज्ञता तथा भाष्यकारके यापनीयत्वका खण्डन करते हुये प० बहादुर शास्त्रीने भाष्यकी स्वोपज्ञतामें दी जाने वाली इस युक्तिके विषयमें यह लिखा है कि भाष्यमें प्रथम पुरुष का निर्देश है—

१ भारतीय टीकाकारोकी शैली रही है कि उन्होने मूल ग्रथकारोमें अपनेको मिला-सा दिया है। कलाकी दृष्टिसे यह उचित भी है। विषयका प्रतिपादन सिलसिलेवार और सुसबद्ध होना चाहिये। मूल ग्रन्थकार जिस बातको आगे रखना चाहता है, चतुर टीकाकारका कर्त्तव्य है कि उस विषयकी चर्चा वह पहलेसे छेड दे और दोनो कथनोको इस तरह मिला दे कि मानो टीकाकारको यही कहना था।

समस्यापूरकका जो स्थान है, उससे मिलता-जुलता ही टीकाकारका स्थान है। आचार्य विद्यानन्दने अकलककी अष्टशतीपर अष्टसहस्री-टीका इसी नमूने पर लिखी है। पूज्यपाद, अकलकदेव, हरिभद्र आदि सभी टीकाकारोकी टीकाओमें प्रथमपुरुषपरक निदश मिलते है।

२. इसके अतिरिक्त भाष्यमे अन्य पुरुषकी क्रियाओके प्रयोग भी बहुलतासे मिलते हैं। "आद्ये परोक्षम्" (१/११) का भाष्य करते हुये भाष्यकार कहते हैं "आदौ भवमाद्यम् सूत्रक्रमप्रामाण्यात् प्रथमद्वितीये शास्ति।" यहाँ 'शास्ति' पदप्रयोगसे सूत्रकारकी भिन्नता सूचित होती है। स्वय सिद्धसेनगणि इस पर टीका करते हैं—शास्तीति

ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मान विभज्य सूत्रकार-भाष्यकाराकारेणैवमाह शास्तीति सूत्रकार इति शेष अथवा पर्यायभेदात् पर्यायिणो भेद इत्यन्य सूत्रकारपर्याय अन्यश्च भाष्यकारपर्याय इत्यत सूत्रकारपर्याय: शास्तीति।"

भाष्यकार द्वारा स्वय सूत्रकारसे अपना पार्थक्य प्रकट करने पर भी सिद्धसेनगणिने पूर्वाग्रहवश इस भाँतिका समाधान किया है।

३. औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि। (२/३७)

सूत्रका भाष्य इसी अध्यायके उन्चासवें सूत्रमें किया है। सिद्धसेनगणिको भी अन्यत्र कथनीय बातके अन्यत्र कथनके कारण इसे असूत्रार्थ कहकर आचार्यकी भूल स्वीकार करनी पडी है।

४ सूत्रार्थोंमें सन्देह भी विद्यमान है।

"औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुष." (२/५२)

भाष्यकार सूत्रमें उत्तमपुरुषके अर्थके लिये सदिग्ध रहे हैं। अपने सदेहका निवारण नहीं होते देख उन्होने सूत्रका अर्थ दोनों तरहसे किया है, अन्यथा कोई कारण नहीं कि सामान्य अर्थ करते समय तो सूत्रस्थ अन्य पदोंके साथ "उत्तमपुरुष" का अर्थ कर दिया जाय और विशेष अर्थ करते समय सूत्रस्थ सम्पूर्ण पदोका अर्थ करते हुये उत्तमपुरुषको छोड दिया जाय।

५ ३/१ सूत्रमें 'घन' शब्द की सार्थकता बतलाते हुये भाष्यकार लिखते हैं—

"अम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा अति सिद्धे घनग्रहण क्रियते तेनायमर्थं प्रतीयते घनमेवाम्बु अध पृथिव्या।' यहाँ "तेनायमर्थ. प्रतीयते" यह सन्देहपरक वाक्य उनके पार्थक्यको स्पष्ट घोषित कर रहा है।

ज्योतिष्का: सूर्याश्चन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च। ४/१३

यहाँ "सूर्याश्चन्द्रमसो"का शेष पदमे समास न करने तथा आर्षविरुद्ध क्रम भग करनेकी आपत्तिका समाधान करते हुये भाष्यकार लिखते हैं—असमासकरणमार्षाच्च सूर्याश्चन्द्रमसो क्रमभेद: कृत: यथा गम्येतैतदेवैषामूर्ध्वनिवेशआनुपूर्व्यमिति।

यहाँ भी "यथा गम्येत्" शब्द सन्देहको द्योतित करता है।[1] प फूलचन्द्रजी शास्त्रीका कथन है कि "सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठको उत्तरकालवर्ती सभी दिगम्बर टीकाकार प्राय आधार मानकर चले हैं। किन्तु तत्त्वार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। हरिभद्रसूरि और सिद्धसेन गणिने तत्त्वार्थभाष्यके आधारसे अपनी टीकाएँ लिखी अवश्य हैं और इन दोनो आचार्योंने तत्त्वार्थभाष्यके साथ तत्त्वार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठकी रक्षा करनेका भी प्रयत्न किया है। किन्तु उनके सामने हो

१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग. १३, किरण १।

सूत्रपाठमें इतने अधिक पाठभेद और अर्थभेद हो गये थे, जिनका उल्लेख करना उन्हें आवश्यक हो गया। उदाहरणके लिये पाँचवें अध्यायके तीसरे सूत्र "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" सूत्रको उपस्थित करते हैं। सिद्धसेनगणिने इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए अनेक मतभेदोंका उल्लेख किया है। (ये मतभेद पाँच हैं।)

जब तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थभाष्य एक ही व्यक्तिकी कृति थी और श्वेताम्बर आचार्य इस तथ्यको भलीभाँति समझते थे तब सूत्रपाठके विषयमें इतना मतभेद क्यों हुआ और खासकर उस अवस्थामें जबकि तत्त्वार्थभाष्य उस द्वारा स्वीकृत पाठको सुनिश्चित कर देता है। हम तो इस समस्त मतभेदको देखते हुये इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तत्त्वार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठ स्वीकृत होनेके पहले इस परम्परा मान्य सूत्रपाठ निश्चित करनेके लिये छोटे-बड़े अनेक प्रयत्न हुये हैं और वे प्रयत्न पीछे तक होते रहे हैं। यही कारण है कि वाचक उमास्वाति द्वारा तत्त्वार्थभाष्य लिखकर सूत्रपाठके सुनिश्चित कर देने पर भी उसे वह मान्यता नहीं मिल सकी, जो दिगम्बर परम्परामें सर्वार्थसिद्धि और उसके द्वारा स्वीकृत सूत्रपाठको मिली है।[1]

दिगम्बरीय पाठकी एकरूपता तथा श्वेताम्बरीय पाठकी अनेकरूपताको प. सुखलालजीने भी स्वीकार किया है।[2]

प. फूलचन्द्रजीने तत्त्वार्थभाष्यके कुछ ऐसे स्थल भी निर्दिष्ट किये हैं, जिनसे उसकी स्वोपज्ञतापर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

तत्त्वार्थभाष्यकारके निम्नलिखित एक स्खलनके विषयमें उनका कथन है कि १।२० सूत्र तत्त्वार्थभाष्यमें इस रूपमें उपलब्ध होता है—

मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु।

किन्तु जब वे ही तत्त्वार्थभाष्यकार इस सूत्रके उत्तरार्धको भाष्यमें उद्धृत करते हैं, तब उसका रूप सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ ले लेता है। यथा-'अत्राह—मतिश्रुतयोस्तुल्यविषयत्वं वक्ष्यति—"द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु इति"।

कदाचित् कहा जाय कि इस उल्लेखमेंसे लिपिकारकी असावधानीवश 'सर्व' पद छूट गया होगा, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अपनी टीकामें सिद्धसेन गणि और हरिभद्रने तत्त्वार्थभाष्यके इस अंशको इसी रूपमें स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि जब तत्त्वार्थभाष्यकारने उक्त सूत्रका उत्तरार्ध "सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" स्वीकार किया, तब अन्यत्र उसे उद्धृत करते समय वे उसके "सर्व" पदको क्यों छोड़ गये? पदका विस्मरण हो जानेसे ऐसा हुआ होगा, यह बात बिना कारणके कुछ जँची-

---

१ सर्वार्थसिद्धिकी प्रस्तावना, पृ० २१,२२,२३

२ पाठान्तर-विषयक भेद, तत्त्वार्थसूत्र हिन्दी विवेचन, प्रथम संस्करण, पृ० ८४।

तुली प्रतीत नही होती । यह तो हम मान लेते है कि प्रमादवश या जान-बूझकर उन्होने ऐसा नही किया होगा, फिर भी यदि विस्मरण होनेसे ही यह व्यत्यय माना जाय तो इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिये । हमारा तो ख्याल है कि तत्त्वार्थ-भाष्य लिखते समय उनके समय सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ अवश्य रहा है और हमने क्या पाठ स्वीकार किया है, इसका विशेष विचार किये बिना उन्होने अनायास उनके सामने होनेसे सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठका अश यहाँ उद्धृत कर दिया है । यह भी हो सकता है ५।२० का भाष्य लिखते समय तक वे यह निश्चय न कर सके हो कि क्या इसमें "सर्व" पदको "द्रव्य" पदका विशेषण बनाना आवश्यक होगा या जो पुराना सूत्रपाठ है उसे अपने मूलरूपमें ही रहने दिया जाय और सम्भव है ऐसा कुछ निश्चय न कर सकनेके कारण यहाँ उन्होने पुराने पाठको ही उद्धृत कर दिया हो । हम यह तो मानते है कि तत्त्वार्थभाष्य प्रारम्भ करनेके पहले ही वे तत्त्वार्थसूत्रका स्वरूप निश्चित कर चुके थे, फिर भी किसी खाससूत्रके विषयमे शकास्पद बने रहना तथा तत्त्वार्थभाष्य लिखते समय उसमें परिवर्तन करना सभव है । जो कुछ भी हो उस उल्लेखसे इतना निश्चय करनेके लिये तो बल मिलता ही है कि तत्त्वार्थभाष्य लिखते समय वाचक उमास्वातिके सामने सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ अवश्य होना चाहिये ।

तत्त्वार्थभाष्यमें सर्थासिद्धिकी अपेक्षा अर्थविकासके दर्शन भी होते हैं, इस विषयमें भी प फूलचन्दजीने तीन उदाहरण दिये हैं ।[1]

दसवें अध्यायमें "धर्मास्तिकायाभावात्" सूत्र आया है । इसके पहले (सूत्रकार) यह बतला आये हैं कि मुक्त जीव अमुक अमुक कारणसे ऊपर लोकके अन्त तक जाता है । प्रश्न होता है कि वह इसके आगे क्यो नहो जाता है और उसीके उत्तरस्वरूप इस सूत्र की रचना हुई है । किन्तु यदि टीकाको छोडकर केवल सूत्रोका पाठ किया जाय तो यहाँ जाकर रुकना पडता है और मनमें यह शका बनी ही रहती है कि धर्मास्तिकाय न होनेसे आचार्य क्या बतलाना चाहते हैं । सूत्रपाठकी यह स्थिति वाचक उमास्वाति के ध्यानमे आई और उन्होने इस स्थितिको साफ करनेको दृष्टिसे ही उसे सूत्र न मानकर भाष्यका अग बनाया है । यह क्रिया स्पष्टत: बादमें की गई जान पडती है ।

१०/१ सूत्रमें मोहनीय आदि कर्मोके अभावसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान किया गया है, किन्तु इनका अभाव क्यो होता है । इसका समुचित उत्तर उस सूत्रसे नही मिलता और न ही सर्वार्थसिद्धिकार इस प्रश्नको स्पर्श करते हैं, किन्तु वाचक उमास्वातिको यह त्रुटि खटकती है । फलस्वरूप वे सर्वार्थसिद्धिमान्य "बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष:" इस सूत्रके पूर्वार्द्धको स्वतन्त्र और उत्तरार्ध-

---

१ सर्वार्थसिद्धिकी प्रस्तावना, पृ० ४४-४५

को स्वतन्त्र, सूत्र मानकर इस कमीकी पूर्ति करते हैं। सर्वार्थसिद्धिमे जबकि इसका सम्बन्ध केवल "कृत्स्नकर्मविप्रमोक्ष" पदके साथ जोड़ा गया है, यहाँ वाचक उमा स्वाति इसे पूर्वसूत्र और उत्तरसूत्र दोनोंके लिये बतलाते है।

५/२२ वें कालके उपकारके प्रतिपादक सूत्रमे परत्व-अपरत्वका प्रकरण है। ये दोनो कितने प्रकारके होते हैं, इसका निर्देश सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थभाष्य दोनोंमें किया है। सर्वार्थसिद्धिमें इनके प्रकार बतलाते हुये कहा है—"परत्वापरत्वे क्षेत्रकृते कालकृते च स्त।" किन्तु तत्त्वार्थभाष्यमें ये त्रिविध कहे गये हैं—"परत्वापरत्वे त्रिविधे-प्रशंसाकृते क्षेत्रकृते कालकृते इति।[1]

१/९ के भाष्यमें आभिनिबोधिक ज्ञानीको सम्यग्दर्शनी तथा केवलज्ञानीको सम्यग्दृष्टि कहा गया है। यह कथन तत्त्वार्थसूत्रके अनुरूप नही है।

१/१३ सूत्रमे मति, स्मृति और संज्ञा आदि मतिज्ञानके पर्यायवाची नाम हैं, किन्तु तत्त्वार्थभाष्यकार इन्हें पर्यायवाची नाम न मानकर मतिज्ञान, स्मृतिज्ञान आदिको स्वतन्त्र मानते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर तत्त्वार्थभाष्यकी व्याख्या मूल-सूत्रका अनुसरण नही करती।

१०/९ के भाष्यमे शब्द, समभिरूढ और एवंभूत इन तीनको मूल नय मान लिया गया है, जब कि वे प्रथम अध्यायमें उस सूत्रपाठको स्वीकार करते हैं, जिसमे मूल नयोमें केवल एक शब्दनय स्वीकार किया गया है।[2]

उपर्युक्त विद्वानोकी उल्लिखित युक्तियोपर विचार करने पर यही प्रतीत होता है भाष्य स्वोपज्ञ नही है। भाष्यमे अन्यपुरुषका भी निर्देश है। भाष्यकारका सूत्रकारसे विरोध, अर्थ करनेमें सन्देह आदि भी प्राप्त होता है। श्वेताम्बर आचार्य भी एकमतसे भाष्यको स्वोपज्ञ स्वीकार नही करते। रत्नसिंहका टिप्पण इसमे प्रमाण है। स्वय सिद्धसेनगणि भी भाष्यकी स्वोपज्ञतामे सदिग्ध रहे हैं।[3] ८/६ सूत्रकी वृत्तिमें वे लिखते हैं—"भाष्यकारोप्येवमव सूत्रार्थमावेदयते।"

भाष्यकारके समक्ष पूर्ववर्ती व्याख्याएं विद्यमान थी। इसका निर्देश एक स्थल "सर्वस्य" २/४३ सूत्रकी व्याख्यामें मिलता है। यहाँ उन्होने अपनेसे पूर्ववर्ती किसी अन्यकृत व्याख्याका सकेत किया है।—"सर्वस्य चैते तैजसकार्मणे शरीरे ससारिणो जीवस्य भवत, एके त्वाचार्या नयवादापेक्ष व्याचक्षे। कार्मणमेवैकमनादिसम्बन्धम्।

---

१ सर्वार्थसिद्धिकी प्रस्तावना, अथविकास, पृ० ४५-६

२ सर्वार्थसिद्धि, प्रस्तावना, पृ० ७०-७१

३ तत्त्वार्थसूत्र, सिद्धसेनीय टीका, पृ० ६८-६९

तेनैवैकेन जीवस्यानादि सम्बन्धो भवतीति। तैजस तु लब्ध्यपेक्ष भवति। सा च तैजसलब्धिर्न सर्वस्य, कस्यचिदेव भवति।"

यहाँ 'सर्वस्य' सूत्रका भाष्य प्रथम पक्तिके द्वारा करनेके उपरान्त भाष्यकार दूसरो द्वारा किया हुआ अर्थ उपस्थित करते हुये कहते हैं कि कुछ आचार्य इस सूत्रका अर्थ नयवादकी अपेक्षा करते हैं। भाष्यकारसे पूर्व भी तत्त्वार्थसूत्रकी अन्य कोई व्याख्या की जा चुकी थी, जिसका वे यहाँ उल्लेख करते हैं। इससे स्पष्ट मालुम होता है कि भाष्य स्वोपज्ञ नही है तथा भाष्यकारसे पूर्व भी सूत्रको स्पष्ट करने वाली टीका, टिप्पणी तथा प्राचीनतम टीकाग्रथ तथा व्याख्यायें विद्यमान थी। यदि भाष्य स्वोपज्ञ होता तो भाष्य ही प्राचीनतम टीकाग्रन्थ होता।

अध्याय पाँचवेंमें पुद्गलद्रव्यके वर्णन (५/२३-३७) में दिगम्बर पाठ सम्मत चार (५/२९-३२) तथा भाष्यसम्मत तीन (५/२९-३१) सूत्रोकी समायोजना की गयी है। पुद्गलद्रव्यके वर्णनके मध्यमें "सद्द्रव्यलक्षणम्", "उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-युक्त सत्", "तद्भावाव्यय नित्यम्", "अर्पितानर्पितसिद्धे." इन द्रव्य–सामान्यके लक्षणादिके प्रतिपादक सूत्रेका क्या औचित्य है? इसे सर्वार्थसिद्धिकारकी ही तरह भाष्यकारने भी स्पष्ट नही किया है। यदि भाष्यकार स्वय सूत्रकार होते तो अवश्य ही इन सूत्रोकी समायोजनाका औचित्य निर्दिष्ट करते।

"सकषायत्वाज्जीव. कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते।" ८।२

में 'कर्मणो योग्यान्' के स्थान पर कर्मयोग्यान् क्यो नही कहा, इसका समाधान सर्वार्थसिद्धिकारने किया है, भाष्यकारने नही, जबकि भाष्यको स्वोपज्ञ माननेकी स्थितिमें उनके द्वारा वह समाधान होना आवश्यक था।

आचार्य अकलकने तत्त्वार्थवार्तिक (१०/९) के अन्तमें भाष्यकी ३२ कारिकायें उद्धृत करके लिखा है—इति तत्त्वार्थसूत्राणा भाष्य भाषितमुत्तमै ।" अर्थात् तत्त्वार्थके सूत्रोका भाष्य उत्तम पुरुष द्वारा कहा गया है। इस उल्लेखसे स्पष्ट विदित होता है कि वे तत्त्वार्थसूत्र और भाष्य दोनोका कर्ता अलग-अलग मानते है—भाष्यको स्वोपज्ञ न मान कर उत्तरवर्ती आचार्यकी व्याख्या स्वीकार करते हैं और उनके उस भाष्यसे उन्होंने ये ३२ श्लोक उद्धृत किये हैं।

भाष्यकी स्वोपज्ञताके भ्रमको पल्लवित करने वाली भाष्यकी आरम्भिक कारिकायें तथा अन्तिम प्रशस्तिके कतिपय श्लोक हैं। वे आरम्भिक कारिकायें इस प्रकार है—

तत्त्वार्थाधिगमाख्य बह्वर्थं संग्रह लघुग्रथम्।
वक्ष्यामि शिष्यहितमिमर्हद्वचनैकदेशस्य ॥

महतोऽतिमहाविषयस्य दुर्गमग्रन्थभाष्यपारस्य ।
क शक्त प्रत्यास जिनवचनमहोदधे कुर्तुम् ॥
नर्ते च मोक्षमार्गाद्धितोपदेशो ऽस्ति जगति कृत्स्नेऽस्मिन् ।
तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्ग प्रवक्ष्यामि ॥

प्रशस्तिगत विचारणीय श्लोक ये है—

अर्हद्वचन सम्यग्गुरुक्रमेणागत समुपधार्य ।
दुःखार्त्त च दुरागमविहितमति लोकमवलोक्य ॥
इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृब्धम् ।
तत्त्वार्थाधिगमाख्य स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥

इनका अर्थ है कि मैं शिष्योंके हितके लिये इस तत्त्वार्थाधिगम नामक शास्त्रको कहता हूँ जो बहुत अर्थवाला और सग्रहरूप लघुग्रन्थ है ।

अर्हद् वचनोंके एकदेश अति महान विषय वाले, भाष्य द्वारा ही जिसका पार पाया जा सकता है ऐसे दुर्गम ग्रथरूप जिनवचनमहोदधिका स्पष्टार्थ करनेमे कौन समर्थ हो सकता है ?

मोक्षमार्गको छोडकर इस सम्पूर्ण जगत्में हितोपदेश नही है, इसलिये इसी मोक्षमार्गका प्रवचन करूँगा ।

सम्यक् गुरुक्रमसे आते हुए अर्हद्वचनको धारण कर दुःखमे पीडित तथा मिथ्या आगमके निमित्तसे नष्ट बुद्धि वाले लोकको देखकर प्राणियोकी अनुकम्पासे उच्चैंनागर वाचक उमास्वातिने इस तत्त्वार्थाधिगम नामक शास्त्रको स्पष्ट किया ।

इसमें तत्वार्थाधिगमको सग्रहरूप लघुग्रथ कहा गया है । जिनवचनमहोदधिके तीन विशेषण दिये गये हैं, अर्हद्वचनोका एकदेश, अति महान विषय वाला, ऐसा दुर्गम ग्रन्थ जिसका भाष्य द्वारा ही पार पाया जा सके । इन विशेषणोसे प्रतीत होता है कि यहाँ सामान्य द्वादशाग रूप जिनवचनमहोदधिको नही, अपितु किसी ग्रन्थ विशेषकी चर्चा है, जो अर्हद्वचनोका एकदेश है तथा महान् विषय वाला है, साथ ही दुर्गम ग्रथ है, जिसके लिये भाष्यकी अत्यत आवश्यकता है ।

'गुरुक्रमसे आते हुए' प्रशस्तिके इस शब्दसे यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि अर्हद्वचन (ग्रन्थविशेष)को धारण कर उमास्वातिने तत्त्वार्थाधिगम नामक शास्त्रको स्पष्ट किया । इन्होने स्वयको तत्त्वार्थाधिगम नामक शास्त्रका स्पष्टकर्ता (व्याख्याता) बताया है ।

अध्यायोकी समाप्ति पर भी अर्हद्प्रवचनसग्रहका उल्लेख किया गया है ।

इति तत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्प्रवचनसग्रहे प्रथमोध्याय. समाप्तः ।
इति तत्त्वार्थसग्रहे अर्हत्प्रवचने पंचमोऽध्यायः ।

भाष्यके आरम्भमें तथा अध्यायोकी समाप्तिपर अपने ग्रन्थको संग्रह कहनेसे प्रतीत होता है कि अर्हद्प्रवचन अथवा अर्हद्वचन नामक कोई ग्रंथविशेष था।

हमारे अनुमानकी पुष्टि अन्य उल्लेखोंसे भी होती है।

आचार्य अकलकने तत्वार्थवार्तिक तथा उसके भाष्यमें "गुणपर्ययवद् द्रव्यम्" इस सूत्रके विवेचनके सन्दर्भमें शका उठाते हुये कहा है—

"गुणाभावादयुक्तिरिति चेन्नार्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात्"

भाष्य—"गुण इति सज्ञा तत्रान्तराणाम् आर्हताना तु द्रव्य पर्यायश्चेति द्वितयमेव तत्त्वम्। अतश्च द्वितयमेव नयद्वयोपदेशात्।

अर्थात् "गुण" यह सज्ञा आर्हतमतकी नही है, यह तो अन्य मतावलम्बियो (वैशिषको) की है। आर्हतमतमे तो द्रव्य और पर्याय ये दो ही तत्त्व प्रसिद्ध हैं। इसीसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयोका उपदेश है।

इस शकाका समाधान करते हुये तत्वार्थवार्तिककारने कहा है कि अर्हत्प्रवचनहृदयादिमे गुणका उपदेश है। जैसा कि अर्हत्प्रवचनमें "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा" इस सूत्र द्वारा गुणका निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त "गुण इति दव्वविधाण' इस पुरातन गाथामें भी गुणका स्पष्ट निरूपण मिलता है।

इस उल्लेखमें अकलकदेवने अर्हत्प्रवचन नामक ग्रन्थका स्पष्ट निर्देश किया है। इसीसे प० जुगलकिशोर मुख्तार आदि विद्वानोने भी इसे अर्हत्प्रवचन नामक एक विशेष ग्रन्थका उल्लेख माना है।

तत्वार्थभाष्य की प्रारम्भिक एव प्रशस्तिपरक कारिकाओ एव आचार्य अकलकके कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नामका एक ग्रन्थ था।

विचारणीय है कि क्या तत्वार्थसूत्रका ही अपर नाम अर्हत्प्रवचन/अर्हत्वचन तो नही है? मुख्तारजीका कथन है कि तत्वार्थसूत्र की शकाका समाधान उसी सूत्रसे करना उचित नही हैं, अत यह दूसरा ग्रन्थ होना चाहिये।

अर्हत्प्रवचन एक विशिष्ट ग्रन्थ था, इस बातको दृष्टिमें रखकर जब हम भाष्यकी कारिकाओको पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाष्य स्वोपज्ञ नही है। अर्हत्प्रवचन एक विशाल ग्रन्थ था, जिसके एकदेश वचनोका सग्रह करके यह विपुल अर्थवाला लघुग्रन्थ रचा गया है। इस महान विषय वाले दुर्गम ग्रन्थ—जो भाष्य द्वारा ही समझा जा सकता है—का स्पष्टीकरण भी अत्यत दुष्कर कार्य है। गुरुक्रमसे आते हुये इस अर्हत्प्रवचन नामक ग्रन्थको धारण करके लोकपर अनुकम्पा करके उमास्वातिने यह तत्वार्थाधिगम नामक शास्त्र स्पष्ट किया है। इस प्रकार भाष्यकार तत्वार्थाधिगम शास्त्रके रचयिता है, जो अर्हत्प्रवचनके सूत्रोंके सग्रहपर भाष्य है।

अर्हत्प्रवचन एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। इस तथ्यको यदि मान लें तो श्वेताम्बर-दिगम्बर पाठोंमे जो भेद हैं, उनका कारण भी ज्ञात हो जाता है। पूज्यपाद स्वामीने भी अर्हत्प्रवचनके प्रमुख सूत्रोंपर वृत्ति लिखी है। पूज्यपाद स्वामी द्वारा संकलित पाठ दिगम्बर सूत्रपाठ है तथा वाचक उमास्वाति द्वारा संकलित पाठ श्वेताम्बर पाठ है। इन पाठोंके संकलनमे सम्प्रदाय व रुचिभेदके कारण यह वैभिन्य है। यही कारण है कि दिगम्बर पाठमें जम्बूद्वीप आदिके सम्बन्धमे जो सूत्र हैं, भाष्यकारने उन्हे भाष्यमे सम्मिलित कर लिया है।

यहाँ यह शका उत्पन्न होती है कि यदि अर्हत्प्रवचन नामक विशाल ग्रन्थ था, तब इस विशिष्ट और प्राचीन ग्रन्थके रहते हुये भी तत्त्वार्थसूत्र जो परवर्ती है, उसे इतनी महत्ता, प्रसिद्धि व आदर क्यों प्राप्त हुआ? साथ ही अर्हत्प्रवचन ग्रन्थका नाम भी शेष क्यों नही रहा?

तत्त्वार्थसूत्रकारकी परम्पराके निर्धारणमे हमने पाया है कि सूत्रोंसे सूत्रकार यापनीय प्रतीत होते हैं, अत अर्हत्प्रवचन एक यापनीय ग्रन्थ था। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनो ही सम्प्रदायोंने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थरत्नको अपने सम्प्रदायमें स्थान दिलानेके लिये इसके सूत्रोका सग्रह किया तथा व्याख्याग्रन्थ लिखकर अपने सम्प्रदायोंमे प्रवेश व महत्त्व दिलाया। अन्यथा जब अर्हत्प्रवचन आचार्य अकलकके समय तक विद्यमान था, तो फिर अकलकके पूर्ववर्ती आचार्योंने उक्त ग्रन्थका उल्लेख क्यों नही किया?

अर्हत्प्रवचनमे उद्धृत सूत्र वही है, जो तत्त्वार्थसूत्रमें हैं। इससे इस मान्यताकी पुष्टि होती है कि अर्हत्प्रवचनका ही संक्षिप्त सग्रह तत्त्वार्थसूत्र है, इसी कारण आचार्य अकलकने पहले उसका ही सूत्र उपन्यस्त किया, फिर यदि कोई उसी ग्रन्थकी शकाका समाधान उसी ग्रन्थसे न माने क्योंकि अर्हत्प्रवचनका ही सक्षिप्त रूप होनेके कारण तत्त्वार्थसूत्रको ग्रन्थाश ही मानना होगा, तो अन्य एक प्राचीन एव उस समय प्रसिद्ध ग्रन्थकी गाथा उपस्थित की है—"गुण इति दव्वविधाण" आदि।

अर्हत्प्रवचनका सग्रह होनेसे तत्वार्थसूत्रका नाम अर्हद्सूत्र भी था, क्योंकि राजेन्द्रमौलिभट्टारककृत टीकाका नाम अर्हद्सूत्रवृत्ति है,[1]। साथ ही परवर्ती कालमे तत्त्वार्थसूत्रके अनुकरण पर छोटे-छोटे सूत्रग्रन्थ भी लिखे गये, जिनमेंसे प्रभाचन्द्रकृत तत्त्वार्थसूत्रका नाम अर्हद्वचन ही है।[2]

इस विवेचनसे भाष्य स्वोपज्ञ नही है, यही प्रतीत होता है।

---

१ जैन साहित्यका इतिहास, दूसरा भाग, प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, पृ० २३२।

२ यह अर्हत्प्रवचन मा ग्र बम्बईसे प्रकाशित सिद्धान्तसारादि-सग्रहमें प्रकाशित है।

प्रशमरतिप्रकरण, तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थभाष्यके कर्त्ताओंपर विमर्श

श्वेताम्बर परम्परा तत्वार्थसूत्र तथा उसके भाष्यके अतिरिक्त प्रशमरतिप्रकरणको भी वाचक उमास्वातिकृत मानती है।[1] यहाँ इन तीनो ग्रन्थोके साम्य और वैषम्यपर विचार किया जाता है। इससे उनके कर्त्ताओके सम्बन्धमें सही-सही अवगति होगी।

प्रशमरतिप्रकरण ३१३ कारिकाओमें रचित जैन सिद्धान्तका ग्रन्थ है।

तत्त्वार्थसूत्र सस्कृत-गद्य-सूत्र-शैलीमें रचा जैन तत्त्वज्ञानका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। तत्त्वार्थसूत्रकार ही ऐसे प्रथम आचार्य हैं, जिन्होने प्राकृत भाषाको छोडकर सस्कृतमे अपने इस ग्रन्थ की रचना की है। उनके पूर्व प्राय सम्पूर्ण प्राचीन जैन साहित्य प्राकृतभाषामें ही प्रणीत उपलब्ध होता है।

तत्त्वार्थभाष्य श्वेताम्बर परम्पराकी मान्यतानुसार स्वोपज्ञ माना जाता है। प्रस्तुतमें हमें यह देखना है कि इन तीनोके कर्ता भिन्न-भिन्न हैं अथवा एक, इसके लिये इन तीनो ग्रन्थोका अन्तपरीक्षण विशेष सहायक सिद्ध होगा। अतएव इन तीनोंके साम्य और वैषम्यपर विमर्श करना उपयुक्त होगा।

तत्त्वार्थसूत्रसे प्रशमरतिप्रकरणका साम्य

तत्त्वार्थसूत्रसे प्रशमरतिप्रकरणमें अनेक स्थलोंपर साम्य है। यहाँ दोनोंके कुछ तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत हैं—

१ तत्त्वा "उपयोगो लक्षणम्" २/८, "स द्विविधोऽष्टचतुर्भेद" २/९

प्रशम "सामान्य खलु लक्षणमुपयोगो भवति सर्वजीवानाम्।
साकारोऽनाकारश्च सोऽष्टभेदश्चतुर्धा तु" ॥ का १९४

२ तत्त्वा 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्" ५/३०, तद्भावाव्यय नित्यम्" ५/३१, अर्पितानर्पितसिद्धे" ९/२१।

प्रशम "उत्पादविगमनित्यत्वलक्षण यत्तदस्ति सर्वमपि।
सदसद्वा भवतीत्यन्यथार्पितानर्पितविशेषात् ।"का० २०४

३ तत्त्वा 'तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्' १/२, "तन्निसर्गादधिगमाद्वा" १/३

प्रशम "एतेऽत्रध्यवसायो योऽर्थेषु विनिश्चयेन तत्त्वमिति।
सम्यग्दर्शनमेतच्च तन्निसर्गादधिगमाद्वा ॥" का० २२२।

---

[1] प० सुखलालजी, त० सू०, हिन्दी विवेचन सहित, प्रथम सस्करण, पृ० १७।

४. तत्त्वा० "एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्य ॥ १/३० ।
प्रशम० एकादीन्येकस्मिन् भाज्यानि त्वाचतुर्भ्य. इति ॥ का० २२६ ।

५ तत्त्वा० "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग " १/१
प्रशम० "सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसम्पद: साधनानि मोक्षस्य ।
तास्वेकतराभावेऽपि मोक्षमार्गोऽप्यसिद्धिकर. ॥ का० २३०

ये कुछ उदाहरण है, जो दोनोके साम्यको प्रकट करते है। प्रशमरति कारिकाओमें कहा कही सूत्र ज्योंके त्यो समाविष्ट है। इस साम्यके कारण इन दोनों एककर्तृक माना जाता है ।

तत्त्वार्थसूत्रसे प्रशमरतिप्रकरणका वैषम्य

जहाँ इन दोनो ग्रन्थोमे साम्य उपलब्ध होता है, वहाँ वैषम्य भी पाया जाता जैसाकि नीचेके उदाहरणोसे स्पष्ट है—

१. तत्त्वार्थसूत्रमें जीवद्रव्यके वर्णनके उपरान्त पाँचवे अध्यायमें अजीवद्रव्यों वर्णन करते हुये कहा है कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चार द्रव्य अजी काय है ।[1] यहाँ अजीव कालको छोड दिया गया है। इसका कारण उनमें काय (बहुप्रदेशीपने) का अभाव जान पडता है, किन्तु इसी अध्यायमें द्रव्यका सामा लक्षण "गुणपर्ययवद्द्रव्यम्" करनेके पश्चात् "कालश्चेत्येके" (५/३८) सूत्रके द्वारा कालद्रव्यका उल्लेख किया है। इस उल्लेखसे प्रतीत होता है श्वेताम्बर मान्यतानुसार तत्त्वार्थसूत्रकार कालद्रव्यको स्वीकार नही करते थे, इसीलि "एके" कहकर दूसरोके मतानुसार उसका उल्लेख करते हैं। यही कारण है तत्त्वार्थसूत्रकारने "निष्क्रियाणि च" (५/७) इस सूत्र द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्योंको निष्क्रिय कहा है, किन्तु कालद्रव्यके विषयमें उसकी निष्क्रियता या सक्रियत के सम्बन्धमें पूरे ही अध्यायमें कुछ नही कहा—बिलकुल मौन हैं। हाँ, उपकार-प्रकर (५/१७-२०) मे अवश्य कालके उपकारोका वर्णन किया है। सभवत यहाँ उन्होने अन्य आचार्योकी मान्यतानुसार कालद्रव्यके उपकारोका प्रतिपादन किया है।

प्रशमरतिप्रकरणकारने छहो द्रव्योका एकसाथ प्रतिपादन किया है। तत्त्वार्थसूत्र तरह प्रशमरतिप्रकरणमें कालके विषयमे अपनी तटस्थता प्रदर्शित नही की है। इस प्रतीत होता है कि प्रशमरतिप्रकरणकार छहो द्रव्योके अन्तर्गत काल द्रव्यको भी समान रूपसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि उनकी निम्नलिखित कारिकाओंसे प्रकट है—

धर्माधर्माकाशानि पुद्गला काल एव चाजीवा ।
पुद्गलवर्जमरूप तु रूपिण पुद्गला प्रोक्ता ॥

---

1 तत्त्वार्थसूत्र—'अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला ।' ५/१

जीवाजीवा द्रव्यमिति षड्विधं भवति लोकपुरुषोऽयम् ।
वैशारवस्थानस्य पुरुष इव कटिस्थकरयुग्म. ॥
का २०९ व २१०

२ तत्त्वार्थसूत्रमें जीवके पाँच भाव माने गये हैं—
"औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च (२/१) ।

इसके विपरीत प्रशमरतिप्रकरणमें छह भावोका प्रतिपादन किया गया है । उक्त पाँचके अतिरिक्त छठे भावके रूपमे सान्निपातिक भावका भी प्रतिपादन है—

भावा भवन्ति जीवस्यौदयिक· पारिणामिकश्चैव ।
औपशामिक क्षयोत्थ क्षयोपशमजश्च पञ्चैते ॥
ते चैकविंशतित्रिद्विनावाष्टादशविधाश्च विज्ञेया. ।
षष्ठश्च सन्निपातिक इत्यन्य पञ्चदशभेद ॥
(का १९६-९७) ।

३ तत्त्वार्थसूत्र (२/१४) में तेजस्कायिक और वायुकायिकको त्रसकाय कहा गया है किन्तु प्रशमरतिप्रकरणमें उन्हें त्रस नही कहा गया है । वहाँ जीवोके छह भेद बताते हुए कहा है कि क्षिति, अम्बु, वह्नि, पवन, तरु इन पाच एकेन्द्रियके अतिरिक्त द्वीन्द्रिय आदिको त्रस कहा है— इस प्रकार एकेन्द्रिय तेजस्कायिक व वायुकायिक भी त्रस—भिन्न स्थावर हुए । क्षित्यम्बुवह्निपवनतरवस्त्रसाश्च षड् भेदा ॥ १९२

वैषम्यके ये तीनो उदाहरण सैद्धान्तिक हैं । यदि इन दोनोका कर्ता एक होता, तो ये सैद्धान्तिक विषमता उनमें नही हो सकती थी । यह ऐसी विषमता है, जो भिन्नकर्तृक कृतियोमें ही सभव है । इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता प्रशमरतिप्रकरणके कर्तासे भिन्न हैं और वे उनके उत्तरवर्ती हैं ।

अब तत्त्वार्थभाष्य और प्रशमरतिप्रकरणके साम्य एव वैषम्यपर भी यहाँ विचार किया जाता है ।

तत्त्वार्थभाष्यसे प्रशमरतिप्रकरणका साम्य

तत्त्वार्थभाष्यसे प्रशमरतिप्रकरणमें निम्न प्रकारका साम्य उपलब्ध होता है—

१ तत्त्वार्थभाष्यमें ज्ञानोपयोगको साकार तथा दर्शनोपयोगको अनाकार कहा गया है ।[1]

प्रशमरतिप्रकरणमें भी उपयोगको साकार और अनाकार बताया है ।[2] इन दोनो ग्रन्थोमें इनकी शब्दावली भी एक-सी है ।

१. तत्त्वार्थभाष्य २/१
२. प्रशमरतिप्रकरण का १९४

२ तत्वार्थभाष्य (१/१) में प्रथम सूत्रकी व्याख्या करते हुये कहा गया है कि "एकतराभावेऽप्यसाधनानि" (१/१)—उनमेंसे एकका भी अभाव रहने पर ये तीनों मोक्षके असाधन हैं—साधन नही हैं।

प्रशमरतिप्रकरणमे भी इसी प्रकारके शब्दोमे प्रतिपादन है। उसकी यह कारिका पूर्वमें दी जा चुकी है। (का २३०)

३ तत्वार्थभाष्यमें कहा गया है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके होने पर चारित्र होता भी है और नही भी, किन्तु चारित्रके होने पर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका लाभ निश्चित है। जैसा कि तत्वार्थभाष्यके निम्न उदाहरणसे विदित है—

एषा च पूर्वलाभे भजनीयमुत्तरम् उत्तरलाभे तु नियत पूर्वलाभ १/१

यही प्रशमरतिप्रकरणमे भी कहा गया है। यथा—

पूर्वद्वयसम्पद्यपि तेषा भजनीयमुत्तर भवति
पूर्वद्वयलाभ पुनरुत्तरलाभे भवति सिद्ध । (का० २३१)

४ भाष्यमें अधिगमके आगम, अभिगम, श्रवण, शिक्षा और उपदेश ये सब पर्यायवाची शब्द बतलाये गये हैं। तथा परिणाम, स्वभाव और अपरोपदेश इन्हें निसर्गके पर्याय शब्द कहा गया है। यथा—

"आगम अभिगम. आगमो निमित्त श्रवणं शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तरम्। निसर्ग. परिणाम: स्वभाव अपरोपदेश इत्यनर्थान्तरम्" ॥ (१/३)

प्रशमरतिप्रकरणमें भी इसी प्रकार अधिगम और निसर्गके पर्यायशब्दोकी परिगणना की गयी है। यथा—

शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकार्थकान्यधिगमस्य ।
एकार्थ परिणामो भवति निसर्ग स्वभावश्च ॥ का० २२३

५ भाष्यमें ससारानुप्रेक्षाका निम्नप्रकार कथन किया गया है—

माता हि भूत्वा भगिनी दुहिता भार्या च भवति। भगिनी भूत्वा माता भार्या दुहिता च भवति। (२/६)

प्रशमरतिप्रकरणमे भी इसी प्रकारका वर्णन है। यथा—

माता भूत्वा दुहिता च भवति भार्या च भवति ससारे।
व्रजति सुत. पितृता पुत्र शत्रुता चैव ॥ (का० २२५)

इस प्रकार तत्वार्थभाष्य और प्रशमरतिप्रकरणमे अनेक स्थलोपर साम्य उपलब्ध होता है।

तत्त्वार्थभाष्यसे प्रशमरतिप्रकरणका वैषम्य

१ तत्त्वार्थभाष्यमें पांच द्रव्योका ही कथन है। उसमे कालद्रव्यका कथन सूत्रकार-के "कालश्चेत्येके" इस सूत्रके अनुसार किया है। इससे स्पष्ट अनुमान होता है कि सूत्रकारकी तरह उन्हें भी कालद्रव्य मान्य नही है।[1]

परन्तु प्रशमरतिप्रकरणकारने षट् द्रव्योका स्पष्ट प्रतिपादन किया है। अर्थात् उन्हें कालद्रव्य मान्य है। जैसा कि हम तत्त्वार्थसूत्र और प्रशमरतिप्रकरणके साम्य एव वैषम्यमे देख चुके है।

२ तत्त्वार्थभाष्यमें सूत्रकारको तरह जीवके पांच भाव प्रतिपादित हैं।

किन्तु प्रशमरतिप्रकरणकारने उल्लिखित पांच भावोके अतिरिक्त सान्निपातिक भावका प्रतिपादन किया है। अर्थात् उन्होने जीवके छह भावोंका निरूपण किया है।

४ तत्त्वार्थभाष्य और प्रशमरतिप्रकरणमे सयमके १७ भेद प्रदर्शित किये गये हैं, किन्तु सख्या समान होने पर भी दोनोमें उनके नाम अलग-अलग बताये गये हैं।

तत्त्वार्थभाष्यमें इस प्रकार हैं—

योगनिग्रह सयम । स. सप्तदशविध । तद्यथा पृथिवीकायिक-सयम, अप्कायिक-सयम, तेजस्कायिकसयम, वायुकायिकसयम, वनस्पतिकायिकसयम, द्वीन्द्रियसयम, त्रीन्द्रियसयम, चतुरिन्द्रियसयम, पचेन्द्रियसयम, प्रेक्ष्यसयम, उपदेशसयम, अप-हृत्यसयम, प्रमृज्यसयम कायसयम., वाक्सयम, मन सयम, उपकरणसयम, इति संयमो धर्म. (९/६)।

पर प्रशमरतिप्रकरणमें सयमके १७ भेद इस प्रकार वतलाये हैं—

पचास्रवाद्विरमण पचेन्द्रियनिग्रहश्च कषायजय ।
दण्डत्रयविरतिश्चेति सयम सप्तदशभेद ॥ (का० १७२)

अर्थात् पांच आस्रवोसे विरति, पांच इन्द्रियोका निग्रह, चार कषायोपर विजय तथा तीन दण्ड (मन-वचन-कायका निग्रह) इस प्रकार सयमके १७ भेद हैं।

यहाँ पांच इन्द्रिय-विजय और तीन दण्ड-विजय दोनोंके समान हैं किन्तु वाकी भेद दोनोंके भिन्न-भिन्न हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये दोनो रचनायें एककर्तृक

---

[1] तत्त्वार्थभाष्य ५/५ (क) आ आकाशाद् धर्मादीन्येकद्रव्याण्येव भवन्ति। पुद्गल-जीवास्त्वनेकद्रव्याणि।"
(ख) "एतानि द्रव्याणि नित्यानि भवन्ति न हि कदाचित् पचत्व भूतार्थत्व च व्यभिचरन्ति।" ५/६

नही है—उनके भिन्न-भिन्न कर्ता हैं। अन्यथा इस प्रकारका भिन्न कथन अपने ही ग्रन्थोमें एक ही कर्ता नही करता।

५ तत्त्वार्थभाष्य (२/१४) में ही तेजस्कायिक और वायुकायिकको त्रस कहा गया है, इसके विपरीत प्रशमरतिकारने (का० १९२) मे इन्हें स्थावर निरूपित किया है।

उपर्युक्त साम्य और वैषम्यके उदाहरणोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि तत्त्वार्थसूत्र, तत्त्वार्थभाष्य और प्रशमरतिप्रकरण ये तीनो एककर्तृक नही हैं, अपितु वे भिन्न आचार्यो द्वारा निर्मित हुये है। अन्यथा उनमें इस प्रकारका सैद्धान्तिक अन्तर न होता। इनमे जहाँ साम्य मिलता है, वह अपनी पूर्वपरम्परासे प्राप्त तत्त्वज्ञानकृत है। और इस प्रकारका साम्य श्वे० और दिग० परम्पराओंमें भी अनेक स्थलोपर दिखाई देता है, क्योकि दोनो ही परम्परायें एक ही तीर्थङ्कर महावीरके श्रुतकी आराधक रही हैं।

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि तत्त्वार्थभाष्यकारने ग्रन्थके अन्तमे अपने परिचयपरक एक प्रशस्ति दी है, जबकि प्रशमरतिकारने अपना नामोल्लेख भी नही किया है। यह कम महत्त्वकी बात नही है। इससे भी दोनो कृतियोकी भिन्नता जानी जा सकती है।

इन ग्रन्थोंके सूक्ष्म अन्त परीक्षणसे हमें तो यही अवगत होता है कि प्रशमरति प्रकरणकारके समक्ष तत्त्वार्थसूत्र और भाष्य विद्यमान थे। यह इसलिये कह सकते हैं कि प्रशमरतिप्रकरणकारने पूर्वकवियो द्वारा रचित प्रशमजननशास्त्रपद्धतियोंके आधार-ग्रहणका उल्लेख किया है। इससे वे निश्चय ही उत्तरकालीन और भिन्न-समयवर्ती हैं।

इस सम्पूर्ण विवेचनका निष्कर्ष यह है कि तत्त्वार्थसूत्र पहले रचा गया है और उसका भाष्य उसके बहुत काल बाद रचा गया है और इन दोनोका आधार लेकर प्रशमरतिप्रकरणकारने अपनी रचना प्रशमरति लिखी है। यही कारण है कि उन्होने जिनवचनरूप समुद्रके पारको प्राप्त हुये महामति कविवरोके वैराग्योत्पादक शास्त्रोंका स्मरण किया है। और उनसे नि सृत श्रुतवचनरूप कणोको द्वादशागके अर्थके अनुसार बतलाया है। इसके सिवाय उनका यह उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है कि—

बहुभिर्जिनवचनार्णवपारगतै कविवृषैर्महामतिभि:।
पूर्वमनेका. प्रथिता: प्रशमजननशास्त्रपद्धतय ॥ ५ ॥

ताभ्यो विसृता. श्रुतवाक्पुलाकिका: प्रवचनाश्रिता. काश्चित्।
पारम्पर्यादुत्सेषिका. कृपणकेन सहृत्य ॥ ६ ॥

तद्भक्तिबलार्पितया मयाप्यविमलाल्पया स्वमतिशक्त्या।
प्रशमेष्टतयाऽनुसृता विरागमार्गैकपदिकेयम् ॥ ७ ॥

"जिनवचनरूप समुद्रके पारको प्राप्त हुए महामति कविवरोने पहले वैराग्यको उत्पन्न करने वाले अनेक शास्त्र रचे हैं। उनमे निकले हुए श्रुतवचनरूप कुछ कण द्वादशाङ्गके अर्थके अनुसार हैं। परम्परासे वे बहुत थोडे रह गये है, परन्तु मैंने उन्हें रकके समान एकत्रित किया है। श्रुतवचनरूप धान्यके कणोमे मेरी जो भक्ति है उस भक्तिके सामर्थ्यसे मुझे जो अविमल और थोडी बुद्धि प्राप्त हुई है, अपनी उसी बुद्धि-शक्तिके द्वारा वैराग्यके प्रेमवश मैंने वैराग्य-मार्गकी पगडडी रूप यह रचना की है।

●

मूलाचारकी परम्परा

मूलाचार, जैन मुनिके आचारका प्रतिपादक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें भगवती आराधना तथा आचार्य कुन्दकुन्दकी कई गाथायें प्राप्त होती हैं। अत: प्रारम्भमें इसे प० परमानन्द शास्त्रीने सग्रह-ग्रथ माना था।[1] पर बादमें इसे मौलिक ग्रन्थ स्वीकार किया है।[2] वट्टकेरिका अर्थ कुन्दकुन्द मानकर तथा इसमें आचार्य कुन्दकुन्दकी गाथायें देखकर कुछ विद्वानोने इसे आचार्य कुन्दकुन्दका ग्रन्थ माना है।[3]

प० नाथूरामजी प्रेमीका कथन है कि यह ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दका तो नहीं है, उनकी विचार-परम्पराका भी नही है, अपितु यह उस परम्पराका ग्रन्थ है, जिसमें शिवार्य और अपराजित हुये है। इसके लिये उन्होने निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं—

१ मूलाचार और भगवती आराधनाकी पचासो गाथायें एक-सी और समान अर्थ वाली हैं।

२ भगवती आराधनामे प्राप्त होने वाली "आचेलक्कुद्देसिय" गाथा (४२१), जिसमें दश स्थितिकल्पोकी चर्चा है, मूलाचारमें भी प्राप्त होती है।

जीतकल्पभाष्य नाम श्वेताम्बर ग्रन्थमे भी यही गाथा (१९७२) प्राप्त होती है। श्वेताम्बर सम्प्रदायके अन्य टीकाग्रन्थो और निर्युक्तियोमे भी यह गाथा है। प्रमेयकमलमार्तडके स्त्रीमुक्तिविचारमें प्रभाचन्द्रने इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें किया है।

३ "सेज्जोगासणिसेज्जा"[4] गाथा भी मूलाचार और भगवती आराधना दोनोमें मिलती है। इसमे कहा गया है कि वैयावृत्ति करने वाला मुनि रुग्ण मुनिका आहार, औषधि आदिसे उपकार करे।

४ आचार-जीत-कल्प ग्रथोका उल्लेख करने वाली भगवती आराधनाकी गाथा[5] भी यहाँ प्राप्त होती हैं। ये ग्रन्थ यापनीय और श्वेताम्बर पारम्परामें मान्य हैं।

---

१. मूलाचार सग्रह-ग्रन्थ है अनेकात, वर्ष २, किरण ५।

२ "मूलाचार सग्रहग्रथ न होकर आचारागके रूपमें मौलिक ग्रन्थ है" अनेकात वर्ष १२, किरण ११।

३. "मूलाचारकी मौलिकता और उसके रचयिता": श्री प० हीरालाल सिद्धान्त-शास्त्री, अनेकात, वर्ष १२, किरण ११।

४ मूलाचार, गा ३९१ तथा भगवती आराधना, गा. ३०५

५. भगवती आराधना, गा. ४१४ तथा मूलाचार, गाथा ३८७

५ "वाबीस तित्थयरा" और "सप्पडिकम्मो धम्मो" इन गाथाओमें जो तीर्थंकरो-के उपदेशोमें भेद बताया गया है वह कुन्दकुन्दकी परम्परामें अन्यत्र कही नही कहा गया। ये गाथायें भद्रबाहुकृत आवश्यकनिर्युक्तिमें है।

६ आवश्यकनियुंक्तिकी लगभग ८० गाथायें मूलाचारमें मिलती है और मूलाचारमें प्रत्येक आवश्यकका कथन करते समय वट्टकेरिका यह कथन प्रस्तुत आवश्यकपर सक्षेपसे नियुंक्ति कहूँगा, अवश्य ही अर्थसूचक है, क्योकि सम्पूर्ण मूला-चारमें षडावश्यक अधिकारको छोडकर नियुंक्ति शब्द शायद ही कही आया हो। षडावश्यकके अन्तमें भी इस अध्यायको नियुंक्ति नामसे ही निर्दिष्ट किया गया है।[१]

मूलाचारमें सामाचार अधिकारमे (गा १८७) कहा गया है कि अभी तक कहा हुआ यह सामाचार आर्यिकाओके लिए भी यथायोग्य जानना। यहाँ ग्रथकर्ता मुनियो और आर्यिकाओको एक ही श्रेणीमें रख रहे हैं, फिर १८४ वी गाथामें कहा है कि आर्यिकाओका गणधर गभीर, दुर्धर्ष, अल्पकौतूहल, चिरप्रव्रजित और गृहीतार्थ होना चाहिये। इससे प्रतीत होता है कि आर्यिका मुनिसघके ही अन्तर्गत है तथा उनका गणधर मुनि ही होता है। १९६वी गाथामे स्पष्ट कहा गया है कि इस प्रकारकी चर्या जो मुनि और आर्यिकायें करते हैं वे जगत्पूजा, कीर्ति और सुख प्राप्त करके सिद्ध होते हैं।

एव विधाणचरिय करति जे साधवो य अज्जाओ।
ते जगपुज्ज कित्ति सुह च लद्धूण सिज्झति ॥

श्री प्रेमीजीकी युक्तियाँ उचित प्रतीत होती हैं। उनके सिवाय कतिपय अन्य सन्दर्भ दृष्टव्य है —

सामाचार अधिकारमे कहा गया है कि—

सुहदुक्खे उवयारो वसहीआहारभेसजादीहिं।
तुम्ह अह ति वयण सुहदुक्खुवसपया णेया ॥ ४/२१

"मुनियोको सुख-दुःखमें वसतिका, आहार, औषधि आदिसे परस्पर एक दूसरेका उपकार करना चाहिये। "मैं आपका हूँ" इस प्रकारके वचनोका प्रयोग सुखदुःखोप-सपत् है।"

यह विचाधारा आचार्य कुन्दकुन्दकी विचारधाराके प्रतिकूल है। वे कहते हैं कि यदि वैयावृत्य करनेमें लगा हुआ श्रमण कायको खेद पहुँचाता है, तो वह श्रमण नहीं है। कायको क्लेश पहुँचाकर वैयावृत्य करना श्रावकोंका धर्म है।

---

१. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५४८-५५३

जदि कुणदि कायखेद वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो।
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से ॥[1]

२ विरतोका विरतियोके उपाश्रयमें ठहरना युक्त नही है। वहा बैठना, लेटना, स्वाध्याय, भिक्षा, व्युत्सर्ग आदि उचित नही है। इस आशयकी गाथा मूलाचारमें दो बार प्राप्त होती है।

णो कप्पदि विरदाण विरदीणमुवासयम्हि चिट्ठेउ।
तत्थ णिसेज्ज उवट्ठण –सज्झायाहारभिक्खवोसरणे ॥[2]

आहार और भिक्षाका भेद करते हुए टोकाकार वसुनन्दिने कहा है कि आर्यिकाओंका बनाया हुआ भोजन आहार तथा श्रावकों द्वारा प्रदत्त भोजन भिक्षा है।

यह गाथा दिगम्बर परम्पराकी दृष्टिसे विचारणीय है। दिगम्बर परम्पराका साधु श्रावकोंके घर पाणिपात्रमें आहार लेता है। भिक्षा लाकर अन्यत्र कही उपाश्रयआदिमें खानेका कोई विकल्प नही है, अत यह निषेध भी चिन्तनीय ही है। यापनीय साधु अवश्य अपवादरूपमें वस्त्र-पात्र रखते थे, उनकी दृष्टिसे पात्रमें भिक्षा लाकर उपाश्रय आदिमें खाना उचित हो सकता है, और इसीलिये उस भिक्षाके आर्यिकाओंके के उपाश्रयमें ग्रहण करनेका निषेध है। श्वेताम्बर परम्परामें ऐसी प्रवृत्ति मिलती है।

३ मूलाचारमें मुनिके पाँच पद बताये गये हैं—आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर तथा गणधर। दिगम्बर परम्परामे आचार्य व उपाध्याय इन दो पदोका ही उल्लेख एव विवरण मिलता है। तीर्थङ्करोंके वचनोको गुम्फित करने वाले उनके साक्षात् शिष्य गणधर कहे गये हैं।

तत्थ ण कप्पइ वासो जत्थ इमे णत्थि पंच आधारा।
आइरियउवज्झायापवत्तथेरा गणधरा य ॥[3]

४ मूलाचारके अनगारभावनाधिकारमें मुनियोके लिये जो दश सग्रहसूत्र बताये गये है, उनमें जिन दश शुद्धियोका वर्णन है, उनमेसे अधिकाश शुद्धियाँ उत्तराध्ययनके अनगारमार्गगति नामक ३५वें अध्ययनमें प्राप्त होती हैं। उत्तराध्ययनसे मूलाचारका यह साम्य उनके यापनीयत्वका ही समर्थक है।

---

१ प्रवचनसार, गाथा-२५०

२ मूलाचार, ४/१८०.

३ मूलाचार, ४/३१

लिंग वदं च सुद्दी वसदिविहार च भिक्खं ठाण च।
उज्झणसुद्दी य पुणो वक्क च तव तथा झाण ॥[१]

उपर्युक्त अनेक तथ्य मूलाचारको यापनीय-ग्रन्थ माननेकी ओर प्रेरित करते हैं।

भगवती आराधना : यापनीय ग्रंथ

शिवार्यकी भगवती आराधना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है। उसमें आराधना तथा समाधिमरणका विशद विवेचन है। ग्रन्थकर्ताने प्रशस्तिमे अपना परिचय देते हुये लिखा है कि आर्य जिननदि गणि, आर्य सर्वगुप्तगणि और आर्य मित्रनन्दिके चरणोके निकट सूत्रो और उनके अभिप्रायको अच्छी तरह समझ करके पूर्वाचार्यों द्वारा निबद्ध की हुई रचनाके आधारसे पाणितलभोजी शिवार्यने यह आराधना अपनी शक्त्यनुसार लिखी। आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने उनका नाम शिवकोटि उल्लिखित किया है।

शीतीभूतं जगद्यस्य वीचाऽऽराध्य चतुष्टय।
मोक्षमार्गं स पायान्न शिवकोटिमुनीश्वर.॥[२]

शीतीभूत विशेषणसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह भगवतीआराधनाकारका ही शिवकोटिके नाममे उल्लेख है, क्योकि यह कथन उनकी निम्नलिखित गाथाको लक्ष्य करके किया गया है—

सव्वग्गथविमुक्को सीदीभूदो पसण्णचित्तो य।
पावइ पीयिसुह ण चक्कवट्टी वि त लहई॥[३]

भगवती आराधनाके कर्ता शिवार्यको प्राय सभी विद्वानोने यापनीय माना है।

डॉ ज्योतिप्रसाद जैनने इनके विषयमें कहा है—"शिवार्य सभवत श्वेताम्बर परम्पराके शिवभूति हैं। ये उत्तरापथकी मथुरा नगरीसे सम्बद्ध हैं और इन्होने कुछ समय तक पश्चिमी सिन्धमें निवास किया था। बहुत सभव है कि शिवार्य भी कुन्दकुन्दकी भाति सरस्वती आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे हो। वस्तुत शिवार्य ऐसी जैन मुनियोकी शाखासे सम्बद्ध हैं, जो उन दिनो न तो दिगम्बर शाखाके ही अन्तर्गत थी और न श्वेताम्बर शाखाके ही। यापनीय सघके ये आचार्य थे, अत मथुराके अभिलेखोंसे प्राप्त सकेतोके आधार पर इनका समय ई सन्‌की प्रथम शताब्दी माना जा सकता है।[४]

---

१ मूलाचार ९/३

२ आदिपुराण १|४९

३ भगवती आराधना गाथा ११७८

४ द जैन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एन्सिएण्ट इण्डिया, पृ १३०–१

डॉ. ज्योतिप्रसादका अभिप्राय यहा श्वेताम्बर परम्पराके शिवभूति बोटिक और शिवार्यका समीकरण करना रहा है। समीकरणका कोई ठोस आधार न होनेसे यह संभावनामात्र है।[1] शिवार्य यापनीय आचार्य थे, इसे विद्वानोने भी स्वीकार किया है।

पं नाथूरामजी प्रेमीने भी शिवार्यको यापनीय माना है। उनके तर्क इस प्रकार हैं—

१ दिगम्बर-परम्पराकी किसी भी गुर्वावलिमें शिवार्य तथा उनके गुरुओं (जिननन्दि, सर्वगुप्त और मित्रनन्दि)के नाम नही मिलते।

२ अपराजितसूरि यदि यापनीय सघके थे तो अधिक सभव यही है कि उन्होंने अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की है।

३ आराधनाकी गाथायें काफी तादादमें श्वेताम्बर सूत्रोंमें मिलती हैं, इससे शिवार्यके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचार्योंकी रची हुई गाथायें उनकी उपजीव्य हैं।

४ सर्वगुप्त गणि संभवत शाकटायन द्वारा उल्लिखित सर्वगुप्त हैं।[2] शाकटायन यापनीय थे, अत सभव है कि सर्वगुप्त यापनीय सूत्रो तथा आगमोंके व्याख्याता हों।

५. स्वयंको पाणितलभोजी कहना श्वेताम्बरोसे पार्थक्य प्रकट करनेके लिये ही है।

६ आराधनाकी ११३२ वी गाथामें मेदार्य मुनिकी कथा है। इसका अर्थ आचार्य अमितगति, प. सदासुखजी, प. जिनदास शास्त्री आदि किसीने भी नही किया, सभवत ये सब इस कथासे अपरिचित थे। मेदार्य मुनिकी कथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रसिद्ध है। हरिषेणकृत कथाकोशमें यह कथा है।[3]

७ दशस्थितिकल्पवाली गाथा जीतकल्पभाष्यकी गाथा नं १९७२ है। श्वेताम्बर-सम्प्रदायकी अन्य टीकाओ और निर्युक्तियोंमें भी यह मिलती है। प्रभा-चन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्डमें स्त्रीमुक्ति-विचार प्रकरणमें इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमे ही किया है।

८. लब्धियुक्त तथा मायाचाररहित चार-चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक लावें। इस आशयकी गाथायें (६६२-६६३) एव 'सेज्जोगासणिसेज्जा' (गा ३०५) आदि गाथाएं दिगम्बर-सम्प्रदायसे मेल नहीं खाती हैं।

---

१ देखिये, प्रथम अध्यायके अन्तर्गत "बोटिक सम्प्रदाय"।

२ 'उपसर्वगुप्तं व्याख्यातार' शाकटायन-व्याकरण, अमोघवृत्ति १।३।१०४

३ हरिषेणकृत कथाकोशमें भी अनेक दिगम्बर-सम्प्रदाय विरोधी बातें प्राप्त होती हैं। देखिये, दूसरा अध्याय "पुन्नाट सघ"।

९ गा ११२३ में जिस तालपलब सूत्रका उल्लेख किया है वह कल्पसूत्रका है। विजयोदया टीकामें "तथा चोक्त" कहकर कल्पकी दो गाथायें और उद्धृत की गयी हैं। वे ही आशाधरजीने 'कल्पे' कह कर दी हैं।

१० गा न. ७९-८३ मे मुनिके उत्सर्ग-अपवाद लिंगका वर्णन है। भक्त प्रत्याख्यानके प्रसगमें कहा है कि उत्सर्गलिंगवाला जो मुनि भक्तप्रत्याख्यान करना चाहता है उसे उत्सर्गलिंगी ही चाहिये, परन्तु जो अपवादलिंगी है, उसे भी भक्त-प्रत्याख्यान-के अवसर पर उत्सर्गलिग ही प्रशस्त कहा है, अर्थात् उसे भी नग्न हो जाना चाहिये और जिसके लिंगसम्बन्धी तीन दोष दुर्निवार हो, उसे वसतिमें सस्तरारूढ होने पर उत्सर्गलिंग धारण करना चाहिये।

११ आराधनाका चालीसवाँ विजहना नामक अधिकार विलक्षण है, जिसमे मुनिके मृत शरीरको रात्रिभर जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही बिना जलाये छोड आने की विधि वर्णित है। श्वेताम्बर ग्रन्थ व्यव-हारसूत्रमें मुनियोके शवसस्कारकी यही विधि है।[1]

१२ दिगम्बर-सम्प्रदायकी किसी भी कथामे भद्रबाहु मुनिके ऊनोदर कष्टसे समाधिमरणका उल्लेख नही है। भगवती आराधनामें घोर अवमोदर्यसे बिना सक्लेश-बुद्धिसे भद्रबाहुको उत्तम स्थानकी प्राप्तिका निर्देश है—

ओमोदरिए घोराए भद्दबाहू असकिलिट्ठमदी।
घोराए तिगिंछाए पडिवण्णो उत्तम ठाण ॥ १५४४

१३ आधारवत्व गुणके धारक आचार्यको "कप्पववहारधारी" विशेषण दिया है।[2] कल्पव्यवहार आदि ग्रन्थ श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें ही प्रसिद्ध है।

१४ एक अन्य गाथामें आचारशास्त्र, जीतशास्त्र तथा कल्पशास्त्र ग्रन्थोका उल्लेख है।[3]

---

१ व्यवहारसूत्र सातवा उद्देश्य सूत्र २१
"गामाणुगाम दूइज्जमाणे भिक्खू य आहच्च वीसभेजा त च सरीरगं केई साहम्मिए पासेज्जा कप्पइसे त सरीरग न सागारियमिति कट्टु थडिले बहुफासुए पडिलेहित्ता पमज्जित्ता परिट्ठवेत्तए।" अर्थात् ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भिक्षुकी मृत्यु हो जाने पर उसके सहचर श्रमणको यह शरीर गृहस्थ न छुये, इस विचारसे एकान्तमें भूमि प्रतिलेखित परिमार्जित करके रख देना चाहिये।

२ चोद्दस-दस-णव-पुव्वी महामदी सायरोव्व गभीरो।
कप्पववहारधारी होदि हु आधारव नाम ॥ ४२८

३ आयारजीदकप्पगुणदोवणा अत्तसोधिनिज्झझा।
अज्जव-मद्दव-लाघव-तुट्ठी पल्हादण च गुणा ॥ ४०७

१५. वृहत्कल्पसूत्र, आवश्यकसूत्र आदिकी गाथायें भगवती आराधनामें उद्धृत हैं।

इस प्रकार प्रेमीजीने गवेषणापूर्वक भगवती आराधनाके यापनीय कृति होनेकी सिद्धि की है। उनके यापनीय होनेके कुछ और प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

उत्सर्ग और अपवाद लिंगसे सम्बन्धित तीन कारिकाएँ भक्तप्रत्याख्यानमरणके अवसरपर आराधनामें आयी हैं।

उस्सग्गियलिंगगदस्स लिंगमुस्सग्गियं चेव।
अववादियलिंगस्स वि पसत्थमुवसग्गियं लिंगं॥

जस्स वि अव्वभिचारो दोसो तिट्ठाणिओ विहारम्मि।
सो वि हु संथरगदो गेण्हेज्जोस्सग्गियं लिंगं।
आवसथे वा अप्पाउग्गे जो वा महढ्ढिओ हिरिमं।
मिच्छजणे सजणे वा तस्स हु होज्ज अववादियं लिंगं॥[1]

प्राचीन और नवीन टीकाकारोंने इनका अर्थ करते समय मुनिके लिंगको उत्सर्ग लिंग तथा गृहस्थके लिंगको अपवाद लिंग माना है।

पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीका इस विषयमें कथन है कि इसकी टीकामें अपराजितसूरिने औत्सर्गिकका अर्थ सकलपरिग्रहके त्यागसे उत्पन्न हुआ किया है, क्योंकि यतियोंके लिये अपवाद होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपवादिकलिंगका धारी गृहस्थ ही होता है। मुनि तो औत्सर्गिक लिंगका धारी होता है।[2]

अपराजितसूरिने "यतीनामपवादकारणत्वात् परिग्रहोऽपवादः" कहकर यतिके परिग्रह धारणको ही अपवाद कहा है। अपवाद उत्सर्ग-सापेक्ष होता है। परिग्रहत्याग मुनिका उत्सर्गलिंग है, अतः परिग्रहधारण यतिका ही अपवादलिंग होगा। गृहस्थ तो परिग्रही होता ही है। अपवादलिंगी मुनिके साथ भक्तप्रत्याख्यानके लिये उत्सुक गृहस्थके लिंगको भी अपवादलिंग कहा गया है।

इन गाथाओंका अर्थ है कि भक्तप्रत्याख्यानके अवसरपर जो उत्सर्गलिंगी मुनि है, उसके लिये तो उत्सर्गलिंग ही युक्त है और जो अपवादलिंगी है, उसके लिये भी इस अवसर पर उत्सर्गलिंग धारण करना योग्य है।

अगली दो गाथाओंमें अपवाद लिंगका वर्णन है। जिसके विहार करनेमें त्रैस्थानिक दोष निरन्तर हो, उसे भी सस्तरपर उत्सर्ग लिंग धारण करना चाहिये।

---

१. भागवती आराधना, ७६-८.
२ भगवती आराधना, प्रथमभागकी भूमिका, पृ. ३०.

यह अपवादलिंग मुनिका लिंग है। जिस मुनिके पुरुषलिंग तथा अण्डकोषोमें (तीन स्थानोमें) अनिराकार्य दोष हो, वह अपवादलिंग धारण करता है। उसे भी सस्तरगत होते समय उत्सर्गलिंग धारण करना चाहिये।

जो सम्पत्तिशाली हैं, लज्जालु हैं अथवा जिसके स्वजनवन्धुवर्ग मिथ्यादृष्टि हैं, उन्हें सार्वजनिक व अयोग्य निवासस्थानमें आपवादिक लिंग ही धारण करना चाहिए।

सम्पत्तिशाली तथा मिथ्यादृष्टि स्वजन आदि विशेषणोसे स्पष्ट है कि इस आपवादिकलिंगका धारी गृहस्थ है। इस प्रकार अपवादलिंगमे अपवादलिंगी मुनिके साथ भक्तप्रत्याख्यानके लिए तत्पर गृहस्थका भी सग्रह है।

आर्यिकाओके लिंगको आराधनाकारने आपवादिक अथवा औपचारिक नही कहा है। तपस्विनियोके लिंगको (आगममें) औत्सर्गिक लिंग कहा है। श्राविकाओंके लिंगको अपवादलिंग कहा है।

इत्थी वि य जं लिंग दिठ्ठ उस्सग्गिय व इदर वा।
त तह होदि हु लिंग परित्तमुवधि करेंतीए॥[1]

प्राचीन दिगम्बर परम्परामें एक ही मुनि-परम्परा है। जिनकल्पी और स्थविरकल्पी श्वेताम्बर तथा यापनीयोके मुनिभेद हैं। प्राचीन दिगम्बर साहित्यमें जिनकल्प और स्थविरकल्प शब्दोके प्रयोग नही है। भगवती आराधनामे जिनकल्पित (गा० १६०) तथा जिनकल्पी (गा० २०६) शब्दोंके भी प्रयोग हैं।

गाथा ७९० में "तादी" शब्दका प्रयोग है। "तादी" शब्दका अर्थ त्रायी न होकर मोक्षगमनेच्छु है। उत्तराध्ययनमें तायी तथा पालिसाहित्यमें तादो शब्द पाया जाता है। मुनि दुलहराजका कथन है कि ताई शब्द जैन आगमोमे अनेक बार व्यवहृत हुआ है। उत्तराध्ययनमें पाँच बार (८/४, ११/३१, २१।२२, २३/१०) दशवैकालिकमें सात बार (३/१, ३/१५, ६|२०, ३६/६८, ८/६२), सूत्रकृतागमें भी यह अनेक बार आया है। टीकाकारोने इसके दो सस्कृत रूप दिये हैं तायी और त्रायी। तायीके दो अर्थ हैं। सुदृष्ट मार्गकी देशना द्वारा शिष्योका सरक्षण करने वाला, (२) मोक्षके प्रति गमनशील।[2]

प्रस्तुत गाथामें प्रयुक्त 'तादो' शब्दका अर्थ मोक्षगमनेच्छु या मोक्षके प्रति गमनशील उचित प्रतीत होता है—

---

१ गाथा न० ८०।

२ तुलसी प्रज्ञा, लाडनू, जुलाई-सित० १९७५ में मुनि दुलहराजका लेख "उत्तरायनके सन्दर्भमें भदन्तजीके चितनकी मीमासा"—

पासितु कोइ तादो तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।
वेरग्गमणुपत्तो संवेगपरायणो होदि ॥[१]

समाधिमरणमें स्थित कोई क्षपक यति आहारको देखकर तीरप्राप्त (संसारके किनारे आगये) मुझे इनसे क्या ? ऐसा विचार करता है और वैराग्य प्राप्त करके संवेगपरायण होता है ।

अपराजितसूरिने तादीका अर्थ यति किया है । हमें इस शब्दका अर्थ समाधिमरण में स्थित क्षपक मुनि प्रासंगिक मालूम पड़ता है । इस शब्दका प्रयोग श्वेताम्बर ग्रन्थों (उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि) के आधारपर किया गया प्रतीत होता है, जिन्हें यापनीय भी प्रमाण मानते हैं और जिनका उल्लेख मुनि दुलहराजने भी किया है ।

दश स्थितिकल्पोंकी विचारधारा आचार्य कुन्दकुन्दके विचारोंसे मेल नहीं खाती है । शय्यातरपिंड तथा राजपिंडके निषेधका विवरण आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें नहीं मिलता है ।

उत्तममज्झिमगेहे दारिद्दे ईसरे णिरावेक्खा ।
सव्वत्थ गिहिदपिंडा पव्वजा एरिसा भणिया ॥[२]

इस गाथामें उत्तम, मध्यम तथा दरिद्र व सम्पन्न सभी जगह निरपेक्ष भावसे आहार ग्रहण करनेका विधान है । दिगम्बर सम्प्रदायमें यदि शय्यातरपिंडत्याग' का विधान होता तो पंडित सदासुखजी इस अर्थसे परिचित होते । वे इसका अर्थ करते हैं शय्यागृह अर्थात् स्त्री पुरुषोंकी क्रीडाका मकान ।

दिगम्बर ग्रन्थोंमें अनगार-धर्मामृतमें यह गाथा मिलती है । पर अनगार-धर्मामृत (पं० आशाधरजी) के समयमें भगवती आराधना और मूलाचार जैसे ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित हो चुके थे । साथ ही पं० आशाधरजी बहुश्रुत व समन्वयवादी थे । उन्होंने भगवती आराधना तथा विजयोदयाका गहन अध्ययन किया है । वे भगवती आराधनापर 'मूलाराधना दर्पण' नामक टीकाके रचयिता हैं ।

भगवती आराधना गा ६६२-६६३ तथा ३०५ में कहा गया है कि लब्धियुक्त मायाचाररहित चार-चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक लावें तथा वैयावृत्य करने वाला मुनि अहार आदिसे मुनिका उपकार करे ।

आचार्य कुन्दकुन्दके विचार इस मतसे भी मेल नही खाते । वे श्रमणोंको शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी दो प्रकारके मानते हैं । अरहंतादिके प्रति भक्ति, प्रवचनमें अभियुक्तके प्रति वात्सल्य, वंदना, नमस्कार, आदर-सत्कार आदिको रागचरित मानते

---

१ भगवती आराधना गाथा ६९० ।

२. बोधपाहुड, गाथा ४८ ।

है। दर्शन-ज्ञानका उपदेश, शिष्योका संग्रह-पोषण, जिनेद्रदेवकी पूजाका उपदेश आदि सरागी श्रमणोकी चर्या स्वीकार करते हैं। कायकी विराधनारहित होकर भी जो नित्य चातुर्वर्ण श्रमणसघका उपकार करता है, वह रागप्रधान है। यदि वैयावृत्य करनेमें उद्युक्त श्रमण कायको खेद पहुँचाता है, तो वह श्रमण नही है। कायको क्लेश पहुँचाकर वैयावृत्य करना श्रावकोका धर्म है। इस अतिम गाथा द्वारा आचार्य कुन्द-कुन्दने उक्त प्रकारके वैयावृत्यका स्पष्ट निषेध किया है।

समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयम्मि ।
तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥

अरहतादिसु भत्ति वच्छलता पवयणाभिजुत्तेसु ।
विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥

वदणणमसणेहिं अब्भुट्ठाणाणुगमणपडिवत्ती ।
समणेसु समावणओ ण णिंदिया रायचरियम्मि ॥

दसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहण च पोसण तेसि ।
चरिया हि सरागाण जिणिदपूजोवदेसो य ॥

उवकुणदि जणे वि णिच्च चादुव्वणस्स समणसघस्स ।
कायविराधणरहिय सो वि सरागप्पधाणो से ॥

जदि कुणदि कायखेद वेच्चावच्चज्जदो समणो ।
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से ॥[1]

आचार्योके ३६ गुणोका उल्लेख भी दिगम्बर परम्परामें नही मिलता। भगवती आराधनामें उपलब्ध गाथामे आचारवत्व आदि आठ गुण, दशविध स्थितिकल्प, बारह प्रकारका तप तथा छह आवश्यक ये छत्तीस गुण बताये गये हैं।[2] अपराजितसूरिके समक्ष उसके स्थान पर दूसरी ही गाथा थी, उन्होने आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार द्वादशविध तप, पाच समिति तथा तीन गुप्तियोको ३६ गुणमें परिगणित किया है।

प्रेमीजीके उल्लेखानुसार शाकटायनके स्त्रीमुक्तिप्रकरणकी एक टीकामें शिवस्वामी-के सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख आया है, जो अकलकदेवके सिद्धिविनिश्चयसे भिन्न है। हमारा अनुमान है ये शिवस्वामी सभवत शिवार्य हो।[3]

---

१ प्रवचनसार, गाथा २४५-५०।

२ भगवती आराधना, गा० ५२८।

३ जैन साहित्यका इतिहास, शाकटायनका शब्दानुशासन, द्वितीय सस्करण, प नाथूरामजी प्रेमी, पृ० १५८।

पाणितलभोजीके रूपमें शिवार्यका स्वयं अपना उल्लेख इनके यापनीय होनेकी ओर संकेत कर रहा है। दिगम्बर साधु तो पाणितलभोजी ही होते हैं। यापनीय साधुओंमें अपवादरूपसे पात्रभोजनकी व्यवस्था रही होगी।

उपर्युक्त प्रकारसे विचार करनेपर शिवार्य यापनीय सिद्ध होते हैं।

●

विजयोदया टीका और अपराजितसूरि

भगवती आराधनाकी विजयोदया टीकाके कर्ता अपराजितसूरिको विद्वानोने यापनीय माना है।[1] इनकी यह टीका उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होने दशवैकालिकपर भी विजयोदया नामक टीका लिखी थी।[2]

अन्य यापनीय आचार्योंकी भाँति इन्होने भी अपने सघ आदिका कोई उल्लेख नही किया है। परन्तु इन्हें यापनीय सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण है।

१ दशवैकालिक, आचाराग, सूत्रकृताग, कल्प उत्तराध्ययन आदि आगमग्रथोसे उद्धरण देनेके कारण यह स्पष्ट है कि ये आगम इन्हें मान्य थे।

२ अपराजितसूरिने अचेलताके गुणोका विस्तारसे वर्णन किया है। पूर्वागमोमें जो वस्त्र-पात्र ग्रहणके उपदेश हैं, उसके विषयमें उनका समाधान है कि आगमोमें विशेष अवस्थामें वस्त्र-पात्र ग्रहणका उल्लेख है।

'आर्यिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र, कारणापेक्षया भिक्षूणा ह्रीमानयोग्यशरीरावयवो दुश्चर्माविलम्बमानबीजो वा परीषहसहने अक्षम स गृह्णाति। तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्रग्रहणम्। यदुपकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधि ग्रहीतस्य च परिहरणमवश्य वक्तव्यम्। तस्माद् वस्त्र पात्र चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति ग्राह्यम्।'[3]

कारणविशेषसे वस्त्रग्रहणकी अनुज्ञा है। उनकी यह दृष्टि यापनीय दृष्टि है।

(३) इसी प्रसगमें अपराजितसूरिने भगवान महावीरकी उन भिन्न-भिन्न कथाओका वर्णन किया है जिनका दिगम्बर सम्प्रदायमें कोई सकेत तक नही है। वे कहते हैं

---

१ (अ) प० नाथूरामजी प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ६० और आगे।
(ब) प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, भगवती आराधना, भाग १, प्रस्तावना, पृ० २९ और आगे।
(स) प० सुखलालजी सघवी, तत्त्वार्थसूत्र विवेचनसहित, तृतीय आवृत्ति, प्राक्कथन पृ० १४।

२ भगवती आराधनाकी टीकामें इसका उल्लेख किया है
दशवैकालिकटीकाया श्रीविजयोदयाया उद्गमादिदोषा नेह प्रतन्यते। भगवती आराधना, भाग २, पृ० ६०४।

३ भगवती आराधना, भाग १, पृ० ३२४-५।

कि भावना (आचारांगका चौबीसवा अध्ययन) में भगवान महावीरके एक वर्ष तक चीवर धारण और उसके बाद अचेलक होनेका उल्लेख है। इसमें बहुत-सी विप्रतिपत्तिया हैं। कोई कहते हैं उस वस्त्रको जो वीरजिनके शरीरपर लटका दिया गया था, लटकाने वाले मनुष्यने ही उसी दिनसे लिया था। दूसरे कहते हैं कि वह कांटों और शाखाओंमें उलझते-उलझते छह महीनोमें छिन्न-भिन्न हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि एक वर्षसे अधिक बीत जाने पर खण्डलक नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था और दूसरे कहते हैं कि जब वह हवासे उड गया और भगवानने उसकी उपेक्षा की तो लटकाने वालेने फिर उनके कन्धोपर डाल दिया। इस प्रकार अनेक विप्रतिपत्तिया होनेसे इस बातमे कि भगवान सचेल प्रव्रजित हुये थे, कोई तत्त्व दिखाई नही देता। यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिये भगवानने वस्त्र ग्रहण किया था, तो फिर उसका विनाश उन्हे क्यो इष्ट हुआ ? उसे सदा ही धारण करना था। यदि उन्हें ज्ञात था कि नष्ट हो जायगा, तो उसका ग्रहण निरर्थक था। यदि नही ज्ञात था, तो वे अज्ञानी सिद्ध हुये। और यदि उन्हें चेलप्रज्ञापना वाछनीय थी, तो फिर यह वचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म आचेलक्य था। और जो यह कहा है कि जिस तरह मैं अचेलक हूँ, उसी तरह पिछले जिन भी अचेलक होंगे, इसमें भी विरोध आयेगा। इसके सिवाय वीर भगवानके समान यदि अन्य तीर्थंकरोके भी वस्त्र थे तो उनका वस्त्रत्यागकाल क्यो नही बतलाया गया ? इसलिये यही कहना उचित मालूम होता है कि सब कुछ त्यागकर जब जिन (वीर भगवान) स्थित थे, तब किसीने उनके ऊपर वस्त्र डाल दिया था और यह एक तरहका उपसर्ग था।'[1]

दिगम्बर परम्परामें महावीरके वस्त्रको लेकर इस प्रकारके ऊहापोहके लिये स्थान नही है, उन्होने उन्हें, पूर्णतया निर्वस्त्र ही प्रव्रजित स्वीकार किया है। श्वेताम्बर परम्परामें अवश्य भगवान महावीरके देवदूष्यकी चर्चा है।

(४) अर्हन्त अवर्णवादके अवसरपर दिगम्बर ग्रन्थोंमें केवलीकवलाहारका उदाहरण जाता है, वह विजयोदयामें नही है, इस अनुल्लेखसे भी वे यापनोय प्रतीत होते हैं।[2]

(५) आलन्द, परिहारसयम तथा जिनकल्पकी जिन विधियोंका इसमें वर्णन है, वे वर्णन दिगम्बर साहित्यमें नही मिलते हैं।[3]

---

१. भगवती आराधना, विजयोदया सहित, भाग १, पृ० ३२५-६।

२ भगवती आराधना (विजयोदया सहित), भाग १, पृ० ९१।

सर्वज्ञतावीतरागते नार्हंति विद्येते रागादिभिरविद्यया च अनुगत समस्ता एव प्राणभृतः इत्यादि. अर्हतामवर्णवादः।

भगवती आराधना (विजयोदया सहित), भाग १, पृ० १९७-२०५।

(६) रात्रिभोजनत्यागको छठा व्रत कहा है।[1] दिगम्बर परम्परामें इसे अहिंसाव्रत की आलोकितपानभोजन नामक भावनामें अन्तर्भावित किया गया है।[2]

(७) विजयोदयामें जिन ११ भिक्षुप्रतिमाओंका कथन है, श्वेताम्बर परम्परामें तो उनका कथन है किन्तु वह दिगम्बर परम्परामें नही है।

(८) सद्वेद्य, सम्यक्त्व, रति, हास्य, पुरुषवेद, शुभनाम, शुभगोत्र तथा शुभ आयु को पुण्य प्रकृति माना गया है। "सद्‌देद्य सम्यकत्व रतिहास्यपुवेदा शुभे नामगोत्रे शुभ चायु पुण्य एतेभ्योऽन्यानि पापानि।"[3] यह कथन दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओंमें उपलब्ध नही है। केवल तत्त्वार्थभाष्यमे वह दिखाई देता है, जिसकी आलोचना सिद्धसेनगणिने की है।

(९) शुक्लध्यानके प्रथम भेद पृथक्‌ववितर्कसवीचारध्यानका अधिकारी उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्तीको माना गया है।[4] सर्वार्थसिद्धिसम्मत पाठवाले तत्त्वार्थसूत्रमें आठवें गुणस्थानसे ही पृथक्त्ववितर्कविचारशुक्लध्यानको माना गया है।

(१०) वृत्तिपरिसख्यान तपके अन्तर्गत अपराजितसूरि कहते हैं कि विविध नियम लेकर आहार ग्रहण करना वृत्तिपरिसख्यान तप है। लायी हुई भिक्षामें भी इतने ही ग्रास ग्रहण करूँगा, इस प्रकारका परिमाण उक्त तप है।[5]

वृत्तिपरिसख्यान तपके अतिचार बताते हुए कहा गया है कि सात ही घरोमें प्रवेश करूँगा अथवा एक ही दरिद्र घरमें प्रवेश करूँगा। इस विशिष्ट प्रकारके दाता द्वारा प्रदत्त आहार ग्रहण करूंगा, इत्यादि नियम लेनेके उपरान्त सातसे अधिक घरोमें प्रवेश अथवा दूसरे दरिद्र घरोंमें प्रवेश करना अथवा दूसरोको भोजन कराना है इस विकल्पसे अधिक ग्रहण करना वृत्तिपरिसख्यानतपके अतिचार बताये हैं। इससे आश्रय आदिमें भिक्षा लाकर ग्रहण करनेका विवान प्रतीत होता है।[6]

इस प्रकार इन्हें यापनीय सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण हैं।

टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपराजितसूरिने अपनेको आरातीय-चूडामणि कहा है, इससे ज्ञात होता है कि सभवत यह उनकी उपाधि थी। दिगम्बर परम्परामें यह उपाधि विजयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हद्‌दत्त इन चार आचार्योंके सिवाय और

---

१ भगवती आराधना (विजयोदया सहित), भाग १, पृ० ३३० ।

२ सर्वार्थसिद्धि ६-१९ ।

३ भगवती आराधना (विजयोदया सहित), भाग २, पृ० ८१४ ।

४ भगवती आराधना (विजयोदया सहित, भाग २, पृ० ८३६ ।

५ विजयोदया सहित (भगवती आराधना), भाग १, पृ० २४१ ।

६ विजयोदया सहित (भगवती आराधना), भाग ९, पृ० ३७१ ।

किसी आचार्यके लिए व्यवहृत नही की गई है।[1] सर्वार्थसिद्धिके अनुसार भगवानके शिष्य गणधर और श्रुतकेवलि आरातीय कहे गये हैं।[2] दशवैकालिककी टीका लिखनेके कारण सभवतया इन्होने अपनेको आरातीयचूडामणि कहा होगा।

शाकटायनकी परम्परा

शाकटायन 'शब्दानुशासन' नामक व्याकरण-ग्रन्थके रचयिताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। यह ग्रन्थ इनके नामपर शाकटायन-व्याकरण कहलाता है। दिग परम्परा इन्हें अपने सम्प्रदायका मानती रही है, क्योकि इस सम्प्रदायमें इस व्याकरण-ग्रन्थका अत्यधिक प्रचार था। साथ ही मुनि दयापाल आदि दिग शास्त्रकारोने उसपर टीकाग्रन्थ लिखे हैं।

सर्वप्रथम बुलहरने इस ग्रन्थके कर्ताकी खोज करके इन्हें जैन घोषित किया है। डॉ० के० बी० पाठकने इन्हें श्वेताम्बर प्रमाणित किया है।[3] पं० नाथूराम प्रेमीने इन्हें यापनीय माना है।[4] प्रेमीजीके तर्क इस प्रकार हैं—

(१) मलयगिरि नामक श्वेताम्बराचार्य (विक्रमकी १३वी शताब्दी) ने नन्दिसूत्र की टीकामें इन्हें यापनीय–यतिग्रामाग्रणी लिखा है।

"शाकटायनोऽपि यापनीययतिग्रामाग्रणी स्वोपज्ञशब्दानुशासनवृत्तादौ भगवत स्तुतिमेवमाह–श्रीवीरममृत ज्योतिर्नत्वादिसर्ववेवसम्"।[5]

२ इन्होने स्त्रीमुक्ति तथा केवलिमुक्ति प्रकरण लिखे हैं। ये प्रकरण इन्ही शाकटायनने लिखे हैं। इसका प्रमाण वृहट्टिप्पणिकाका उल्लेख है, जिसमें इन प्रकरणों-को शब्दानुशासनकर्ता शाकटायनकी कृति बताया गया है।

"केवलिभुक्तिस्त्रीमुक्तिप्रकरणम्। शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकृत तत्सग्रह-श्लोकाश्च ९४"

---

१ श्रुतावतार, श्लोक २५।
विनयधर श्रीदत्त शिवदत्तोऽन्योऽर्हद्‌दत्त- नामैते।
आरातीया- यतस्ततोऽभवन्नङ्गपूर्वधरा ॥

२ सर्वार्थसिद्धि १/२०
आरातीयै- पुनराचार्यै कालदोषातसक्षिप्तमायुर्मतिबलशिष्यानुग्रहार्थं दशवैकालिका-द्युपनिबद्ध तत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णवजल घटगृहीतमेव।

३ शाकटायन व्याकरण, स० शम्भूनाथ त्रिपाठी भूमिका, पृ० १३ और आगे।

४ जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय सस्करण, पृ० १५५ और आगे।

५ नन्दिसूत्र टीका पृ० २३

(३) शाकटायनकी अमोघवृत्तिमें आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्ति, कालिकसूत्र आदि ग्रन्थोका जिस तरह उल्लेख किया है, उससे ऐसा मालुम होता है कि उनके सम्प्रदाय-में इन ग्रन्थोके पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदायके नही है, जब कि यापनीयसघ इन ग्रन्थोको मानता था।

(४) अमोघवृत्तिमें "उपसर्वगुप्तं व्याख्यातार" कहकर शाकटायनने सर्वगुप्त आचार्यको सबसे बडा व्याख्याता बतलाया है और ये सर्वगुप्त वही जान पडते हैं जिनके चरणोंके समीप बैठकर आराधनाके कर्ता शिवार्यने सूत्र और अर्थको अच्छी तरह समझा था और चूकि शिवार्य भी यापनीय सम्प्रदायके थे, अतएव उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता बतानेवाले शाकटायन भी यापनीय होगे।

(५) शाकटायनको "श्रुतकेवलिदेशीयाचार्य" लिखा है।[1] श्रुतकेवलिदेशीय अर्थात् श्रुतकेवलीके तुल्य। पाणिनिके अनुसार देशीय शब्द तुल्यताका द्योतक है। चिन्ता-मणिटीकाके कर्ता यक्षवर्माने तो उन्हें 'सकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्" लिखा है।

प० नाथूरामजोकी ये युक्तियाँ सबल हैं।

अन्य यापनीय आचार्य शिवार्य, वट्टकेरि, सिद्धसन, स्वयभू, तत्त्वार्थसूत्रकार तथा अपराजितसूरि आदि किसीने भी स्वयको यापनीय नही कहा है। शाक्टायनने भी स्वय कही भी अपने सम्प्रदायका उल्लेख नही किया है। यह प्रवृत्ति भी यापनीय ही प्रतीत होती है।

मगौली (जिला वेलगाँव, मैसूर) से प्राप्त एक शिलालेखमें यापनीय मुनिचन्द्रके शिष्य पाल्यकीर्तिके समाधिमरणका उल्लेख है।[2]

शाकटायनका ही दूसरा अथवा वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति है। यह बात वादि-राजसूरि के पार्श्वनाथचरितसे स्पष्ट है। इसमें इन्होंने पाल्यकीर्तिका इस प्रकार स्मरण किया है—

कुतस्त्या तस्य सा शक्ति. पाल्यकीतेर्महौजसः।
श्रीपदश्रवण यस्य शाब्दिकान् कुरुते जनान्॥[3]

---

१ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, ले० स० ३००।

२ डॉ० उपाध्येका भी कथन है कि यापनीय साधु अपनेको पृथक् सिद्ध करनेके लिए श्रुतकेवलिदेशीय जैसे विशेषणोंसे घोषित करते थे—इसके लिए उन्होंने तत्त्वार्थ-सूत्रकारको भी श्रुतकेवलिदेशीय बताने वाला पद्य उद्धृत किया है। अनेकात, निर्वाण-विशेषाक, १९७५।

३ प्रेमीजी द्वारा "जैन साहित्य और इतिहास" में उद्धृत, पृ० १६५।

'श्रीपदश्रवण'[1] अमोघवृत्तिके मंगलाचरण 'श्रीवीरममृत' को लक्ष्य करके कहा गया है। पार्श्वनाथचरितकी पार्श्वनाथपंजिका-टीकामें इस श्लोककी व्याख्या करते हुये शुभचन्द्र आचार्यने पाल्यकीर्तिको ही शाकटायनसूत्रोंका कर्ता माना है। शाक-टायन-प्रक्रिया-संग्रहके मंगलाचरणमें अभयचन्द्रने जिनेश्वरको मुनीन्द्र और पाल्यकीर्ति इन दो श्लिष्ट विशेषणोंसे स्मरण किया है।

> मुनीन्द्रमभिवंद्याहं पाल्यकीर्ति जिनेश्वरम्।
> मन्दबुद्धयनुरोधेन प्रक्रियासंग्रहं ब्रुवे॥

यहाँ श्लेषके द्वारा एक अर्थमें जिनेश्वर और दूसरे अर्थमें पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया गया है।

कदम्बहल्लिके (शक सं० १०४६) शिलालेखमें भी पाल्यकीर्ति नामक वैया-करणका उल्लेख है।[2]

इन उल्लेखोंसे पाल्यकीर्ति ही शाकटायनका वास्तविक नाम प्रतीत होता है, और मगोलीके शिलालेखमें यापनीय पाल्यकीर्तिके समाधिमरणका जो उल्लेख है, वह संभवतः इन्हीं पाल्यकीर्तिका हो सकता है।

कीर्तिनामान्त पद भी यापनीयोंके होते थे। नन्दिसंघमें कीर्ति नामान्त पद मिलते थे। यह नन्दिसंघ यापनीय संघका प्रमुख व प्रभावशाली संघ था।[3]

स्त्रीमुक्ति तथा केवलिभुक्तिका सिद्धान्त श्वेताम्बर तथा यापनीय दोनों ही स्वीकार करते हैं, तथापि स्त्रीमुक्ति प्रकरणसे यह ध्वनित होता है कि वे यापनीय साधु निर्वस्त्र रहते थे। तथा सवस्त्रताको अपवादमार्ग समझते थे, जबकि श्वेताम्बर जिनकल्पको व्युच्छिन्न मानकर सवस्त्रताको ही उत्सर्ग मानते हैं।

निम्नलिखित कारिकाओंसे ध्वनित होता है कि वे वस्त्रग्रहणको अपवादमार्ग मानते थे—

> वस्त्रं विना न चरणं स्त्रीणामित्यर्हतोच्यत, विनापि
> पुंसामिति न्यवार्यत, तत्र स्थविरादिवद् मुक्ति॥

---

१. "तस्य पाल्यकीर्तेः महौजसः श्रीपदश्रवणं। श्रिया उपलक्षितानि पदानि शाकटा-यनसूत्राणि तेषां श्रवणं आकर्णनम्।"

२. जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, पृ० ४००।
पल्लकीर्तिर्यथारूढः पुरा व्याकरणे कृती।
तथाभिमानदानेषु प्रसिद्धः पल्लपण्डितः॥

३. देखिये, दूसरा परिच्छेद यापनीय संघका अन्य दिग० संघोंसे संबन्ध।

अर्शोभंगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिर्न मुच्यते।
उपसर्गे वा चीरो गदादि सन्यस्यते चात्ते ॥[1]

भगवानने स्त्रियोकी चर्या वस्त्ररहित नही बतायी है। पुरुषोकी चर्या वस्त्रके बिना बतायी है। यह प्रतिपादन इस बातका प्रमाण है कि वे उत्सर्ग रूपमे पुरुषकी चर्या निर्वस्त्र मानते हैं।

आगे वे कहते हैं स्त्रीकी मुक्तिका निषेध वस्त्रधारणमात्रसे नही माना जा सकता है। वस्त्रधारिणी साध्वीकी मुक्ति स्थविर मुनिके समान होगी। यदि केवल वस्त्रधारण करने मात्रसे स्त्रीमुक्तिको अस्वीकार करोगे, तो अर्श, भगन्दर आदि रोगसे ग्रस्त तथा उपसर्ग युक्त मुनि वस्त्र धारण करता है, उसकी भी मुक्ति नहीं मान सकोगे।

इन कारिकाओंसे स्पष्ट है कि वे पुरुषोकी चर्चा निर्वस्त्र ही स्वीकार करते हैं, अपवादरूपसे रोग, उपसर्ग आदिमें वस्त्रग्रहणकी स्वीकृति है। उनकी यह मान्यता यापनीय है।

सिद्धसेन और उनका सन्मतिसूत्र

आचार्य सिद्धसेनपर काफी गवेषणापूर्ण अध्ययन हो चुका है,[2] तथापि उनका सम्प्रदाय, समय, कृतियाँ आदि विषय विवादास्पद ही है।

स्व० प० जुगलकिशोरजी मुख्तार केवल सन्मतितर्कको ही सन्मतिकार सिद्धसेन की कृति मानते हैं। मुख्तारजीके विस्तृत विवेचनका साराश यह है कि प्रबन्धोमें सिद्धसेनकी कृतिरूपमें सन्मतिसूत्रका कोई उल्लेख कही भी उपलब्ध नही होता। अतः प्रबन्धवर्णित सिद्धसेनसे सन्मतिकार सिद्धसेन भिन्न हैं। गम्भीर गवेषणा और ग्रन्थोंकी अन्त परीक्षाके बाद मुख्तारजीका निष्कर्ष है कि सन्मतिसूत्रके कर्त्ता सिद्धसेन अनेक द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनसे भिन्न हैं। सन्मतिसूत्रके कर्ता, न्यायावतारके कर्ता और कतिपय द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता तीन सिद्धसेन हैं। शेष द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता इन्हीमें से एक, दो या तीन अथवा कोई अन्य भी हो सकते हैं। उनका यह भी कथन है कि प० सुखलालजीने तीनोका एककर्तृत्व प्रतिपादित करनेके लिये कोई विशिष्ट हेतु प्रस्तुत न कर उसका कारण प्रतिभाका समान तत्त्व माना है।[3]

१, स्त्रीमुक्ति प्रकरण, कारिका १६-७।

२ डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पदित—"सिद्धसेनाज न्यायावतार एण्ड अदर वर्क्स" की प्रस्तावना।

३ जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, प्रथम सस्करण, पृ ५२७।

सभी द्वात्रिंशिकाएँ सन्मतिकारकी नही हैं, क्योंकि इनमें सन्मतिकारके विपरीत मान्यताएँ प्रतिपादित हैं।

१ प्रथम, द्वितीय तथा पचम द्वात्रिंशिकाएँ केवलीके उपयोगकी युगपद्वादकी मान्यताको लिये हुये हैं, जबकि सन्मतिकार अभेदवादी हैं।[1]

२ १०वी द्वात्रिंशिकामें युगपद्वादका समर्थन है।[2] श्रुतज्ञानको मतिज्ञानसे और अवधिज्ञानको मन पर्ययज्ञानसे अभिन्न माना है।[3]
यह सब कथन सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है।[4]

३. १०वी द्वात्रिंशिकाके प्रथम श्लोकमें ज्ञान-दर्शन-चारित्रको व्यस्तरूपसे हेतु माना गया है तथा ज्ञानको दर्शनके पूर्व रखा गया है। साथ ही ये सम्यक् विशेषणसे शून्य हैं।

४ उसी द्वात्रिंशिकामें धर्म, अधर्म और आकाशकी मान्यताको निरर्थक मानकर मुख्यरूपसे दो ही तत्त्व जीव और पुद्गल माने हैं।[5] सन्मतिकारको इन तीनो द्रव्योंके अस्तित्वकी मान्यता इष्ट है।[6]

इस प्रकार पहली, पाचवी और १९वी द्वात्रिंशिकाएँ सिद्धसेनकी कृति नही हो सकती। शेषके विषयमें स्पष्ट प्रमाणके अभावमें कुछ कहना शक्य नही है।

न्यायावतार सन्मतिसूत्रसे एक शताब्दी बादकी रचना है। इस पर पात्रस्वामी जैसे जैनाचार्यों तथा धर्मकीर्ति और धर्मोतर जैसे बौद्धाचार्योंका भी स्पष्ट प्रभाव है। यह मुख्तारजीका निष्कर्ष है। इनके अनुसार सिद्धसेनके नाम पर जो भी ग्रन्थ चढे हुए हैं, उनमेसे सन्मतिसूत्रको छोडकर दूसरा कोई भी ग्रन्थ सुनिश्चतरूपसे सन्मतिकारकी कृति नही कही जा सकती। न्यायावतारके रचयिता श्वेताम्बर प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी दिगम्बर सम्प्रदायमें वैसी मान्यता नही है, जैसी सन्मतिकारकी है।

सन्मतिकारको सेनगण (सघ) का आचार्य माना जाता है। सेनगणकी पट्टावलीमें उनका उल्लेख है। हरिवशपुराणकार आचार्य जिनसेनने पुराणके अन्तमें दी हुई गुर्वावलीमें सिद्धसेनका उल्लेख किया है।

---

१ प्रथम द्वात्रिंशिका, श्लोक ३२, द्वितीय द्वात्रिंशिका, श्लोक ३०, पचम द्वात्रिंशिका, श्लोक २१ व २२।

२. श्लोक नं० ९।

३. श्लोक न० १३ व १७।

४. सन्मतिसूत्र, काण्ड २, गाथा १६, १७ व २७।

५ १९वी द्वात्रिंशिका, २४, २५ व २६।

६ सन्मतिसूत्र ३|३३।

स सिद्धसेनोऽभयभीमसेनको गुरू परौ तौ जिनशान्तिषेणकौ ।[1]

रविषेणाचार्यने पद्मचरितकी प्रशस्तिमें दिवाकर यतिका उल्लेख किया है—

आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकरयतिः शिष्योऽस्य चार्हन्मुनि. ।
तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद शिष्यो रविस्तु स्मृतम् ॥[2]

इस प्रकार मुख्तारजीके अनुसार दिगम्बर परम्परामें आदरपूर्वक उनका उल्लेख होनेसे वे दिगम्बर आचार्य ही प्रतीत होते हैं।[3] परन्तु ये दिवाकर यति सिद्धसेन ही हैं, यह कैसे कहा जा सकता है, अत. यह उल्लेख विचारणीय है।

डॉ० ए० एन० उपाध्येने भी "सिद्धसेनाज न्यायावतार एण्ड हिज अदर वर्क्स" की प्रस्तावनामें आचार्य सिद्धसेनपर विचार किया है। उनके अनुसार प्रबन्धोंमे जो सिद्धसेनका जीवन-परिचय मिलता है, वह काफी परवर्ती है। इनमें दिवाकरके सन्मतिके कर्ता होनेका उल्लेख नही है।

डॉ० उपाध्येके अनुसार सन्मतिसूत्रकार यापनीय थे। इसके लिये उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं।

१ हरिभद्रसूरिने सिद्धसेन दिवाकर तथा उनके सन्मतिसूत्रका उल्लेख किया है।[4] उन्होंने इन्हें श्रुतकेवली तथा दिवाकराख्य कहा है। और श्रुतकेवली यापनीय आचार्योंका विशेषण है।

२ सन्मतिसूत्रका श्वेताम्बर आगमोसे कुछ विरोध होनेसे इन्हें श्वेताम्बर प्रबन्धोंमें स्थान नही मिला है।

३ दिवाकरका उपयोग-अभेदवाद दिगम्बर युगपद्वादके अधिक समीप है। (अभेदवादका सिद्धान्त इनका श्वेताम्बर दिगम्बर दोनो सम्प्रादायोसे पार्थक्य सूचित करता है।)

४ एक द्वात्रिंशिकामें महावीरके विवाहित होनेका सकेत उन्हें श्वेताम्बर घोषित नही करता, क्योंकि यापनीयोको भी कल्पसूत्र मान्य था।

---

१ हरिवशपुराण ६६/२९।

२ पद्मचरित १२३/१६७।

३ जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पृ, ५२८ तथा पुरातन जैन वाक्यसूची, सिद्धसेनका सम्प्रदाय और गुणकीर्तन पृ० १५७–६८।

४ भणइ एगतेण अम्हाण कम्मवायणो इट्ठो।
ण य णो सहाववाओ सुअकेवलिणा जओ भणिय ॥
आयरियसिद्धसेणेण सम्मईए पइट्ठिअजसेग।
दूसमणिसादिवागर कप्पत्तणओ तदक्खेण ॥—पञ्चवस्तु, गाथा १०४७ व ४८।

५ निश्चय-द्वात्रिंशिकामें कुछ सैद्धान्तिक मतभेद हैं, जो उनकी साम्प्रदायिक मान्यतायें हो सकती हैं, जिनके कारण उन्हें "द्वेष्यसितपट" कहा गया है।

६ सिद्धसेनके परम्परासे भिन्न मतोंको उनका प्रगतिशील होना ही मानना उचित नही है। अपितु सभव है कि वे मान्यतायें यापनीय सम्प्रदायसे सबन्ध रखती हो।

७. सिद्धसेन दक्षिण विशेषतः कर्नाटकके थे। यापनीयोका सम्बन्ध भी कर्नाटकसे रहा है। इसके कारण ये है—

(१) महावीरका सन्मति नाम धनंजय नाममालामें है, जो दक्षिण विशेषत कर्नाटकमें अति प्रसिद्ध है।

(२) इनका कुन्दकुन्दके ग्रन्थो तथा वट्टकेरके मूलाचारसे साम्य है, जो दक्षिण विशेषत कर्नाटकके आसपासके थे।

(३) सन्मतिके टीकाकार सुमति अथवा सन्मतिका पार्श्वनाथचरित तथा शिलालेखीय उल्लेख कर्नाटकमें है।

(४) एक प्रबन्धमें इन्हें कर्नाटकीय दिवाकर ब्राह्मण कहा गया है।

न्यायावतार सन्मतिसूत्रकारकी रचना नही है। इस विषयमें डॉ० उपाध्येका कथन है–

(१) प्रबन्धोसे हमें सन्मतिसूत्र तथा न्यायावतारके एककर्तृत्वकी सूचना नही मिलती।

(२) हरिभद्रने अपने अष्टकमें न्यायावतारका रचयिता महामति बताया है। तथा पचवस्तुमे सन्मतिकारको दिवाकर तथा श्रुतकेवली कहा है।

३ न्यायावतारकी तथाकथित हरिभद्रीय टीका उपलब्ध नही है। बृहट्टिप्पणिकामे बतायी गयी इसकी श्लोकसंख्या २०७३ सिद्धर्षिकी विवृत्तिसे मिलती है।

४ न्यायावतारका चौथा व नवा श्लोक क्रमश हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चय तथा स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डश्रावकाचारसे लिये गये हैं। और इस तरह न्यायावतार द्वात्रिंशिकाके रूपमें परिगणित नही हो सकता।

५ सर्वप्रथम सिद्धर्षि (११ वी शताब्दी) ने न्यायावतारको दिवाकरकी कृति कहा है।

६ इस पर पात्रस्वामीका प्रभाव है।

इस प्रकार उपाध्येजीके अनुसार न्यायावतार व सन्मतिसूत्र भिन्नकर्तृक हैं। सन्मतिसूत्रके रचयिता यापनीय सम्प्रदायके थे।

उक्त दोनो विद्वानोंके तर्क और निष्कर्ष देखते हुए हम भी इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सन्मतितर्कके आधारपर ही सिद्धसेनके सम्प्रदायका विचार करना योग्य है। सन्मतिसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है तथा न्यायावतार उस समयकी रचना है, जब जैन आचार्योंने प्राकृतके स्थानपर सस्कृत भाषाका माध्यम स्वीकार कर लिया था।

(स्व० मुख्तारजीने सन्मतिकार सिद्धसेनको दिगम्बर माननेमें जो तर्क प्रस्तुत किया है, वह है हरिवशपुराणकार जिनसेन तथा आचार्य रविषेण द्वारा सिद्धसेनका अपनी गुर्वावलीमें उल्लेख। पर इस आधारपर हम सिद्धसेनको दिगम्बर आचार्य नही कह सकते, क्योकि आचार्य जिनसेन द्वारा उल्लिखित सिद्धसेनके गुरु है अभयसेन तथा रविषेण द्वारा उल्लिखित दिवाकर यतिके गुरु इन्द्र हैं। इस प्रकार ये दोनो सिद्धसेन भी एक नही है। दूसरे, हरिवशपुराण तथा पद्मचरित स्वय भी यापनीय कृतियाँ हैं, जिसका विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है।[1])

मुख्तारजीके अनुसार सन्मतिसूत्रका अभेदवाद युगपद्वादके करीब है, जिसके बीज आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यमें मिलते हैं, यह सत्य है तथापि इस अभेदवादके आधारपर इन्हें दिगम्बर या यापनीय नही कहा सकता, क्योकि यापनीय ग्रन्थ भगवती आराधना आदिमे भी युगपद्वादका उल्लेख है। अत अभेदवाद इनकी मौलिक मान्यता है। परन्तु अन्य अनेक कारणोंसे सन्मतिसूत्र यापनीय ग्रन्थ प्रतीत होता है। वे कारण इस प्रकार हैं–

(१) सन्मतिसूत्रका श्वेताम्बर ग्रन्थोमें भी आदरपूर्वक उल्लेख है। जीतकल्पचूर्णि-में सन्मतिसूत्रको सिद्धिविनिश्चयके समान प्रभावक ग्रन्थ कहा गया है। सिद्धिविनिश्चय भी सभवत यापनीय शिवार्यकृत ग्रन्थ है, क्योकि शाकटायन व्याकरणमें शिवार्यकृत सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थका उल्लेख है।[2] निशीथचूर्णिमें भी इसी प्रकार सिद्धिनिनिश्चय, सन्मति आदिका दर्शन-प्रभावक ग्रन्थके रूपमें उल्लेख है और यापनीय साहित्य यापनीय नामसे नही, अपितु जैनसिद्धान्त ग्रन्थोके रूपमें दोनो सम्प्रदायोमें मान्य रहा है।

(२) सन्मतिसूत्रसे सिद्धसेन अर्द्धमागधीमें सकलित आगमको मानने वाली परम्पराके प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ—सन्मतिसूत्रके प्रथम काण्डकी उन्चासवी गाथा-में स्थानागसूत्रका उद्धरण है—

> एव एगे आया एगे दडे य होई किरिया य।
> करणविसेसेण य तिविहजोगसिद्धि वि अविरुद्धा ॥१/४९

अर्थात् ससारी जीवके जीव और देह दूध और पानीकी तरह अन्योन्य मिलित हैं, इसलिये देहगत पर्याय पुद्गलके अतिरिक्त जीवके भी है और जीवगत पर्याय देह

---

१ देखिये, दूसरे परिच्छेदमें पुन्नाटसघ तथा तीसरेमें आचार्य रविषेण।

२ आ० अकलकदेवका भी एक सिद्धिविनिश्चय है, उसका भी यहाँ उल्लेख सभव है। शाकटायन व्याकरण (पृ० ९४) में शिवार्यकृत सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख है। प्रेमीजीकी सूचनाके अनुसार मुनि पुन्यविजयको प्राप्त स्त्रीमुक्तिप्रकरणकी खडित टीकामे शिवस्वामीके सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थका उद्धरण है। (जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २५८)

के भी हैं। जीव और पुद्गलबन्धकी ओतप्रोतताके कारण ही ऐसे शास्त्रीय व्यवहार किये जाते हैं—"एगे आया" आदि। ये उद्धरण स्थानागसूत्रसे लिये गये हैं। वहाँ यह कथन इस प्रकार है।

एगे आया।

एगे दंडे

एगा किरिया ॥[1]

सन्मतिसूत्रके अध्ययनसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होने संकलित आगमको आधार बनाकर ही सन्मतिसूत्रकी रचना की है। उदाहरणार्थ अभेदवादके सिद्धान्तका प्रतिपादन ही दृष्टव्य है।

सन्मतिसूत्रकार अभेदवादका प्रतिपादन करते समय क्रमवादका खण्डन करते हैं। वे कहते हैं, कि "जिस समय केवली जानता है, उस समय देखता नही है" ऐसा सूत्रका अवलम्बन करने वाले कुछ आचार्य कहते हैं। ये आचार्य तीर्थंकरोकी आशातनासे डरने वाले हैं।

केई भणति जइया जाणइ तइया न पासइ (जिणो) त्ति।
सुत्तमवलम्बमाणा तित्थयरासायणाभीरू ॥ २/४

यदि ग्रन्थकार दिगम्बर होते तो उन्हें क्रमवादका खडन करते समय आचार्योंको सूत्रावलम्बी तथा तीर्थङ्कराशातनाभीरू कहनेको आवश्यकता नही होती, क्योंकि वे क्रमवादके समर्थक[2] आगमोंको नही मानते। सकलित आगमग्रन्थोको प्रमाण मानने वालेके लिये ही किसी सूत्रको न मानना तीर्थङ्कराशातनाभीरू कहना यही व्यक्त करता है कि वे भी सूत्रोको प्रामाणिक मानने वाली परम्पराके हैं।

अभेदवादकी सिद्धिसे आगम—सूत्र अप्रामाणिक हो जायेंगे, इस बातको समझकर उन्होने आगमका उद्धरण देते हुये ही अभेदवादकी सिद्धि की है। आगेकी गाथामें आगमकथित अन्य सूत्रका उल्लेख करते हैं कि आगममें ही केवलज्ञान-दर्शनको सादि—अपर्यवसित कहा गया है।[3] यदि सूत्रोकी आशातनाके भयके कारण ही क्रमवादको नहीं मानते हो, तो सूत्रोमें ही केवल ज्ञान-दर्शनको सादि-अपर्यवसित भी कहा है, अत उसे यदि मानोगे तो कैसे क्रमवाद सिद्ध होगा ?

सुत्तम्मि चेव साई –अपज्जवसियं ति केवल वुत्तं।
सुत्तासायणाभीरूहि त च दट्ठव्वयं होइ।[4]

---

१ स्थानागसूत्र—२, ३, ४

२ भगवती सूत्र १८/८/१८१ में क्रमवादका वर्णन इस प्रकार है—
केवली ण मणुस्से परमाणुपोग्गल ज समय जाणति नो तं समय पासति।

३ भगवतिसूत्र ८/२/१९७ में केवलज्ञान-दर्शनको सादि-अपर्यवसित कहा गया है।

४ सन्मतिसूत्र २/७।

सूत्र-विरोधको दूर करनेके लिये ही वे कहते हैं कि सूत्र अर्थका स्थान है। सूत्रका ज्ञान प्राप्तकर उसका अर्थ निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये—

सुत्त अत्थनियेण ण सुत्तमेत्तेण अत्थपडिवत्ती।
अत्थगई उण णयवा यगहणलीला दुरभिगम्मा॥
तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्थसपायणम्मि जइयव्व।
आयरियधीरहत्था हदि महाण विलबेंति॥[1]

शास्त्रमें प्रतीत होने वाले विरोध-परिहारका भी प्रयास किया है —

ताई अपज्जवसिय ति दो वि ते ससमयओ हवइ एव।
परतित्थवत्तव्व च सगसमयततरुप्पाओ॥[2]

शास्त्रमें सादि अपर्यवसित केवलज्ञानको हो स्वसमय कहा गया है। एक समयके अतरसे उत्पन्न ज्ञान-दर्शनके क्रमवादको परतीर्थ-वक्तव्य अर्थात् परसमयके रूपमें उल्लिखित मानी है।

शास्त्रके विरोध-परिहारका यह प्रयास ही उनकी सूत्रोको प्रामाणिक मानने की सभावनाको दृढ करता है।

(३) गुणापर्यायका विचार करते समय एकगुणकालक, दशगुणकालक इत्यादिका जो निर्देश किया है, वहाँ श्वे आगमोका स्पष्ट उल्लेख किया है।

ज च पुण अरहया तेसु तेसु सुत्तेसु गोयमाईण।
पज्जवसण्णा णियमा वागरिया तेण पज्जाया॥[3]
जपति अत्थि समये एगगुणो दसगुणो अणतगुणो।
रूवाई परिणामो भण्णइ तम्हा गुणविसेसो॥[4]

(४) यापनीय ग्रन्थ मूलाचारसे सन्मतितर्ककी गाथाओमें साम्य है।[5]

(५) मदनूर (जिला नेल्लोर) से प्राप्त सस्कृत शिलालेखमें उल्लेख है कि कोटि-मडुबगणमें मुख्य पुण्यार्हनन्दिगच्छमें गणधरके सदृश जिननन्दि मुनीश्वर हुए, उनके शिष्य पृथ्वीपर विख्यात केवलज्ञाननिधिके धारक गुणोंके कारण स्वय जिनेन्द्रके सदृश दिवाकर नाम मुनिपुगव हुये। ध्यान रहे, कोटिमड्डवगण यापनीय सघकी शाखा है।

यदि यही दिवाकर सिद्धसेन दिवाकर हैं, तो उनके यापनीय होनेका निश्चित प्रमाण मिल जाता है। वैसे भी उनके सन्मतिप्रकरणसे इतना निश्चित है कि वे आगम को प्रमाण मानने वाले तो थे, किन्तु स्वतत्र विचारक भी थे।,

१ सन्मतिसूत्र ३/६४-५। २ सन्मतिसूत्र २/३१।
३ सन्मतिसूत्र ३/११। ४ सन्मतिसूत्र ३/१३।
५ डॉ० ए एन उपाध्येने अपनी पुस्तक 'सिद्धसेनाज न्यायावतार एड अदर वर्क्स'-की प्रस्तावनामें इनकी सूची दी है।

ध्यातव्य है कि अन्य यापनीय आचार्योंकी भांति उन्होंने भी अपने गच्छ आदिका विवरण नहीं दिया है।

•

आचार्य रविषेण

आचार्य रविषेण भी कई कारणोंसे यापनीय प्रतीत होते हैं। प्रायः यापनीय आचार्योंने अपने संघ आदिका उल्लेख नहीं किया है। आचार्य रविषेणने भी इस परम्पराका पालन किया है। गुरुपरम्परा देते हुए भी वे संघादिके उल्लेखसे बचे हैं।

स्वयं आचार्य रविषेणके अनुसार उनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है—इन्द्र, दिवाकरयति, अर्हन्मुनि, लक्ष्मणसेन व रविषेण।[1] शाकटायनसूत्रमें भी इन्द्रका उल्लेख है।[2] शाकटायन सूत्र यापनीय ग्रंथ माना जा चुका है। गोम्मटसारमें इन्द्रको संशयी बताया गया है।

एयत बुद्धदरसी विवरीओ बम्ह् तावसो विणओ।
इदो वि य ससइयो मक्कडियो चेव अण्णाणी ॥।[3]

टीकाकार ने इन्द्रको श्वेताम्बर गुरु बताया है। इस विषयमें प्रेमीजीका कथन है कि "इन्द्र नामके श्वेताम्बराचार्यका अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला। बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हों और श्वेताम्बरतुल्य होनेसे श्वेताम्बर कह दिये गये हों। द्विकोटिगत ज्ञानको संशय कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकता। परन्तु यापनीयोंको कुछ श्वेताम्बर तथा कुछ दिगम्बर होनेके कारण शायद संशयमिथ्यादृष्टि कह दिया गया हो। बहुत संभव है कि शाकटायनसूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख किया हो।[4]

इन्द्र और दिवाकरयति यदि यापनीय हो तो रविषेण भी यापनीय ही होने चाहिये। यदि यह दिवाकर यति सन्मतिकार हैं, तो उनका यापनीय होना निश्चित है।

आचार्य रविषेणने अपनी कथाके स्रोतके विषयमें लिखा है—वर्द्धमान जिनेन्द्र द्वारा कथित यह कथा इन्द्रभूति गौतमको प्राप्त हुई, फिर क्रमसे धारिणीपुत्र सुधर्माको और

१. पद्मचरित १/६९—
आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकरयति- शिष्योऽस्य चार्हन्मुनि।
तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद शिष्यो रविस्तत्स्मृत ॥

२ शाकटायन व्याकरण, श्लोक न० १०।

३ गोम्मटसार जीवकाण्ड गा० १६।

४. जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय सस्करण, पृ० १६७।

फिर क्रमसे प्रभवस्वामीको प्राप्त हुई । इसके पश्चात् अनुत्तरवाग्मी कीर्ति द्वारा लिखित कथा प्राप्त करके रविषेणने यह प्रयत्न किया ।[1]

ध्यातव्य है कि जम्बूस्वामीके पश्चात्से जैन सम्प्रदायकी दो धारायें प्राप्त होती हैं । दिगम्बर परम्परा आचार्य विष्णुको तथा श्वेताम्बर परम्परा आचार्य प्रभव स्वामी-को जम्बूस्वामीका उत्तराधिकारी मानती है । रविषेण द्वारा सुधर्माके पश्चात् प्रभवस्वामी-का उल्लेख, ये दिगम्बर परम्पराके नही थे, यह माननेके लिये पर्याप्त प्रमाण है ।

रामकथाकी दो धारायें जैन-साहित्यमें मिलती हैं । एक धारा वह जो गुणभद्रके उत्तरपुराणमे मिलती है, उसकी भी पूर्व परम्परा थी ।[2] परवर्ती कालमें पुष्पदतने अपभ्रशमें इस कथाको गूंथा है ।

दूसरी कथाधारा विमलसूरिके पउमचरिय, पद्मचरित तथा स्वयभूके पउमच-रिउमें है ।[3] यही हेमचन्द्रके त्रिशष्टिशलाकापुरुषमें भी है ।

रविषेण द्वारा दिगम्बर परम्परामें प्रचलित गुणभद्र वाली कथाको न अपनाकर विमलसूरिकी कथाको अपनाना भी उन्हें दिगम्बर-भिन्न परम्पराका द्योतित करता है । यद्यपि आचार्य गुणभद्रका समय आचार्य रविषेणसे परवर्ती है,[4] परन्तु गुणभद्र-

---

१ पद्मचरित १/४१-४२ व पर्व १२३/१६६

वर्द्धमानजिनेन्द्रोक्त सोऽयमर्थो गणेश्वर ।
इन्द्रभूति परिप्राप्त सुधर्मं धारिणीभवम् ॥
प्रभव क्रमत' कीर्ति ततोनुत्तरवाग्मिन ।
लिखित तस्य सप्राप्य रवेर्यत्नोयमुद्गत ॥

२ (आदिपुराणमे आचार्य जिनसेनने अपनी कथाको कविपरमेश्वरकी गद्यकथाके आधारसे लिखा बताया है । चामुण्डरायने भी अपने कन्नडमें लिखित त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणमें इन चरित्रोंको कूचि भट्टारक, नन्दिमुनीश्वर, कविपरमेश्वर, जिनसेन, गुणभद्रके द्वारा क्रमश लिखा गया बताया है ।

३ दिगम्बर परम्परामें सर्वत्र नवें बलदेव बलरामको पद्म कहा गया है, न कि आठवें बलभद्र रामको । उत्तरपुराणका श्लोक दृष्टव्य है—

रोहिण्या पुण्यभाक्पद्मनामासौ समजायत ।
प्रतोष बन्धुवर्गेषु वर्धयन्नवमो बल ॥ ७०/३१९ ।

विशेषके लिए देखिए इसी परिच्छेदमें 'स्वयभूका सम्प्रदाय' ।

४ आचार्य रविषेण तथा गुणभद्रके समयके लिये देखिये—प्रेमीजी लिखित जैन साहित्य और इतिहासमें "पद्मचरित तथा पउमचरिय" एव वीरसेन, जिनसेन व गुणभद्र ।

की कथाकी एक पूर्वपरम्परा थी, यह बात चामुण्डराय लिखित चामुण्डरायपुराण (त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण) से मालूम होती है।

रविषेणकी कथाको यापनीय स्वयंभू द्वारा अपनाया जाना भी रविषेणको यापनीय माननेका एक महत्त्वपूर्ण कारण है। स्वयंभूने रामकथाकी परम्पराको वर्धमान, इन्द्रभूति, सुधर्मा, प्रभव, अनुत्तरवाग्मी कीर्ति तथा रविषेणसे क्रमशः प्राप्त बताया है। रविषेण के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए कहा है—आचार्य रविषेणके प्रसादसे प्राप्त कथा-सरितामें कविराजने अपनी बुद्धिसे अवगाहन किया है।

पद्मचरितमें प्रभव स्वामीका उल्लेख तथा स्वयंभू द्वारा आदरपूर्वक रविषेणके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन दोनो तथ्य रविषेणको यापनीय माननेको प्रेरित करते हैं।

रविषेणकी कथा पउमचरियकी कथा पर आधारित है, तथापि रविषेणने विमल-सूरि अथवा पउमचरियका नामोल्लेख न करके अनुत्तरवाग्मी कीर्तिके लिखित प्रयत्नका उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विमलसूरिके श्वेताम्बर होनेके कारण रविषेणने उनका उल्लेख नही किया है। विमलसूरि श्वेताम्बर परम्पराके थे, इसे हमने अन्यत्र प्रदर्शित किया है।[1]

रविषेणके कई उल्लेख दिगम्बर परम्पराके विपरीत हैं। गन्धर्व देवोको मद्यपी[2] तथा यक्ष राक्षसादिकोको कवलाहारी मानना[3] दिगम्बर परम्पराके विपरीत है।

दिगम्बर परम्पराके अनुसार १२ वें से १६ वें स्वर्गके देव प्रथम नरकके चित्रा भागसे आगे नही जाते।[4] परन्तु पद्मचरितमें सोलहवें स्वर्गके प्रतीन्द्रके रूपमें जन्मे सीताके जीवका रावणको सबोधित करनेके लिये नरकगमन बताया गया है।[5]

पद्मचरितमें यह उल्लेख है कि भरतचक्रवर्ती मुनियोंके निमित्तसे बने आहार को लेकर समवशरण पहुँचे और मुनियोसे आहारके लिये प्रार्थना करने लगे। तब भगवान् ऋषभदेवने बताया कि मुनि उद्दिष्ट भोजन नही करते और न आहारकी

---

१. 'क्या विमलसूरि यापनीय थे ?' लेख 'महावीरस्मारिका,' जयपुर, १९७७।

२. पद्मचरित १७/२६८–प्रमोदवानसौ मद्य पीतवान् सुमहागुणम्।

३. पद्मचरित ९४/२७१

डाकिनी प्रेतभूतादिकुत्सितप्राणिभि सम।
भुक्त तेन भवेद्येन क्रियते रात्रिभोजनम्॥

४. धवला, पुस्तक ४, पृ० १२३-९।

५ पद्मचरित, पर्व १२३।

ऐसी रीति है।[1] यह उल्लेख भी दिगम्बर परम्पराके विपरीत है।

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक बातें हैं, जो गुणभद्रकी कथाके विपरीत हैं।

१ सगर चक्रवर्तीके पूर्वभव तथा उनके पुत्रोंका नागकुमार देवके कोपसे भस्म होना।

(२) हरिषेण चक्रवर्तीकी मोक्षगति।[2]

(३) मघवा चक्रवर्तीको सौधर्म स्वर्गकी प्राप्ति तथा चक्री सनत्कुमारको तीसरे स्वर्गकी प्राप्ति।

(४) भगवान महावीर द्वारा सौधर्मेन्द्रका शंका-निवारणार्थ पादांगुष्ठसे मेरुको कम्पित करना।[3]

(५) राम और कृष्णके बीच ६४ हजार वर्षोंका अन्तर। ये अनेक कारण रविषेण के दिगम्बर आचार्य होनेमे शंका उपस्थित करते हैं।

हरिवंशपुराण की परम्परा

हरिवंशपुराणके रचयिता जिनसेन तथा हरिषेण दोनोंने अपनेको पुन्नाटसंघी कहा है। दोनोंने अपने ग्रन्थकी रचना वर्द्धमानपुरमें की है।[4] हरिवंशपुराणमें तीर्थङ्कर नेमिनाथके हरिवंशके वर्णनके प्रसंगमें सभी शलाकापुरुषोंका वर्णन कर दिया गया है।

कथाकोशकार हरिषेणने स्त्रीमुक्ति एवं गृहस्थमुक्तिका स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः वे यापनीय होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी रचना यापनीय भगवती आराधनाके आधार पर हुई है। हरिवंशपुराणकार भी पुन्नाटसंघी है, अतः इन्हें भी यापनीय ही होना चाहिए।

हरिवंशपुराणकी भी कुछ बातें विचारणीय हैं—

१ राजा जितशत्रुकी भगवान् महावीरसे अपनी पुत्री यशोदयाके विवाहकी उत्सुकता—

> यशोदयाया सुतया यशोदया पवित्रया वीरविवाहमंगलम्।
> अनेककन्यापवरिवारयारुहत्समीक्षितु तु गमनोरथ तदा ॥ ६६/८ ॥

श्वेताम्बर-परम्परामें भगवान् महावीरके विवाहकी कथा मिलती है।

---

१ पद्मचरित, ४/९१।

२ पद्मचरित, पर्व ८।

३. पद्मचरित, २/७६।

४ हरिवंशपुराण, ६६/५३-४ व कथाकोश प्रशस्तिपद्य ३-४।

२. नन्दिषेण मुनिका रोगी मुनिको गोचरी वेलामें सिद्धियोंके बलसे इच्छित आहार प्राप्त करना।[१] नन्दिषेण मुनिके वैयावृत्यकी यह कथा श्वेताम्बर कथाग्रन्थ आख्यानकमणिकोशके शौरी आख्यानमें[२] प्राप्त होती है। दो देव परीक्षाके लिए साधु का वेश रखकर नन्दिषेण मुनिके पास आते हैं, उनके दुर्व्यवहार करनेपर भी नन्दिषेण मुनि इच्छित आहार व औषधिसे उनकी वैयावृत्य करते हैं। मुनिके द्वारा मुनिके इस वैयावृत्यका कुछ समर्थन भगवती आराधनासे होता है,[३] जहाँ मुनि द्वारा रुग्ण, ग्लान साधुके लिए आहार-पानक लानेका विधान है।

३. पद्मचरितकी भांति यहाँ भी तीर्थङ्करोंके गर्भकल्याणकमें देवोंके आगमनका वर्णन नहीं है। यह यापनीय मान्यता है।

४. ब्रह्मस्वर्गसे बलदेवका जीव श्रीकृष्णके जीवको नरकसे लेने जाता है। उस समय श्रीकृष्णका जीव भरतक्षेत्रमें बलदेव व श्रीकृष्णकी मूर्ति-पूजाका प्रचार करनेके लिए कहता है। और बलदेवका जीव वही करता है। श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों सम्यग्दृष्टि जीव थे, उनके द्वारा मिथ्यात्वका प्रचार विचारणीय है।[४]

५ दो स्थानोपर 'अन्त्यदेह' कहकर उनकी मोक्षगति[५] तथा एक स्थान पर स्वर्गगति[६] कही गई है। दिगम्बर परम्परामे तिलोयपण्णत्ति व त्रिलोकसारमें उनकी नरक गति मानी गई है।[७]

(परन्तु हरिवंशपुराणमें प्रथम व अन्तिम सर्गमे जो आचार्य परम्परा दी गई है, उसमें विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन तथा भद्रबाहु इस परम्पराका उल्लेख है, जबकि रविषेण तथा स्वयम्भू प्रभवका उल्लेख करते हैं। इसमें चार आचारांगधारियोंका वर्णन है, जबकि यापनीय ११ अंगोंका अस्तित्व मानते हैं।)

---

१. वही १८/१५७-१६७ तथा 'महालब्धिमस्तस्य वैयावृत्योपयोगि यत्।
वस्तु तच्चिन्तित हस्ते भेषजाद्याशु जायते ॥१८/१३८॥

२ आख्यानक-मणिकोश, पृ० ७१।

३ भगवती आराधना, गाथा ६६/१३।

४. हरिवंशपुराण ६५/४१-५६।

५ वही ४२/२२ (अन्त्यदेह.) ६५/२४।

६ वही १७/१६३।

७ कलहप्पिया कदाइ धम्मरया वासुदेवसमकाला।
भव्वा णिरयगदिं ते हिंसादोसेण गच्छंति ॥ त्रिलोकसार गाथा ८३५।
रुद्दावइ अइरुद्दा पावणिहाणा हवामि सव्वे मे।
कलहमहा जुज्झपिया अधोगया वासुदेवव्व ॥

यापनीय साहित्यके दिगम्बर साहित्यमें अन्तर्भुक्त हो जानेके वाद दिगम्बरो द्वारा उसमें प्रक्षेपण सशोधन हुए है, जिसका प्रमाण है कि विजयोदया टीकाके भगवती आराधना के वर्तमान स्वरूपसे मिलान करने पर स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है। और फिर यह आचार्यपरम्परा इस ग्रथमे प्रथम सर्ग (५६-६५) गाठवें सर्ग (४७९-४८२) तथा ६६ वें सर्ग (२२-२३) में तोन बार दो है। यह पुनरुक्ति अवसर, मिलते ही प्रक्षेपाशको सम्मिलित करनेके कारण ही हो सकती है।

विचार करनेपर इनके यापनीय होनेकी हो सभावना प्रवल है।

आचार्य हरिषेणका वृहत्कथाकोश यापनीय ग्रंथ है

पुन्नाटसघी हरिषेणका आराधनाकथाकोश उपलब्ध कथाकोशोमें सबसे प्राचीन है। इसका रचनाकाल वि० स० ९८९ और श्लोकसख्या १२५० है। अन्य कथाकोशोकी अपेक्षा वडा होनेसे इसे 'वृहत्' कहा जाने लगा। स्वय हरिषेणने इस कथाकोश ही कहा है। इसमे कुल मिलाकर एक सौ सत्तावन कथाएँ हैं।

इस कथाकोशके कुछ श्लोक विचारणीय हैं—

एव करोति यो भक्त्या नरो रामा महीतले।
लभते केवलज्ञान मोक्ष च क्रमत स्वयम् ॥ ५७/२३५ ॥

यहाँ स्पष्ट रूपसे स्त्रीमुक्तिका कथन है।

इसी कथामें गृहस्थमुक्तिका भी कथन है—

अणुव्रतधर कश्चित् गुणशिक्षाव्रतान्वित.।
सिद्धिभक्तो व्रजेत् सिद्धि मौनव्रतसमन्वित ॥ ५७/५६७ ॥

स्त्रीके तीर्थङ्कर-नामगोत्रके वधका भी कथन है—

वद्ध्वा तीर्थङ्कर गोत्र तप शुद्ध विधाय च।
रुक्मिणी स्त्रीत्वमादाय दिवि जातो सुरो महान् ॥ १०८/१२५ ॥

इसी कथाकोशके ही एणिकापुत्र-कथानकमें मुनि एणिकापुत्रके गगापार करते समय समाधिमरण करके मोक्ष जानेका वर्णन है—

गगानदीजलान्तेऽसौ नौर्निमग्ना निमूलत.।
ममाधिमरण प्राप्य त्रिर्वाणमगमत् सक ॥ १३०/९

अग्निकापुत्रके नामसे यह कथा श्वेताम्वर सम्प्रदायमे प्रसिद्ध है।[1] मुनिद्वारा नावसे गगा पार करना दिगम्बर परम्पराको स्वीकृत नही हो सकता। इमी प्रकार कथाकोशमें आई मेतार्य (मेदज्ज) की कथा भी दिगम्वर परम्परामें प्रचलित नही है।

[1] भगवती आराधनामें यह उल्लेख है–णावाए णिव्वुडाए गगामज्झे अमुज्झमाणमदी।
आराधण पवण्णो कालगओ एणियापुत्तो ॥ गा० १५४३

उक्त उदाहरण दिगम्बर परम्पराके प्रतिकूल है, तथा पुन्नाट सघ ही यापनीय सघ अथवा उसकी कोई शाखा होगी, यह माननेके लिए प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी दिगम्बर परम्पराके प्रतिकूल हैं। भद्रबाहुकी कथामें कहा गया है कि भद्रबाहुने बारह वर्षोंके घोर दुर्भिक्ष पडनेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योको अन्यत्र लवणसमुद्रके समीप जानेको कहा और अपनी आयु क्षीण जानकर वे स्वय वही रह गये। और वहाँ श्रीमद् उज्जयिनीभव भाद्रपद देशमें अनशन करके समाधिमरण किया तथा स्वर्ग प्राप्त किया।

> भद्रबाहुमुनिर्धीरो भयसप्तकवर्जित.।
> पपाक्षुधाश्रम तीव्र जिगाय सहसोत्थितम् ॥
> प्राप्य भाद्रपद देश श्रीमदुज्जयिनीभवम्
> चकारानशन धीर स दिनानि बहून्यलम् ॥
> आराधना समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम्
> समाधिमरण प्राप्य भद्रबाहुर्दिव ययौ ॥ १३१/४२-४ ॥

(यह कथा श्वेताम्बर कथासे मिलती है, जिसमें भद्रबाहुके दुर्भिक्षके समय नेपालकी तराईमे महाप्राण ध्यान करनेका उल्लेख है। नेपालके मानचित्रमे पूर्वमें असमकी सीमाके समीप भद्रपुर दिखाई देता है)।

भगवती आराधनामें भी भद्रबाहुके अवमौदर्य तप द्वारा मरणका कथन है।

> ओमोदरिए, घोराए भद्दबाहू असकिलिट्ठमदी।
> घोराए तिगिच्छाए पडिवण्णो उत्तम ठाण ॥ गा० १५४४

इसी कथामें चन्द्रगुप्तका दूसरा नाम विशाखाचार्य बताया गया है। और इन्हीके नेतृत्वमें सघके दक्षिणदेशमें पुन्नाट राज्यमें पहुँचनेका उल्लेख है।

दिगम्बर परम्परामें चन्द्रगुप्तका अपरनाम प्रभाचन्द्र माना गया है। विशाखाचार्य उसी सघमें दूसरे आचार्य थे। सघ स्वय भद्रबाहुके नेतृत्वमें दक्षिणापथकी ओर गया था। भद्रबाहुका समाधिमरण चन्द्रगिरि पर्वतपर हुआ था।

(भद्रबाहुकी कथाका यह भेद भी बृहत्कथाकोशकारके यापनीय होनेकी ओर सकेत कर रहा है।

भगवती आराधना यापनीय ग्रथ है। इस ग्रन्थमें अनेक आराधकोंकी कथाओंके सकेत हैं। कथाकोशमें उन्ही पर कथाएँ लिखी गयी हैं। कथाकोशकारने स्वयं इसे आराधनोद्धृत कहा है—

> आराधनोद्धृत पथ्यो भव्याना भावितात्मनाम्।
> हरिषेणकृतो भाति कथाकोशो महीतले ॥—प्रशस्तिपद्य, ८।

यापनीय ग्रन्थके आधारपर इसकी निर्मिति भी यापनीयताकी ओर सकेत करती है। स्त्रीमुक्ति तथा गृहस्थमुक्ति जैसे सिद्धान्तोका समर्थन तो पुन्नाटसघके यापनीय होनेका सबल प्रमाण है।

इस सभावनामें बाधक हो सकती है स्वय बृहत्कथाकोशकी भद्रबाहुकी कथा, जिसके अनुसार दुर्भिक्षके समय सिन्धुदेश गये हुए मुनियोमे शिथिलता आ गयी थी। ये शिथिलाचारी अर्द्धफालक सघके साधु कहलाते थे। वलभी-नरेश वप्रवादकी आज्ञासे अर्द्धफालक सम्प्रदायसे काम्बलतीर्थकी उत्पत्ति हुई, तथा काम्बल अथवा काम्बलिक-तीर्थसे दक्षिण देशमें स्थित सावलिपत्तनमें यापनीय सघ उत्पन्न हुआ—

लाटाना प्रीतिचित्ताना ततस्तद्दिवस प्रति।
बभूव काम्बलं तीर्थं वप्रवादनृपाज्ञया॥
तत काम्बलिकात्तीर्थान्नून सावलिपत्तने।
दक्षिणापथदेशस्थे जातो यापनसघक॥ —भद्रबाहुकथा सख्या १३१

ये भद्रबाहुकथाके अन्तिम श्लोक हैं। इस अशको पढनेसे प्रतीत होता है कि अर्द्धफालक सम्प्रदायसे काम्बलतीर्थकी उत्पत्ति बताकर यह कथा समाप्त हो गई है। समाप्त कथामें एक श्लोक जोडकर यापनीयोकी उत्पत्तिका कथन प्रक्षिप्त लगता है, क्योकि जब हरिषेणने काम्बलतीर्थकी उत्पत्तिकी कथा अनेक पद्योमें विस्तारसे दी है, तो यापनीयोकी उत्पत्तिकी कथा भी विस्तारसे दी जानी चाहिए थी। अन्तिम श्लोक यापनीयविरोधी व्यक्ति द्वारा जोडा हुआ प्रतीत होता है, अपने कथनको वजन देनेके लिए 'नून' शब्द जोडा गया है। हरिषेणको यापनीय माननेके लिए स्त्रीमुक्ति तथा गृहस्थमुक्तिके उल्लेख प्रबल प्रमाण है। और इसी कारण पुन्नाटसघीय होनेसे जिनसेन भी यापनीय प्रतीत होते हैं।

स्वयंभूका सम्प्रदाय

महाकवि स्वयभूने अपभ्रशको स्थायी गौरवके आसन पर अधिष्ठित किया है। स्वयभूकी तीन कृतिया पउमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ एव स्वयभूच्छन्द उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पउमचरिउकी प्रशस्तिमे "सिरिपचमी" तथा "रिट्ठणेमिचरिउ"में "सुद्धयचरिउ"का उल्लेख भी मिलता है।

स्वयभूने स्वय अपने सम्प्रदायका कोई उल्लेख नही किया है। पुष्पदन्तके महापुराणके टिप्पणमें स्वयभूको आपुलीसघीय बताया गया है[1]। इससे ये यापनीय मालूम पडते हैं।

---

[1] महापुराण, पुष्पदन्त १ ९ ५ का टिप्पण "स्वयभू पाथडीबद्ध रामायणकर्ता आपुलीसघीय।"

प्रेमीजीने भी इन्हें यापनीय माना है।[1] श्री एच. सी भायाणी भी यही लिखते हैं कि यद्यपि इस सन्दर्भमें हमें स्वयभू की ओरसे कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष वक्तव्य नहीं मिलता है, परन्तु यापनीय सग्रन्थ अवस्था तथा परशासनमे भी मुक्ति स्वीकार करते थे और स्वयभू अपेक्षाकृत अधिक उदारचेता थे, अत. इन्हें यापनीय माना जा सकता है।[2]

स्वयभूके सम्प्रदायके विषयमें डॉ० सकटाप्रसाद उपाध्यायका कथन है कि अधिक निश्चित जानकारीके अभावमें चाहे स्वयभूके यापनीयसघीय होनेके विषयमें कोई अतिम निर्णय न हो सके, पर अन्त.साक्ष्योंके आधारपर उन्हें दिगम्बर सम्प्रदायका माननेमें कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।[3]

हमारी दृष्टिसे महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणके टोकाकारने जिस परम्पराके आधारपर इन्हें आपुलीसघीय कहा है, वह परम्परा वास्तविक होनी चाहिये। साथ ही अनेक तथ्योंसे इनके यापनीय होनेका समर्थन होता है।

(१) दिगम्बर परम्परामे रामको आठवा तथा पद्मको नवाँ बलदेव माना गया है। उदाहरणार्थ तिलोयपण्णत्ती[4], त्रिलोकसार[5], उत्तरपुराण[6] आदि ग्रन्थोंमें रामको आठवा तथा पद्मको नवा बलदेव कहा गया है। उसके विपरीत श्वेताम्बर परम्परामें पद्म आठवें तथा राम नवें बलदेव हैं। समवायसूत्र, अभिधानचितामणि[7], विचारसार-

---

१ जैन साहित्य और इतिहास प्रेमीजी पृ० १९८।

२ डॉ० एच०सी० भायाणी कृत 'पउमचरिउ' की भूमिका पृ० १३,५।

३. सकटाप्रसाद उपाध्याय कृत "महाकवि स्वयंभू" पृ० २०१, भारत प्रकाशन मदिर, अलीगढ १९६९।

४. तिलोयपण्णत्ती, अधिकार ४, गाथा १४११।
विजयो अचलो धम्मो सुप्पह णामो सुदसणो णदी।
णदिमित्तो य रामो पउमो णव होंति बलदेवा॥

५ त्रिलोकसार, गाथा ८२७।

६. उत्तरपुराण में ५७ वें पर्वमें विजय, ५८ वेंमें अचल, ५९ वेंमे धर्म, ६० वेंमें सुप्रभ ६२वेमें अपराजित, ६५वेंमें नन्दिषेण, ६६वेंमें नन्दिमित्र, ६७ में राम और ७१वेंमे बलदेव इन बलभद्रोके वर्णन है।

७. हेमचन्द्रकृत, काण्ड ३, श्लोक ३६२।
अचलो विजयो भद्र सुप्रभश्च सुदर्शन।
आनदो नन्दन पद्मो राम. शुक्ला बलास्त्वमी॥

प्रकरण[1] तथा पउमचरिय[2] आदि ग्रन्थोके उदाहरण लिये जा सकते है ।

इस प्रकार रामका नाम पद्म दिगम्बर परम्परानुसारी नही है, आचार्य रविषेण भी यापनीय आचार्य थे, ऐसा हमारा विचार है ।[3]

(२) डॉ० सकटाप्रसाद उपाध्यायके अनुसार रिट्ठणेमिचरिउमें उल्लेख है कि देवकीने क्रमसे भाईके घरमे तीन युगलोके रूपमें छह पुत्र उत्पन्न किये, जिन्हें इन्द्रकी आज्ञासे नैगमदेव सुभद्रिल नगरके सुदृष्टि सेठके घर पहुँचाता रहा और मृत पुत्रोको देवकीके पास छोडता रहा ।

यद्यपि यह उल्लेख आचार्य गुणभद्रने भी अपने उत्तरपुराणमें किया है—

ते नैगमर्षिणा नीत॰ श्रेष्ठिन्या न्वलकाख्यया ।
वर्धिता देवदत्तश्च देवपालोऽनुजस्तत. ।। ७१-२९५ ।

तथापि हरिणेगमेसि (नैगमदेव) का यह उल्लेख श्वेताम्बर परम्पराके अनुरूप है । भगवान् महावीरका गर्भ देवानदा ब्राह्मणीकी कुक्षिसे माता त्रिशलाकी कुक्षिमें परिवर्तित करने वाला यही देवता है। यही यहाँ भी सतानप्रदाताके रूपमें चित्रित है । अतगडदसासूत्रमें नायगामेष सतानप्रदाता देवके रूपमे वर्णित है । इस ग्रन्थके तीसरे वर्गके आठवें अध्ययनमे जम्बूस्वामी और सुधर्मास्वामीके प्रश्नोत्तर द्वारा छह अनगार साधुओका कथानक वर्णित है । ये छह अनगार साधु देवकीके पुत्र थे । हरिणेगमेसीकी अनुकपासे नाथ गाथापतिकी पत्नी सुलसाको प्राप्त हुए थे । सुलसा सतानकामनाके वशीभूत होकर हरिणेगमेसी देवकी भक्त बन गयी । सुलसाकी भक्तिभावनासे हरिणेगमेसी देव प्रसन्न हुआ । छह अनगार भक्तोंके सम्बन्धमें देवकी द्वारा उठाई गयी शकाका समाधान करते हुए आगे कहा गया है कि हरिणेगमेषी देव नाथ गाथापतिकी पत्नी पर अनुकम्पाके लिये उसके मृत पुत्रोको तुम्हारे पास रख देता था और तुम्हारे बालकोको सुलसाके पास । इसलिये देवकी ये सभी पुत्र तुम्हारे ही हैं ।[4]

डॉ० कस्तूरचन्द्र जैनने "जैन देवलोकका अस्तगत नक्षत्र हरिणेगमेसि" में इस पर

---

[1] प्रद्युम्नसूरिकृत—गाथा ५६७
[2] विमलसूरिकृत पउमचरिय पर्व ५ गाथा १५४
अयलो विजयो भट्टो सुप्पभ सुदंसणो य नायव्वो ।
आणदो नदणो पउमो नवमो रामो य बलदेवो ।।
[3] देखिए इसी परिच्छेदमें आचार्य रविषेण ।
[4] अन्तगडदसाओ, वर्ग ३, अध्ययन ९ ।

विस्तारसे विचार किया है।[1] पुन्नाटसंघीय जिनसेनके हरिवंशपुराण तथा हरिषेणके बृहत्कथाकोशमें भी नैगमदेवका देवकीके पुत्रोंके रक्षकके रूपमें उल्लेख है।[2]

(३) स्वयम्भूने वर्द्धमान-मुख-कुहर-विनिर्गत रामकथाके प्रसंगमें कहा है कि इस सुन्दर रामकथारूपी नदीको गणधर देवोंने बहते हुए देखा है। पहले इन्द्रभूति गौतमने देखा, फिर गुणालंकृत धर्माचार्यने, फिर संसारसे विरक्त प्रभवाचार्यने, तदनन्तर अनुत्तरवाग्मी कीर्तिधरने। इसके पश्चात् आचार्य रविषेणके प्रसादसे कविराजने इसमें अपनी बुद्धिसे अवगाहन किया—

एह रामकह-सरि सोहन्ती। गणहरदेवहिं दिट्ठ वहन्ती
पच्छइ इन्दभूइ-आयरिएं। पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं ॥
पुणु पहवे संसाराराएं। कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं।
पुणु रविसेणायरियपसाएं। बुद्धिएं अवगाहिय कइराएं ॥[3]

स्वयम्भू द्वारा प्रभवस्वामीका उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। जम्बूस्वामीके पश्चात् जैन सम्प्रदायकी दो धाराएँ प्राप्त होती हैं। आचार्य विष्णु दिगम्बर परम्पराके तथा आचार्य प्रभव श्वेताम्बर परम्पराके प्रमुख व प्रथम श्रुतकेवली आचार्य हैं। स्वयम्भूका यह कथन न केवल उनके यापनीयत्वको पुष्ट करता है, अपितु यापनीय प्रभवस्वामीकी परम्पराके थे, इस तथ्यको भी उद्घाटित करता है। यद्यपि पं० नाथूरामजी प्रेमीने जैन साहित्य और इतिहासमें रिट्ठणेमिचरिउका अन्तिम अंश प्रकाशित किया है, इसमें हरिवंश-कथाकी परम्परा वीरजिनेश-गौतम स्वामी-सुधर्मा-जम्बूस्वामी-विष्णुकुमार-नन्दिमित्र-अपराजित-गोवर्द्धन तथा सुभद्रबाहु इस प्रकार दी गई है, पर स्मरणीय है कि यह अंश मुनि जसकित्ति द्वारा रचित है जिन्होंने स्वयं अपना उल्लेख किया है।

(४) स्वयम्भूने अपने पउमचरिउमें अनस्तमित भोजनका वर्णन करते हुए कहा है कि गंधर्व देव दिनके पूर्वमें, सभी देव दिनके मध्यमें, पिता-पितामह दिनके अन्तमें तथा राक्षस, भूत, पिशाच और ग्रह रात्रिमें खाते हैं।[4]

यक्ष-राक्षसादिकोंका यह कवलाहार दिगम्बर परम्पराको इष्ट नहीं है, उनके अनुसार देवताओंका मानसिक अमृताहार होता है—देवेसु मणाहारो।[5]

---

१. तुलसीप्रज्ञा, अप्रैल-जून ७५ मे प्रकाशित।

२. हरिवशपुराण ३५/४ तथा बृहत्कथाकोश, उग्रसेन-वसिष्ठकथानक १०६/२२५।

३ पउमचरिउ १/६-९।

४ पउमचरिउ ३४.८,४५।

पुव्वण्णउ गण गन्धव्वयहुँ। मज्जण्हउ सव्वहु देवयहुँ।
अवरण्हउ पियर-पियामहउ। णिसि रक्खय-भूय-पेय-गहहुँ ॥

५. प्राकृत भावसग्रह, गाथा ११२।

(५) पउमचरिउमें १६वें स्वर्गमें अवस्थित सीताके जीव स्वयंप्रभदेवका रावण तथा लक्ष्मणको सबोधित करनेके लिये तीसरी पृथिवी बालुकाप्रभामें गमन बताया गया है।[1] धवला टीकाके अनुसार १२वें से १५वें स्वर्ग तकके देव प्रथम नरकके चित्रा भागसे आगे नही जाते हैं।[2]

(६) पउमचरिउमे भगवान् अजितनाथके वैराग्यका कारण म्लानकमल बताया गया है।[3] त्रिलोक प्रज्ञप्तिमें तारा टूटकर गिरना बताया गया है।[4]

(७) भगवान् महावीरका चरणाग्रसे मेरु कम्पित करना बताया गया है, जो श्वेताम्बर मान्यता है।[5]

(८) भगवान्के चलने पर देवनिर्मित कमलोका रखा जाना एक अतिशय बताया है, यह भी श्वेताम्बर मान्यता मानी है।[6]

(९) तीर्थंङ्करका मागधी भाषामें उपदेश देना[7] श्वेताम्बर मान्यता ही कही जा सकती है। दिगम्बर परम्पराके अनुसार समवशरणमें तीर्थङ्कर की दिव्यध्वनि खिरती है, जो सर्वभाषा रूप होती है।[8]

(१०) दिगम्बर उत्तरपुराणमें सगरपुत्रोका मोक्षगमन वर्णित है। पर यहाँ विमल-सूरि तथा रविषेणके अनुसार भीम और भगीरथ दो पुत्रोंको छोडकर शेषका नागकुमार देवके कोपसे भस्म होना वर्णित है।[9]

इन वर्णनोंके आधार पर स्वयभू यापनीय सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार अनेक ग्रथोके अन्त परीक्षण करने पर जो ग्रथ यापनीय प्रमाणित हुए हैं, उनका उल्लेख इस परिच्छेदमें किया है। इसी सदर्भमें जटासिहनन्दि अथवा जटिलके वरागचरितका भी अध्ययन किया। किन्तु उसमे कोई ऐसे अन्तरग उल्लेख

---

१ पउमचरिउ ८९,८ ३ ४।
पडिबोहणहिं पयट्ट सयम्पहु। लघेवि पढम णरउ रयणप्पहु।
पुणु अइकमेवि पुढवि सक्करपहु। सम्पाइउ रवणेण बालुयपहु॥

२ धवला, पुस्तक ४, पृ० २३८-९।

३ पउमचरिउ ५ २ २-३।

४ तिलोयपण्णत्ति ४ ६०८।

५ पउमचरिउ १,७,१। परमेसरु-पच्छिल-जिणवरिन्दु। चलणग्गे-चालिय-महिहरन्दु॥

६ पउमचरिउ १ ७,३ वण्णरह-कमलायत्त-पाउ।

७ वही ५ ९ ५ मागह भाषाएँ कहइ भडारउ।

८ महापुराण २३/७०।

९. पउमचरिउ ५,१०,२-३।

१ वरांगचरित की अंग्रेजी प्रस्तावना, पृ० १६ मे उद्धृत।

२. वही, प्रस्तावना, पृ० १६।

३ वही, पृ० १७।

४ डॉ० उपाध्येका लेख, 'यापनीय संघ पर कुछ और प्रकाश', अनेकांत, वीर निर्वाण-विशेषांक, १९७५।

चतुर्थ परिच्छेद

यापनीयोंकी विचार-संहिता

विचार-संहिता

यापनीयोंके विशिष्ट सिद्धान्तोकी चर्चा इस परिच्छेदमे की जायेगी। ये सिद्धान्त दिगम्बर सम्प्रदायसे प्राय भिन्न हैं।

स्त्रीमुक्ति

हरिभद्रसूरिने स्त्रीमुक्तिका निरूपण करते समय यापनीयतत्रको प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है। यह यापनीयतत्र यापनोय आचार-विचारोका प्रतिपादक ग्रन्थ रहा होगा। हरिभद्रसूरिने ललितविस्तरामें उसका यह उद्धरण उपन्यस्त किया है—

"यथोक्त यापनीयतत्रे णो खलु इत्थी अजीवो (अजोवा) ण यावि अभव्वा, ण यावि दसणविरोहिणी, णो अमाणुसा, णो अणारिउप्पत्ती, णो असख्यज्जाउया, णो ववसायवज्जिया, णो अपुव्वकरणविरोहिणी, णो णवगुणठाणरहिया, णो अजोग्गा लद्धीए, णो अकल्लाणभायण त्ति कह न उत्तमधम्ममाहिग त्ति।"[1]

मूलाचारमें भी एक गाथामें स्त्रीमुक्तिका विधान मिलता है—

एव विधाणचरिय चरति जे साधवो य अज्जाओ।
जगपुज्ज ते कित्ति सुह च लद्धूण सिज्झति॥"[2]

आचार्य शाकटायनके स्त्रीमुक्ति-प्रकरणमें स्त्रीमुक्तिकी तार्किक चर्चा प्राप्त होती है। दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आचार्योंने इसीको आधार बनाकर स्त्रीमुक्तिका खण्डन और मण्डन किया है। आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुद-चन्द्रमें स्त्रीमुक्ति तथा केवलिभुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी युक्तियोका खण्डन किया है तथा श्वेताम्बर आचार्योंमें हरिभद्रसूरिने ललितविस्तरा, शास्त्रवार्तासमुच्चय आदिमें इसका मण्डन किया है।

प० दलसुख मालवणियाके अनुसार स्त्रीमुक्ति दार्शनिक चर्चा व्यवस्थित रूपसे सर्वप्रथम यापनीय सघके आचार्य शाकटायनने अपने स्त्रीमुक्तिप्रकरणमें की। द्वादशागी (मूलसूत्र व छेदसूत्रमें भी) इसका स्पष्ट विवेचन दृष्टिगोचर नही होता।

आचार्य शाकटायनने स्त्रीमुक्तिके समर्थनमें जो युक्तियाँ इसमें सक्षेपमें दी हैं, वे इस प्रकार हैं—

---

१ ललितविस्तरा, पृ० ४०२।
२ मूलाचार, ४-१९६।

१. मोक्षका कारण रत्नत्रय है और स्त्री भी रत्नत्रयकी धारिका होती है। देव आदिकी भाँति रत्नत्रय स्त्रीमें नही होता, यह बात प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नही की जा सकती।

२. स्त्रियां सातवें नरक तक नही जा सकतीं, अत वे मुक्त भी नहीं हो सकतीं, यह कथन अयुक्त है, चरमशरीरी भी सातवें नरकमें नही जाते, फिर भी वे उसी पर्यायसे मुक्त होते हैं।

३. वादादिलब्धिका अभाव, श्रुतज्ञानमें न्यूनता, जिनकल्पित्व तथा मन पर्यय ज्ञानके न होनेसे उन्हे मुक्ति नही हो सकती, यह कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि मुक्तिका हेतु रत्नत्रय उनमें स्वीकार किया गया है।

४. वस्त्रपरिग्रहसे मुक्ति नही होती तो मोक्षार्थिनीको वस्त्रत्याग देना चाहिए। किन्तु आगमाज्ञा न होनेसे स्त्री वस्त्रत्याग नही कर सकती। इस स्थितिमें वस्त्रग्रहण उसके लिए प्रतिलेखनकी भाँति मुक्तिका साधन होता है, परिग्रह नही, क्योंकि संसार का कारण परिग्रह है वस्त्र नही। यदि धर्मसाधनोंको परिग्रह मानेंगे तो पिण्ड, औषधि आदि भी वस्त्रकी भाँति परिग्रह माने जायेंगे। साथ ही अर्श, भगदर आदिके कारण उपसर्गकी स्थितिमें वस्त्रधारी यतिकी मुक्ति नही मानी जा सकेगी।

५ पुरुषोंके आचेलक्यको जो उत्सर्ग लिंग माना गया है, वह सिद्ध न होगा क्योंकि अपवादमार्ग न होनेसे आचेलक्य ही एकमात्र मार्ग शेष रहेगा।

६. वस्त्रधारणके कारण हिंसा होनेसे चारित्रपालन असंभव है, इसलिए स्त्रियोंकी मुक्ति नही होती, यह हेतु भी असिद्ध है, क्योंकि प्रमाद ही हिंसा है, अन्यथा जीवाकुल लोकमे पुरुष भी अहिंसक नही हो सकता। वस्त्र स्त्रीके लिए धर्मसाधन है, परिग्रह नही। यही उसके लिए यथाख्यातचारित्र है।

७. स्त्रियाँ पुरुषोको स्मरण, वारण (निवारण) और प्रेरणा नही करती, अर्थात् पुरुषोकी गुरु नही होती, अत हीन है, यह कथन भी युक्त नही, क्योंकि फिर शिष्यों की मुक्ति नही हो सकेगी। और फिर तीर्थंकरोकी माता तो इन्द्र द्वारा भी पूज्य है।

८ माया आदि मानसिक दोष स्त्री-पुरुषोमें समान होते हैं, अत स्त्री मायावी होती है, यह युक्ति भी स्त्रीकी मुक्तिमें बाधक नही है।

९ स्त्रियोंको हीन, सत्त्व कहना अयुक्त है, क्योंकि उन्हें भी उग्र तपश्चर्या करते हुए पाया गया है।

१० सम्यग्दृष्टि जीव स्त्रीत्व-पर्याय प्राप्त नही करता, इसका भी कोई प्रमाण नही है।

११ श्रुत-ज्ञानमें न्यूनता आदि कारणोंसे स्त्री मुक्तिका निषेध करेंगे, तो मूक केवलीको भी मोक्ष नही होगा। सूत्रमें (तत्त्वार्थाधिगम सूत्रमें) जो यह कहा गया है कि

केवल सामायिक पाठका उच्चारण करके अनन्त जीव सिद्ध हो गये हैं, यह मिथ्या हो जायेगा।

१२ आगममें कहा गया है कि एक समयमें १०८ पुरुष, २० स्त्रियों तथा १० नपुंसक सिद्ध होते हैं। स्त्रीमुक्तिप्रकरणमें संकेतित इस गाथाको आचार्य प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्रमे उद्धृत किया है।[1]

१३ भाव ही सिद्धिका कारण है। द्रव्यपुरुष यदि भावस्त्री होकर मुक्त हो सकता है, तो फिर द्रव्यस्त्री भावपुरुष होकर क्यों नही मुक्त हो सकती ? सिद्ध होते समय वेद नही रहता। अनिवृत्तिबादरसम्पराय गुणस्थानमें वह नष्ट हो जाता है। भूतपूर्व-गतिसे क्षपकश्रेणीमें आरोहण करते समय जो वेद होता है, उसी वेदसे मुक्त माना जाता है। स्त्रीमुक्ति गौण अर्थमें नही, मुख्य अर्थमे है अर्थात् उसी भवसे स्त्रीमुक्ति होती है।

१४ स्त्री और पुरुष दोनोके लिए चौदह गुणस्थान कहे गये हैं।[2]

भगवती आराधना तथा विजयोदया टीका यापनीय ग्रन्थ है, परतु इनमें स्पष्ट रूपसे स्त्रीमुक्तिका समर्थन नही मिलता। प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने लिखा है कि वे सवस्त्रमुक्ति प्रथा, स्त्रीमुक्तिके समर्थक प्रतीत नही होते।[3]

भक्तप्रत्याख्यानके अवसर पर उत्सर्ग-अपवाद लिंगकी चर्चा आई है। यहाँ टीका-कार अपराजितसूरि कहते हैं—'यतीनामपवादकारणत्त्वात् परिग्रहोऽपवाद'। इस वाक्यके आधारपर प० कैलाशचन्द्र शास्त्री परिग्रहको यतियोके लिये अपवाद तथा अपवादलिंगको गृहस्थोके लिए मानते हैं। उनके अनुसार मुनि तो औत्सर्गिक लिंगका ही धारी होता है।

(स्त्रियोंके लिंगकी प्ररूपक गाथाके विषयमें उनका कथन है कि इसकी टीकामे अपराजितसूरिने स्पष्ट कर दिया है कि तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक लिंग होता है और इतरका अर्थ श्राविका किया है तथा लिखा है—भक्तप्रत्याख्यानमें तपस्विनियों-के औत्सर्गिक लिंग होता है। इतर अर्थात् श्राविकाओंके पुरुषोकी तरह समझना चाहिए अर्थात् स्त्री यदि रानी वगैरह है, लज्जाशील है, उसके कुटुम्बी मिथ्यामती हैं, तो उसको पूर्वोक्त औत्सर्गिक लिंग, जो सकल परिग्रहत्यागरूप है, एकान्त स्थानमे देना चाहिए। इसपर प्रश्न किया गया है कि स्त्रियोके उत्सर्ग लिंग कैसे कहते हैं ? उत्तर में कहा है कि परिग्रह अल्प करनेपर उनके भी उत्सर्गलिंग होता है। यहाँ यह ध्यान

१ न्यायकुमुदचन्द्र, भाग २, पृ० ८६९, माणिकचन्द्र दिग० जैन ग्रथमाला, बम्बई, १९४१।

२ शाकटायन व्याकरण (परिशिष्ट-२) पृ० १२१-६।

३ भगवती आराधना, भाग १, प्रस्तावना, पृ० ३०।

देना चाहिए कि यदि ग्रन्थकार और टीकाकारको सवस्त्रमुक्ति अभीष्ट होती तो वह भक्त-प्रत्याख्यानके लिए औत्सर्गिक लिंग आवश्यक नहीं रखते और न टीकाकार उत्सर्गका अर्थ सकलपरिग्रहका त्याग करते तथा परिग्रहको यतिजनोंके अपवादका कारण होनेसे अपवादरूप न कहते और न स्त्रियोंसे ही अन्तिम समयमें एकान्त स्थान में परिग्रहका त्याग कराते।" "जो सकलपरिग्रहके त्यागको मुक्तिका मार्ग मानते हैं, वह सवस्त्रमुक्ति या स्त्रीमुक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है।"[1]

प० शास्त्रीके इस वक्तव्यके विषयमें हमारा निवेदन है कि यद्यपि यह सत्य है कि ग्रन्थकार और टीकाकार दोनों ही साधुके आचारमें शिथिलाचारके विरोधी हैं तथापि वे सवस्त्रमुक्तिका विरोध करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता।

अचेल लिंगको उन्होंने उत्सर्ग लिंग कहा है तथा सचेल लिंगको अपवाद लिंग कहा है। उत्सर्ग और अपवाद लिंगकी चर्चा साधुके प्रसंगमें ही संभव है, क्योंकि साधुका ही उत्सर्ग लिंग आचेलक्य है, अतः अपवाद लिंग भी साधुके लिए ही है। अपवाद उत्सर्ग सापेक्ष तथा उत्सर्ग अपवाद सापेक्ष होता है। साधुका लिंग उत्सर्ग लिंग है, अतः अपवादलिंग भी साधुका ही हो सकता है।

अन्यत्र भी अपराजितसूरिने सवस्त्र यतिको स्वीकार किया ही है, कारणविशेषसे आगमोंसे वस्त्रकी अनुज्ञा मानी है। इसमें इतना निश्चित है कि वे सवस्त्र मुनि स्वीकार करते हैं। हाँ, उन्होंने सवस्त्र मुनिके साथ गृहस्थके लिंगको भी अपवादलिंग कहा है। धनवान्, लज्जालु तथा मिथ्यात्वी कुटुम्बवाला गृहस्थ ही हो सकता है, साधु नहीं।

आर्यिकाके प्रसंगमें वे तपस्विनीके लिंगको उत्सर्ग लिंग कहते हैं व श्राविकाके लिंगको अपवाद लिंग।

स्त्रीके लिंगकी निरूपक गाथा और उसकी टीका इस प्रकार है—

इत्थीवि य जं लिंगं दिट्ठं उस्सग्गियं व इदरं वा।
तं तत्थ होदि हु लिंगं परित्तमुवधिं करेंतीए॥ ८०॥

इत्थीवि य स्त्रियोऽपि। जं लिंगं यल्लिंग। दिट्ठं दृष्टं आगमेऽभिहितं। उस्सग्गियं व औत्सर्गिकं तपस्विनीनां प्राक्तनम्। इतरासां पुंसामिव योज्यम्। यदि महर्द्धिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्याः प्राक्तनं लिंगं विविक्ते त्वावसथे उत्सर्गलिंगं वा सकलपरिग्रहत्यागरूपम्। उत्सर्गलिंगं कथं निरूप्यते स्त्रीणामित्यत आह—तं तत् उत्सर्गलिंगं। तत्थ स्त्रीणां होदि भवति। परित्तं अल्पं। उवधिं परिग्रहं करेंतीए कुर्वंत्या।[2]

---

1. भगवती आराधना, भाग-१, प० कैलाशचन्द्रजी, प्रस्तावना, पृ० २९-३०।
2. भगवती आराधना, भाग १, पृ० ११५।

यहाँ स्पष्ट कथन है कि स्त्रियोंका जो लिंग आगममें अभिहित है, वह उत्सर्ग है, अर्थात् तपस्विनीका लिंग उत्सर्ग लिंग है। आगममें तपस्विनीका लिंग सवस्त्र ही है, उसे ही ग्रन्थकार और टीकाकार दोनों उत्सर्गलिंग मानते हैं, अपवाद नहीं। यही उनकी दिगम्बर परम्परासे भिन्न दृष्टि है, जो आर्यिकाके महाव्रतोंको उपचार रूपमें मानती है, परन्तु यापनीय दृष्टि तपस्विनीके लिंगको उत्सर्ग लिंग मानती है।

भक्तप्रत्याख्यानके अवसरपर तपस्विनीका लिंग प्रावतन अर्थात् उत्सर्ग लिंग होता है, इतरका अर्थ श्राविका है। श्राविकाका लिंग पुरुषोंकी भाँति समझना चाहिए। (अर्थात् यदि स्त्री धनवती, लज्जावती, मिथ्यादृष्टि स्वजनवाली है, तो उनका जो पूर्व लिंग अर्थात् अपवादलिंग है, वह होना चाहिए, अन्यथा अर्थात् ऐसा नहीं है तो सकल-परिग्रहत्यागरूप उत्सर्गलिंग दिया जा सकता है।

(सकलपरिग्रहत्यागरूप उत्सर्गलिंग कहने पर अपराजितसूरि उसका भी स्पष्टीकरण करते हैं। स्त्रियोंका उत्सर्गलिंग कैसे निरूपित किया जाता है—परिग्रहोंको अल्प करती हुई स्त्रीका लिंग उत्सर्ग लिंग होता है।)

(इस गाथासे यह अर्थ ध्वनित नहीं होता है कि स्त्री भी अंतिम समयमें एकान्तमें निर्वस्त्र हो जाये, अपितु श्राविका भी यदि धनवती, लज्जावती या मिथ्यादृष्टि स्वजन-वाली न हो, तो एकान्तमें उत्सर्गलिंग अर्थात् तपस्विनीका लिंग (एकशाटिकाधारण रूप) ग्रहण कर सकती है। हमें इस गाथा या टीकासे एकान्तमें स्त्रीके निर्वस्त्र होने-का कथन प्रतीत नहीं होता)

अपराजितसूरि आर्यिकाओं तथा कारण-विशेषसे भिक्षुओंको वस्त्रकी अनुज्ञा मानते हैं। साथ ही एक अवसरपर पुरुषको ही परिपूर्ण संयमका पालक कहते हैं—

'परिपूर्णसंयममाराधयितुकामस्य जन्मान्तरे पुरुषादिप्रार्थना प्रशस्त निदानम्।'[1]

भगवती आराधनाकार भी पुरुषत्वको संयमका हेतु कहते हैं—'संजमहेतु पुरिसत्त '[2]

इतना निश्चित है कि भगवती आराधनाकार तथा उसके टीकाकार अपराजित यापनीय हैं और यह भी निश्चित है कि यापनीय स्त्रीमुक्तिके समर्थक थे। शाकटायन-का स्त्रीमुक्तिप्रकरण तथा हरिभद्रसूरि आदि विद्वानोंके कथन तथा यापनीयतंत्रके उद्धरण इसके प्रबल प्रमाण हैं।

भगवती-आराधना तथा विजयोदयासे स्पष्ट है कि वे पूर्ण चारित्र पालनका

---

१ भगवती आराधना, भाग १, विजयोदया टीका, पृ० ५६।

२ भगवती आराधना, भाग २, गाथा १२१०।

की प्रधानता है। विशेप वेदके नष्ट हो जाने पर भी उपचारसे उसी सज्ञाको धारण करने वाली मनुष्यगतिमे चौदहो गुणस्थान मान लेनेमें कोई विरोध नही आता।

इस प्रकार धवलाकारने यहाँ मनुष्यनीका अर्थ भावस्त्रीवेदी पुरुप लिया है और उनके चौदहो गुणस्थान माने हैं। यद्यपि चौदहो गुणस्थान तक वेदकी सत्ता नहीं रहती तथापि पहले वेदके सद्भावमे जिन्हें मनुष्यनी कहा, उन्हें हो वेदके अभावमें उपचारसे उसी नामसे सबोधित किया गया है।

इस विपयमे स्व० डॉ० हीरालालजी जैनका कथन है—(यथार्थत: यदि स्त्रियोंमें संयमासयमसे ऊपरका गुणस्थान सभव ही न माना जाय, तो श्राविकासघसे आर्यिका सघकी पृथक् व्यवस्था वनती ही नहीं है, जिस प्रकार पाँचवें गुणस्थान तकके पुरुष चाहे वे क्षुल्लक-ऐलक ही क्यो न हा जायें, श्रावक ही माने जाते हैं, मुनि नहीं, उसी प्रकार उक्त गुणस्थान तककी स्त्रियोका समावेश श्राविकासघमें ही होगा। उससे ऊपर आर्यिकासघकी पृथक् व्यवस्था तभी स्वीकार की जा सकती है, जब उनमें पाँचवेंसे ऊपरके गुणस्थानोकी उत्पत्ति मानी जाय।)

पुरुषशरीरी जीवमें स्त्रीवेदका उदय तथा स्त्रीशरीरी जीवमें पुरुपवेदका उदय सिद्धान्तानुसार घटित नही होता।

यदि पुरुपशरीरमे स्त्रीवेदका और स्त्रीशरीरमे पुरुपवेदका सद्भाव स्वीकार ही किया गया तो भाववेद मात्रकी विवक्षानुसार सूत्रकारकृत मनुष्य और मनुष्यनी विभाग माने तो यह व्यवस्था होगी कि स्त्रीशरीरी पुरुपवेदी जीव मनुष्योमें अन्तर्भूत होंगे।

उपचारसे मनुष्यनीसज्ञा मानना और विशेपणके छूट जाने पर भी भूतपूर्वन्याय आदिसे काम लेना पडे तो वहा सिद्धान्तकी जड कमजोर हो प्रतीत होगी। यदि वेद की प्रधानताको छोडकर गतिकी प्रधानतासे ही कथन करना था, तो वेदके अनुसार यहाँ भेद ही क्यो किये गये ? यथार्थत. प्रस्तुत प्रकरणमे तो योगमार्गणा चल रही थी और काययोगके सिलसिलेमें इन विभागोके अनुसार कथन किया गया है। मनुष्य, गतिकी प्रधानतासे तो गतिमार्गणामें ऊपर सूत्र २६ में गुणस्थानप्ररूपण किया जा चुका है। वेदमार्गणानुसार प्ररूपण आगे १०१ आदिमें किया गया है। और वहाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक ही वेदोके आधारसे कथन है, उसके आगेके गुणस्थानोंको अपगतवेद कहा है। इस प्रकार यथार्थत यहाँ भाववेदको विवक्षा कोई सार्थकता नहीं रखती और उसे छोडकर गतिकी प्रधानता सिद्ध नही होती।[1]

इस प्रकार षट्खण्डागमको प्रमाण माननेसे उन्हें अपने स्त्रीमुक्ति सिद्धान्तमें कोई विरोध नही प्रतीत हुआ होगा।

---

१ जैन सिद्धान्त-भास्कर, आरा, बिहार, भाग ११,-किरण १, क्या षट्खण्डागम और धवलाकारका अभिप्राय एक है ?

केवलिभुक्ति—यापनीय केवलीके कवलाहारके समर्थक थे। जिसका संकेत तत्त्वार्थ-सूत्रके 'एकादश जिने' सूत्रसे मिलता है। शाकटायनने कवलाहारके समर्थनमें पूरा प्रकरण लिखा है। उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं—

१ केवलीमें भुक्तिके कारण पर्याप्ति (इन्द्रियोकी पूर्णता), वेद्य (वेदनीय कर्म), तैजस और आयु विद्यमान रहते हैं।

२ इस समय तक समस्त कर्मोका नाश नही हुआ है। केवलीके ज्ञान आदि गुण क्षुधाके विरोधी नही है। जिस प्रकार प्रकाश होने पर अधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानकी वृद्धि होने पर क्षुधाका विनाश नही होता। क्षुधाका ज्ञान आदिसे विरोध नही है।

३ क्षुधा दु ख है वह अनन्त सुखगुणकी विरोधिनी है, यह उचित नही है। मोहरहित भगवानमे आहारकी आकाक्षा रूप क्षुधा रहती है। शीत, उष्ण, आदि की भाँति क्षुधा मोहस्वरूप नही है, मोहका परिणाम नही है, अत उसके परिहारकी आकाक्षा होती है।

४ अनतवीर्य और तृष्णारहित केवली क्या भोजन करते हैं? यह शका भी उचित नही है। यदि अनन्तवीर्यके कारण भुक्तिके बिना भी शरीरस्थिति मानेंगे, तो आयुकर्मके बिना भी शरीरस्थिति माननेका प्रसग होगा।

५ वचन-गमन आदि की भाँति भुक्तिका उद्देश्य भी स्वपरसिद्धि है। भुक्तिमें दोष मानने पर तो केवलीका बैठना, उठना, ठहरना आदि भी दोषयुक्त होगा।

६ रोगादिकी तरह क्षुधा भी वेदनीयकर्म होनेसे केवलीमे होती ही है।

७ जिस प्रकार तैलक्षय होने पर दीपकी तथा जलागमके बिना जलधाराकी स्थिति नही है, उसी प्रकार आहारके बिना शरीरकी स्थिति नही है।

८ सर्वज्ञके मासादिका दर्शन होनेसे अतरायका कथन उचित नही है, क्योकि अवधिज्ञानी भी सब कुछ देखते हैं, पर अन्तराय नही होता। इन्द्रियका विषय होने पर ही अन्तराय होता है।

दिगम्बर परम्परामें प्राय केवली अवर्णवादके रूपमे केवली-कवलाहारको उपन्यस्त किया जाता है, विजयोदयामें अर्हन्त अवर्णवादके उदाहरणमे सर्वज्ञता और वीतरागता का अभाव बताया गया है।

मुनियोका उपाश्रय भोजन

यापनीय मुनि निर्ग्रन्थ अत पाणितलभोजी होते थे, इसका प्रमाण शिवार्यका पाणितलभोजी विशेषण है, तथापि उपाश्रयमें लाकर भोजन करनेके भी सकेत मिलते है।

मूलाचारमें विरतियोके उपाश्रयमें विरतोका भोजनका निषेध है। इससे अपने उपाश्रयमे लाकर भोजनका परोक्ष सकेत मिलता है। रुग्ण, ग्लान, क्षपक हेतु अन्य मुनियोके भोजन-पानक लानेका तो भगवती आराधनामें स्पष्ट निर्देश है ही। इसके अतिरिक्त वृत्तिपरिसंख्यान तपके अतिचारके विषयमे विजयोदयामें कहा गया है कि सात घरमे प्रवेश करूँगा इत्यादि सकल्प करनेके पश्चात् दूसरोको भोजन कराना है, इस भावसे अधिक घरोमे प्रवेश करना तथा एक मुहल्लेसे दूसरे मुहल्लेमें जाना वृत्तिसंख्यान दोषके अतिचार हैं।[1] वृत्तिपरिसख्यान तपके अवसर पर ही कहा गया है—'एकेनैव दीयमान द्वाभ्यामेवेति दानक्रियापरिमाणम्। आनीतायामपि भिक्षाया इयत एव ।'[2] रात्रिभोजननिवृत्तिके अवसर पर भी—'क्वचिद् भाजने दिवैव स्थापित, आत्मवासे भुञ्जानस्यापरिग्रहव्रतलोप स्यात्' ।[3]

इन उल्लेखोंसे प्रतीत होता है कि यापनीय परम्परामें भोजन एकत्रित करके निवासस्थान पर ग्रहण करनेका भी विकल्प था। पात्रग्रहण भी अपवाद रूपमें स्वीकृत था, यह भी इससे स्पष्ट है।

आराधना—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपके साथ आराधना शब्दका प्रयोग तथा उद्योतन आदि रूपसे कथन भगवती आराधना तथा विजयोदयामें ही है। श्वेताम्बर ग्रन्थ 'प्रकीर्णक मरण-विभक्ति'में दो विभाग हैं—प्रथम सल्लेखना श्रुत और दूसरा आराधना श्रुत। इस ग्रन्थकी अन्तिम गाथाओमें कहा गया है कि मरणविभक्ति, मरणविशुद्धि, मरणसमाधि, सल्लेखनाश्रुत, भक्तपरिज्ञा, आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, आराधनाप्रकीर्णा इन आठ श्रुतोका भाव लेकर मरणविभक्ति की रचना की है। इसका दूसरा नाम मरणसमाधि है।

भगवती आराधनामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, तथा सम्यक् तपकी आराधनाका स्वरूप, भेद, उसके उपाय, साधक, सहायक और फलका कथन है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपके उद्योतन, उद्यापन, निर्वहण, साधन और निस्तरणको आराधना कहा गया है। ज्ञानका निश्चयात्मक और विपरीततारहित होना ज्ञानका उद्योतन है। भावनाओमें मन लगाना चारित्रका उद्योतन है। सयमकी भावना द्वारा असयमको दूर करना तपका उद्योतन है। बार-बार दर्शनादि

---

१ वृत्तिपरिसख्यानस्यातिचारा गृहसप्तकमेव प्रविशामि, एकमेव पाट दरिद्रगृहमेव। एवभूतेन दायकेन दायिकया वा दत्त ग्रहीष्यामीति वा कृतसकल्पगृहसप्तकादिकादधिकप्रवेश पाटान्तरप्रवेशश्च परं भोजयामीत्यादिक। पृ० ३७१।

२ वही, पृ० २४१।

३ वही पृ० ५९३।

रूप परिणमनको उद्यवन कहते हैं। परीषह आदि उपस्थित होने पर भी निराकुलता-पूर्वक वहन अर्थात् धारण करनेको निर्वहण कहते हैं। अन्य और उपयोग लगनेसे दर्शन आदिसे मन हटने पर पुन उसमे लगाना साधन है। अर्थात् नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यग्दर्शनादिमे व्यवधान आ जाए तो पुन उसे उपायपूर्वक करना साधन है। दूसरे भवमें भी सम्यग्दर्शनादिको साथ ले जाना अथवा इस भवमें मरणपर्यन्त धारण करना निस्तरण है। तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्दर्शन है। स्वपरज्ञान सम्यग्ज्ञान है। पापका बन्ध कराने वाली क्रियाओका त्याग चारित्र है और इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हैं। सक्षेपमें आराधना दो प्रकारकी होती है, क्योकि दर्शनका ज्ञानके साथ तथा चारित्रका तपके साथ अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे दर्शनाराधनामें ज्ञानाराधनाका तथा चारित्राराधनामें तपाराधनाका अन्तर्भाव हो जाता है। दर्शन-आराधना करने वालेके नियमसे ज्ञानकी आराधना होता है, किंतु ज्ञानकी आराधना करने वालेके दर्शनकी आराधना होती भी है नही भी, इसी प्रकार चारित्रकी आराधना करने वालेके तपकी आराधना नियमसे होती है, किन्तु तप की आराधना करने वालेके चारित्रकी आराधनाका नियम नही है।[1] समस्त प्रवचनका सार आराधना ही है।[2] आराधनापूर्वक मरण करने वाला कम-से-कम तीन भावमें निर्वाण प्राप्त करता है।[3] सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदशन और समस्त कर्मोसे मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी आराधनाके फल हैं।

भगवती आराधनाके उपरान्त दिगम्बर परम्परामें इसके आधारपर व अनुकरणमें अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं।[4]

वर्णजनन—वर्णजनन अर्थात् यश प्रसारित करना भी दर्शनविनय है। विद्वानोकी परिषद्में अर्हन्तकी महत्ताका ख्यापन अर्हन्तोका वर्णजनन है। सिद्धोका माहात्म्य प्रकट करना सिद्धोका वर्णजनन, श्रुतज्ञानका माहात्म्य प्रकट करना श्रुतज्ञानका वर्णजनन और धर्मके स्वरूपका कथन धर्मका वर्णजनन है। साधु, आचार्य, मोक्षमार्ग, सम्यग्दर्शन आदिकी महत्ताका ख्यापन करना तत्तद् वस्तुओका वर्णजनन है।[5]

यह वर्णजनन शब्द यापानीयोकी परम्परामे ही प्राप्त हुआ है। अपराजितसूरिने इसकी विस्तृत उद्धरणो सहित व्याख्या की है।

---

१ भगवती आराधना, भाग १ (टीका सहित), गाथा १-६।

२ भगवती आराधना, भाग १ (टीका सहित), गाथा १४।

३ मूलाचार २/९७।

४ अधिक जानकारीके लिए देखिए, बृहत्कथाकोशकी उपाध्ये लिखित प्रस्तावना।

५ भगवती आराधना, भाग १, गाथा ४६।

सत्रह प्रकारके मरण

श्वेताम्बर तथा यापनीय परम्परामें मरणके सत्रह प्रकारोका वर्णन मिलता है। दिगम्बर परम्परामें भगवती आराधनापर आधारित ग्रन्थोमें ही इनका विवरण है।

समवायागके सत्रहवें अध्यायमें सप्तदशविधमरणका कथन है—

सत्तरसविहे मरणे पण्णत्ते त जहा—आवीईमरणे, ओहिमरणे, आयतियमरणे, बलायमरणे, वसट्टमरणे, अतोसल्लमरणे, तब्भवमरणे, बालमरणे, पंडितमरणे, बाल पडितमरणे, छउमत्थमरणे, केवलिमरणे, वेहासमरणे, गिद्धपुट्ठमरणे, भत्तपच्चक्खाण-मरणे, इगिनीमरणे, पाओवगमणमरणे।[1]

भगवती आराधनामें सत्रह प्रकारके मरणोका उल्लेख करते हुए पाँच प्रकारके मरणोका ही प्रतिपादन किया है।[2]

विजयोदयामें सत्रह मरणोका भी कथन उपलब्ध है जो इस प्रकार है—

१ **आवीचिकामरण**—प्रतिसमय होने वाले आयुकर्मके विनाशको आवीचिमरण कहते हैं।

२ **तद्भवमरण**—वर्तमान पर्यायका नाश तद्भवमरण है।

३ **अवधिमरण**—वर्तमान पर्यायकी भाति ही भावी पर्यायका मरण होना अवधि-मरण है।

४ **आद्यन्तमरण**—वर्तमान मरणसे भाविमरण असमान हो तो वह आद्यन्त-मरण है।

५ **बालमरण**—बालके अव्यक्त बाल, व्यवहारबाल, दर्शनबाल, ज्ञानबाल तथा चारित्रबाल ये पाँच भेद हैं। यहाँ दर्शनबालके मरणको बालमरण कहा गया है, क्योकि सम्यग्दृष्टिमें इतर बालपना रहते हुए भी दर्शनपडितपना रहता है।

६ **पडितमरण**—पडितके चार भेद हैं व्यवहारपण्डित, सम्यक्त्वपडित, ज्ञान-पडित, तथा चारित्रपडित। इनमेंसे मिथ्यादृष्टि व्यवहारपंडितका मरण बालमरण है। अन्य तीन पडितोका मरण पण्डितमरण है।

७. **ओसण्णमरण**—पार्श्वस्थ, स्वछन्द, कुशील, एव ससक्त आदि शिथिलचारित्र तथा सघसे निष्काषितोका मरण ओसण्णमरण है।

८ **बालपडितमरण**—सम्यग्दृष्टि श्रावकका मरण बालपण्डित मरण है।

९. **सशल्यमरण**—मिथ्यादर्शन, माया तथा निदान सहित मरण सशल्यमरण है।

---

१ समवायाग,—१७ वाँ समवाय।

२ भगवती आराधना, गाथा २५—'मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तित्थकरेहिं जिणवयणे'।

१०. **बलायमरण**—प्रशस्तयोग, व्रत, ध्यान आदिमें प्रमत्तका कारण बलायमरण (बलाकमरण) है। ओसण्णमरण और सशल्यमरणमे नियमसे बलायमरण होता है। इसके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है।

११. **वसट्टमरण**—आर्त्त-रौद्रध्यानपूर्वक मरण वसट्टमरण है। इसके प्रमुख चार भेद हैं—इन्द्रियवशार्तमरण, वेदनावशार्तमरण, कषायवशार्तमरण तथा नोकषाय-वशार्तमरण।

१२ **विप्पणासमरण**—विप्पणास और गिद्धपुट्टमरण दो मरण ऐसे हैं, जिनकी आज्ञा और निषेध दोनो नही है। व्रत, क्रिया तथा चारित्रमें उपसर्ग होने पर यदि सहन न हो और विराधनाका भय हो, तो अन्नपानका त्यागकर मरण करना विप्रणाशमरण है।

१३ **गिद्धपुट्ठमरण**—अपरोक्त स्थितिमें शस्त्र ग्रहण कर मरण गिद्धपुट्टमरण है।

१४ **भत्तपच्चक्खाणमरण**—क्रमसे आहार-पानीका त्याग कर मरण करना भक्तप्रत्याख्यानमरण है।

१५ **पाउवगमणमरण**—मरणके अवसर पर जो स्वय भी वैयावृत्य न करें, उनका मरणप्रयोपगमन मरण है।

१६ **इगिनीमरण**—दूसरोसे वैयावृत्य न कराकर धर्मध्यानपूर्वक मरण होना इगिनीमरण है।

१७ **केवलिमरण**—केवलज्ञान प्राप्त कर मरण केवलिमरण है। यही पण्डित-पण्डितमरण है।

समवायागके वेहायस और छद्मस्थके स्थान पर विजयोदयामें इनके नाम विप्पणास और ओसण्ण हैं।

उत्सर्ग-अपवाद लिंग

भक्तप्रत्याख्यानके अवसरपर योग्य लिंगकी चर्चा करते हुए उत्सर्ग-अपवाद लिंग-का प्रसग आया है। प आशाधरजीने आचार्या आदिका लिंग अपवादलिंग माना है। आदिसे गृहस्थ समझना चाहिए। 'यतीनामपवादहेतुत्वादपवाद परिग्रह सो ऽस्यास्तीत्यपवादिक लिंग यस्य सोऽपवादिकलिंग सग्रथचिह्न आर्यादिस्तस्यापि ।'[1]

१ मूलाराधनादर्पण

पं० सदासुखजी, पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री तथा पं० कैलाशचन्द्र जी आदि उत्सर्ग लिंगका अर्थ मुनिलिंग तथा अपवाद लिंगका अर्थ गृहस्थलिंग करते हैं।[1]

भगवती आराधनाकी गाथाएँ इस प्रकार हैं—

उस्सग्गियलिंगगदस्य लिंगमुस्सिग्गिय तय चेव।
अववादियलिंगस्स वि पसत्थमुवसग्गिय लिंग॥
जस्स वि अव्वभिचारी दोसो तिट्ठाणिगो विहारम्मि।
सो वि हु मथारगदो गेण्हेज्जोस्सुग्गिय लिंग॥
आवसधे वा अप्पाउग्गे जो वा महढ्ढिओ हिरिम।
मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज्ज अववादिय लिंग॥[2]

गाथाओका सरल अर्थ इस प्रकार है —

भक्तप्रत्याख्यानके अवसर पर जो उत्सर्ग लिंगका धारक है, उसका तो उत्सर्गलिंग ही होता है। जो अपवादलिंगी है, उसके लिए भी उत्सर्गलिंग प्रशस्त है। अर्थात अपवादलिंगीको चाहिए कि समाधिमरणके अवसर पर वह अपवाद त्याग कर उत्सर्गको स्वीकार करे।

यहाँ पर अपराजितसूरि स्पष्ट करते हैं कि 'यतीनामपवादकारणत्वात् परिग्रहोऽपवाद'। इससे स्पष्ट है कि यह अपवादलिंग मुनिका ही है क्योकि अपवाद उत्सर्ग-सापेक्ष होता है, निर्वस्त्रता मुनिके लिए उत्सर्ग है, तो वस्त्रधारण उसके लिए अपवाद है। गृहस्थ तो वस्त्रधारी ही होता है, अत वस्त्रधारण उसके लिए अपवाद कैसे हो सकता है? इसीलिए पं० आशाधरजीने अपवादलिंग आर्यादिका कहा है। यद्यपि आराधनाकार व टीकाकार दोनोकी ही दृष्टिसे यह आर्याका लिंग उत्सर्ग लिंग ही है।

वस्तुत यह उत्सर्ग और अपवादलिंग साधुकी दृष्टिमे ही है। निर्वस्त्र मुनि उत्सर्गलिंगी तथा सवस्त्र मुनि अपवादलिंगी हैं। मुनि और गृहस्थ दोनो भक्तप्रत्याख्यान

---

१ (क) भगवती आराधना पं० सदासुखजीकृत वचनिका सहित–मुनि अनन्तकीर्ति दि० जैन ग्रथमाल समिति, बम्बई, वि० स० १९८९, गाथा ७९ की व्याख्या।
(ख) पं० फूलचन्द्रजीकृत सर्वार्थसिद्धि हिन्दी टीकाकी प्रस्तावना, पृ० ३६।
(ग) भगवती आराधना, भाग–१, भूमिका, पृ० ३०–यतियोके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि अपवादलिंगका धारी गृहस्थ ही होता है।

२ भगवती आराधना, गाथा ७६-८।

मरण कर सकते हैं, अत यहाँ अपवादलिंगीमें सवस्त्र मुनियोके साथ सवस्त्रताके कारण गृहस्थोका भी ग्रहण है। इसी कारण प० सदासुखजी आदिको भ्रम हुआ है कि गृहस्थ का लिंग अपवादलिंग है।

शिवार्यने साधुओकी उपधियोकी चर्चाके प्रसगमें सयम साधक उपधिके साथ अल्पपरिकर्म तथा बहुपरिकर्म उपधिकी चर्चा की है। दोनो प्रकारकी उपधियोको छोडने वाला ही मुक्ति तथा उत्सर्ग पदका गवेषक साधु कहा गया है—

संजमसाधणमेत्तं उपधिं मोत्तूण सेसय उवधिं।
पजहदि विसुद्धलेस्सो साधू मुत्ति गवेसतो॥
अप्पपरियम्म उवधिं बहुपरियम्म च दो वि वज्जए।
सेज्जासयारादी उस्सग्गपद गवेसतो॥ (गाथा १६४-५)

इससे स्पष्ट अन्य उपधि धारण करने वाला मुनि अपवादलिंगी है।

अपराजितसूरिने वसनसहित-लिंग धारीका स्पष्ट उल्लेख किया है—'वसनसहितलिंगधारिणो हि वस्त्रखण्डादिक शोधनीय महत् इतरस्य तु पिच्छादिमात्रम्। सवसनो यतिर्वस्त्रेषु यूकालिक्षादिसम्मूर्च्छनजीवपरिहार न विधातुमर्ह।'[1]
सचेलके परीषह नही होते—

'सचेलस्य हि सप्रावरणस्य न तादृशी शीतोष्णदशमशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते।'[2]

अथालद, परिहारसयम, जिनकल्प तथा इगिनीमरणमें औत्सर्गिक लिंग आवश्यक बताया है।

वस्त्रधारणके कारणोके विषयमें भी कहा है कि लज्जालु, पुरुषलिंगमें दोष और परीषह सहनेमें असमर्थता इन तीन कारणोंसे वस्त्र ग्रहणका विधान है—

'भिक्षूना ह्रीमानयोग्यशरीरावयवो दुश्चर्माभिलम्बमानबीजो वा परीषहसहने वा अक्षम वा गृह्णाति।'

अथालद (आलद विधि)

भक्तप्रत्याख्यानके अवसर पर भगवती आराधनामें ४० सूत्रोंकी चर्चा है, जिनमें एक सूत्र है परिणाम। परिणामके अवसर पर अथालद, परिहारसयम, प्रायोपगमन तथा जिनकल्पके उल्लेख हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या अपराजितसूरिने की है।

दीर्घकाल तक स्वपरकल्याण करनेके बाद केवल आत्मकल्याणकी भावनासे मुनि

---

१ भगवती आराधना, भाग १, पृ० ११८।
२ वही, पृ० ११९।

विचार करते हैं कि मैं अब अथालद, भक्तप्रत्याख्यान, इगिनीमरण, परिहारविशुद्धि, प्रायोपगमन अथवा जिनकल्पमेंसे कौनसी विधि धारण करूँ।

शास्त्रज्ञ, कृतकृत्य, परीषह और उपसर्गको जीतनेमें समर्थ तथा अपनी शक्तिको न छिपाने वाले मुनि ही अथालद विधिके योग्य होते हैं। इस अथालद विधिमें क्रम, परिणाम, सामर्थ्य, गुरुविसर्जन, प्रमाण, स्थापना आचारमार्गणा और आलदमासकल्पका वर्णन किया गया है।

परिहारविशुद्धि सयमको धारण करनेमें असमर्थ तथा अथालदविधिको धारण करनेके इच्छुक मुनि इसे धारण करते हैं। ये तीव्र वैराग्य, ज्ञान तथा दर्शनसे सम्पन्न होते हैं। अपनी सामर्थ्यको अच्छी तरह जानकर और अपनी अल्पायु समझकर आचार्यसे अथालद विधि धारण करनेकी आज्ञा लेते हैं।

आचार्य सामर्थ्य, परिणाम आदि देखकर अनुमति देते हैं। शरीरसे दुर्बल व धैर्यहीनको आज्ञा नही देते। जिन्हें अनुमति मिल जाती है ऐसे पाच, सात अथवा नौ मुनि प्रशस्त स्थानमें केशलोच करके गुरुके सम्मुख दोषोकी आलोचना करके व्रत लेते हैं। सयमका आचरण करने हेतु तीन या पाच साधु साथ साथ रहते हैं।

ये अथालद नामक कल्पमे स्थित मुनि अपनेमेंसे एकको आचार्यरूपमें स्थापित करते है वही उनके लिए प्रमाण होता है तथा उनकी आलोचना सुनने व दोषोकी शुद्धि करानेमे समुद्यत होता है।

अथालद मुनियोका लिग औत्सर्गिक लिग होता है। अर्थात् अपवादलिगी सवस्त्र-मुनि इस विधिके योग्य नही है। शरीर धारण करनेके लिए आहार व वसति-प्रतिलेखन और प्राणिसयमके लिए पीछी धारण करते हैं।

उनकी विशिष्ट चर्या इस प्रकार है—ये रोग या चोट लग जानेसे होने वाली वेदनाका प्रतिकार नही करते। तपस्यासे थककर सहायका अवलम्बन लेते है। वाचनादि नही करते। आठो प्रहर निद्रा त्याग कर एकाग्र होकर ध्यानका प्रयत्न करते हैं। नीदकी झपकी आने पर उतनी नीद ले लेते हैं। नीद न लेनेकी प्रतिज्ञा न होनेसे वहाँ प्रायश्चित्त का विधान नही है।

धैर्यशाली होनेके कारण इनके लिए श्मशानमें भी ध्यान वर्ज्य नही है। आवश्यकोंमें प्रयत्नशील रहते हैं। दोनो समय उपकरणोकी प्रतिलेखना करते हैं।

देवकुलोमे उनके मालिककी आज्ञासे निवास करते हैं, जिनके मालिकोका पता नही रहता, उन देवकुलोमें 'देवकुलके मालिक स्वीकृति प्रदान करें' कहकर प्रवेश करते हैं।

सहसा अतिचार या अशुभ परिणाम होने पर 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' कहकर निवृत्त होते हैं दशविध सामाचारमे प्रवर्तित होते हैं।

सघसे निकलकर अथालद विधि धारण करते है। अपना अधिकाधिक समय ध्यानमें व्यतीत करते हैं। इसीलिए सघके साथ इनका दान, ग्रहण, अनुपालन, विनय व वार्तालाप आदि रूप व्यवहार नही होता। आवश्यकता होने पर कोई एक सलाप करता है। जिस क्षेत्रमें सधर्मी होते है, उस क्षेत्रमें प्रवेश नही करते। सभवत इसका कारण यह होगा कि सधर्मियोके साथ वार्तालाप अथवा उपदेश देनेके कारण आत्मकल्याणमे विघ्न उपस्थित हो सकता है। इनका तो अधिकाधिक समय ध्यानमे ही बीतता है। आत्मकल्याणके लिए ही ये मौन धारण करते हैं। मार्ग, शकायुक्त द्रव्य, वसतिकाके स्वामीका घर आवश्यक होनेसे केवल इतने ही प्रश्न करते हैं।

ग्रामके बाहर आगतुकोंके लिए जो निवास होता है, उसमें कल्पस्थित मुनिकी आज्ञासे ठहरते है। पशु-पक्षी आदिके कारण जहाँ ध्यानमे विघ्न होता है, उस स्थानको छोड देते हैं।

आप कौन है ? कहाँसे आये हैं ? कहाँ जायेंगे ? कब तक ठहरेंगे ? कितने हैं ? आदि प्रश्नोका 'मैं श्रमण हूँ' यही एक उत्तर देते हैं। जहाँ लोग जानेके लिए कहते हैं ? घरकी रक्षा करो ? आदि वचन-व्यवहार जहाँ किये जाते है वहाँ ये मुनि नही ठहरते। वसतिकामें आग लग जाने पर समयके अनुसार रहने अथवा चले जानेका निर्णय स्वय करते है। मार्गमें व्याघ्र, सर्प आदिके मिलने पर भी वही रुकने या चले जानेका स्वय निर्णय करते हैं। प्रचण्ड वायु या वर्षा होने पर वही ठहर जाते हैं। पैरमें काँटा लगने पर अथवा आँखमे धूल चली जाने पर उसे निकाल भी लेते हैं नही भी, जबकि परिहारविशुद्धि सयममें स्थित मुनि नही निकालते।

तृतीय पौरुषीमें भिक्षाके लिए निकलते हैं। कृपण, याचक, पशु-पक्षीगणके चले जाने पर पाँचवी पिण्डैषणा करते हैं मौन रखते है।

कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मैं आपके चरणोमें दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो ऐसा कहने पर वे मनसे भी उसकी चाहना नहीं करते, तब वचन और कायका तो कहना ही क्या ? अन्य मुनि, जो उनके सहायक होते हैं, वे उन्हें धर्मोपदेश देकर शिखासहित अथवा मुण्डन कराकर आचार्यको सौंप देते हैं।

क्षेत्रकी अपेक्षा एकसौ सत्तर कर्मभूमिरूप धर्मक्षेत्रोंमे ये आलदक मुनि होते हैं। कालकी अपेक्षा सर्वदा होते हैं। चारित्रकी अपेक्षा सामायिक और छोदोपस्थापना-चारित्रमें होते हैं। तीर्थकी अपेक्षा सब तीर्थङ्करोके तीर्थमें होते हैं। जन्मसे तीस वर्ष तक भोग भोगकर उन्नीस वर्ष तक मुनिधर्मका पालन करते हैं, श्रुतसे नौ या दस

पूर्वके धारी होते हैं । वेदसे पुरुष या नपुसक होते हैं अर्थात् स्त्रियाँ इस विधिको नही धारण करती । लेश्यासे पद्म व शुक्ल लेश्यावाले होते हैं । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हैं । सस्थानसे छह प्रकारके सस्थानोमेंसे किसी एक सस्थानवाले होते हैं । कुछ कम सात हाथसे लेकर पाँचसौ धनुष ऊँचे होते हैं । कालसे एक अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिकी स्थितिवाले होते हैं । उनको विक्रिया, चारण और क्षीरास्रवित्व आदि ऋद्धिया उत्पन्न होती हैं, किंतु रागका अभाव होनेसे उनका सेवन नही करते ।

गच्छ-प्रतिबद्ध आलदक विधि

गच्छमें रहकर भी आलदक विधि धारण की जा सकती है । गच्छ-प्रतिबद्ध आलदककी विधि यह है कि वे गच्छसे निकलकर एक योजन और एक कोस क्षेत्रमें विहार करते हैं । यदि आचार्य (गणधर) शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होते हैं, तो क्षेत्रसे बाहर निकलकर उन्हें अर्थपद देते हैं । आलन्दकोमेंसे भी जो समर्थ होते हैं आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं । परिज्ञान एव धारण गुणोंसे पूर्ण एक, दो अथवा तीन आलन्दक मुनि गुरुके पास जाते हैं और उनसे प्रश्नोका समाधान कर अपने क्षेत्रमें जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं ।

आचार्य यदि अधिक चलनेमें शक्तिहीन होते हैं, तो गच्छमें सूत्रार्थपौरुषी करके (अर्थात् सार्थ आगमसूत्र वाचना करके) उद्यानमे जाकर जहाँ आलन्दक मुनि निवास करते हैं, अर्थपदकी शिक्षा देते हैं अथवा उपाश्रयमें ही अन्य साधुओको छोडकर एक आलदकको ही उपदेश देते है । यदि सघ दूसरे क्षेत्रमें विहार करता है, तो अथालदक मुनि भी गुरुकी आज्ञासे उस क्षेत्रको जाते हैं । जब गच्छ-निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रतिलेखना करते हैं, तब उस मार्गसे दो अथालदक जाते हैं ।

अथालदक मुनि सघसे बाहर रहते हैं । अथालद विधि धारण करनेके इच्छुक अधिक-से-अधिक नौ मुनि एक साथ रहते हैं । वे सघसे बाहर रहते है, जो गच्छसे प्रतिबद्ध आलन्दक होते हैं, वे भी सघसे कुछ दूरी पर रहते हैं, केवल स्वाध्याय आदिके लिए आचार्यके पास जाते हैं अथवा आचार्य इनके पास जाकर उपदेश देते हैं । इसीलिए सघके विहार करने पर गुरुकी आज्ञासे ये भी विहार कर जाते हैं ।[1]

यह आलन्द (अथालद) विधि दिगम्बर शास्त्रोमें प्राप्त नही होती । इस चर्यासे स्पष्ट है कि ये साधुओकी चर्यामें शिथिलाचारके विरुद्ध थे ।

परिहारसयमविधि

आलद विधिकी अपेक्षा यह परिहारसयम विधि जटिल नही है । जिनकल्प धारण करनेमे असमर्थ तथा परिहारसयमको धारण करनेमें समर्थ मुनि (अपने बल, वीर्य, आयु

---

१ भगवती आराधना टीका विजयोदया पृ० १९७-२०१

और विघ्नोको जानकर जिनभगवान[1] से हाथ जोडकर विनयपूर्वक पूछते हैं कि हम आपकी आज्ञासे परिहारसयम धारण करना चाहते है। यह सुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नही होता और जिन्हें आज्ञा मिल जाती है, वे नि शल्य होकर प्रशस्त स्थानमे लोच करते है तथा गुरुओके सम्मुख आलोचना करके अपने व्रतोको अच्छी तरह विशुद्ध करते हैं। परिहारसयम धारण करने वालोमेसे एक कल्पस्थित मुनि (अर्थात् परिहारसयम कल्प धारण करने वाले)को सूर्यका उदय होने पर गुरु रूपसे स्थापित करते हैं। वह उस गणके लिए प्रमाण होता है। वह आलोचना सुनकर शुद्धि करता है। कल्पस्थित आचार्यको छोडकर शेपमें आधे पहले परिहारसंयम ग्रहण करते हैं, अत वे परिहारिक कहलाते हैं। शेष अनुपहारिक कहलाते हैं, वे बादमें परिहारसयम ग्रहण करते है। यदि तीन परिहारसयम धारणके इच्छुक होते है। तो उनमेंसे एक गणी, दूसरा परिहारसयमका धारी और तीसरा अनुपहारिक होता है। यदि पाच होते हैं तो उनमेंसे एक कल्पस्थित गणी, दो परिहारसयमके धारी और शेष दो उन दोनोमेंसे प्रत्येकके एक-एक अनुपहारिक होता है। यदि सात होते हैं तो उनमें एक कल्पस्थित तीन परिहारिक और शेष तीन अनुपहारिक होते हैं। यदि नौ हो तो एक कल्पस्थित, चार परिहारिक और चार अनुपहारिक होते हैं। छह महाने तक परिहारसयमी परिहारसयममें निविष्ट होता है। उसके पश्चात् अनुपहारिक परिहारसगममें निविष्ट होता है। उसके पश्चात् अनुपहारिक परिहारसयममें प्रविष्ट होता है। उनके भी निविष्ट परिहारिक होने पर अन्य अनुपहारिक परिहारसयममें प्रविष्ट होते हैं। वे भी छह मासमें निविष्ट परिहारक हो जाते हैं। इसके पश्चात् कल्पस्थित परिहारमें प्रविष्ट होता है। उसका एक अनुपहारिक और एक कल्पस्थित होता है। वह भी छह मासमें निविष्टपरिहारिक होता है। इस प्रकार प्रमाणसे अठारह मासमें परिहारसयम धारण किया जाता है।

यह सब कथन अपराजितसूरिने एक प्राकृत उद्धरण द्वारा किया है।

परिहारसयमी वसति और आहारके सिवाय अन्य तृणासन, लकडीका आसन, चटाई आदि ग्रहण नही करते। शरीरसे ममत्व छोडकर चार प्रकारके उपसर्गोको सहते हैं। दृढ धैर्यशाली तथा निरन्तर ध्यानमे चित्त लगाते हैं। बलवीर्य और गुणों की पूर्णता होते हुए भी सघमें वीर्याचारका पालन नही करते। वाचना, पृच्छना और परिवर्तनोको छोडकर सूत्रार्थ और पौरुषीसे सूत्रार्थका ही चिन्तन करते हैं। आठों

---

१ प्रतीत होता है कि यहा जिन भगवान शब्दसे यह तात्पर्य अभीष्ट है कि जो जिनभगवानके सदृश पूर्ण निर्ग्रन्थ आचाय मुनि हैं, उनसे ही आज्ञा लेनेका कथन है, दूसरी पक्तिमें इन्हें यतीन्द्र कहा है।

प्रहर निद्रा त्याग कर ध्यान करते हैं। स्वाध्यायकाल और प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नही होती, क्योकि श्मशानमें भी उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं है। यथा-समय आवश्यक करते हैं। दोनो समय उपकरणोका शोधन करते हैं। आज्ञा लेकर देवालय आदिमे रहते हैं। जिन देवालयो आदि स्थानोंके स्वामियोका पता नहीं होता, 'जिसका होता है वह हमें अनुज्ञा दे' कहकर वहा निवास करते हैं। निकलते और प्रवेश करते समय आसीधिका और निषीधिका करते है। दश प्रकारके सामाचार करते हैं। उपकरण आदि देना, लेना, अनुपालन, विनय, वदना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका सघके साथ नही होता। गृहस्थ अथवा अन्य लिंगियो द्वारा दी हुई योग्य वस्तुका ग्रहण करते है। उनके साथ भी शेष सम्बन्ध नही होता। उनमेंसे तीन, पाँच, सात अथवा नौ सयतोका परस्परमे व्यवहार होता है।

कल्पस्थित आचार्य और परिहारसयमी आपसमें सघाटदान, सघाटग्रहण, निवास वदना, वार्तालाप आदि व्यवहार करत हैं। अनुपहारिक सयमी परिहारसयमीके साथ सवास, वदना, दान, अनुपालना आदि व्यवहार करते हैं। कल्पस्थित भी अनुपरिहार-सयमीके साथ व्यवहार करता है। वदना करने पर धर्मलाभ कहते हैं। यहा कुछ गाथाएं उद्धृत की हैं, जिन्हें कल्पोक्त कहा है।

तीन भाषाओको छोडकर सदा मौन रहते हैं। वे तीन भाषाएं हैं—पूछने पर उत्तर देना, मांगना और स्वय पूछना, मार्ग पूछना, शकायुक्त उपकरणके विषयमें पूछना, वसतिकासे सम्बद्ध शय्याधरका पता पूछना, ग्रामके बाहर श्मशान, शून्यघर देवालय, गुफा, आने वालोके लिए बना घर अथवा वृक्षकी खोलमें निवास करते समय 'हमें अनुज्ञा दें' एक बार यह कहना पडता है। कौन हो ? कहाँसे आये हो ? कहाँ जाओगे ? यहाँ कितने समय तक ठहरोगे ? तुम कितने लोग हो, इस प्रकारके प्रश्न होने पर 'हम श्रमण हैं', यह एक ही उत्तर देते हैं। अन्यत्र चुप रहते हैं। 'इस स्थानसे चले आओ', 'यह स्थान हमें दो', 'जरा घर देखना' इत्यादि वचन-व्यवहार जहाँ होता है, वहाँ नही ठहरते। गोचरी यदि नही मिलती तो तीसरे प्रहर दो गव्यूति जाते हैं। यदि वर्षा, आँधी आदिसे गमनमे बाधा होती है, तो जहाँ तक गमन किया है, वही ठहर जाते हैं। व्याघ्र आदि पशुओके आने पर यदि वे भद्र होते हैं, तो मुनि चार हाथ चलते है और यदि दुष्ट हुये तो एक पग भी नही चलते। नेत्रोमें धूल चले जाने पर या कांटा आदि लग जाने पर स्वय नही निकालते। यदि दूसरे निकालते हैं, तो चुप रहते हैं। नियमसे तीसरे प्रहरमें ही भिक्षाके लिए जाते हैं। जिस क्षेत्रमें छह भिक्षाएँ अपुनरुक्त होती हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न घरोमें मिल जाती हैं, वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है, उसे छोड देते हैं।

क्षेत्रकी अपेक्षासे भरत और ऐरावत क्षेत्रमें, प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके तीर्थमे, कालकी अपेक्षा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें, चारित्रकी अपेक्षा छेदोपस्थापनाचारित्र वाले होते हैं। प्रथम तीर्थङ्करके कालमें उनकी आयु कुछ कम एक पूर्वकोटि और अन्तिम तीर्थङ्करके कालमे एकसौ बीस वर्ष होती है। जन्मसे तीस वर्ष तक भोग भोगते है और मुनि-पर्याय उन्नीस वर्ष होती है। श्रुतसे दश पूर्वके पाठी होते हैं। वेदसे पुरुपवेदी होतो है। लेश्यासे तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले होते हैं। ध्यानसे धर्मध्यानी होते है। आदिके तीन सहनन वाले होते हैं। छह सस्थानोमें कोई एक सस्थान होता है। सात हाथसे लेकर पाच सौ धनुष ऊँचे होते हैं। परिहारसयमके कालसे जघन्य आयु अठारह मास और उत्कृष्ट आयु परिहारसयम होनेके पूर्वके वर्षोसे हीन एक पूर्वकोटि होती है। चारण ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि और आहारक ऋद्धि आदि ऋद्धियाँ होतो हैं।

परिहारविशुद्धिरूप योगके पूर्ण होनेपर अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान व केवलज्ञानको प्राप्त होते हैं। मोक्ष भी प्राप्त करते हैं।[1]

जिनकल्प—अथालद तथा परिहारसयमकी अपेक्षा जिनकल्प धारण करना कठिन है। जिनके समान एकाकी विहार करते हैं। अत जिनकल्पी कहलाते है। परिषहोंको अत्यत धैर्यसे सहन करते हैं। एकाकी विहार ही इनकी परिहारसयमसे भिन्नता है। शेष आचार उसीके समान है।

जिनकल्पी समस्त कर्मभूमियोमे होते हैं। सब तीर्थंकरोंके तीर्थमें तथा सर्वदा होते हैं। (इस कथनसे स्पष्ट है कि वे श्वेताम्बरोकी भाँति जिनकल्पको व्युच्छिन्न नही मानते।) जन्मसे तोस वर्ष तक तथा मुनिपदसे उन्नीस वर्षके होते है। नव-दस पूर्वके पाठी होते हैं। तेज, पद्म तथा शुक्ल इन शुभ लेश्याओंके धारी होते हैं। धर्मध्यानी और शुक्लध्यानी होते हैं। प्रथम सहनन (वज्रवृषभनाराचसहनन) होता है। छह सस्थानोमेंसे कोई भी सस्थान हो सकता है। लम्बाई सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष तक होती है। जिनकल्प धारणकी अवधि अन्तर्मुहूर्तसे लेकर न्यून पूर्वकोटि काल तक हो सकती है। तपसे विक्रिया, आहारक, चारण और क्षीरास्रवित्व आदि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं, पर विरागी होनेसे उनका उपयोग नही करते। ये अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान तक प्राप्त करते हैं।[2]

भक्तप्रत्याख्यान—सत्रह प्रकारके मरणोमें पण्डितमरणके तोन भेद हैं—प्रायोपगमन, भक्तप्रत्याख्यान तथा इगिनीमरण। इनमेंसे भक्तप्रत्याख्यान ही इस कालमें सभव है।

---

१ भगवती आराधना, भाग १ (विजयोदया सहित), पृ० २०१-५।

२ भगवती आराधना, भाग १ (विजयोदया सहित), पृ० २०५।

अत: उसीका विस्तृत वर्णन भगवती आराधनामें किया गया है। भक्तप्रत्याख्यान अथवा भक्तपरिज्ञा मरणके अधिकारी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सभी हैं। अस्वस्थता, उपसर्ग आदिके कारण सहसा उपस्थित मरणके समय आराधनापूर्वक मरण अविचारभक्तप्रत्याख्यान है। पूर्व निश्चय कर निर्यापकाचार्यको खोजकर क्रम-क्रमसे भोजन-पानका त्याग सविचारभक्तप्रत्याख्यान है। भक्तप्रत्याख्यान ही इस कालके योग्य है। इसे स्त्री-पुरुष, श्रावक-साधु सभी कर सकते हैं। इसका उत्कृष्ट काल १२ वर्ष है।[1]

अविचारभक्त-प्रत्याख्यान

अविचारभक्त-प्रत्याख्यानके तीन भेद हैं—निरुद्ध, निरुद्धतर तथा निरुद्धतम। रोगाक्रान्त होनेसे दूसरे सघमे जानेकी शक्ति न होनेके कारण जो अपने ही सघमें रहता है तथा शक्ति रहते अपनी परिचर्या दूसरेसे नही कराता। शक्तिहीन होनेपर सघके द्वारा परिचर्या कराता है, वह मुनि निरुद्धभक्तप्रत्याख्यान करता है।

अपने ही सघमे निरुद्ध होनेसे यह निरुद्धमरण है। सर्प, आग, व्याघ्र, चोर, मूर्च्छा, विसूचिका आदिके कारण तत्काल मरण उपस्थित हो, तो जब तक बोली बन्द न हो, शरीरमें शक्ति शेष रहे, तीव्र वेदनाके कारण चित्त व्याकुल न हो तब तक समीपस्थ आचार्य आदिके सम्मुख दोषोकी आलोचना करके रत्नत्रयकी आराधना करे। उपधियो, शरीर व परिचारकोमें ममत्व त्याग दे। यह विधि निरुद्धतरभक्त-प्रत्याख्यानकी है।

जब सर्पदश आदि आकस्मिक कारणोसे वाणी एकाएक अवरुद्ध हो जाती है, तब अरहत, सिद्धका स्मरण करते हुए अपनी तत्काल आलोचना करने वाले साधु परम-निरुद्धभक्तप्रत्याख्यान धारण करते हैं।

यह अविचारभक्तप्रत्याख्यान प्रकाश और अप्रकाशरूप दो प्रकारका होता है।[2] यदि क्षपकका मनोबल कम हो अथवा स्वजन आदि विघ्न उपस्थित करने वाले हों, तो समाधिको प्रकट नही किया जाता। यदि क्षपक परीषह सहिष्णु हो, वसति एकान्तमे हो, ग्रीष्म आदि ऋतु न हो, परिवारके जन विघ्न उपस्थित न करते हो, तो समाधिको प्रकट किया जा सकता है।[3] लोकमें जिनका समाधिमरण प्रकट हो जाए, वह प्रकाश है और जिनका विख्यात न हो, वह अप्रकाश है। इस प्रकार शिवार्यने परमनिरुद्धके दो भेदोका प्रतिपादन किया है।

१, २, ३, भगवती आराधना, गाथा २५९

इगिनीमरण—इगिनीमरणका अधिकारी रत्नत्रयमें लगे दोषोंकी आलोचना करके संघसे निकलकर गुफाके अन्दर अथवा जीवरहित कठिन भूमि प्रदेशमें जमीनपर अथवा शिलापर एकाकी आश्रय लेता है। अपने शरीरके सिवाय उसका कोई सहायक नही होता। गाँव या नगरमे तृणोंकी याचना करता है तथा छिद्ररहित, कोमल, शरीरस्थितिके लिए साधन, प्रतिलेखना योग्य तृणोंको भूमि-प्रदेशपर सावधानीसे पृथक्-पृथक् करके फैला देता है। समस्त प्रकारके आहारके विकल्प, आभ्यन्तर व बाह्य परिग्रहको त्यागकर लेश्याविशुद्धिसे सम्पन्न हो धर्मध्यान करता है। उपसर्ग रहित अवस्थामे स्वय अपने शरीरकी परिचर्या करता है। उपसर्ग होनेपर प्रतीकार रहित होकर उसे सहन करता है। वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच और नाराच नामक तीन शुभ संहननोमें कोई एक सहनन तथा समचतुरस्रसस्थान धारण करता है। कठोरतम उपसर्ग सहन करता है। अनुप्रेक्षारूप स्वाध्यायमें लीन रहता है। निद्रा-त्यागी होता है। बलात् निद्रा आनेपर सो लेता है। पैरमे काँटा चुभने तथा आँखमें धूल गिरनेपर स्वय दूर नही करता। कोई दूसरा दूर करता है, तो चुप रहते हैं। इनके लिए श्मशानमे भी ध्यान निषिद्ध नही है। कुछ आचार्योंके अनुसार देवो या मनुष्योंके आग्रह करनेपर थोडा धर्मोपदेश भी देते है।

प्रायोपगमन—प्रायोपगमनकी विधि इगिनीमरणके समान ही है। इसमें उससे अधिक उत्कृष्ट तपश्चर्या है। तृणोके सस्तरका भी निषेध है। भक्तप्रत्याख्यानमें स्वकृत तथा परकृत दोनो परिचर्या सभव हैं। इगिनीमरणमें परकृत परिचर्याका निषेध है। प्रायोपगमनमें स्वकृत तथा परकृत दोनो ही परिचर्याओका निषेध है। यदि उन्हें जलमें फेंक दिया जाता है तो वे वैसेही पडे रहते हैं। उपसर्ग अवस्थामें एक स्थान-से उठाकर दूसरे स्थानमें डाल दिये जानेपर यदि वह वही मरण करता है, तो उसे नीहार कहते हैं और ऐसा नही होनेपर पूर्व स्थानमें ही मरण हो तो वह अनीहार कहाता है। जिनकी आयुका काल अल्पशेष रहता है, वे प्रतिमायोग धारण करके प्रायोपगमन करते हैं और कुछ दीर्घकाल तक विहार करते हुए इगिनीमरण करते हैं।[2]

श्रेष्ठ मरणके लिए जीवनकालसे ही मनको तैयार करना तथा अन्तमें शरीरसे व ससारसे विरक्त होकर तटस्थवृत्तिसे मरण करना ही समाधिमरण है। समाधिमरण नष्ट होते हुए शरीरका समतापूर्वक त्याग है।

---

१ भगवती आराधना, गाथा २०३५–२०५५

२. भगवती आराधना, गाथा २०५९–२०६५

तीर्थङ्करोंके धर्ममें विभिन्नता

यापनीयोंके अनुसार प्रथम व अन्तिम तीर्थङ्करोंके धर्मसे मध्यके तीर्थङ्करोंके धर्ममें कतिपय अन्तर है।

(१) मूलाचारकारके अनुसार बाईस तीर्थङ्करोंने सामायिक संयमका उपदेश दिया तथा ऋषभदेव तथा अन्तिम तीर्थङ्कर महावीरने छेदोपस्थापना संयमका उपदेश दिया।[1]

(२) प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्करने पंच महाव्रतोंका उपदेश दिया, जबकि अन्य तीर्थङ्करोंने ब्रह्मचर्यको अपरिग्रहमें गर्भित करके चतुर्याम धर्मका उपदेश दिया। पंच महाव्रतोंका उपदेश कथन करने, विभाजन करने तथा जाननेके लिए सरल होता है।[2]

(३) प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके धर्ममें अपराध हो, चाहे न हो, प्रतिक्रमण आवश्यक बतलाया गया है, किन्तु मध्यके तीर्थङ्करोंके धर्ममें अपराध होने पर ही प्रतिक्रमणका उपदेश है।[3] आगे और स्पष्ट कहा गया है कि ईर्यासमिति, गोचरीवृत्ति और स्वप्न आदिमें दोष हो, चाहे न हो, प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करोंके कालमें सभी मुनि सब दोषोंके लिए अनिवार्य प्रतिक्रमण करते हैं। मध्यम तीर्थङ्करोंके शिष्य दोष होने पर आलोचना करके शुद्ध होते हैं।

अपराजितसूरि विजयोदयामें अन्यत्रसे दो गाथाओंको उद्धृत करते हुए प्रतिक्रमणके भेदोंका निर्देश करते हैं—

आलोयणा दुदिवसिग रादिग इत्तिरियभिक्खचरिया य।
पक्खिय चाउम्मासिय संवच्छर उत्तमट्ठेय॥
पडिकमण रादिग देवसिग इत्तिरिय भिक्खचरिया य।
पक्खिय चाउम्मासिय संवच्छर उत्तमयट्ठेय॥[4]

आलोचना और प्रतिक्रमणके रात्रिक दैवसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक,

---

१ बावीस तित्थयरा सामायियसंजम उवदिसंति।
छेदुवठाणिय पुरा भयव उसहो य वीरो य॥ ७/३६

२. आचक्खिदु विभजिदु विण्णादु चावि सुहदर होदि।
एदेण कारणेण दु महव्वदा पंच पण्णत्ता॥ ७/३७

३ सपडिकम्मो धम्मो पुरिमस्स पच्छिमस्स य जिणस्स।
अवराहे पडिकमण मज्झिमयाणं जिणवराण॥ ७/१२९

४. भगवती आराधना, विजयोदया पृ० ३३२।

ऐर्यापथिक और भिक्षाचर्यामे की जाने वाली ये भेद है। इनके विषयमें अपराजित-सूरि कहते हैं कि ये प्रतिक्रमणके भेद प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर प्रणीत पच यम-धर्ममें ही होते हैं—'अमी प्रतिक्रमणभेदा आद्यन्ततीर्थङ्करप्रणीते पचयमे धर्म्मे इतरत्र तु चतुर्यमे प्रतिक्रमणस्य कालनियम उक्त ।'

मध्यम तीर्थङ्करोके कालके साधुओके प्रतिक्रमणके विषयमें कहा गया है—

खमगो याणेसणो विय दूरायादो य सव्वसमणो वि।
सुमणे वि यदि य सद्दो जागरमाणो वि अगदो वि ॥
ठाणाविओ आयरिय पावज्जमित्ति मज्झिमजिणेसु।
ण पडिक्कमण तेण दु जे णातिक्कमदि सो णेव ॥
सद्दादिसु वि पवित्ती आदि य अतमि सो पडिक्कमदि।
मज्झिमगा मण्णोति य अमज्झमाण हवे उभय ॥
इरिय गोयर सुमिणदि सव्वमाचरदु मा व आचरदु।
पुरिमचरिमेसु सव्वो सव्व णियमा पडिक्कमदि ॥

(४) प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री[1] लिखते हैं कि दश कल्पोके विषयमें श्वेताम्बर मान्यता है कि चार स्थितकल्प हैं, छह अस्थितकल्प। शय्यातरपिण्ड, चातुर्मास, पुरुष की ज्येष्ठना तया कृतिकर्म ये चार कल्प स्थित है अर्थात् मध्यम तीर्थङ्करोंके साधु इन चारोका पालन करने हैं। शेष छह इनके लिए अनवस्थित हैं। वस्त्रधारणसे रागद्वेष उत्पन्न होना है, तो अचेल अन्यथा सचेल रहने हैं। अन्य साधुओके उद्देश्य से बना भोजन ले लेते है। दोष लगनेपर प्रतिक्रमण करते है। राजपिण्डमें दोष न हो, तो ग्रहण कर लेते हैं। यदि एक क्षेत्रमे निवास करनेमे दोष न हो तो पूर्वकोटिकाल तक भी रहते हैं। दोष हो तो एक मास पूर्व भी चल देते हैं।

विजयोदयाकारके अनुसार भी आचेलक्य, प्रतिक्रमण और उद्दिष्टत्याग ये भगवान् ऋषभ और महावोरके कालमें ही स्थितकल्प हैं, मध्यम तीर्थङ्करोके कालमें नही। विजयोदयाकार अचेलताके प्रस्थापनके अवसर पर एक ओर कहते हैं कि समस्त भूत-भावी जिन, उनके गणधर तथा शिष्य सभी अचेल होने हैं, दूसरी ओर 'आचेलक्को धम्मो पुरिमचरिमाण'[2] आदि आगमवाक्योको प्रमाण रूपमें उद्धृत करते हैं। आचेलक्य प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके कालमें स्थितकल्प है—तथापि विशिष्ट परिस्थितियोमें वस्त्रधारणकी छूट है। राजपिण्डकी भी इसी प्रकार छूट है—जहाँ दोषोंके उत्पन्न होनेकी सभावना हो, वहाँ प्रतिषेध है। रोगीके लिए तो राजपिण्ड

---

१ भगवती आराधना-हिन्दी टीका, विशेषार्थ पृ ३३४।
२ भ० आ० विजयोदया, पृ० ३१०।

दुर्लभ द्रव्य है। मृत्युभय या श्रुतविच्छेद आदि विघ्न उपस्थित होने पर ग्रहण किया जा सकता है—'दोषसंभवात् यत्र तत्र राजपिण्डग्रहणप्रतिषेधो न सर्वत्र प्रकल्प्यते। ग्लानार्थं राजपिण्डोऽपि दुर्लभं द्रव्यम्। आगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो मा भूदिति।'

(५) प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्करके कालमें रात्रिभोजनविरमणको छठा व्रत कहा गया है—'आद्यपाश्चात्यतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणषष्ठानि पञ्चमहाव्रतानि।'[1]

तीर्थङ्करोंके धर्ममें उक्त अन्तरका कारण शिष्योंकी मनोवृत्ति बताया गया है। प्रथम तीर्थङ्करके शिष्य सरलस्वभावी किन्तु जडबुद्धि थे। बारम्बार समझाने पर भी शास्त्रका मर्म नहीं समझ पाते थे। अन्तिम तीर्थङ्करके शिष्य कुटिल तथा जडमति थे। वे योग्य अयोग्यका विवेक नहीं कर पाते थे। मध्यके बाईस तीर्थंङ्करोंके शिष्य दृढबुद्धि, एकाग्रमन तथा प्रेक्षापूर्वकारी थे। इसीलिए उनके नियमोंमें अन्तर था।[2]

श्रमणके विभिन्न पद

श्रमणसंघकी व्यवस्था सहज रूपसे चल सके, धर्म प्रचार, प्रसार व प्रभावना सम्यग्रूपेण हो सके, इस दृष्टिसे श्रमणसंघमें कतिपय पदोंकी व्यवस्था की जाती थी। मूलाचारमें श्रमणसंघमें आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर नामक पदोंके उल्लेख मिलते हैं। इन पाँचोंको संघका आधार बताया है, जहाँ ये आधार न हों, वहाँ मुनिका निवास निषिद्ध बताया है—

> तत्थ ण कप्पइ वासो जत्थ इमे णत्थि पंच आधारा।
> आइरियउवज्झाया पवत्तथेरा गणधरा य ॥[3]

इन पाँचोंका संक्षिप्त लक्षण निम्नलिखित गाथामें इस प्रकार दिया है—

> सिस्साणुग्गहकुसलो धम्मुवदेसो य संघवट्टवओ।
> मज्जादुवदेसोवि य गणपरिरक्खो मुणेयव्वो ॥[4]

शिष्योंपर अनुग्रह करनेमें कुशल आचार्य, धर्मोपदेशक उपाध्याय, संघप्रवर्तक प्रवर्त्तक, मर्यादोपदेशक स्थविर तथा गणपरिरक्षक गणधर होता है।

दिगम्बर परम्परामें तीर्थङ्करोंकी ध्वनिको गूँथने वाले ही गणधर कहे गये हैं। किंतु मूलाचारमें गणरक्षकोंको गणधर कहा गया है। इस प्रकार प्रवर्त्तक, स्थविर तथा गणधर इन तीन पदोंका अधिक उल्लेख है।

---

१. विजयोदया पृ० ३३०।

२. मूलाचार ७/३८-१३३, विजयोदया पृ० ३३३।

३ मूलाचार ४/१५५।

४. मूलाचार ४/१५६।

मूलाचारमें आर्यिकाओंके गणिनी तथा स्थविरा पदोंका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त आर्याओके गणधरका भी उल्लेख है। उनके कतिपय विशिष्ट गुण बताये गये हैं।[1]

इससे स्पष्ट है कि गणिनीके अतिरिक्त भी आर्यसघके सरक्षणके लिए एक वयोवृद्ध गुणवान् साधु उनके गणधर पदको सुशोभित करता था।

श्वेताम्बर परम्परामे इन पाचके अतिरिक्त गणी और गणावच्छेदक पदोका उल्लेख मिलता है। आचार्यके अतिरिक्त सघके अप्रतिम बहुश्रुत विद्वान्के लिए गणी शब्दका प्रयोग मिलता है। सघके श्रामण्यनिर्वाहके लिए अपेक्षित साधन-सामग्री (उपधि) की व्यवस्थाकी दृष्टिसे गणावच्छेदक पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। यापनीय साधुओकी नाममात्रकी उपधियाँ होनेसे सभवत वहाँ इस पदकी व्यवस्था नही होगी।

भिक्षु-प्रतिमाएँ—भगवती आराधनाकी एक गाथामे विविध भिक्षु-प्रतिमाओका उल्लेख है।[2] टीकामें इनका विवरण नही है। प० आशाधरजीने मूलाराधनादर्पणमें एक गाथा उद्धृत कर इनका विवरण दिया है—

> मायिय दुय तिय चउ पच मास छम्मास सतमासी य।
> तिण्णेव सत्तराइ राइ दिय राइपडिमाओ॥

सल्लेखना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परीषहोंका जेता, उत्तम-सहननसे शिशिष्ट, क्रमसे धर्मध्यान और शुक्लध्यानको पूर्ण करता मुनि जिस प्रदेशमें रहता है, उस देशके लिए दुर्लभ आहारका व्रत धारण करता है कि यदि एक मासमें ऐसा आहार मिला, तो ग्रहण करूँगा, अन्यथा नही। उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमायोग धारण करता है। यह एक भिक्षु प्रतिमा है। इस प्रकार पूर्वोक्त आहारसे सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य भोजन सम्बन्धी नियम लेता है। ये नियम दो, तीन, चार, पाच, छह और सात मासको लेकर होते हैं अर्थात् दो या तीन आदि सात मासमे

---

१ मूलाचार ४/१८४-५।

> गभीरो दुद्धरिसो मिदवादी अप्पकोदुहल्लो य।
> चिरपव्वइओ गिहिदत्थो अज्जाण गणधरो होदि॥
> एव गुणवदिरित्तो जदि गणधारित्त करेदि अज्जाण।
> चत्तारि कालगा से गच्छादिविराहणा होज्ज।

२ सदि आउगे सदि बले जाओ विविधाओ भिक्खुपडिमाओ।
ताओ वि ण बाधते जहाबल सल्लिहतस्स॥गा. २५।

ऐसा आहार मिलेगा,तो आहार करूँगा । सर्वत्र नियमोंके अन्तिम दिनोंमें प्रतिमायोग धारण करता है । ये मास भिक्षु प्रतिमाएं हैं । पुन पूर्व आहारसे सौगुना उत्कृष्ट दुर्लभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-सात दिनमे तीन बार ग्रहण करता है अर्थात् सात दिनमे ऐसा आहार मिला, तो ग्रहण करूँगा । ये अगली तीन भिक्षु-प्रतिमाएं हैं, फिर रात-दिन प्रतिमायोगमे स्थित रहकर पीछे रात्रिप्रतिमायोग धारण करता है । ये शेष दो भिक्षु-प्रतिमाएं हैं । इनको धारण करने पर पहले अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञानको प्राप्त करके पीछे सूर्योदय होनेपर केवलज्ञान प्राप्त करता है ।[१]

तत्त्वार्थभाष्यमें भी १२ भिक्षु-प्रतिमाओंका वर्णन है,[२] जिनमें सात प्रतिमाएं तो एकमासिकीसे लेकर सप्तमासिकी तक बतलायी हैं, तीन प्रतिमाएं सप्तरात्रिकी चतुर्दशरात्रिकी और एकविंशतिरात्रिकी रही हैं, शेष दो प्रतिमाएं अहोरात्रिकी व एकरात्रिकी नामकी हैं ।

सिद्धसेनगणिने उक्त भाष्यकी टीका लिखते हुए आगमके अनुसार सप्तरात्रिकी प्रतिमाएं तीन बताई हैं । चतुर्दशरात्रिकी और एकविंशतिरात्रिकी प्रतिमाओंको आगमसम्मत नही माना है—'सप्तचतुर्दशैकविंशतिरात्रिकग्रहणं तु नेदं पारमर्षवचनानुसारिभाष्य । किं तर्हि ? प्रमत्तगीतमेतत् ।'[३]

यापनीयोको तीन सप्तरात्रिकी, अथवा सप्तरात्रिकी, चतुर्दशरात्रिकी और एकविंशतिरात्रिकोमेंसे कौन-सी मान्यता इष्ट है, निर्णय करनेका कोई साधन नही है, क्योकि भगवती आराधना और उसकी टीकामें इनके उल्लेख तो हैं, पर विवरण नहीं । प० आशाधरजीने भगवती आराधनाकी गाथाकी व्याख्याके लिए श्वे० आगमग्रन्थोंके आधारपर इनका वर्णन किया है । उनका वर्णन सिद्धसेनगणि अथवा श्वेताम्बर मान्यताके अनुरूप है । सभवत यापनीयोको भाष्यकारसम्मत सप्तरात्रिकी, चतुर्दशरात्रिकी तथा एकविंशतिरात्रिकी वाली मान्यता इष्ट हो, क्योकि भाष्यकार भी यापनीयोकी भाति माथुरी वाचनाके अनुयायी समझे जाते हैं ।[४]

द्वादशानुप्रेक्षाएँ—भगवती आराधना, मूलाचार तथा तत्त्वार्थसूत्र मे द्वादश अनुप्रेक्षाओका वर्णन है । डॉ० उपाध्येयके अनुसार श्वेताम्बर आगमोमे कही भी पूरी बारह अनुप्रेक्षाओका वर्णन नही मिलता । कही चार अनुप्रेक्षाओका वर्णन है, तो

१ भगवती आराधनाकी पं० आशाधरजीकृत व्याख्या—मूलाराधनादर्पणमें गाथा २५१ की व्याख्या ।

२ तत्त्वार्थभाष्य ९/६

३ तत्त्वार्थभाष्य ९/६ की वृत्ति

४. तत्त्वार्थसूत्र, हिन्दी विवेचन, प्रस्तावना, पृ० २३ ।

कही दो, तो कही एक।[1] तत्त्वार्थसूत्र जैनागमसमन्वयसे इसकी पुष्टि होती है।[2] दिगम्बर परम्परामे स्वामी कार्तिकेय व आचार्य कुन्दकुन्द सभीने इनका वर्णन किया है।

आचाम्ल तप या आयबिल—शरीरकी सल्लेखनाके निमित्त विविध प्रकारके तप बताये गये है। उनमें आचाम्ल तपको श्रेष्ठ कहा गया है। दो, तीन, चार अथवा पाँच दिनोंके उत्कृष्ट उपवासके उपरान्त सक्लेश परिणाम न करता हुआ यदि परिमित, हल्का काँजीका आहार करता है, तो वह आचाम्ल तप है।[3] श्वेताम्बर परम्परामे आयबिल तप बहुश्रुत है।

निर्यापकाचार्यका अन्वेषण—समाधिमरणका इच्छुक यति पाँचसौसे सातसौ योजन या उससे भी अधिक दूरी तक एकसे लेकर बारह वर्ष पर्यन्त जिनागमसम्मत निर्यापकको खोजता है।

सर्वप्रथम वह एक रात्रिकी भिक्षुप्रतिमा धारण करता है। तीन उपवास करके चतुर्थ रात्रिमें ग्राम, नगर आदिके बाहर वनमें अथवा श्मशानमें पूर्व अथवा उत्तर अथवा जिनप्रतिमाकी ओर मुख करके दोनो पैरोके मध्यमें चार अगुलका अन्तर रखकर अपनी दृष्टि नाकके अग्रभाग पर रखते हुए शरीरसे ममत्व त्याग कर स्थित होता है। अपने चित्तको समाहित कर चार प्रकारके उपसर्गको सहन करता है। सूर्योदय होने तक न तो विचलित होता है और न गिरता है, फिर स्वाध्याय करके दो गव्यूतिप्रमाण गमन करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमें जाकर ठहरता है अर्थात् एकरात्रिक भिक्षुप्रतिमाकी समाप्तिपर स्वाध्याय करके भिक्षाके लिए गमन करता है। यदि भिक्षाका स्थान दूर हो तो स्वाध्यायकी स्थापना करके केवल मगलाचरण करके भिक्षा-स्थानके लिए गमन करता है। यह उसकी स्वाध्याय-कुशलता है।

चैत्यस्थिति सयमी तथा श्रावकोंसे भिक्षा स्थान ज्ञात करना उसकी प्रश्न-कुशलता है।

जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है, उस यतिको सहायकके रूपसे ले लें या स्वय उसका सहायक हो जावे। इस प्रकार स्थण्डिल भूमिकी खोजमें और सामाचारीके योग्य यतिके साथ रहनेमे जो प्रयत्नशील होता है, उसे स्थडिल सभोगी कहते हैं। वह सर्वत्र अप्रतिबद्ध अनासक्त रहता है।

गुरुके सम्मुख आलोचना करनेका सकल्प करके जो क्षपक निर्यापक आचार्यकी

---

१ जैन साहित्य और इतिहास, पं० नाथूरामजी प्रेमी, पृ० ५३५।

२ तत्त्वार्थसूत्र व जैनागम समन्वय, प० आत्माराम, पृ० १८१-२।

३ भगवती-आराधना भाग, १, गाथा २५२-५३।

खोजमें निकलता है, वह स्वयं यदि वासशमित हो बैठे अथवा मरणको प्राप्त हो तो भी आराधक है।[1]

निर्यापकाचार्यके गुण

निर्यापक आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, प्रकुर्वी, आयापायविदर्शी, अवपीडक, अपरिस्रावी, निर्वापक, प्रथितकीर्ति व निर्यापनगुण समन्वित होना चाहिए।[2]

१ आचारवान्—पाँच प्रकारके आचारका—जो अतिचार लगाये बिना पालन करता है तथा दूसरोंको पाँच प्रकारके आचारके निरतिचार पालनमें लगाता है और आचारका उपदेश देता है, यह आचारवान् नामक गुण है अथवा जो दश स्थितिकल्प तथा प्रवचनमाताओं (समिति-गुप्ति)में तत्पर रहता है, वह आचारवान् है। जो आचार्य स्वयं आचारवान् होता है वह क्षपकको पाँच प्रकारके आचार में उद्यत करता है। स्वयं आचाररहित आचार्य क्षपकको रत्नत्रयमें प्रवृत्त नहीं कर सकता।[3]

२ आधारवान्—चौदह पूर्व, दश पूर्व, अथवा नौ पूर्वका धारी, महाबुद्धिशाली, सागरकी तरह गम्भीर, प्रायश्चित्तशास्त्र (कल्पव्यवहार) का ज्ञाता आधारवान् होता है। ज्ञान आधार है जो ज्ञानवान् वह आधारवान् है। जो ज्ञानवान् नहीं है वह आचार्य क्षपकके ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तपको नष्ट कर देता है। ज्ञानी आचार्यके द्वारा श्रुतका पान करानेसे और योग्य शिक्षारूप भोजनसे उपकृत होनेपर भूख-प्याससे पीड़ित होते हुए भी ध्यानमें स्थिर होता है। सेवा करनेमें यति जिसका तिरस्कार कर देते हैं, उसको भी बहुश्रुत आचार्य प्रोत्साहित करते हैं शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुशासनरूप भोजनसे भूख,प्याससे पीडित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचित्त होता है।[4]

३. व्यवहारवान्—

प्रायश्चित्तशास्त्रज्ञान, प्रायश्चित्तकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये तीन गुण जिसमें होते हैं, उस आचार्यको व्यवहारवान् कहते हैं। प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी जिसने दूसरे आचार्यको प्रायश्चित्त देते हुए न देखा हो तथा जिसे प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास न हो, वह प्रायश्चित्त देते समय खेदखिन्न होता है। यह प्रायश्चित्त (व्यवहार) पाँच प्रकारका है—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जीव। अपराजितसूरिने दो कारणोंसे इनका विवेचन नहीं किया। पहला प्रायश्चित्त सार्वजनिक

---

१. भगवती आराधना व टीका, गाथा ४०४-४०९।

२. भगवती आराधना, गाथा ४१९-२०।

३. भगवती आराधना, गाथा ४२१-२९।

४. भगवती आराधना, गाथा ४३०-४४९

रूपसे अकथनीय होनेसे, दूसरे अन्य शास्त्रोमें इनका विवेचन होनेसे। प० आशाधरजी-ने अपनी मूलाराधना टीकामें इनका विवरण इस प्रकार दिया है—ग्यारह अगोमें कहे गये प्रायश्चित्तको आगम कहते हैं। चौदह पूर्वोमें कहे गये प्रायश्चित्तको श्रुत कहते हैं। अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा अन्य स्थानमें स्थित अन्य आचार्य द्वारा आलोचित अपने गुरुके दोषके लिए ज्येष्ठ शिष्य द्वारा प्रायश्चित्त आज्ञा है। एकाकी मुनि चलनेकी शक्ति न होने पर दोष लगने पर वही पूर्वनिश्चित्त प्रायश्चित्त करता है, वह धारणा है। बहत्तर पुरुषोके स्वरूपके विषयमें (पुरुषोके स्वभाव, सामर्थ्य, समय, स्थानकी दृष्टिसे) वर्तमान आचर्योंने जो शास्त्रमें कहा है, वह जीत है।

भगवती आराधना व टीकामें जीतके स्थान पर जीव है। हमें प्रतीत होता है यहाँ जीत शब्द ही होना चाहिए क्योंकि जीतकल्प शब्दका प्रयोग इन्होने अन्य भी किया है।

श्वेताम्बर आगमोमें भी व्यवहारके ये पाँच ही भेद किये गये हैं। इनके अनुसार आगम व्यवहारी छह हैं—केवलज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, दशपूर्वी और नौपूर्वी।

श्रुतव्यवहारी—शेष पूर्वधर तथा ग्यारह अगके धारी श्रुतसे व्यवहार करते हैं। जीत—केवली आदि प्रायश्चित्तदायकके न रहने पर भी जो व्यवहार प्रवृत्त तथा प्रचलित है, वही जीतकल्पव्यवहार है। जीतका अर्थ है अवश्य, कल्पका अर्थ है आचार, इस प्रकार जीतकल्पका अर्थ है अवश्य करणीय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सहनन आदिकी हानिको लक्ष्य कर दिया गया प्रायश्चित्त जीत है।[1]

प्रायश्चित्त देनेमें कुशल तथा आगममें निपुण आचार्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव करण, परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रव्रज्याकाल, आगम और पुरुषको जानकर मध्यस्थ भावसे प्रायश्चित्त देते हैं। प्रायचित्तके ज्ञाता आचायके पादमूलमें रहनेसे क्षपकका ज्ञान, चारित्र, समाधि और शुद्धि निश्चयसे होती है।[2]

४ **प्रकुर्वी**—क्षपकके वसतिसे निकलने अथवा उसमें प्रवेश करनेमें, वसति, सस्तर और उपकरणके शोधनमें, खडे होने, बैठने, सोने, शरीरसे मल दूर करने, भोजन-पान लानेमें, पण्डितमरण सम्बन्धी चर्यामें आदर, शक्ति तथा उत्कृष्ट भक्तिसे हस्तावलम्ब-नादि द्वारा उत्कृष्ट उपकार करते हैं, वह आचार्य प्रकुर्वक हैं। रोगग्रस्त क्षपक

---

१ भगवती आराधना, गाथा ४५२-५६।

२, वही, गाथा ४५७-४५९।

सेवाभावी आचार्यसे सुख प्राप्त करता है, अत क्षपकको सेवाभाव रखने वाले आचार्यके समीप ठहरना चाहिए।

निर्यापकाचार्यके पास जाते हुए क्षपकके रत्नत्रयका प्रकर्ष होता है। आत्माकी शुद्धि होती है। सक्लेशका आभाव होता है। गुरुके समक्ष मानका निरास, मायाचारका त्याग होता है, मार्दव होता है। शरीरमे ममत्व कम होनेसे लाघव होता है। मैं कृतार्थ हूँ, इस प्रकारका सतोप होता है, अब मैं अपने ही आत्महितके कर्ममें प्रवृत्त हो रहा हूँ, इस प्रकार हृदयमें सुख होता है। ये अनेक गुण हैं।[1]

५ **आयापायविदर्शी**—अवज्ञा और लज्जाके भयसे क्षपक दोपोकी आलोचना नही करता अथवा मायाचारपूर्वक करता है। तब आय अर्थात् रत्नत्रयका लाभ व अपाय अर्थात् रत्नत्रयका विनाश दिखाने वाले आचार्यको आयापायविदर्शी कहते हैं। आयापायविदर्शी आचायके पादमूलमे रहनेसे रत्नत्रयकी आराधना होना निश्चित है।[2]

६ **अवपीडक**—जो क्षपक आलोचकके गुण-दोपोको समझने पर भी लज्जा, भय मान और कष्टासहिष्णुताके कारण अपने दोपोको नही कहता उसे आचार्य एकान्तमें मधुर वचनोंसे शिक्षा देते हैं। उन्हें निन्दित होनेके भयसे मुक्त करते हैं। स्निग्ध, मधुर, हृदयग्राही और सुखकर वचनोके द्वारा एकान्तमें समझाने पर भी कोई क्षपक यदि अपने दोषोको सम्यक्‌रूपसे नही कहता, तब जैसे सिंह सियारके पेटमें गये मांसको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षपकके अन्तरमे छिपे हुए मायाशल्य-दोषोको वाहर निकालता है। वह क्षपकसे कहता है कि जबतक आप कषायोको कृश नही करते—मायाशल्यको नही निकालते, तब तक आपका क्षपक होना अथवा सल्लेखना धारण करना व्यर्थ है।

ऊर्जस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, प्रसिद्ध कीर्तिशाली सिंहके समान आचार्यको भगवानने अवपीडक कहा है। अवपीडक आचार्यको क्षपकसे सभी दोष उगलवाना चाहिए[4]।

७ **अपरिश्रावी**—क्षपकके दोषोको जो अन्य मुनियोपर प्रकट नही करता, वह अपरिश्रावी आचार्य हैं। जो आचार्य ऐसा करता है, वह साधुका, आत्माका, गणका अथवा सघका ही परित्याग करता है। साधु आचार्यपर श्रद्धा तथा स्नेह त्याग कर गुरुका परित्याग कर सकता है अथवा कुपित होकर रत्नत्रयका ही त्याग कर सकता है।

---

१ भगवती आराधना गाथा ४६१-४७५।

२, ३ वही गाथा ४७६-४८७।

रहस्यभेद करने पर क्षपक द्वेषी होकर साधुका घात कर सकता है अथवा गणमे फूट डाल सकता है। साथ ही गणके अन्य साधु भी आचार्यके दोष-कथनसे भीत होकर गणसे अलग हो सकते हैं, अथवा आचार्यका त्याग कर सकते हैं। सघ विरुद्ध होकर आचार्यपद छीन सकता है। इस प्रकार शिष्योके दोष-कथन करने पर मिथ्यादृष्टि श्रमणोको धिक्कारेंगे, इस प्रकार मिथ्यात्वकी आराधना होगी। इस प्रकार शिष्योके रहस्योको गुप्त रखने वाला आचार्य अपरिश्रावी होता है।[1]

८ **निर्वापक**—सस्तर या भोजन-पान क्षपकके मनोनुकूल न होने पर अथवा उसमें विलम्ब करने पर, निर्यापकोके वैयावृत्यमें प्रमाद करने पर अथवा सल्लेखना विधिसे अनजान नवीन साधुओके कठोर और प्रतिकूल वचनोंसे क्षपक कुपित हो सकता है अथवा शीत-उष्ण, भूख प्याससे पीडित होनेसे तीव्र वेदनासे क्षपक कुपित हो सकता है और मर्यादा तोडनेकी इच्छा कर सकता है। इस स्थितिमें विचलित न होने वाले, क्षमाशील तथा मानरहित आचार्य सतोष वचन कहते हुए उस कुपित अथवा मर्यादाको तोडनेके इच्छुक क्षपकके चित्तको शान्त करता है, वह आचार्य निर्वापक होता है। उसे निष्कषाय होना चाहिए। वह रत्नकरण्डकके समान श्रुतको हृदयमें धारण करता है, अर्थात् श्रुतकेवली होता है, तथा वक्ता, विनयी, वैयावृत्य करने वाला स्वाभाविक बुद्धिसम्पन्न व जितेन्द्रिय महात्मा होता है। समस्त श्रुतका ज्ञाता नही है, ऐसा आचार्य भी निर्वापक हो सकता है। निर्वापक आचार्य स्निग्ध, मधुर, गम्भीर व मनको प्रसन्नता तथा कानोको सुख देने वाली कथा कहते हैं, जिससे क्षपकको पहले अभ्यास किये हुए श्रुतके अर्थका स्मरण होता है।[2]

इन गुणोंसे युक्त आचार्य निर्यापकाचार्य होता है, जैसे नौका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान् नाविक तरगोंसे क्षुभित समुद्रसे रत्नोसे भरे जहाजको धारण करता है, वैसे ही निर्यापक आचार्य सयम और गुणोंसे पूर्ण, किंतु परोषहरूप लहरोमे चचल और तिरछे हुये क्षपकरूप जहाजको मधुर और हितकारी उपदेशासे धारण करता है, उसका सरक्षण करता है।[3]

निर्यापकाचार्यके छत्तीस गुण

आचारवत्त्व आदि आठ गुण, दस प्रकारका स्थितिकल्प, बारह तप, छह आवश्यक ये छत्तीस गुण भगवती आराधनामें बताये गये हैं।[4] विजयोदया टीकामें आठ ज्ञाना-

---

१ भगवती आराधना, गाथा ४८८-९७।

२ भगवती आराधना, गाथा ४९८-५०४।

३ वही, गाथा ५०५-५०८।

४ वही, गाथा ५२८।

चार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकारका तप, पाच समिति तथा तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण बताये गये हैं।[1]

प० आशाधरजीने पहले विजयोदयाके अनुसार छत्तीस गुण बतलाकर फिर किसी प्राकृत टीकाके अनुसार २८ मूलगुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस बतलाये हैं। 'यदि वा' लिखकर दस आलोचना गुण, दस प्रायश्चित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस तरह छत्तीस गुण बताये गये हैं। भगवती आराधनाकी छत्तीस गुण प्रतिपादक गाथाको प्रक्षिप्त ही बताया गया है।

भगवती आराधनाकी गाथा यदि प्रक्षिप्त है, तो विजयोदया टीकाके अनुसार आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकारका तप, पाच समिति, तीन गुप्ति इन्हें यापनीयसम्मत छत्तीस गुण मानना चाहिए। विजयोदयामें भिन्न छत्तीसगुणोंके प्रतिपादनसे इस गाथाको प्रक्षिप्त ही मानना चाहिए। इसके पूर्व की ५२७ वी गाथाके 'छत्तीसगुणसमण्णागदेण' शब्दकी व्याख्यामें अपराजितसूरिने छत्तीन गुणोका नामनिर्देश किया है।

अडतालीस निर्यापक

अडतालीस निर्यापक यति क्षपकके समाधिमरणमें सहयोगी होते हैं। ये निर्यापक[2] वे होते हैं, जिन्हें धर्म प्रिय है, जो धर्ममे स्थिर हैं, ससारसे भीरू हैं, पापसे डरते हैं, धैर्यवान् हैं, अभिप्रायको जानते हैं, विश्वासके योग्य हैं, प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं, योग्यायोग्यके विवेकमें कुशल होते हैं, क्षपकके चित्तको समाहित करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं, जिन्होने प्रायश्चित्त ग्रन्थोको सुना है, जो सूत्रके अर्थको हृदयसे स्वीकार किये है, अपने और दूसरोके उद्धार करनेके माहात्म्यसे शोभित हैं। ऐसे अडतालीस निर्यापक यति क्षपकके समाधिमरणमें सहयोगी होते हैं।

इनमेंसे चार परिचारक मुनि क्षपकके आमर्शन (शरीरके एक हिस्सेका स्पर्श, परिमर्शन (समस्त शरीरके स्पर्श), चक्रमण (इधर-उधर जाने), शयन, बैठने, खडे होने, उद्वर्तन-परावर्तन करवट बदलने, हाथ-पाव पसारने और सिकोडनेमें सहायता करते है।

चार परिचारक मुनि विकथा त्याग कर धर्मकथा कहते हैं। नाना कथाओंमें कुशल वे परिचारक यतिको प्रिय, मधुर, सुखदायक, हितकारी कथा निरन्तर कहते हैं। ज्ञान व चारित्रके उपदेशवाली आक्षेपिणी कथा क्षपकके योग्य होती है। परसमयका निरसन कर स्वमतकी चर्चा होनेसे विक्षेपिणी कथा क्षपकको उपयोगी नही है,

---

१ विजयोदया, पृ० ३८८।

२ आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार ३/२१० में छेदोपस्थापना देने वाले आचार्यको निर्यापक कहा है।

क्योकि क्षपक मरणके समय रत्नत्रयकी आराधनामे तत्पर होता है, उसके लिए वह कथा अनायतन है। सवेजनी और निर्वेदनी कथा उपयोगी होती है।

चार परिचारक यति उस क्षपकके लिए उद्‌गमादि दोषोसे रहित इष्ट भोजन बिना ग्लानिके लाते हैं। वे अमायावी तथा मोह व अन्तराय कर्मोका क्षयोपशम होनेसे भिक्षालब्धिसे युक्त होते हैं। ऐसे ही चार परिचारक मुनि क्षपकके लिए ग्लानिके विना दोषरहित पानक लाते हैं।

चार यति प्रयत्नपूर्वक उस आनीत भोजन-पानकी रक्षा करते हैं।

चार मुनि क्षपकके सब मल-मूत्र उठानेका कार्य करते हैं। सूर्यके उदय तथा अस्त होनेके समय वसति, उपकरण व सथरेकी प्रतिलेखना करते हैं।

चार यति सावधानीपूर्वक क्षपकके घरके द्वारकी असयमियो आदिके प्रवेशसे रक्षा करते हैं। अन्य चार यति समवशरण द्वारकी रक्षा करते हैं। निद्राजयी अथवा निद्रा जय करनेके इच्छुक चार यति रात्रिमें जागरण करते हैं। चार मुनि उस क्षेत्रकी प्रवृत्तियोकी परीक्षा करते हैं कि समाधिमें कोई वाधा आनेका तो खतरा नही है।

क्षपकके आवासके वाहर स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके ज्ञाता चार यति क्रमसे एक-एक करके सभामें धर्म सुननेके लिए आते हुए श्रोताओको चार कथाएँ इस प्रकार कहते हैं कि क्षपकको सुनाई न दें।

शास्त्रज्ञ और वादो चार मुनि धर्मकथा करने वालोंकी रक्षाके लिए सभामें सिंह-के समान विचरते हैं।

इस प्रकार माहात्म्यशाली अडतालीस निर्यापक यति क्षपककी समाधिमें उत्कृष्ट प्रयत्नशील रहते हुए क्षपकको ससार-समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते हैं।

इस प्रकार उत्कृष्टतासे अडतालीस निर्यापक होते हैं। कालके परिवर्तनसे जिस प्रकारके शोभनोय गुण सभव है वे हो निर्यापक होते हैं। देश-कालके अनुसार सावधानी-पूर्वक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए। कम-से-कम दो निर्यापक अवश्य होना चाहिए। एक निर्यापक न तो आत्महित कर सकता है और न क्षपकका हित। निर्यापक आहार आदिके लिए गया तो क्षपक अयोग्य सेवन कर सकेगा। समीपमें निर्यापक न होनेसे क्षपकका समाधिके बिना मरण हो सकता है।

शारीरिक स्थिति जब गोचरी करनेमे असमर्थ हो जाती है, तब क्षपकको सस्तरा-रूढ किया जाता है। उस स्थितिमें मरणासन्न साधुके लिए यह व्यवस्था थी कि मरणसमाधि कराने वाले निर्यापक यति उसके लिए विधिपूर्व खान-पान लावें और विधिपूर्वक देवें।[1]

---

१ भगवती आराधना, गाथा ६४६-६८७।

दशस्थितिकल्प

श्वेताम्बर तथा यापनीय परम्परामें दश स्थितिकल्पोकी चर्चा है। मूलाचार, भगवती आराधना और विजयोदयामें इनका विस्तृत वर्णन है। ये दश स्थितिकल्प है आचेलक्य, उद्दिष्टत्याग, शय्याधरपिण्डत्याग, राजपिण्डत्याग, कृतिकर्म, व्रत, पुरुषज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पर्युषण। विजयोदयाके अनुसार इनमें आचेलक्य[1], उद्दिष्टत्याग[2] और प्रतिक्रमण[3] केवल प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके तीर्थमें ही आवश्यक है। मध्यके तीर्थंकरोके कालमें ये आवश्यक नही हैं। प्रतिक्रमणके विषयमें मूलाचारमें भी यही कहा गया है।

वर्तमान कालमें अर्थात् महावीरके तीर्थमें सभी अवश्य करणीय होनेसे स्थितिकल्प हैं, परन्तु जिस प्रकार आचेलक्यके स्थितकल्प होने पर भी विशिष्ट परिस्थितियोंमें वस्त्र धारणकी छूट है। उसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियोमें राजपिण्ड भी ग्रहण किया जा सकता है। अपराजितसूरि कहते हैं कि जहाँ दोष सभव हो वही राजपिण्ड ग्रहणका प्रतिषेध है, सर्वत्र नही। रोगीके लिये तो राजपिण्ड दुर्लभ द्रव्य है। मृत्यु अथवा श्रुतव्यवच्छेदका भय उपस्थित होने पर राजपिण्ड ग्रहण किया जा सकता है। 'दोषसभवो यत्र तत्र राजपिण्डग्रहणप्रतिषेधो न सर्वत्र कल्प्यते। ग्लानार्थं राजपिण्डोपि दुर्लभ द्रव्यम्। आगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो माभूदिति।'

श्वेताम्बर परम्परामें पञ्चाशक-विवरणके अनुसार आचेलक्य, उद्दिष्टत्याग, प्रतिक्रमण, राजपिण्डका त्याग, मास और पर्युषणा ये छह कल्प मध्यके बाईस तीर्थंकरो के कालमें अस्थितकल्प हैं क्योकि उनके अनुयायियोंके लिए इनका सतत् पालन आवश्यक नहीं है। उनके लिए चार स्थितकल्प हैं शय्याधर-पिण्डका त्याग, चतुर्याम, पुरुष ज्येष्ठता और कृतिकर्म।

> आचेलक्कुद्देसियपडिक्कमण रायपिंडमासेसु।
> पज्जुसणकप्पम्मि य अट्ठियकप्पो मुणेयव्वो ॥

---

१ 'आचेलक्को धम्मो पुरिमचरिमाण' 'यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इति' आदि विजयोदया (भगवती आराधना, भाग १), पृ० ३२६।

२ तथा चोक्त कल्पे—

> सोलसविधमुद्देश वज्जेदव्वति पुरिमचरिमाण।
> तित्थगराण तित्थे ठिदिकप्पो होदि विदिओ हु ॥ विजयोदया

३ प्रतिक्रमणसहितो धर्म आद्यपाश्चात्ययोर्जिनयोर्जातापराधप्रतिक्रमण मध्यवर्तिनो जिना उपदिशन्ति।

सिज्जायरपिंडम्मि चाउज्जामे ये पुरिसजेट्ठे य ।
कितिकम्मस्स य करणे ठियकप्पो मज्झिमाण पि ॥[1]

यहाँ दशस्थितिकल्पोमें चातुर्यामका उल्लेख है। मूलाचार और भगवती आराधना-में इसकी जगह 'व्रत' है। जैसा कि कह चुके हैं कि प्रथम व अन्तिम तीर्थंकरका धर्म पञ्चमहाव्रतरूप कहा गया है, जबकि मध्यम तीर्थंकरोका धर्म चतुर्यमरूप है, इसलिए यह भेद किया गया होगा। परन्तु व्रतका अर्थ विजयोदयामे व्रतपालन न करके व्रतदान किया गया है। यह श्वेताम्बर परम्परासे भेद है।

प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीके मतानुसार 'दशस्थितिकल्पवाली गाथा श्वेताम्बरीय सिद्ध नही होती, क्योकि मूलाचारमे भी मिलती है तथा अनगारधर्मामृतमे इसका सस्कृत रूप मिलता है। दसकल्प तो दिगम्बर परम्पराके प्रतिकूल नही अनुकूल ही है।'[2]

यद्यपि दशस्थितिकल्प वाली गाथामें आपत्तिजनक कोई बात नही है, तथापि यह गाथा दिगम्बर-पम्पराकी नही कही जा सकती। दिगम्बर परम्परामे शय्याधरपिंड या राजपिंडके त्यागका कोई विधान नही प्राप्त होता। आचार्य कुन्दकुन्द तो दरिद्र व ऐश्वर्यशाली सभी घरोंसे निरपेक्ष भावसे आहार ग्रहणका निर्देश करते हैं। साथ ही जिस मूलाचारको वे दिगम्बरीय ग्रन्थ मानते हैं, वह स्पष्टतया यापनीय ग्रथ है, क्योकि इसमें स्त्रीमुक्तिका विधान है। और प० आशाधरजी बहुश्रुत विद्वान् है मूला-राधनादर्पणमें इन्होने श्वेताम्बरोय ग्रथोंके आधारसे बहुत-सी व्याख्यायें की हैं। और जैसा कि कह चुके हैं कि काष्ठा सघ दिगम्बरोमें अन्तर्भुक्त यापनीय शाखा ही है।

अन्तर्द्वीपजमनुष्य—विजयोदयामें उल्लिखित है कि समुद्रके द्वीपोंके मध्य रहनेवाले कन्दमूल फल खाने वाले मनुष्य अन्तर्द्वीपज मनुष्य हैं। ये मृगोपम चेष्टायें करते हुए मनुष्यायुका उपभोग करते है। ये अभाषक, एकोरुक, लागूलिक, विषाणिक, आदर्श-मुख, हस्तिमुख, अश्वमुख, विद्युन्मुख, उल्कामुख, हयकर्ण, गजकर्ण, कर्णप्रावरण इत्यादि मनुष्य नामानुरूप गूगे, एक टागवाले, पूँछवाले, सीगवाले, दर्पणकी भाँति मुख वाले, हाथीके समान मुखवाले, घोडेके समान मुख वाले, बिजलीके समान मुख वाले, घोडेके समान कानवाले, हाथीके समान कानवाले तथा कान ही जिनका प्रावरण है, ऐसे होते हैं।[3]

तत्त्वार्थभाष्यकारने भी वहाँके मनुष्योंके नामसे अन्तर्द्वीपोंके नाम बताये हैं—'एकोरुकाणामेकोरुकद्वीप । एव शेषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेदितव्या ।'[4]

---

१ पचाशक-विवरण, अध्याय १७ गाथा ८, १० ।

२ भगवती आराधना, भाग १, एक प्रस्तावना, पृ० ३४-३५ ।

३ विजयोदया, पृ० ४८३ ।

४ तत्त्वार्थभाष्य, ३/१५ ।

परन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके विपरीत उक्त द्वीपोके नामसे वहाँके मनुष्योंके नाम पडे बताये हैं। 'आर्या म्लेच्छाश्च' सूत्रकी वृत्तिमें सिद्धसेनगणिने वहाँके मनुष्योको सम्पूर्ण अग-प्रत्यगोसे पूर्ण सुन्दर मनोहर कहा है—'द्वीपनामत पुरुपनामानि, ते तु सर्वाङ्गसुन्दरा दर्शनमनोरमणा नैकोरुका एव। इत्येव शेषा अपि वाच्या।'[१]

दिगम्बर परम्परामे एकोरुक आदि नाम आकृतिकी अपेक्षामे माने गये हैं।[२] इस विचारधारामें यापनीय दिगम्बर परम्पराका समर्थन करते हैं।

पुण्य-पाप प्रकृतियाँ

यापनीय सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेदको पुण्यप्रकृति मानते हैं। मूलाचार-में कहा गया है कि सम्यक्त्व, श्रुत, विरति तथा कपायनिग्रह गुणोंसे जो जीव परिणत है, (अर्थात् उसके जो कर्म वध होता है) वह पुण्य है, उससे विपरीत पाप है।

सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसायणिग्गहगुणेहिं।
जो परिणदो स पुण्णो तद्विवरीदेण पाव तु ॥[३]

विजयोदयामें 'सद्वेद्य सम्यक्त्व रतिहास्यपुवेदा शुभे नामगोत्रे शुभ चायु' पुण्यम् एतेभ्योऽन्यानि पापानि।'[४]

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इन्हें पुण्यप्रकृति नही माना गया है। तत्त्वार्थसूत्रके तत्त्वार्थभाष्यसम्मत पाठ भेदमें भी इन्हें पुण्यप्रकृति कहा गया है[५]। इसका कारण भी मूल तत्त्वार्थसूत्रका यापनीय कृति होना है। उक्त तत्त्वार्थभाष्यसम्मत सूत्र की टीका करते हुए सिद्धसेनगणि लिखते है कि 'कर्मप्रकृतिग्रन्थका अनुसरण करने वाले तो ४२ प्रकृतियोको ही पुण्यरूप मानते हैं। उनमें सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुष-वेद नही है। सम्प्रदायका विच्छेद हो जानेसे मैं नही जानता कि इसमें भाष्यकार-का क्या अभिप्राय है ? कर्मप्रकृतिग्रन्थ प्रणेताओका क्या ? चौदह-पूर्वधारी हो इसकी ठीक-ठीक व्याख्या कर सकते हैं।'[६]

– सम्यक्त्व आदिको पुण्यप्रकृति मानना यापनीयोको ही इष्ट है। सिद्धसेन गणि इस विषयमें कहते हैं कि कुछ लोग इन चारोको पुण्य प्रकृति मानते हैं, जो मोहनीय

---

१ सभाष्यतत्त्वार्थसूत्रवृत्ति ३/१५।

२ सर्वार्थसिद्धि ३ ३६।

३. मूलाचार ५/३७।

४. विजयोदया (भगवती आराधना, भाग २), गाथा १८२८ की व्याख्या. पृ० ८१४

५ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र ८/६।

६. तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी वृत्ति ८/६।

कर्मकी प्रकृति होनेके कारण इष्ट नही है। उन्होने 'अपरस्त्वाह' कहकर उनकी कारिकाएँ उद्धृत की हैं, जिसके विषयमे प० प्रेमीका अनुमान[1] है कि वे तत्त्वार्थ-सूत्रकी किमी यापनीय टोकाकी होगी। वे कारिकाएँ इम प्रकार हैं—

> रतिसम्यक्त्वहास्याना पुवेदस्य च पुण्यताम्।
> मोहनीयमिति भ्रान्त्या केचिन्नेच्छन्ति तच्च न ॥
> पुण्य प्रीतिकर सा च सम्यक्त्वादिषु पुद्गला ।
> मोहत्व तु भवाबन्ध्यकारणादुपदर्शितम् ॥
> मोहो रागः स च स्नेहो भक्तिराग स चार्हति।
> रागस्यास्य प्रशस्तत्वान्मोहत्वेनापि मोहता ॥

रात्रिभोजनविरमणव्रत

मूलाचार[2], भगवती आराधना[3] और विजयोदया[4] इन तीनो यापनोय ग्रन्थोमें रात्रिभोजनविरमणव्रतको पृथक् छठा व्रत कहा गया है। दिगम्बर परम्पराकी भाँति इसका अन्तर्भाव आलोकित-पान-भोजन नामक अहिंसाव्रतकी भावनामें नही किया गया है।

उक्त ग्रन्थोमे मुनियोके लिए मुनियोके महाव्रतोंके सन्दर्भमें इस व्रतकी चर्चा है। यह छठा व्रत पच महाव्रतोंके पालनार्थ ही है।

दिगम्बर परम्परामें प्राय. सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक आदि ग्रन्थोमें इसे अणुव्रत कहकर उसे आलोकितपानभोजन नामक अहिंसाव्रतकी भावनामें अन्तर्भावित किया गया है। श्लोकवार्तिकमें अवश्य इसे रात्रिभोजनविरतिव्रत मात्र कहा है, अणुव्रत या महाव्रत नही।[5]

काष्ठासघी प० आशाधरजीने केवल रात्रिमें भोजनका त्याग होनेसे अर्थात् काल की दृष्टिसे अणु होनेसे इसे अणुव्रत कहा है —'अणुव्रतत्व चास्य दिवाभोजनस्यापि कारणात्।' (मूलाराधनादर्पण, आश्वास ६, पृ० ११७६)।

इसको पृथक्व्रत माननेका कारण सभवत अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयका भीषण द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष रहा होगा, क्योकि हरिषेणके बृहत्कथाकोशकी भद्रबाहुकथा से प्रतीत होता है। दुर्भिक्षके समय उत्तरभारतके साधु रात्रिमें भिक्षा माँगकर लाकर

१ जैन साहित्य और इतिहास (द्वितीय सस्करण), पृ० ५४१ की पादटिप्पणी।
२. मूलाचार ५/९८।
३ भगवती आराधना, प्रथम भाग, ११७९।
४ विजयोदया, पृ० ३३० व ३३१।
५. तत्त्वार्थसूत्र ७/१ की सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक तथा तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकभाष्य।

रखने लगे थे। सभवत ग्रहण भी करने लगे हों। इसी प्रवृत्तिको रोकनेके लिये ही सभवत इसे पृथक् छठे व्रतके रूपमे उल्लिखित किया जाने लगा।

शुक्लध्यानके प्रथम भेदका स्वामी

भगवती आराधना[1], मूलाचार[2], विजयोदया[3] तथा तत्त्वार्थसूत्र (श्वे पाठ)में[4] पृथक्त्ववितर्क सवीचार ध्यानका अधिकारी उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्तीको तथा एकत्ववितर्कका स्वामी बारहवें क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तीको माना है। श्वेताम्बर परम्परामे भी यही माना गया है।

दिगम्बर परम्परा इससे भिन्न है। दिगम्बर पाठवाले तत्त्वार्थसूत्रमें आठवें गुणस्थानमे ही पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानको माना है,[5] तथा एकत्व-वितर्कका अधिकारी बारहवें गुणस्थानवर्तीको माना है।

षट्खण्डागमकी टीकामें आचार्य वीरसेनने उपशान्तमोह गुणस्थानवर्तीको माना है।[6]

केवलीके ज्ञान-दर्शन—भगवती आराधनासे ज्ञात होता है कि यापनीय दिगम्बरोंकी भांति केवलीके ज्ञान-दर्शनके युगपद् होनेको स्वीकार करते थे।

---

१ भगवती आराधना, गाथा १८७४ व ७७।

दव्वाइ अणेयाइ तीहि वि जोगेहि जेण ज्झायंति।
उवसंतमोहणिज्जा तेण पुधत्त त्ति त भणिया॥
जेणगमेव दव्व जोगेणेगेण अण्णदरगेण।
खीणकसाओ ज्झायदि तेणेगत्त तय भणियं॥

२ मूलाचार ५/२०७।

उवसतो दु पुहुत्त झायदि झाण विदक्कवीचार।
खीणकसाओ ज्झायदि एयत्तविदक्कवीचार॥

३. विजयोदया (भगवती आराधना, भाग २), पृ. ८३६।

उपशान्तमोहनीयस्वामिकत्वात् क्षीणकषायत्वस्वामिकत्वाद् ध्यानाद् भिद्यते।

४. तत्त्वार्थसूत्र श्वेताम्बर पाठ ९/३७,३८,३९।

आज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसयतस्य।
उपशान्तक्षीणकषाययोश्च।
शुक्ले चाद्ये।

५ तत्त्वार्थसूत्र ९/३७ की व्याख्या

६ धवला टीका, पुस्तक १३, पृ ७४।

पस्सदि जाणदि य तहा तिण्णि वि काले सपज्जए सव्वे ।
तह वा लोगमसेस पस्सदि भयव विगदमोहो ॥[1]

षट्खण्डागममें युगपद्वादका उल्लेख है—[2]

सव्व सम जाणदि पस्सदि विहरन्ति ।

गर्भ कल्याणक—तीर्थंङ्करोकेगर्भ कल्याणकमें देवोका आगमन सभवत यापनीय परम्परामें मान्य नही है । विजयोदयामें ललित गद्यमें तीर्थंकरोके कल्याणकोका विस्तृत वर्णन है किंतु गर्भकल्याणकमे देवोका वर्णन नही है ।[3] पउमचरिउमें भी भगवान ऋषभके गर्भकल्याणक मनानेके लिए देवोंके आगमनका वर्णन नही है । जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान कल्याणकमें देवोंके आगमनका वर्णन है ।[4] पद्मचरित और हरिवशपुराणमें भी गर्भकल्याणकमे देवोके आगमनका वर्णन नही है ।

विजहना अर्थात् साधुका मृतक कर्म[5]

नगर आदिके मध्य या बाहर मरणको प्राप्त क्षपकके शरीरको वैयावृत्य करने वाले परिचारक मुनि स्वय ही सावधानीपूर्वक हटा देते हैं । वर्षावासमें तथा ऋतुके प्रारभमें निषीधिकाका प्रतिलेखन करना श्रमणका कल्प है, अत साधु क्षपकका शव निषीधिकासे हटानेका प्रयत्न करते हैं । यहा यह शका नही करनी चाहिए कि साधु तो अपने शरीरमें भी अममत्व रखते हैं, तब क्षपकके शवको हटानेका प्रयत्न क्यो करते हैं ? साधुके लिए निषीधिकाका प्रतिलेखन आवश्यक है, अत वे क्षपकके शवको दूर करते हैं ।

निषीधिका एकात स्थानमे, प्रकाशवान् नगरादिके न अधिक समीप और न बहुत दूर होनी चाहिए । विस्तीर्ण, प्रासुक तथा अतिदृढ होनी चाहिए । चीटियो तथा छिद्रोंसे रहित समभूमिमें होनी चाहिए । गीली नही होनी चाहिए, जतुरहित होना चाहिए ।

निषीधिका बस्तीसे पश्चिम-दक्षिण दिशामें हो तो उत्तम होती है । पश्चिम-दक्षिण दिशामें हो तो सर्व सघको समाधिलाभ होता होता है, दक्षिण दिशामें हो तो सघको आहार सुलभ होता है । पश्चिम दिशामें हो तो सघका विहार सुखपूर्वक होता है । उपकरणोका लाभ होता है । यदि इन दिशाओंमें निषीधिका न मिले तो पूर्व दक्षिण

---

१ भगवती आराधना, (द्वितीय भाग), गाथा २१३५ पृ ९०१ ।

२ षट्खण्डागम ४ पयडि सूत्र ७८ ।

३ विजयोदया (भगवती-आराधना, भाग १) पृ १८२ ।

४ पउमचरिउ, प्रथम भाग, सधि १, २ ।

५ भगवती आराधना, गाथा १९६०-१९९४ ।

दिशामें, पश्चिम-उत्तरमें, पूर्वमें या पूर्वोत्तरमें होना चाहिए। किन्तु पूर्व-दक्षिणमें स्पर्द्धा, पश्चिमोत्तर दिशामें कलह, पूर्व दिशामें भेद, उत्तरमें व्याधि तथा पूर्वोत्तर दिशामें परस्पर खींचातानी होती है।

क्षपक जिस समय मरणको प्राप्त हो, उसको उसी समय वहाँसे हटा देना चाहिए। यदि असमयमें मरा हो तो जागरण, बन्धन या छेदन करना चाहिए।

बाल, वृद्ध, शैक्ष्य, तपस्वी, भीरु, रोगी मुनि तथा दुःखित हृदय आचार्योंको छोड़कर निद्राको जीतने वाले मुनि जागरण करते हैं। जो मुनि गृहीतार्थ होते हैं, जिन्होंने अनेक बार क्षपकका कर्म किया है, महाबलशाली, महापराक्रमी, महासत्त्वशाली मुनि मृतकके हाथ या पैरके अँगूठेको बाँधते या छेदते हैं। यदि यह विधि न की जाय तो कोई विनोदी देवता मृतकको उठाकर दौड़ सकता है, क्रीड़ा कर सकता है, बाधा पहुँचा सकता है। उसे देखकर बालक आदिका चित्त क्षुब्ध हो सकता है, वे डरकर भाग सकते हैं और उनका मरण हो सकता है।

यदि भक्तपरिज्ञा मरण करनेवाली विख्यात आर्यिका, श्राविका या स्थानरक्षिका हो तो उसके लिए शिविका बनानी चाहिए। शिविका बनानेके पश्चात् उसके शवको संस्तर-सहित शिविकामें रखकर बाँध देना चाहिए, जिससे वह उठ न सके, उसका सिर गाँवकी ओर होना चाहिए। उस शिविकाको लेकर पहले देखे हुए मार्गसे शीघ्र जाते हैं, न तो मार्गमें रुकते हैं और न पीछे देखते हैं। उसके आगे एक व्यक्तिको सीधे बिना रुके, बिना पीछे देखे कुश मुट्ठीमें लेकर चलना चाहिए। पूर्व निरूपित स्थानमें लगातार मुट्ठीसे एक समान कुश डालते हुए एक संस्तर बनाना चाहिए, जो सर्वत्र सम हो। जहाँ कुश न हो, वहा चूर्ण अथवा केशरसे सर्वत्र समान रेखा खींचना चाहिए।

यदि संस्तर, ऊपर विषम हो, तो आचार्यका मरण या व्याधि, मध्यमे विषम हो, तो श्रेष्ठमुनि (वृषभ) का मरण, व्याधि तथा नीचे विषम हो, तो अन्य मुनियोका मरण या व्याधि होती है। जिस दिशामें ग्राम हो, उस ओर शिर करके उपधिसहित (पीछी आदि) उस शवको रख देना चाहिए। शवके उठनेके भयसे उसका सिर गावकी ओर किया जाता है। सम्यक्त्वकी विराधना करके जो मरकर देव होता है, वह भी पीछीके साथ अपना शरीर देखकर ही जान लेता है कि मैं पूर्वभवमें संयमी थी। जघन्य नक्षत्रमें यदि क्षपकका मरण होता है, तो सबका कल्याण होता है, मध्यम नक्षत्रमे मरण होता है, तो शेष साधुओमेसे एकका मरण होता है। यदि उत्कृष्ट नक्षत्रमें मरण होता है, तो दोका मरण होता है। शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्ठा ये जघन्य नक्षत्र हैं। रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा-फाल्गुनी, उत्तरा-भाद्रपद, उत्तराषाढा ये उत्कृष्ट नक्षत्र हैं। शेष नक्षत्र मध्यम हैं।

प आशाधरजीके अनुसार अल्पनक्षत्र उन्हें कहते हैं जो पन्द्रह मुहूर्त तक रहते हैं, तीस मुहूर्त तक रहने वाले मध्यम तथा पैंतालीस मुहूर्त तक रहने वाले नक्षत्र उत्कृष्ट नक्षत्र हैं।

इसलिए सघकी रक्षाके अभिप्रायसे तृणोका पुतला बनाकर रखें। यदि मध्यम नक्षत्रमें मरण हुआ हो, तो उसके साथ एक पुतला रखें। यदि उत्तम नक्षत्रमें मरण हुआ हो तो उसके साथ दो पुतले रखें। मृतकके पास उस पुतलेको रखकर तीन बार उच्च स्वरसे घोषणा करे कि मैंने उस दूसरेके स्थानमे यह दूसरा स्थापित किया है, जिसके स्थानमें यह पुतला स्थापित किया है, वह चिरकाल तक जीवित रहकर तपस्या करे। यह पुतला देनेका विधान है। दो पुतले स्थापित करने पर तीन वार घोषणा करे कि मैंने दूसरा और तीसरा पुतला स्थापित किया है, ये दोनो जिसके बदलेमें स्थापित किये हैं, वे दोनों साधु चिरकाल तक जीवित रहकर तप करे। यदि पुतला बनानेके लिए तिनके न हो, तो ईट पत्थर आदिके चूर्णसे अथवा केशर क्षार वगैरहसे ऊपर ककार लिखकर उसके नीचे तकार लिखे। इस प्रकार 'क्त' अक्षर लिखें।

मृतककी शय्याके निर्माणके लिए गृहस्थोसे जो उपकरण, वस्त्र, पात्र आदि लिया गया हो, उसमें जो लौटा देने योग्य हो, उन्हें पाडिहारिक कहते हैं। उस पाडिकारिकको गृहस्थोको सम्यक् रीतिसे समझा-बुझाकर लौटा दें।

आराधना की प्राप्ति की भावनासे सघ एक कायोत्सर्गको तथा क्षपककी वसतिकाकी जो अधिष्ठात्री देवता हो उसके प्रति इच्छाकार करे कि आपकी इच्छासे सघ इस स्थान पर बैठना चाहता है। अपने सघके साधुका स्वर्गवास होने पर उस दिन उपवास करना चाहिए तथा स्वाध्याय नही करना चाहिए। उपवास कर सकते हैं नही भी। कुछके अनुसार दूसरे सघके साधुका मरण होने पर स्वाध्याय करना चाहिए। उपवास कर भी सकते है और नही भी।

क्षपकका शरीर स्थापित करके तीसरे दिन जाकर देखते हैं कि संघका विहार सुखपूर्वक होगा या नही। मृतककी गति अच्छी हुई हुई है या बुरी। जितने दिन तक वह शव गीदड आदिसे सुरक्षित रहता है, उतने वर्षों तक उस राज्यमें सुभिक्ष एव शाति रहती है। पक्षी तथा पशुओ द्वारा वह शरीर जिस दिशामें ले जाया गया हो, क्षेम-सुभिक्ष जानकर उसी दिशामें सघको बिहार करना चाहिए। यदि उसका सिर और दात पर्वतके शिखके ऊपर दिखाई दे तो वह मुक्तिको प्राप्त हुआ है। यदि मृतकका मस्तक उन्नत भूमिभागमें दिखाई दे, तो वह मरकर वैमानिक देव हुआ जानना। यदि सम भूमिभाग में दिखाई दे, तो ज्योतिष्क देव या व्यन्तरदेव हुआ समझना चाहिए। यदि गड्ढेमें दिखाई दे, तो वह भवनवासी देव हुआ, समझना चाहिए।

यहाँ हमने यापनीयोंकी उन विचारधाराओं तथा मान्यताओंका उल्लेख किया है, जिनमें वे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर किसी एक परम्परासे मतभेद रखते हैं तथा किसी एक परम्पराके अनुकूल विचार रखते हैं और दोनों विचारधाराओंके अतिरिक्त विशिष्ट विचारधारा रखते हैं ।

पंचम परिच्छेद

यापनीयोंकी आचार संहिता

यापनीयोंकी आचार-संहिता

यापनीय सम्मत श्रावक व मुनि आचार-संहिताका वर्णन इस अध्यायका प्रतिपाद्य विषय है।

श्रावक-आचार-संहिता

मुनिधर्म ग्रहण करनेमें असमर्थ व्यक्तियोंके लिए श्रावकाचारका निरूपण किया जाता है।

यापनीयोका श्रावकाचार विषयक साहित्य संक्षिप्त सूत्ररूपमें ही उपलब्ध हुआ है। भगवती आराधना, तत्त्वार्थसूत्र, पद्मचरित, हरिवंशपुराण, पउमचरिउ इत्यादिमें श्रावकाचारका निरूपण हुआ है।

बारहव्रत—भगवती आराधनामें गृहवासको सदोष माना गया है।[1] टीकाकार अपराजितसूरिने गृहवासके दोषोकी विस्तारसे चर्चा की है।[2] यहाँ देशविरत सम्यग्दृष्टिके मरणको बालपण्डितमरण बतलाते हुए श्रावकाचारका प्रतिपादन किया गया है।

पंच य अणुव्वदाइं सत्त य सिक्खाउ देसजदिधम्मो।
सव्वेण य देसेण य तेण जुदो होदि देसजदो॥
पाणवधमुसावादादत्तादाणपरदारगमणेहिं।
अपरिमिदिच्छादो वि अ अणुव्वयाइं विरमणाइं॥
जं च दिसावेरमणं अणत्थदंडेहिं जं च वेरमणं।
देसावगासियं पि य गुणव्वाइं भवे ताइं॥
भोगाणं परिसंखा सामाइयमतिहिसंविभागो य।
पोसहविधि य सव्वो चदुरो सिक्खाउ वुत्ताओ॥
आसुक्कारे मरणे अव्वोच्छिण्णाए जीविदासाए।
णादीहिं वा अमुक्को पच्छिमसल्लेहणमकासी॥
आलोचिदणिस्सल्ली सघरे चेवारुहित्तु संथारे।
जदि मरदि देसविरदो तं वुत्तं बालपंडिदयं॥[3]

पाँच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत यह देशयतिका धर्म है। प्राणिवध, मृषावाद, अदत्तादान, परदारगमन तथा अपरिमित इच्छाओसे विरमण अणुव्रत हैं। दिग्विरमण, अनर्थदंडविरमण व देशावकाशिक गुणव्रत हैं। भोगोका परिसंख्यान, सामायिक, अतिथि-

---

१ भगवती आराधना, (भाग २), गा० १३१९।

२ विजयोदया (भगवती आराधना), पृ० ६४९।

३ भगवती आराधना गाथा २०७३-७८।

सविभाग तथा प्रोषधविधि ये चार शिक्षाव्रत हैं। इनका पालन करते हुए श्रावक जीवन-यापन करे। मरण अवश्यंभावी होनेपर जीविताशा नष्ट हो जानेपर अन्तिम समयमें सल्लेखना करे। परिवारके लोगों द्वारा अनुमति न मिलने पर घरपर ही आलोचना करके निःशल्य होकर संस्तरपर आरूढ़ होकर समाधिमरण करे। देशविरति-के इस मरणको बालपण्डितमरण कहते हैं।

सर्वप्रथम तत्त्वार्थसूत्रमें ही अणुव्रतोंके अतिचारोंकी चर्चा मिलती है।[1] हरिवंश-पुराणमें भी इन बारह व्रतोंकी अतिचारसहित चर्चा है।[2]

दिगम्बर, श्वेताम्बर व यापनीय तीनों ही परम्पराओंमें श्रावकके बारह व्रतोंकी मान्यता है। दिगम्बर परम्परामें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंमें व्यतिक्रम पाया जाता है। यहाँ कहीं कोई शिक्षाव्रत गुणव्रतमें व कहीं कोई गुणव्रत शिक्षाव्रतमें सम्मिलित कर लिया गया है। कहीं सल्लेखनाको बारहव्रतोंमें सम्मिलित कर लिया गया है।

रत्नकरण्डश्रावकाचार, सागारधर्मामृत, धर्मसंग्रहश्रावकाचार व प्रवचनसारोद्धार आदिमें दिग्व्रत, अनर्थदण्ड, उपभोगपरिभोगपरिमाणको गुणव्रत तथा देशावकाशिक सामायिक व प्रोषधोपवास तथा अतिथिसंविभागको शिक्षाव्रत माना गया है। आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्तपाहुड, वसुनन्दि-श्रावकाचार, व्रतोद्योतन-श्रावकाचार, भव्यधर्मोपदेश रत्नमाला आदिमें सल्लेखनाको शिक्षाव्रतमें सम्मिलित किया गया है। पुरुषार्थसिद्धयु-पाय, पूज्यपादश्रावकाचार, लाटीसंहिता, यशस्तिलकचम्पू आदिमे दिग्विरति, देशविरति तथा अनर्थदण्डविरतिको गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोषध, भोगोपभोग तथा अतिथिसं-विभागको शिक्षाव्रत माना है।

श्वेताम्बर परम्परामें सर्वत्र सल्लेखनाको पृथक् रखा गया है। उपासकदशांगसूत्रमें पांच अणुव्रत, उनके पांच अतिचार, दिग्व्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाण तथा अनर्थदण्ड-विरमण गुणव्रत व इनके पांच-पांच अतिचार तथा सामायिक, देशावकाशिक, प्रोषधो-पवासतथा यथासंविभाग चार शिक्षाव्रत और इनके पांच-पांच अतिचारोंका वर्णन है। इन बारह व्रतोंके अनन्तर अन्तिम समयमें सल्लेखनाका विधान है।

यापनीय परम्परामे भी भगवती आराधना व तत्त्वार्थसूत्रमें दिग्व्रत, देशावकाशिक व अनर्थदण्डविरमण गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोषध, अतिथिसंविभाग तथा भोगोपभो-गपरिमाणको शिक्षाव्रत कहा गया है। सल्लेखनाका पृथक् उल्लेख है। किन्तु पद्मचरित और तदनुसारी पउमचरियमें दिशाप्रत्याख्यान, भोगोपभोगपरिमाण तथा अनर्थदण्डविरमणको गुणव्रत तथा सामयिक, प्रोषध, अतिथिसंविभाग तथा अन्तिम

---

१ तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ७।

२ हरिवंशपुराण सर्ग ५८।

समयमे सल्लेखनाको शिक्षाव्रत कहा गया है। पउमचरिउमें अनर्थदण्डविरमणके स्थानपर जो खलसग्रहत्याग[1] है, वह नवीन व अपूर्व है। सम्भवत लिपिकारका प्रमाद हो।

मूलगुण

दिगम्बर परम्परामें गृहस्थोके आठ मूलगुण माने गये हैं। मद्य, मास व मधुके साथ पच उदुम्बर त्यागको मूलगुग माननेको एक परम्परा है।[2] आचार्य समन्तभद्रने तीन मकार और पाँच अणुव्रतोको अष्टमूलगुण कहा है, यह दूसरी परम्परा है।[3]

आचार्य जिनसेनने मद्य, मास, मधुके साथ पच उदुम्बर त्याग और हिंसासे विरतिको सार्वकालिक व्रत कहा है।[4] निम्नलिखित श्लोक जो जिनसेनकृत महापुराण-का माना जाता है, उसमें नही मिलता—

हिंसाऽसत्यस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाच्च बादरभेदात्।
द्यूतान्मासान्मद्याद् विरतिर्गृहिणोऽष्टमूलगुणा ॥

प० मेधावी-विरचित धर्मसग्रह-श्रावकाचार (३/१५५) में आप्तपचनुति, जीव-दया, सलिलगालन, मद्यादित्रय, निशाहार व पचोदुम्बरवर्जन ये आठ मूलगुण माने गये हैं। यह सर्वथा नवीन प्रतिपादन है।

सागारधर्मामृतमें पूर्वोक्त दोनो परम्पराओका सग्रह है।

मद्यमासमधून्युज्झेत् पञ्च क्षीरिफलानि च।
अष्टैतान् गृहिणा मूलगुणान् स्थूलवधादि वा ॥
फलस्थाने स्मरेद् द्यूत मधुस्थाने इहैव वा। (२/२-३)

परन्तु यापनीय अणुव्रतोको ही मूलगुण मानते हैं। अपराजितसूरि विजयोदया-टीकामें कहते हैं–'सयतासयतानामणुव्रतानि मूलगुणव्यपदेशभाञ्जिभवन्ति'–उत्तरगुणोका कारण होनेसे इन्हें मूलगुण कहा जाता है–उत्तरगुणाना कारणत्वान्मूलगुणव्यपदेशो व्रतेषु वर्तते'।[5] तत्त्वार्थसूत्रसे भी यही प्रतीत होता है कि पांच अणुव्रत श्रावकके मूलगुण हैं,

---

१ पउमचरिउ, ३४वी सन्धि।

२ उदा० पुरुषार्थसिद्धयुपाय (६१), यशस्तिलकचम्पू (६/२५५), सावयधम्मदोहा (२२,२६), प्रश्नोत्तरश्रावकाचार (१२/६), धर्मोपदेशपीयूषवर्षश्रावकाचार(३/७), लाटीसहिता (१/६-७), पूज्यपाद श्रावकाचार (१४), व्रतसार-श्रावकाचार (५), श्रावकाचारसारोद्धार (३।६), पचविंशतिकागतश्रावकाचार (२३) आदि, ये सभी श्रावकाचारसग्रह भाग १, २, ३ में सग्रहीत हैं।

३ रत्नकरण्डश्रावकाचार ३/६६।

४ महापुराण ३८/१२२।

५ विजयोदया (भगवती-आराधना भाग–१), पृ० १५८।

जिनके लिए प्रथम सूत्रमें उन्होने 'अणुव्रतोऽगारी' (७/१९) कहा है और दूसरे सूत्रमें उसे सात शीलव्रतोंसे सम्पन्न माना है। ये उत्तरव्रत हैं।

अष्टमलगुणकी परम्परा बादमे विकसित हुई प्रतीत होती है। आचार्य कुन्दकुन्द और स्वामी कार्तिकेयने भी मूलगणोका कोई विधान नही किया है। तत्त्वार्थसूत्र और श्वेताम्बर आगम उपासकदशागसूत्रमे भी मूलगुणोका निर्देश नही है। सर्वप्रथम आचार्य समन्तभद्रने अष्टमूलगुणोंकी चर्चा की है। तीन मकार और पच क्षीरिफल अभक्ष्योमे परिगणित होते हैं। कालान्तरमें तो अभक्ष्य पदार्थोंकी एक लम्बी सूची ही दी गई है। अत पाँच अणुव्रतोको ही मूलगुण कहना ही उचित प्रतीत होता है।

रात्रिभोजनविरमणव्रत—यापनीय साहित्यमे प्राय सर्वत्र महाव्रतोंके सन्दर्भमें रात्रिभोजनविरमणव्रतकी छठे व्रतके रूपमें चर्चा है। कवि स्वयभूने गृहस्थोंके सन्दर्भमें भी अनस्तमितव्रतकी चर्चा की है। अनस्तमित अर्थात् रात्रिभोजनत्याग नामक व्रतके पालनसे विमल शरीर और विमल गोत्र प्राप्तिका उल्लेख किया है।[1]

मौनका महत्त्व—महाकवि स्वयभूने भोजन करते समय मौनका पालन करने वालेको शिव व शाश्वत मोक्षका अधिकारी कहा है—

भोअणे मउणु चउत्थउ पालइ।
सो सिव-सासय गमणु णिहालइ॥ ३४/८/९

बृहत्कथाकोशमे भी मौनव्रतधारी अणुव्रतधारीको मोक्षका अधिकारी बताया गया है—

अणुव्रतधर कश्चित् गुणशिक्षाव्रतसमन्वितः।
सिद्धिभक्तो व्रजेत् सिद्धि मौनव्रतसमन्वित ॥

हरिवशपुराणमें भी 'मौनस्तु साक्षान्मोक्षस्य कल्पते' (१८/५१) कहा गया है।

गृहस्थ-मुक्तिके सकेत

दसणपाहुडकी टीकामे श्रुतसागरसूरिने यापनीयोको सग्रन्थोकी मुक्ति मानने वाला कहा है। श्वेताम्बर परम्परामें भी पन्द्रह प्रकारके सिद्ध माने गये हैं, उनमें गृहीलिंगसिद्ध भी हैं।—'तित्थसिद्धा, अतित्थसिद्धा, सयबुद्धसिद्धा, पत्तेयबुद्धसिद्धा, बुद्धबोहियसिद्धा, थीलिंगसिद्धा, पुरिसलिंगसिद्धा, नपुसकलिंगसिद्धा, सलिंगसिद्धा, अण्णलिंगसिद्धा, गिहिलिंगसिद्धा, एगसिद्धा, अणेगसिद्धा इति।'[2] फिर भी उपासकदशागसूत्रमें दस श्रावकोंकी कथाएँ हैं, जो पूर्णत श्रावकधर्मका पालन करते हैं।

---

१ पउमचारिउ ३४/८/९।
२ ललितविस्तरा, पृ. ३९७।

ग्यारह प्रतिमाए धारण करते हैं। अन्तमें सल्लेखना धारण करते हैं, तथापि उनके मुक्त होनेका उल्लेख नही है।

भगवती आराधना और उसकी विजयोदया टीकामें भी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता है, जिससे यह कहा जा सके कि ये गृहस्थोकी मुक्ति स्वीकार करते थे। वे तो आचरणकी शुद्धताके समर्थक हैं। अचेलताके प्रति उनका आग्रह है। वस्त्र-ग्रहण विशिष्ट परिस्थितियोमें ही स्वीकृत है। इस सबसे हमें यही प्रतीत होता है कि ये अन्तिम समयमें सल्लेखना धारण करने वालेको ही मुक्ति स्वीकार करते होगे, क्योकि पउमचरिउमें यही कहा गया है।—

जो चउथउ सिक्खावउ धरइ सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरइ।
सो होइ तिलोयहो वड्ढयउ णउ जम्म-मरण विओअ-भउ ॥[1]

अर्थात् जो चौथा शिक्षाव्रत धारण करता है, अर्थात् सन्यास धारण करता है, उसे जन्म-मरणका भय नही रहता। इस सन्धिमें कुलभूषण मुनि रामको उपदेश देते हुए श्रावकाचारका कथन करते हैं। यही आरभमें वे कहते है कि मधु, मद्य और मासका जो त्याग करता है, छह निकायके जीवोपर दया करता है और अन्तमें सल्लेखनापूर्वक मरण करता है, वह मोक्षरूपी महासागरमें प्रवेश करता है।[2]

वस्तुत समाधिमरणके समय श्रावक भी आलोचना करके नि शल्य होकर आहारादिका त्याग कर देता है। भगवती आराधनामें स्पष्ट रूपसे कहा है कि श्रावक भी अन्तिम समयमें निर्यापकाचार्योंके समीप भक्त-प्रत्याख्यान-मरण कर सकता है और उस समय उसे उत्सर्गलिंग धारण कर लेना चाहिए। स्वयभूने इसे ही सन्यास धारण करना कहा है। भगवती आराधनामें भक्तप्रत्याख्यानमरणसे मुक्ति प्राप्त होनेका भी कथन है। और जब श्रावक इस मरणका अधिकारी है, तब इस मरणसे मुक्तिका भी अधिकारी हो सकता है।

अपराजितसूरि निर्ग्रन्थताको प्रकृष्ट मोक्षमार्ग कहते हैं—'नैर्ग्रन्थ्यताको प्रकृष्ट मोक्षमार्ग कहते हैं—'नैर्ग्रन्थ्यमेव मोक्षमार्गप्रकृष्टम्'।' मोक्षका प्रकृष्ट मार्ग नैर्ग्रन्थ है, तो क्या कोई अप्रकृष्ट (सामान्य या अपवाद) मार्ग भी है?

इसके अतिरिक्त पउमचरिउ और बृहत्कथाकोशमें मौनव्रती अणुव्रतधारीको मोक्षका अधिकारी माना है। इनके श्रावकाचारकी एक विशेष बात यह है कि इन्होने मौनव्रतको बहुत महत्त्व दिया है।

---

१ स्वयभूकृत पउमचरिउ ३४/७/१०-११।
२ पउमचरिउ ३४/४/१

मुनि-आचार-सहिता

मूलाचार, भगवती-आराधना तथा उसकी विजयोदया टीकासे यापनीय सम्मत मुनियोंके आचारका ज्ञान होता है। मूलाचार मुनि-आचारका प्रतिपादक ग्रन्थ है। भगवती आराधनामे समाधिमरणके प्रसगमें मुनि आचारका वर्णन है। इन ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि यापनीय मुनियोकी आचार-सहिता दिगम्बर मुनियोंके प्राय तुल्य थी।

मूलगुण—मूलगुणव्यपदेशो व्रतेषु वर्तते[1]—व्रतोको मूलगुण कहते हैं, अत पच महाव्रत मुनियोके मूलगुण है। मूलाचारमें अट्ठाइस मूलगुणोका कथन है, वे इस प्रकार हैं—पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियनिरोध, षट् आवश्यक, लोच, आचेलक्य, अस्नान, क्षितिशयन, अदन्तधावन, स्थितिभोजन और एकभक्त।[2]

भगवती आराधना और उसकी टीकामें अट्ठाइस मूलगुणोका उल्लेख नही है। यद्यपि स्थितिभोजन और एकभक्तको छोडकर विवेचनमें प्राय सभी आ गये हैं।

महाव्रत—महाव्रतका अर्थ करते हुए भगवती आराधनामें कहा गया है कि जो महान प्रयोजनको सिद्ध करते हैं अथवा महान व्यक्तियो द्वारा जिनका आचरण होता है अथवा जो स्वय महान हैं वे महाव्रत है।[3] मुनि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाँच व्रतोका मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, अनुमोदन इन नौ प्रकारसे पालन करते है। इसके विषयमें विजयोदयामें—'सर्वजीवविषयमहिंसाव्रतमदत्तपरिग्रहत्यागौ सर्वद्रव्यविषयौ द्रव्यैकदेशविषयाणि शेषव्रतानि' अर्थात् समस्त जीवोंके विषयमें अहिंसाव्रत, समस्त द्रव्योंके प्रति अचौर्य व अपरिग्रहव्रत व सत्य और ब्रह्मचर्य द्रव्यके एकदेशके विषयमें होते हैं—कह कर आवश्यकनिर्युक्तिकी गाथा (७९१) उद्धृत की है—

पढमम्मि सव्वजीवा तदिये चरिमे सव्वदव्वाइ।
सेसा महव्वया खलु तदेकदेसम्मि दव्वाण ॥[4]

---

१ (भगवती-आराधना, भाग १), विजयोदया, पृ० १५८।

२. मूलाचार १/२-३।

३ भगवती आराधना गाथा ११७८।

साधेंति ज महत्थ आयरिदाइ च ज महल्लेहि।
ज च महल्लाइ सयं महव्वदाइ हवे ताइ ॥

४ (भगवती आराधना, भाग १) पृ० १५८।

व्रतोकी भावनाएँ[1]

अहिंसाव्रतकी भावनाएँ—एषणासमिति, आदान-निक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति, मनोगुप्ति तथा आलोकितभोजनपान।

सत्यव्रतकी भावनाएँ—क्रोध, भय, लोभ तथा हास्यका प्रत्याख्यान व अनुवीचिभाषण।

अस्तेयव्रतकी भावनाएँ—याञ्चाप्रतिसेवी (प्रार्थनासे प्राप्त वस्तुका सेवन), समनुज्ञापनाप्रतिसेवो (अनुमतिसे प्राप्त वस्तुका सेवन), अनन्यभावप्रतिसेवी (अनात्मबुद्धिसे सेवन), त्यक्तप्रतिसेवी (आचार्य द्वारा त्यक्त वस्तुका सेवन) तथा सधर्मोपकरणका अनुवीचिसेवन। ये भावनाएँ मूलाचारके अनुसार हैं।[2]

भगवती-आ ाधनामें अननुज्ञाताग्रहण (समनुज्ञापनाप्रतिसेवी), असगबुद्धि (अनन्यभावप्रतिसेवी), प्रयोजनमात्रयाचना (याञ्चाप्रतिसेवी), अननुज्ञातगृहप्रवेशवजन तथा सूत्रानुसार याचना (अनुवीचिसेवन) कही गई हैं।[3]

ब्रह्मचर्यव्रतको भावनाए—महिलालोकन, पूर्वरतस्मरण, ससक्तवसतिका त्याग, विकथा तथा प्रणीतरमोका त्याग ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनाएँ हैं।

अपरिग्रह व्रतकी भावनाए—शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गधमें रागद्वेषका परिहार।

तत्त्वार्थसूत्रके श्वे० पाठमें इन भावनाओका उल्लेख नही है। भाष्यमें इनका उल्लेख है। भाष्यमें उल्लिखित अचौर्यव्रतकी भावनाएँ मूलाचार तथा भगवती आराधनासे मिलती जुलती हैं जबकि तत्त्वार्थसूत्रके दिगम्बर पाठकी अचौर्यव्रतकी भावनाएँ मूलाचार और भगवतो आराधनासे नितान्त भिन्न हैं। वे इस प्रकार हैं—शून्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्यशुद्धि और सधर्माविसवाद।[4] इसके अतिरिक्त अहिंसाव्रतकी एषणासमितिके स्थानपर वाक्‌गुप्ति तथा ब्रह्मचर्यव्रतकी ससक्तवसतिकात्यागभावनाके स्थानपर स्वशरीरसस्कारत्याग है। इस प्रकार व्रतोंकी भावनाओमें दिगम्बर परम्परासे कुछ भिन्नता है।

---

१ भगवती आराधना गाथा १२००-५ और उसकी टोका तथा मूलाचार ५/१४०-४

२ मूलाचार ५/१४२।

३ भगवती-आराधना १२०२-३।

४ तत्त्वार्थभाष्य ७|३।
'अस्तेयानुवीच्यवग्रहयाचनमभीक्ष्णावग्रहयाचनमेतावदित्यवग्रहावधारण समानधार्मिकेभ्योऽवग्रहयाचनमनुज्ञापितपानभोजनमिति।'

रात्रिभोजनविरमण

मूलाचार और भगवती आराधनाके अनुसार व्रतोंके रक्षणार्थ ही रात्रिभोजन-निवृत्ति कही गयी है।[1] अपराजितसूरिका कथन है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके तीर्थमें रात्रिभोजनविरमणको छठा व्रत कहा गया है।[2] यह उन पाँच महाव्रतोंके पालनार्थ ही है—'तेषामेव पचाना व्रताना पालनार्थं रात्रिभोजनविरमण षष्ठ व्रतम्।' इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं कि यदि मुनि रात्रिमे भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्थावर जीवोका घात करता है, क्योंकि रात्रिमें उनको देख सकना कठिन है। दायकके आनेका मार्ग, उसके अन्न रखनेका स्थान, अपने उच्छिष्ट गिरनेका स्थान, दिया जाने वाला आहार नही देखा जा सकता। दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिसूक्ष्म जीवोका परिहार रात्रिमें तो सभव ही नही है। इन सबकी सम्यक् रूपसे परीक्षा किये बिना पदविभागी सामाचार, एषणासमिति तथा सत्यव्रत स्थिर नही रह सकता। रात्रिमें गृहस्वामी सोया हुआ हो और किसी अन्यके हाथसे आहार लेने पर अदत्तादान होगा। रात्रिमे लाकर रखने और दिनमें भोजन करनेसे अपरिग्रहव्रतका लोप होगा। इस प्रकार रात्रिभोजनत्यागमे ही समस्त व्रत सम्पूर्ण रहते हैं।

दुर्भिक्षके समय उत्तर भारतमे श्रमण रात्रिमे भोजन लेने अथवा लाकर रखने लगे होंगे, जैसा कि बृहत्कथाकोशकी भद्रबाहुकथामे सकेत मिलता है। तभी उसके परिहारके लिए रात्रिभोजनत्यागको छठे व्रतके रूपमें परिगणित किया गया होगा।

आरभमे दिगम्बर परम्परामें इसे पृथक् व्रतके रूपमें मान्यता नही मिली। तत्त्वार्थसूत्रकी दिगम्बर टीकाओ सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक और श्लोकवार्तिकमें ७/१ सूत्रकी व्याख्याके अवसरपर यह शका उठाई गई है कि रात्रिभोजनत्याग छठा अणुव्रत है, उसकी यहाँ गणना करनी चाहिए, फिर यह अहिंसाव्रतकी आलोकित-भोजन-पान-भावनामें अन्तर्भूत होता है, कहकर उसका समाधान किया गया है। परन्तु काष्ठा-सघमे यह पृथक् अणुव्रतके रूपमे मान्य हुआ है। सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिकमें रात्रि-भोजनविरमण छठा अणुव्रत माना जाना चाहिए, यह शका उठाई गई है, जबकि श्लोकवार्तिकमें इसे व्रत मात्र कहकर शका उठाई गई है।

काष्ठासघी प० आशाधरजीने इसे अणुव्रत कहा है, यद्यपि सर्वत्र रात्रिभोजन-विरमणकी चर्चा मुनियोंके आचारके प्रसग में है, अत इसे अणुव्रत क्यो कहा। इसका

---

१ मूलाचार ५/९८, भगवती आराधना ११७९, विजयोदया, पृ० ३३१।

२ विजयोदया, पृ० ३३०—'आद्यपाश्चात्त्यतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणषष्ठानि पच महाव्रतानि।'

उत्तर देते हुए उनका कथन है कि केवल रात्रिमें भोजनका त्याग होनेसे दिनमें ग्रहण किये जानेके कारण कालकी दृष्टिसे इसे अणुव्रत कहा जाता है।[1]

यह प० आशाधरजीकी अपनी व्याख्या है, क्योकि यापनीयोने इसे व्रत ही कहा है अणुव्रत नही। परन्तु रात्रिभोजनत्यागको पृथक् व्रतके रूपमे मान्यता देना यापनीयोका ही प्रभाव है। हम पहले कह चुके हैं कि यापनीय सघकी शाखाएँ काष्ठासघमें अन्त-र्भुक्त हुई है, अत उन्होने अपनी मान्यताओसे इन्हें प्रभावित किया है।

अष्टप्रवचनमातृका—पाँच समिति तथा तीन गुप्तियाँ भी व्रतोकी रक्षक है। इन्हें अष्टप्रवचनमातृका कहते हैं।

समिति—अपराजितसूरि कहते है कि प्राणियोको पीडा न हो, इस भावसे सम्यक् प्रवृत्ति करना समिति है। सम्यक विशेषणके द्वारा जीवोके स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान-पूर्वक प्रवृत्ति कही गई है।[2]

ईर्यासमिति—मूलाचार और भगवती आराधनामें कहा गया है कि मार्गशुद्धि, उद्योतशुद्धि, उपयोगशुद्धि और आलम्बन शुद्धि इन चार शुद्धियोके द्वारा सूत्रानुसार गमन करते हुए मुनिके ईर्यासमिति कही गई है।[3]

इन शुद्धियोकी व्याख्या करते हुए अपराजितसूरि कहते है[4] कि मार्गमे चीटी आदि त्रसजीवोकी अधिकताका न होना तथा बीज, अकुर, तृण, हरे पत्ते और कीचड आदिका न होना मार्गशुद्धि है। जिस मार्गमें वाहन, पशु, स्त्री-पुरुषोका आवागमन रहता है, वह मार्ग प्रासुक होता है। सूर्यके प्रकाशका स्पष्ट प्रसार और उसकी व्यापकता उद्योतशुद्धि है। चन्द्रमा, नक्षत्र आदिका प्रकाश अस्पष्ट होता है और दीपक आदिका प्रकाश व्यापक नही होता। चलनेमें जीवोकी रक्षामे चित्तकी सावधानता उपयोगशुद्धि है। गुरु, चैत्य, तीर्थ और यतिकी वदनाके लिए गमन करना, किसीके पास शास्त्रका अपूर्व अर्थ या अपूर्व शास्त्रके अर्थका ग्रहण करनेके लिए गमन करना, मुनियोंके योग्य क्षेत्रकी खोजके लिए गमन करना, वैयावृत्य करनेके उद्देश्यसे गमन करना, अनियत आवासके उद्देश्यसे गमन करना, स्वास्थ्यलाभके उद्देश्यसे गमन

---

१ मूलाराधनादर्पण, आश्वास ७, गाथा ११८५-६, पृ० ११८७ तथा अनगारधर्मामृत अध्याय ४/१५०।

२ (भगवती आराधना, भाग १) विजयोदया, पृ० १४८।

३ मूलाचार ५/१०५, भगवती आराधना, गाथा ११८५।

४ (भगवती आराधना, भाग २), विजयोदया, पृ० ५९९।

करना, श्रमपर विजय पानेके लिए गमन करना, भिन्न-भिन्न देशोकी भाषा सीखनेके लिए गमन करना इत्यादि प्रयोजनोकी अपेक्षासे गमन करना आलम्बनशुद्धि है ।[१]

मूलाचारके अनुसार ईर्यापथके अनुसार जाने वाले मुनिको अप्रमत्त होकर सामने युग-प्रमाण भूमि देखते हुए चलना चाहिए ।[२]

सूत्रानुसार गमनका स्पष्टीकरण करते हुए अपराजितसूरि कहते हैं कि न बहुत जल्दी, न बहुत बिलम्बसे सामने युगप्रमाण भूमि देखकर चलना, पाद-निक्षेप अधिक दूर न करना, भय और आश्चर्यके बिना गमन करना, लीलापूर्वक गमन न करना, पैर अधिक ऊँचा उठाते हुए गमन न करना, लांघना-दौडना नही, दोनो भुजाएँ लटकाकर गमन करना, हरे तृण-पत्तोसे एक हाथ दूर रहते हुए गमन करना, विकाररहित चचलतारहित, ऊपर व तिर्यक् अवलोकन रहित गमन करना, पशु, पक्षी, मृगोंको भयभीत न करते हुए गमन करना, विरुद्ध योनि वाले जीवोके मध्यसे जाने पर उनको होने वाली बाधाको दूर करनेके लिए अपने शरीरकी बार-बार प्रतिलेखना करते हुए गमन करना, दुष्ट बैल आदिसे चतुरतापूर्वक बचते हुए गमन करना, भुस, तुष, मसी, तृणसमूह, गोबर, गीला जल, पाषाण और लकडीके तख्तेसे बचते हुए चलना, चोरी और कलहसे दूर रहना और पुल पर न चढना आदि ईर्यासमिति है ।[३]

विजयोदयामें ईर्यासमितिके अतिचारोका वर्णन है—जो इस प्रकार हैं—मदालोकगमन, पदविन्यासके क्षेत्रका सम्यगनालोचन, चित्तके उपयोगका अन्यत्र होना ये ईर्यासमितिके अतिचार हैं ।[४]

भाषासमिति

सूत्रानुसारी तथा असत्य, कठोरता, चुगली आदि दोषोंसे रहित अनवद्य सत्य और असत्यमृषा दो प्रकारके वचन बोलनेवालेके शुद्ध भाषा समिति होती है । जो न सत्य हो और न मृषा वह वचन असत्यमृषा है ।[५] विजयोदयामें वचनके चार प्रकार बताये गये हैं—सत्य, असत्य, सत्यसहित असत्य और असत्यमृषा । इनमें उक्त दो बोलने योग्य हैं ।

---

१ (भगवती आराधना भाग २), विजयोदया, पृ० ५९९ ।

२ मूलाचार, ५/१०६ ।

३. (भगवती आराधना भाग २), विजयोदया, पृ० ५९९-६०० ।

४ (भगवती आराधना भाग १) विजयोदया, पृ० ३८ ।

५ भगवती आराधना गाथा, ११६८, मूलाचार ५।११० ।

सत्यवचनके दश भेद हैं—जनपदसत्य, सम्मतसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, सभावनासत्य, व्यवहारसत्य, भावसत्य और उपमासत्य।[1]

सत्यसे विपरीत असत्य है। सत्यमृषा वह वचन है, जो सत्य और असत्य दोनो रूप होता है। ये असत्य और सत्यमृषा दोनो त्याज्य हैं।

जो न एकात सत्य होता है और न एकान्त असत्य होता है और न सत्यासत्य होता है वह वचन असत्यमृषा होता है। असत्यमृषाके नौ भेद हैं—आमन्त्रणी, आज्ञापनी, याचनी, सपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, इच्छानुलोमा, सशयवचनी और अनक्षरात्मक।[2]

विना विचारे बोलना, बिना ज्ञानके बीचमे बोलना तथा भाषासमितिके क्रमको जाने बिना बोलना भाषासमितिकके अतिचार कहे गये है।[3]

एषणासमिति

उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोसे रहित भोजन, उपकरण और वसतिको ग्रहण करने वाले मुनिकी एषणासमिति निर्मल होती है।[4] विजयोदयामें एषणासमितिका विस्तृत वर्णन करते हुए कहा गया है कि भिक्षाकाल, बुभुक्षाकाल और अवग्रहकाल ये तीन काल हैं। गृहस्थोके यहाँ भोजनका काल विचारकर भिक्षाके लिए निकलना भिक्षाकाल है। अपनी भूख और शरीरकी स्थितिका विचार करना बुभुक्षाकाल है। भिक्षाके लिए नियमका विचार करना अवग्रहकाल है। इन तीनो कालोका विचारकर भिक्षाके लिए गमन करना चाहिए।

गोचरीके लिए ईर्यासमितिपूर्वक गमन करना चाहिए। निन्दा और पूजामें समभाव रहें। जिस घरमें नाचना-गाना हो, झण्डियाँ लगी हो, उस घरमें न जावें। शराबी, वेश्या, लोकमें निन्दित कुल, यज्ञशाला, दानशाला, विवाहशाला, जिन घरोमें जानेका निषेध हो, आगे रक्षक खडा हो और कोई न जा सकता हो, ऐसे घरोमें जानेका निषेध है। दरिद्रकुलोमें और आचाररहित सम्पन्न कुलोमे भी प्रवेश न करें। बडे, छोटे और मध्यम गृहोमें एक साथ भ्रमण करें। द्वार पर यदि साकल लगी हो या कपाट बन्द हो, तो उसे खोले नही। बालक, बछडा, मेढा और कुत्तेको लाँघकर न जाएँ। पुष्प, फल और बीज पडे हों, उस परसे न जाएँ। तत्कालकी लिपी-पुती भूमिपरसे

---

१ भगवती आराधना, गाथा ११८७, मूलाचार ५/१११-६।

२ भगवती आराधना, ११८९-९० मूलाचार, ५/११८-९।

३ (भगवती आराधना, भाग १) विजयोदया, पृ० ३८।

४ भगवती आराधना, ११८१ व मूलाचार, ५/१२१।

न जाएँ। जिस घरमें अन्य भिक्षार्थी भिक्षाके लिए खड़े हों, उस घरमें प्रवेश न करें। जिस घरके कुटुम्बी घबराए हो, उनके मुख पर दीनता और विषाद हो, वहाँ न ठहरें। भिक्षार्थियोंके लिए भिक्षा मागनेकी जो भूमि हो, उस भूमिसे आगे न जाएँ। अपना आगमन बतलानेके लिए याचना या अव्यक्त शब्द न करें। बिजलीकी तरह अपना शरीरमात्र दिखला दें। कौन मुझे निर्दोष भिक्षा देगा, ऐसी चिन्ता न करें। एकान्त घरमे, उद्यानमें, केले, लता और झाड़ियोसे बने घरमें, नाट्यशाला और गायनशालामे आदरपूर्वक आतिथ्य पाने पर भी प्रवेश न करें। जहाँ बहुत मनुष्योका आवागमन हो, जीवजन्तुसे रहित, अर्पविग्रतासे रहित तथा दूसरेके रोके-टोके जानेसे रहित तथा जो आवागमनका मार्ग न हो, वहाँ गृहस्थोकी प्रार्थनासे ठहरें। सम और छिद्ररहित जमीन पर दोनो पैरोंके मध्य चार अगुलका अन्तर रखकर निश्चल खड़े हो और दीवार आदिका सहारा न ले।

चोरकी तरह कपाटके छिद्र अथवा चारदिवारीके छिद्रमेंसे न देखें। दाताके आनेका मार्ग, उसके खड़े होनेका स्थान तथा भोजनोकी शुद्धताका ध्यान रखें। स्तनपान कराती हुई स्त्री अथवा गर्भिणी द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण न करें। रोगी, अतिवृद्ध, बालक, पागल, पिशाच, मूढ, अन्धा, गूगा, दुर्बल, भीरु, शकालु, अति निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती मनुष्यके द्वारा तथा घूघट किये हुए स्त्रीसे आहार ग्रहण न करें। टूटे-फूटे पात्रसे दिया गया आहार ग्रहण न करें। मांस, मधु, मक्खन, बिना कटा फल, मूल, पत्र, अकुरित तथा कद ग्रहण न करें। इनसे जो छू गया हो, उसे भी ग्रहण न करें। जिस भोजनका रस, गन्ध बिगड गया हो, जो दुर्गंधित फफूंदयुक्त, पुराना तथा जीवजन्तुयुक्त हो उसे न तो किसीको देना चाहिए[1] और न स्वयं खाना चाहिए। जो भोजन उद्गम, उत्पादन तथा एषणा दोषसे दुष्ट है, उसे नही खाना चाहिए। इसप्रकार नौ कोटिसे शुद्ध आहार ग्रहण करना एषणा समिति है।

अतिचार—उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना, वचनसे उसकी अनुमति देना, कायसे उसकी प्रशंसा करना, ऐसे मुनियोके साथ रहना या उनके साथ क्रियाओंमें प्रवृत्ति करना एषणासमितिके अतिचार है।[2] इस प्रकार विजयोदयामें एषणा-समितिका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

---

१ यापनीय साधु अपवादरूपसे पात्र रखते थे। साथ ही रुग्ण साधुको आहार लाकर देते थे। यह कथन उसी सन्दर्भमें लिखा गया प्रतीत होता है।

२ विजयोदया (भगवती आराधना सहित), पृ० ३८।

आदान-निक्षेप समिति

ग्रहण करते समय तथा रखते समय आँखोसे देखकर द्रव्य या द्रव्यस्थानकी प्रतिलेखना करना आदान-निक्षेप समिति है। भगवती आराधनामे इस समितिके चार दोषोकी चर्चा है। बिना देखे तथा बिना प्रमार्जन किये पुस्तक आदिका ग्रहण करना या रखना महसा नामक दोष है। बिना देखे-प्रमार्जन करके पुस्तक आदिको ग्रहण करना या रखना अनाभोगित नामक दूसरा दोष है। देखकर उचित प्रतिलेखना न करना दुष्प्रमृष्ट दोष है। देखकर और प्रमार्जन करके भी यह शुद्ध है अथवा नही यह नही देखना अप्रत्यवेक्षण नामक दोप है। जो इन चारो दोषोको दूर करता है, उसके आदान-निक्षेप समिति होती है।[1]

अतिचार—विजयोदयामें अनालोचन तथा दुष्प्रमार्जन ये दो आदान-निक्षेप समितिके अतिचार बताये गये है।[2]

प्रतिष्ठापना समिति

मूलाचारमें कहा गया है कि जो भूमि दावाग्निसे, खेतीसे, श्मशान या अग्निसे अचित्त हो, स्थण्डिल तथा ऊसर हो, लोगोके आवागमनसे रहित हो, विस्तीर्ण हो, जतुरहित तथा एकान्त हो, वहाँ अचित्तभूमिमें प्रतिलेखन कर मल, मूत्र, श्लेष्मा आदि विसर्जित करें, वह प्रतिष्ठापना समिति है।

रात्रिमें प्रज्ञाश्रमण द्वारा दृष्ट स्थानका प्रमार्जन करके तथा जतु है या नही, इस आशकाका निवारण करनेके लिए हथेलीसे भूमिका धीरेसे स्पर्श करें। यदि प्रथमभूमि अशुद्ध हो, तो द्वितीय तथा तृतीय भूमि देखें। यदि शीघ्रतासे, अनिच्छासे, ही मलमूत्र-का त्याग हो जावे, तो सधर्मी गुरु प्रायश्चित्त न देवें।[3]

भगवती आराधनामें कहा गया है कि आदान-निक्षेप विषयक सावधानीका कथन करनेसे प्रतिष्ठापना समितिका कथन हो जाता है। त्याज्य मूत्रादिको निजन्तुक प्रदेश में त्यागना प्रतिष्ठापना समिति है।[4]

अतिचार—विजयोदयामें शरीर और भूमिका शोधन न करना तथा मलत्याग करनेके स्थानको न देखना प्रतिष्ठापना समितिके अतिचार कहे गये हैं।[5]

---

१ भगवती आराधना गा० ११९२ मूलाचार ५/१२२-३

२ विजयोदया (भगवती आराधना सहित), पृ० ३८।

३ मूलाचार ५/१२४-८।

४ भगवती आराधना गाथा ११९३।

५ विजयोदया (भगवती आराधना सहित), पृ० ३८।

समितियोंके विषयमें भगवती आराधनामें कहा गया है कि समितियोंसे युक्त साधु जीवनिकायबहुल पृथ्वीपर हिंसादिमें उसी प्रकार लिप्त नहीं होता है, जिस प्रकार कमलपत्र जलमें तथा कवचयुक्त व्यक्ति बाणोंसे विद्ध नहीं होता। समितिसे सवर और निर्जरा होती है।[1]

गुप्ति—अपराजितसूरि गुप्तिकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ससारके कारणोंसे आत्माके गोपनको गुप्ति कहते हैं अथवा योगके सम्यक् निग्रहको गुप्ति कहते हैं अथवा स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है।[2] मूलाचारमें सावद्यकार्योंसे मन, वचन कायकी प्रवृत्तिके निवारणको गुप्ति कहा गया है।[3]

मनोगुप्ति—भगवती आराधनामें रागादिसे मनकी निवृत्तिको मनोगुप्ति कहा गया है। अपराजितसूरि इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रागद्वेषकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है अथवा आत्माकी रागादिसे निवृत्ति मनोगुप्ति है।[4] स्वाध्यायमें रागादिसहित प्रवृत्ति मनोगुप्तिका अतिचार है।[5]

वचोगुप्ति—अलीकादिसे निवृत्ति अथवा मौन वचनगुप्ति है।[6] भगवती आराधनाके इस कथनकी व्याख्यामें अपराजितसूरि कहते हैं कि विपरीत अर्थकी प्रतिपत्तिमें कारण होनेसे और दूसरोंको दु खकी उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे जो अधर्ममूलक वचनसे निवृत्ति है, वह वचनगुप्ति है अथवा मौन धारण करना वचनगुप्ति है। इस वचनगुप्तिसे भाषासमितिमें यह अन्तर है कि उसमें प्रेक्षापूर्वकारितासे योग्य वचन बोला जाता है और अयोग्य वचनमें अप्रवृत्ति अर्थात् मौन वचनगुप्ति है। विजयोदयामें जहा गाथा १६ की व्याख्यामें समिति, गुप्ति, ज्ञान, दर्शनके अतिचार कहे गये हैं वहा वचोगुप्तिके अतिचार छूट गये हैं। लिपिकारके प्रमाद आदि कारणसे लुप्त हो गये होंगे।

कायगुप्ति—औदारिक शरीरकी क्रियासे निवृत्ति कायगुप्ति है अथवा शरीरमें ममत्व न करना कायगुप्ति है। हिंसादिसे निवृत्तिको भी आगममें कायगुप्ति कहा गया है।[7]

---

१ भगवती आराधना गाथा ११९५-९७।

२. विजयोदया (भगवती आराधना सहित), पृ० १४८।

३. मूलाचार ५/१३५।

४ विजयोदया, पृ० ५९६।

५ विजयोदया, पृ० ३८।

६ भगवती आराधना गाथा ११८१।

७ मूलाचार ५/१३६ व भगवती आराधना गाथा ११८२।

चित्तके असावधान रहते हुए शारीरिक क्रियाका रोकना कायगुप्तिका अतिचार है। अतिचारोके विषयमें अपराजितसूरिका कथन है कि आवागमनके स्थान पर एक पैरसे खडे रहना, अशुभ ध्यानमे लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओकी मूर्तिके सम्मुख खडे रहना, सचित्त भूमिमें अथवा क्रोध या अभिमानसे खडे रहना कायगुप्तिके अतिचार हैं। कायोत्सर्गको कायगुप्ति माननेवालोके पक्षमे कायोत्सर्गके दोप ही कायगुप्तिके अतिचार हैं।[1]

खेतकी बाड, नगरकी परिखा या प्राकार जिस प्रकार नगरकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार गुप्तिया साधुकी आत्माकी पापसे रक्षा करती है।[2]

गुप्ति और समितिमें अतर यह है कि गुप्ति निवृत्तिरूप हैं, समितिया प्रवृत्तिरूप।

षट् आवश्यक—आवश्यककी परिभाषा करते हुए मूलाचारमें कहा गया है कि पापादिके वश्य न होना अवश्य है, अवश्यककी क्रियाका नाम आवश्यक है।[3] अपराजितसूरि 'आवासय' शब्दकी व्याख्या करते हैं कि जो आत्मामें रत्नत्रयका आवास कराते हैं वे आवश्यक हैं।[4] ये आवश्यक छह हैं सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग।

सामायिक—मूलाचारमें सामायिकके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावके भेदसे छह भेद कहे गये हैं।[5] अपराजितसूरिने नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे सामायिकके चार भेद कहे हैं।[6]

निक्षेपोकी अपेक्षासे किये गये सामायिकके इन भेदोकी व्याख्या विजयोदयामें इस प्रकार की गई है। निमित्तकी अपेक्षाके विना किसी जीव आदिका सामायिक नाम रखना नामसामायिक है। सर्व सावद्यके त्यागरूप परिमाणवाले आत्माके द्वारा एकीभूत शरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है, उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्तक आदिमे स्थापना की जाती है वह स्थापना सामायिक है। द्रव्य सामायिकके दो भेद हैं—आगम द्रव्य सामायिक व नोआगमद्रव्यसामायिक। द्वादशाङ्ग श्रुतके आद्य ग्रथका नाम सामायिक

---

१ विजयोदया, पृ ३८।

२ मूलाचार ५/१३७।

३ मूलाचार ७/१४।

४ विजयोदया, पृ १५३।

५ मूलाचार ७/१७।

६ विजयोदया, पृ १५३।

है, उसके अर्थका जो ज्ञाता है, जिसे सामायिक नामक आत्मपरिणामका बोध है किन्तु वर्तमानमें उस ज्ञानरूपसे परिणत नहीं है अर्थात् उसका उपयोग उसमें नही है, वह आगमद्रव्यसामायिक है। नोआगमद्रव्यसामायिक ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारकी है। सामायिकके ज्ञाताका जो शरीर है, वह भी सामायिकके ज्ञानमें कारण है, क्योंकि आत्माकी तरह शरीरके विना भी ज्ञान नही होता। जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमें जो नही होता, वह उसका कारण है। ऐसी वस्तुओमें कार्यकारणभावकी व्यवस्था है। अत ज्ञान-सामायिकका कारण होनेसे त्रिकालवर्ती शरीर 'सामायिक' शब्दसे कहा जाता है। चारित्रमोहनीयकर्मके क्षयोपशमविशेपकी सहायतासे जो आत्माका भविष्यमें सर्व-सावद्ययोगके त्यागरूप परिणामवाली होगी, उसे भाविसामायिकशब्दसे कहा जाता है। जो चारित्रमोहनीयनामककर्मके क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह नोआगम द्रव्यतद्व्यतिरिक्तसमायिक है। भावसामायिक भी दोप्रकार की है—आगमभाव और नोआगमभाव। इनमें प्रत्ययरूप सामायिक आगमभावसामायिक है और सर्व-सावद्यके योग त्यागरूप परिणाम नोआगमसामायिक है।[1]

सामायिकके महत्त्वके विषयमें मूलाचारमें कहा गया है कि सामायिक करनेसे श्रावक श्रमण हो जाता है।[2]

चतुर्विशतिस्तव—वृषभादि चौवीस तीर्थङ्करोका स्तवन चतुर्विंशतिस्तव है।[3] नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे यह भी छह प्रकारका है।

वदना—रत्नत्रय सहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक व स्थविर मुनियोके गुणा-तिशयको जानकर उनकी श्रद्धापूर्वक विनय करना वदना है। यह विनय दो प्रकार-की है—अभ्युत्थान और प्रयोग। गुर्वादिकोंके सम्मानमें खडे होना अभ्युत्थान विनय है। असंयमियो, सयमासयमियो, और पार्श्वस्थ आदि पाच प्रकारके भ्रष्ट मुनियोके सम्मानमें उठना नही चाहिए। जो रत्नत्रय और तपमें नित्य तत्पर हैं, उनके लिए ही उठना चाहिए। जो सुखशील साधु हैं अर्थात् प्रमादयुक्त और अपने रत्नत्रयके पालनमें असावधान हैं, ऐसे साधुओकी विनय नही करना चाहिए, क्योंकि उससे कर्मबध होता है। किंतु वाचनादाता एव अनुयोग-शिक्षक यदि रत्नत्रयमें अपनेसे न्यून भी हो तो भी उनके सम्मानमें उठकर खडा होना चाहिए।

---

१ विजयोदया, पृ १५३।
२ मूलाचार ७/३८।
३ मूलाचार ७/७८-८२।

वसतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिनमदिरमे गुरुके पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए ।[1]

मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक कृतिकर्म प्रयोग-विनय है। यह कृतिकर्म ३२ दोषोंसे रहित होना चाहिए। मूलाचारमें कहा गया है कि कृतिकर्ममें दो नमस्कार, बारह आवर्त, चार शिरोनति और तीन शुद्धिया होती हैं ।[2]

प्रतिक्रमण—दोषोंसे निवृत्तिको प्रतिक्रमण कहते हैं। विजयोदयामे इसके भी नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह प्रकार बताये गये हैं। अयोग्य नामोका उच्चारण न करना नामप्रतिक्रमण है। आप्ताभासोको मूर्तियो आदिके सम्मुख पूजन न करना स्थापनाप्रतिक्रमण है। दूषित द्रव्योका त्याग द्रव्यप्रतिक्रमण है। दूषित क्षेत्रोका प्रतिक्रमण क्षेत्रप्रतिक्रमण है। अकालमे गमनागमन न करना काल प्रतिक्रमण है। मिथ्यात्व आदि अशुभ व पुण्यास्रवभूत शुभ भावोंसे निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है ।[3]

प्रतिक्रमण दैवसिक, रात्रिक, ऐर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक व सावत्सरिक होता है।

प्रत्याख्यान—आगामी कालमें किसी कार्यके न करनेके सकल्पका नाम प्रत्याख्यान है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे इसके भी छह भेद हैं। अयोग्य नामके उच्चारणके त्यागका सकल्प नामप्रत्याख्यान है। आप्ताभासोकी मूर्तियोंके न पूजनेका सकल्प आदि स्थापनाप्रत्याख्यान है। अयोग्य द्रव्यके त्यागका सकल्प द्रव्यप्रत्याख्यान है। अयोग्य क्षेत्रके त्यागका सकल्प क्षेत्रप्रत्याख्यान है। विशिष्ट कालमे क्रियाके त्यागका सकल्प कालप्रत्याख्यान है। भावका अर्थ अशुभ परिणाम है। इसके दो भेद हैं—मूलगुणभावप्रत्याख्यान तथा उत्तरगुणभावप्रत्याख्यान। मूलगुणोमें दूषण लगाने वाले भावो—परिणामोका त्याग मूलगुणभावप्रत्याख्यान है और उत्तरगुणोको दूषित करने वाले भावोके त्यागका नाम उत्तरगुणभावप्रत्याख्यान है।

सयमियोंके जीवनपयन्त मूलगुणभावप्रत्याख्यान होता है। उत्तरगुणभाव प्रत्याख्यान अल्पकालिक व जीवनपर्यंत दोनो होता है। यह प्रत्याख्यान उपधि और आहारका होता है।

---

१ विजयोदया, पृ १५४।

२ मूलाचार ७/१०४।

३ विजयोदया, पृ १५५-६।

४ विजयोदया, पृ १५९।

कायोत्सर्ग—कायका त्याग अर्थात् कायमे ममत्व न रहना कायोत्सर्ग है। यति शरीरसे निस्पृह होकर स्थाणुकी तरह शरीरको सीधा करके दोनो हाथोको लटकाकर, प्रशस्त ध्यानमें लीन हो, शरीरको ऊँचा-नीचा न करके परीषहो और उपसर्गोंको सहन करता हुआ कर्मोंको नष्ट करनेकी अभिलाषासे जतुरहित एकान्त देशमें ठहरता है, यह कायोत्सर्ग है।[1]

कायोत्सर्गका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल एक वर्ष है। अतिचारोंको दूर करनेके लिए यह किया जाता है। इसके रात, दिन, पक्ष, मास, चारमास, वर्ष आदि कालमे होने वाले अनेक भेद हैं। सायकालमें सौ उच्छ्वास प्रमाण, प्रात काल में पचास उच्छ्वास प्रमाण, पाक्षिक अतिचारमें तीनसौ उच्छ्वास प्रमाण, चार मासो में चारसौ उच्छ्वास प्रमाण और वार्षिकमें पाँचसौ उच्छ्वास प्रमाण काल कायोत्सर्ग-का है। हिंसादि पाँच पापोके त्यागमे होने वाले अतिचारोमें एकसौ आठ उच्छ्वास प्रमाण अधिक काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए। दैवसिक अतिचारमें एकसौ आठ उच्छ्वास, रात्रिक अतिचारमे चौवन उच्छ्वास, भक्त-पान, ग्रामान्तर जाने, उच्चार-प्रस्रवण आदि अतिचारमे पच्चीस उच्छ्वास, निर्देश आदि अतिचारमें सत्ताईस उच्छ्वासप्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए।

मूलाचारमें कायोत्सर्गके चार भेद बताये गये हैं उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट' उपविष्टोत्थित तथा उपविष्टनिविष्ट। जो धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान सहित खडे होकर कायोत्सर्ग करता है वह उत्थितोत्थित नामक कायोत्सर्ग है। जो आर्तरौद्र ध्यानके साथ खडे होकर कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितनिविष्ट नामक कायोत्सर्ग होता है। जो बैठकर धर्म और शुक्लध्यान करता है उसके उपविष्ट उत्थित कायोत्सर्ग होता है। जो बैठे हुए अशुभध्यानमे लीन होता है उसके उपविष्ट निविष्ट कायोत्सर्ग होता है।[2]

उपसर्गको सहन करनेके लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए। बाहुयुगलको लटकाकर पैरोमें चार अगुल का अतर रखकर सर्वाङ्गचलनरहित कायोत्सर्ग शुद्ध है।

कायोत्सर्गमें अनेक दोषोकी सभावना है। घोडेकी तरह पैर मोडकर खडा होना, लताकी तरह हिलते हुए खडे होना, खम्भेकी तरह शरीरको स्तब्ध करके खडा होना, दीवार आदिके आश्रयसे अथवा सिर लगाकर खडे होना, कौओंके समान आँखोको हिलाना, लगामसे पीडित घोडेकी तरह मुख चलाना, कन्धे पर जुआ रखे बैलकी

---

१ मूलाचार ७/१५९-६४ व विजयोदया, पृ० १६२।
२ मूलाचार ७/१७६-८० व विजयोदया, पृ० १६२।

तरह सिर लटकाकर खडे रहना, कैथका फल ग्रहण करते समय जैसे हथेली फैलाते है, उस प्रकार हथेली फैलाकर खडे होना, शिर घुमाते हुए खडे होना, गू गेकी तरह हुकार करते हुए खडे होना,अगुली चटकाते हुए खडे होना, भौको नचाना, भीलनीकी तरह अपने अग्रभागको ढाकते हुए खडे होना, ऐसे खडे होना मानो पैरोमें साकल वधी है और मदिरा पिये हुए की तरह खडे होना ये अठारह दोष है। इन दोषोका परिहार करना चाहिए।[१]

लोंच—केशलोच मुनिके लिए आवश्यक है। केशलोच न करने पर यदि बालोकी सफाई न की जाए तो वालोमें सम्मूर्छन जीवोकी उत्पत्ति सभव है। साधुके सोने पर किसीसे सर टकराने पर उन जीवोको बाधा पहुँचती है। भिन्न देश, भिन्न काल और भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोसे जीवोको बाधा पहुँचती है। उस बाधाको दूर करना अशक्य जैसा है। इसलिए केशलोच न करनेसे हिंसादि दोष होते हैं। साथ ही जूं और लीखसे साधुके सक्लेश परिणाम होते हैं। सक्लेश परिणाम अशुभरूप होनेसे पापास्रव-का कारण हैं।

लोच करनेसे निर्विकारता, आत्मवशता, अनासक्ति, स्वाधीनता, निर्दोषता और निर्ममत्व होता है।

प्रतिक्रमण और उपवासके साथ दो मासमें लोच उत्तम, तीनमे मध्यम तथा चारमें जघन्य कहा जाता है।[२]

आचेलक्य—चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है। समस्त परिग्रहके त्यागको आचेलक्य कहते हैं। दश धर्मोका पालन आचेलक्यसे ही सभव है। समस्त परिग्रह-से विरतिको त्याग कहते हैं, वही अचेलता है। अत. अचेल मुनि ही त्यागधर्मका पालन करता है। जो निष्परिग्रह है, वही अकिंचन है। निष्परिग्रही ही आरभत्याग-के कारण सयमी होता है। परिग्रहके निमित्त ही असत्यमे प्रवृत्ति होती है। अचेलके ही लाघव तथा अदत्तादान त्याग होता है। रागादिका त्याग होने पर ब्रह्मचर्य भी विशुद्ध होता है। परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा होती है, सौन्दर्यका मद न होनेसे मार्दव होता है। मायाके मूल परिग्रहका त्याग करनेसे आर्जव धर्म होता है। परीषहो पर विजय और तप होता है। इस प्रकार अचेल मुनि ही दश धर्मोका पालन करता है।

अचेलतासे सयमकी शुद्धि होती है। स्वेद, धूलि और मैलसे लिप्त वस्त्रमे उसी योनिवाले और उसके आश्रयसे रहने वाले त्रसजीव तथा सूक्ष्म और स्थूल जीव

---

१ मूलाचार ७/१७१-२ तथा विजयोदया, पृ० १६३।

२ मूलाचार १/२९।

उत्पन्न होते हैं। वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुँचती है। जीवोंसे ससक्त वस्त्र धारण करने वालेके उठने-बैठने, सोने, वस्त्र फाडने, काटने, बाँधने, वेष्टित करने, धोने, कूटने और धूपमें डालनेपर जावोको बाधा होनेसे महान असयम होता है। अचेलके सयम-विशुद्धि होती है। अचेल इन्द्रिय-विजयमें उद्यत रहता है। ऐसा न करनेपर शरीरमें विकार होनेपर लज्जित होना पडता है।

अचेलताका तीसरा गुण कषायका अभाव है। वस्त्रसे उसकी रक्षाके लिए मायाचार करना पडता है। कलह होतो है। वस्त्रलाभ होनेसे लोभ होता है, अहकार होता है। वस्त्रके धोने-सोने आदिमें लगनेसे स्वाध्याय तथा ध्यानमें विघ्न होता है।

बाह्य परिग्रहका त्याग आभ्यन्तर परिग्रहका मूल है। बिना छिलकेका धान नियमसे शुद्ध होता है, उसी प्रकार अचेल नियमसे शुद्ध होता है, सचेलकी शुद्धि भाज्य है।

अचेलतामें राग-द्वेषका अभाव एक गुण है। राग और द्वेष बाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं। परिग्रहके अभावमें राग-द्वेष नही होते। शरीरमें अनादर भी अचेलताका गुण है। अचेलतामे स्वाधीनता, चित्तकी विशुद्धि, निर्भयता तथा सर्वत्र विश्वास आदि गुण हैं। प्रतिलेखना तथा परिकर्मका न होना अचेलताका गुण है। सवस्त्रको अनेक परिकर्म तथा प्रतिलेखना करनो होती है। अचेलके लाघव गुण होता है। अचेल ही निर्ग्रन्थ होता है, अन्यथा अन्य मतानुयायी भी निर्ग्रन्थ कहे जायेंगे। तीर्थङ्करोंके मार्गका आचरण करना भी अचेलताका गुण है। सहनन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिमार्गके उपदेशक सभा नार्थङ्कर अचेल थे तथा भविष्यमें भी अचेल होगे। मेरु आदि पर्वतोपर विराजमान जिनप्रतिमा और तीर्थङ्करोके मार्गके अनुयायी गणधर भी अचेल होते हैं। उनके शिष्य भी उन्हीको तरह अचेल होते हैं। अपने बलवीर्यको न छिपाना भी अचेलताका गुण है। वस्त्रमे दोष तथा अचेलतामें अपरिमित गुण होनेसे अचेलताको स्थितिकल्प कहा गया है।[१]

अपराजितसूरि एक ओर सभी तीर्थङ्कर, जिनप्रतिमा, गणधर और उनके शिष्योंको अचेल कहते हैं, दूसरी ओर 'आचेलक्को धम्मो पुरिमचरिमाण' 'यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इति होक्खदित्ति' आदि उद्धरण उद्धृत करते हैं।[२]

अस्नान—स्नानादिसे रहित, पसीने आदिसे लिप्त शरीरका होना अस्नान व्रत है।

---

१ विजयोदया, पृ० ३२०–३२७

२ वही, पृ० ३२६।

क्षितिशयन—प्रासुकभूमिप्रदेशमें बिना किसी फलकके अथवा तृणमय या काष्ठ-मय फलकपर दण्ड अथवा धनुषके आकारमें एकपार्श्वसे शयन करना क्षितिशयन है।

अदतधावन—अगुली, नख या तिनके आदिसे दातोंको नही धोना अदतधावन है।

स्थितिभोजन—पैरोमे चार अगुलका अन्तर रखकर भित्ति आदिके सहारेके बिना खडे होकर अपने खडे होने तथा जूठा गिरने और परोसनेवालेके खडे होनेकी भूमि प्रासुक हो, यह देखकर अजलिपुटमें भोजन ग्रहण करना स्थितिभोजन है।

एकभक्त—सूर्यके उदय और अस्त होनेके दो कालोंके बीच उदयके बाद तीन नाडी काल और अस्तके पूर्व तीन नाडी कालको छोड़कर शेष समयमें एक बार आहार ग्रहण करना एकभक्त है।

दशस्थितिकल्प—मूलाचार तथा भगवती आराधनामें मूलगुणोके अतिरिक्त दश स्थितिकल्पोका भी वर्णन किया गया है। आचेलक्य, उद्दिष्टत्याग, शय्याधरपिंड-त्याग, राजपिण्डत्याग, कृतिकर्म, व्रत (दान), पुरुषज्येष्ठता, प्रतिक्रमण मास और पर्युषण ये दशस्थितिकल्प हैं। इनमें शय्याधरपिंडत्याग तथा राजपिंडत्यागको छोडकर शेष सभी आचार दिगम्बर परम्परामे भी मान्य है। ये सभी प्रथम व अन्तिम तीर्थङ्कर-के कालमें अनिवार्य माने गये है, इसलिए इन्हें स्थितिकल्प कहा जाता है। रुग्ण तथा वृद्ध साधुके लिए यदि मरणका भय उपस्थित हो, तो राजपिंडका ग्रहण अपवाद रूप-में मान्य है।[1]

लिंग—अचेलता मुनिके लिए उत्सर्गलिंग है। कारणकी अपेक्षासे आर्यिकाओंको आगममें वस्त्रकी अनुज्ञा है। आर्यिकाओका यह लिंग उत्सर्ग लिंग ही है, दिगम्बरोकी भाँति औपचारिक नही।

भिक्षु अपवाद रूपसे वस्त्र-पात्र ग्रहण कर सकता है। यह वस्त्रधारण तीन कारणो-से होता है। यदि उसके शरीरमें कोई दोष हो, लिंग चर्मरहित हो या अण्डकोश लम्बे हो, अथवा वह लज्जालु हो अथवा परीषह सहनेमें असमर्थ हो, तो वह वस्त्र ग्रहण करता है। यह वस्त्रधारण कारणविशेषकी अपेक्षासे ग्रहण किया जाता है, अतः अपवाद मार्ग है। जो उपकरण कारण-विशेषकी अपेक्षासे ग्रहण किया जाता है, उसके ग्रहण, ग्रहणकी विधि तथा गृहीत उपकरणका त्याग आचाराग, कल्पसूत्र आदि सूत्रोमे निर्दिष्ट किया गया है, यह कहकर विजयोदयाकार[3] अपवादलिंगको त्याज्य ही मानते हैं।

---

१ विशेष विवरणके लिए चतुर्थ परिच्छेद देखिए।

२ भगवती आराधना गाथा ८० व विजयोदया, पृ० ११५।

३ विजयोदया, पृ० ३२१।

सामाचारी—श्रमण जीवनकी उन सब प्रवृत्तियोका समाचारीमे प्रवेश होता है, जो वह अहर्निश करता है। 'समाचार' शब्दके मूलाचारमें चार अर्थ बताये गये हैं—समताका आचार, सम्यक् आचार, सम (तुल्य) आचार और सबके प्रति सम्मानका आचरण।

समदा सामाचारो सम्माचारो समो वा आचारो।
सव्वेसिं सम्माण समाचारो दु आचारो॥ ४/१२३॥

समाचारी दो प्रकारकी है—औघिक तथा पदविभागी। औघिक दश प्रकारकी है तथा पदविभागीके अनेक प्रकार है। औघिकके दश भेद इस प्रकार हैं—

इच्छाकार—(इट्ठे इच्छाकारो)[1] सम्यग्दर्शन तथा शुभपरिणाम आदि इष्टमें इच्छापूर्वक प्रवर्तित होना इच्छाकार है। सयम, ज्ञान व अन्य उपकरणोकी याचना करनेमें तथा योग ग्रहण करनेमे इच्छाकार करना चाहिए।

मिथ्याकार—(मिच्छाकारो तहेव अवराहे)[2] दुष्कृतका भावसहित प्रत्याख्यान करके पुन. उसे न करना चाहिए।

तथाकार—(पडिसुणणम्हि तहत्ति य)[3] वाचना, उपदेश तथा सूत्रार्थ ग्रहण करते समय जैसा गुरु आदिने प्रतिपादित किया है, वैसा ही है, अन्यथा नही, यह भावना तथाकार है।

आसिका—(णिग्गमणे आसिया भणिया)[4] वसतिकासे जाते समय गुरु, देव आदिसे कहकर जाना।

निषीधिका—(पविसते य णिसीही) प्रवेश करते समय इस शब्दका प्रयोग करना चाहिए।

आपृच्छा—(सकज्ज आरभे आपुच्छणिया) आहारादि अपने कार्यके लिए गुरु की आज्ञा लेना आपृच्छा है।

प्रतिपृच्छा—(साधम्मिणा य गुरुणा पुव्वणिसिट्ठम्हि पडिपुच्छा) पहले निषेध कर दी गई वस्तुके विषयमें प्रश्न करना प्रतिपृच्छा है।

छदन—(छदण गहिदे दव्वे) गृहीत द्रव्यका उसी अभिप्रायसे सेवन छदन है।

---

१ मूलाचार ४/९।
२ वही ४/१०।
३ वही ४/१२।
४ वही ४/१३।

निमन्त्रणा—(अगहिददव्वे णिमतणा भणिदा) गुरु या साधर्मिकका द्रव्य यदि ग्रहण करना हो तो विनयसे याचना करना निमन्त्रणा है ।

उपसपा—सघमे गुरुके समक्ष आत्मोत्सर्ग करना उपसपा सामाचार है ।[1]

इसके विषयमे भगवती आराधना तथा विजयोदयामे कहा गया है कि मुनि आचारवत्त्व आदि गुणोंसे युक्त आचार्यके पास जाकर मन-वचन-कायसे षट् आवश्यकोंको पूर्ण करके आचार्यकी वदना कर यह कहता है कि आप द्वादशाग श्रुतके पारगामी हैं, मैं आपके चरणोमे बैठकर श्रामण्यको उद्योतित करूँगा। दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर अब तक जो अपराध किये हैं, उनकी दोषरहित आलोचना करके दर्शन, ज्ञान तथा चारित्रको शल्यरहित पालन करना चाहता हूँ । यह उपसपा है ।[2]

मूलाचारके अनुसार विनय, क्षेत्र, मार्ग, सुख, दुःख तथा सूत्रमें पाँच प्रकारकी उपसपा कही गई है ।[3]

पदविभागी—विद्या, बल, वीर्य और उत्साहसे सम्पन्न शिष्य अपने गुरुसे अध्ययन करके अन्य गुरुके पास शास्त्राध्ययनकी इच्छासे गुरुके समीप जाकर विनयपूर्वक पूछता है कि आपकी कृपासे अन्यत्र जाना चाहता हूँ । यह तीन, पाँच तथा छह बार पूछता है । यह पूछकर अपने गुरु द्वारा विसर्जित होकर अपने अतिरिक्त तीन, दो अथवा एक मुनिको लेकर जाता है ।[4]

एकाविहारी वही हो सकता है जो द्वादशविध तप करता है । द्वादशाग तथा चतुर्दश पूर्वरूप आगम ग्रथको जानता है । सहनन तथा धैर्य सम्पन्न है, तत्त्वज्ञ है । वृद्ध तपस्वी व आचारसिद्धान्तका ज्ञाता है । जो ऐसा न होकर भी गणत्याग कर एकाकी विहार करता है, उससे गुरुपरिवाद, श्रुतव्यवच्छेद, तीर्थकी मलिनता, जडता, विह्वलता, कुशील पार्श्वस्थता आदि दोष उत्पन्न होते हैं । सामर्थ्यके बिना एकाकी विहार करने पर आज्ञाकोप, अनवस्था, मिथ्याराधना, आत्मनाश, सयमविराधना ये पाँच दोष होते हैं । इसलिए वहाँ निवास करना योग्य नही है, जहाँ आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर ये पाँच आधार न हो ।[5]

---

१ मूलाचार ४/९–१७ ।

२ भगवती आराधना गाथा ५१०–६ ।

३ मूलाचार ४/१८-२२ ।

४ मूलाचार ४/२४-२५ ।

५ मूलाचार ४/२७-३१ ।

जब कोई मुनि नवीन गच्छमे आता है, तब मुनि वात्सल्यके लिए, सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन करनेके लिए, उन्हें अपने गच्छमें सम्मिलित करनेके लिए तथा प्रणाम करनेके लिए खडे हो जाते हैं। नवीन मुनि गच्छमे आता है, तब सात कदम चलकर एक दूसरेको प्रणाम करके रत्नत्रयके विषयमे प्रश्न करना चाहिए। आगन्तुक-को तीन रात्रि निवास देना चाहिए। उसकी स्वाध्याय आदि क्रियाओमे तथा शयनीय आदिके विषयमे परीक्षा करनी चाहिए। षडावश्यक, प्रतिलेखन, वचनग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, एकविहार, भिक्षाग्रहण आदिमे परीक्षा करनी चाहिए। आगन्तुक और गच्छके साधुओको एक दूसरेकी परीक्षा करनी चाहिए। आगतुकको एक दिन विश्राम करके दूसरे या तीसरे दिन आचार्यसे अपने कार्यका निवेदन करना चाहिए। यदि आगन्तुकका ज्ञान और चारित्र शुद्ध है, वह नित्य उद्यमशील, विनीत और मेधावी है, तो आचार्य उसे गच्छमें रखें। यदि वह अयोग्य है, तो छेदोपस्थापना करना चाहिए अर्थात् प्रायश्चित्त देकर पुन दीक्षित करना चाहिए। यदि वह छेदोप-स्थापना नही चाहे, तो उसे सघमे सम्मिलित नही करना चाहिए। इस प्रकार आगतुक व आचार्य दोनोको आदरपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी व देनी चाहिए। सम्यक् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी प्रतिलेखना करके विनयोपचारसे युक्त होकर प्रयत्न-पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यदि सूत्रार्थके लोभमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अतिक्रमण करता है, तो असमाधि, अस्वाध्याय, कलह, व्याधि और वियोग होता है। दोनो समय पर्याप्त प्रकाशमें (हाथकी रेखाएँ प्रकाशमें स्पष्ट दिखें) तब प्रयत्नपूर्वक प्रतिलेखना करनी चाहिए। गच्छमे ग्लान, गुरु, बाल, वृद्ध और शैक्ष्यकी यथायोग्य वैयावृत्य करनी चाहिए। दैवसिकी, रात्रिकी, पाक्षिकी, चातुर्मासिकी व वार्षिकी क्रियाओमें तथा वदना आदि कार्योंमें सहयोग करना चाहिए। आर्याके आगमनकालमें एकाकी नही रहना चाहिए। गणिनीको आगे करके प्रश्न करना चाहिए। मुनियोंको आर्यिकाओके उपाश्रयमें बैठना, लेटना, स्वाध्याय, आहार, भिक्षा और व्युत्सर्ग आदि नहीं करना चाहिए। गणधरकी इच्छानुसार प्रवर्तित होना ही मुनियोका समाचार है। यही पदविभागी सामाचारी है।[1]

सूर्योदयसे लेकर दिन-रातका मुनियोका जो कार्यकलाप है, वह पदविभागी सामाचारी है।[2]

सामाचारीका वर्णन श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें भी मिलता है। आवश्यकनिर्युक्ति तथा विशेषावश्यकभाष्यमें सामाचारीके तीन प्रकार बताये गये हैं। ओघ, दशविध तथा

---

१. मूलाचार ४/१४५-९७।

२. मूलाचार ४/१३०।

पदविभागी। मूलाचारमे निर्दिष्ट दशविध औघिक सामाचारी आवश्यकनियुंक्ति तथा विशेषावश्यकभाष्यमे दशविध सामाचारो है।[1]

ओघसामाचारीका निरूपण ओघनियुंक्तिमें किया गया है। उसके प्रतिलेखन, पिण्ड, उपधिप्रमाण, अनायतनवर्जन, प्रतिसेवना (दोषाचरण) आलोचना और विशोधि ये सात द्वार हैं।

पडिलेहृण च पिण्ड उवहिपमाण अणाययणवज्ज।
पडिसेवणमालोऊण जह य विसोही सुविहियाण॥[2]

दशविध समाचारीका वर्णन भगवती, स्थानाग, उत्तराध्ययन तथा आवश्यक-नियुंक्ति आदिमे मिलता है।[3] पदविभाग-सामाचारीका वर्णन छेदसूत्रोमें है। कल्प-सूत्रमें वर्णित मामाचारी पदविभाग-सामाचारी है।

तप—कर्मोकी निर्जराके लिए तपश्चरण आवश्यक है। तप दो प्रकारका है—बाह्य व आभ्यन्तर। दोनोके छह छह भेद हैं। अनशन, अवमौदार्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसख्यान, कायक्लेश, विविक्तशयनाशन ये छह बाह्य तप हैं।

अनशन—अनशन साकाक्ष और निराकाक्ष दो प्रकारका है। कालसापेक्ष साकाक्ष तथा यावज्जीवन निराकाक्ष है। इसे ही अद्धानशन तथा सर्वाशन कहा गया है। सर्वा-नशन अन्तिम समयमें किया जाता है। तीन, चार, पाच, छह, पन्द्रह दिन तथा मासभरमे लेकर कनकावली, एकावलो आदि तक अशनत्याग अद्धानशन है[4]

अवमौदार्य—वत्तीस ग्रास प्रमाण आहार पुरुषका होता है। अट्ठाइस ग्रास प्रमाण आहार स्त्रीका होता है। इस आहारसे कम आहार करना अवमौदार्यवृत्ति है।

रसपरित्याग—दूध, दही, घी, तेल, गुड तथा नमकका त्याग करना रसपरित्याग है। अथवा तिक्त, कटुक, कषाय, लवण, अम्ल तथा मधुर रसोका त्याग करना रसपरित्याग है। मद्य, मास, मधु और नवनीत महाविकृतिया हैं, इनका परित्याग भी आवश्यक है।[5]

वृत्तिपरिसख्यान[6]—आहार ग्रहण करनेके लिए विविध प्रकारके नियम लेना वृत्ति-परिसख्यान है। गृहोके प्रमाण, दाताओके प्रमाण आदिका नियम लेना अथवा जिस

---

१ विशेषावश्यकभाष्य भाग २ गाथा २५-६।
२ ओघनियुंक्ति २।
३ भगवती २५/७, स्थानाग १०/७४९ आदि।
४ भगवती अराधना २१०-२, मूलाचार ५/१४८-५१।
५ भगवती आराधना गा २१३-१४।
६ भगवती आराधना, गाथा २१५-१९।

मार्गसे पहले गया, उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा, अन्यथा नही, सीधे मार्गसे जाने पर यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूगा, अन्यथा नही आदि मार्ग नियम लेना वृत्तिपरिसख्यान है। मार्ग नियम गतप्रत्यागत, ऋजुवीथि, गोमूत्रिक, शम्बूकावर्त, पतगवीथि आदि अनेक प्रकार है।

इसके अतिरिक्त इस प्रकारके नियम करना कि फाटकमे प्रविष्ट होकर भिक्षा ग्रहण करूँगा, अन्यथा नही अथवा एक या दो फाटकमें प्रवेश करके भिक्षा ग्रहण करूँगा अथवा घरमे लगी हुई भूमिमें प्रवेश करूँगा, घरमें नही, एक ही भिक्षा या दो ही भिक्षा ग्रहण करूँगा,अधिक नही, आदि नियम वृत्तिपरिसख्यान है। ग्रामका परिमाण पिंडरूप भोजन, पानरूप भोजन, चना, मसूर आदि विशिष्ट धान्य ग्रहण करनेका नियम, शाकसे मिला भोजन, जिसमें चारो ओर शाक और बीचमें भात हो आदि अनेक नियम लिये जाते हैं।[1]

कायक्लेश—शरीरको कष्ट-सहिष्णु बनाकर किया जाने वाला तप कायक्लेश है। इसके अनुसूरी, प्रतिसूरी, अर्ध्वसूरि, तिर्यक्सूरी, ग्रामान्तरमे भिक्षाके लिए जाना आदि अनेक भेद हैं। चिकने स्तम्भ पर खडे होना, दोनो पैरोको बराबर करके खडे होना, सम्यक् पर्यंकाशनसे बैठना, जाँघे और कटि भागको सम करके बैठना, गोदोहन करते समय जैसे बैठते है, वैसे आसनसे बैठना, एक पैर फैलाकर बैठना, दोनो जघाओको सामने कर गायकी तरह बैठना, अर्द्धपर्यङ्कासन ये सब कायक्लेशके आसन हैं।[2]

विविक्तशयनासन—जिस वसतिमें स्वाध्याय और ध्यानमे व्याघात नही होता वह विविक्त वसति है। विविक्त वसतिमें मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप गन्ध व स्पर्श द्वारा अशुभ परिणाम नही होते। शून्यघर, पहाडकी गुफा वृक्ष का मूल,आने वालोंके लिए बनाया घर, देवकुल आदि विविक्त वसतियाँ हैं। यहाँ कलह, सक्लेश, व्यामोह और ममत्व नही होता। इनमे निवास करना विविक्तशयनासनतप है।[3]

इन बाह्य तपोसे आभ्यन्तर तपमें श्रद्धा होती है। वीर्याचारमें प्रवृत्ति होती है। ध्यान दृढ होता है। आत्मा, कुल, गण तथा अपनी शिष्यपरम्परा शोभित होती है।[4]

विजयोदयामें इन तपोके अतिचारोका भी वर्णन है। वे इस प्रकार हैं—

---

१. भगवती आराधना, गा० २२०-२२३।

२. भगवती आराधना, गा० २२४-२९।

३ भगवती आराधना, गा० २३०-४।

४ भगवती आराधना, गा० २३८-४६।

अनशनतपके अतिचार

स्वय भोजन न करते हुए दूसरोको भोजन कराना, मन-वचन-कायसे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वय भूखसे पीडित होने पर मनसे आहारकी अभिलाषा करना, मुझे पारणा कौन देगा अथवा पारणा कहाँ होगी इत्यादि चिन्ता अनशनतपके अतिचार है। अथवा रसीले आहारके विना मेरी थकान दूर नही होगी, यह विचार करना, प्रचुर निद्रामें पडकर षट्कायके जीवोकी वाधामे मन-वचन-कायसे प्रवृत्त होना, मैंने सक्लेशकारी उपवास किया, व्यर्थ किया, यह सतापकारी है, इसे नही करूँगा। इस प्रकारके विकल्प भी अनशनतपके अतिचार हैं[1]

अवमौदार्यतपके अतिचार—मनसे वहुत भोजन करनेमें आदर, दूसरेको बहुत भोजन करानेकी चिंता, तृप्तिपूर्वक भोजन करो, ऐसा कहना, मैंने बहुत भोजन किया, ऐसा कहनेपर आपने अच्छा किया, हाथके सकेतसे कठदेशका स्पर्श कर कहना मैंने आकण्ठ भोजन किया।

वृत्तिपरिसख्यानतपके अतिचार

सात घरमे प्रवेश करूँगा इत्यादि सकल्प करके दूसरेको भोजन कराना है, इस भावसे सात घरसे अधिक घरोमें प्रवेश करना तथा एक मुहल्लेसे दूसरे मुहल्लेमे जाना। विजयोदयाके इस उल्लेखसे भोजन एकत्रित करके वसतिकामें स्वय ग्रहण करने तथा अन्य रुग्ण आदि मुनिको ग्रहण करानेका अभिप्राय सूचित होता है।

रसपरित्यागतपके अतिचार

रसोमें आसक्ति, दूसरोको रसयुक्त आहारका भोजन कराना अथवा आहारके भोजनकी अनुमति ये रसपरित्यागतपके अतिचार हैं।

कायक्लेशतपके अतिचार—गर्मीसे पीडित होने पर शीतलद्रव्य प्राप्तिकी इच्छा होना, सताप दूर होनेकी चिंता होना, पूर्वभुक्त शीतलद्रव्यो तथा प्रदेशोकी स्मृति, कठोर धूपसे द्वेष करना, शीतलप्रदेशसे अपने शरीरको पीछीमे शोधे बिना धूप या गर्मस्थानमें प्रवेश करना, अथवा धूपसे सतप्त शरीरको जलसे धोकर हाथ, पैर अथवा शरीरसे जलकायिक जीवोको पीडा देना, शरीरमें लगे जलके कणोको हाथ वगैरहसे पोछना, हाथ या पैरसे शिलातलपर पडे जलको दूर करना, कोमल गीली भूमिपर सोना, जलके बहनेके निचले प्रदेशमें ठहरना, कब वर्षा होगी, कब रुकेगी आदि चिन्ता करना, वर्षासे बचनेके लिए छाता धारण करना आदि कायक्लेशतपके अतिचार हैं।

अभ्रावकाशतपके अतिचार—यहाँ विविक्तशयनासनके स्थानपर अभ्रावकाश शब्दका प्रयोग किया गया है। सचित्त भूमि पर जिसमें त्रसरहित हरितकाय हो तथा

१ विजयोदया पृ०, ३७१-२।

छिद्रवाली भूमि पर सोना, भूमि और शरीरको पीछीसे शुद्ध किये बिना हाथ पैर सिकोटना-फैलाना, करवट लेना, शरीर सुखाना, हिम और वायुसे पीड़ित होने पर उनके रुकनेकी चिंता करना, शरीरपर गिरी बर्फको हटाना, अथवा वर्षासे मनट्टन करना, यहाँ अधिक वायु है, ऐसा संक्लेश करना, शीत दूर करनेके साधन आग और ओढ़नेके वस्त्र आदिका स्मरण करना अभ्रावकाशतपके अतिचार हैं।

आभ्यन्तर तप—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ये छह आभ्यन्तर तप हैं।[1]

प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त वह तप है, जिससे पूर्वकृत पापोंकी शुद्धि होती है। प्रायश्चित्त जानने वाले मुनिको भी उत्कृष्ट विशुद्धिके लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करनी चाहिए। प्रायश्चित्तके दस प्रकार हैं—आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना-प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार तथा श्रद्धान। यथा—

आलोयण पडिकमण उभय विवेगो तहा विउस्सग्गो।
तव छेदो मूलं विय परिहारो चेव सद्दहणा॥[2]

मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके दुष्प्रयोगसे अतिचार लगा हो तो उसकी पूरी तरह आलोचना करनी चाहिए। देशभेद, कालभेद, परिणामभेद और सहायकके भेदसे दोषोंमें गुरुपना और लाघवपना होता है। दोषोंकी लघुता और गुरुताके अनुसार गुरु प्रायश्चित्त देता है।

आलोचना दो प्रकारकी होती है—एक सामान्य या औघिक और दूसरी विशेष या पदविभागी। मूल नामक प्रायश्चित्त जिसे दिया जाता है, वह सामान्य आलोचना करता है, उसकी दीक्षा मूलसे ही समाप्त कर फिरसे आरम्भ की जाती है, वह सामान्य-मुनि धर्ममात्रमें लगे दोषकी आलोचना करता है। गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना करना पदविभागी है।

निःशल्य होकर ही आलोचना करनी चाहिए। निःशल्यता ही यतियोंकी आराधना है। आलोचनाके पूर्व एकान्तमें कायोत्सर्ग करना चाहिए। एकान्तमें ही गुरु एककी आलोचना सुनते हैं।

आलोचनाके दोष[3]—आलोचनामें अनेक दोष हो सकते हैं, उन्हें त्यागकर निर्दोष आलोचना करनी चाहिए।

---

१ मूलाचार ५/१६५।
२ मूलाचार ५/१६७।
३ विजयोदया, पृ० ४०३-१७।

१ **आकम्पित**—स्वय भिक्षालब्धिसे युक्त होनेके कारण आचार्यकी उद्गमादि दोषोंसे रहित प्रासुक भक्तपानसे, अथवा पिच्छि-कमण्डलु आदि उपकरणसे अथवा कृति-कर्म वदनासे वैयावृत्य, करके अपने पर आचार्यकी कृपा उत्पन्न करके यदि कोई साधु अपना अपराध कहता है और उस समय विचार करता है कि भोजन आदिके दान द्वारा उपकार करनेसे प्रसन्न होकर गुरु महान् प्रायश्चित्त नही देंगे। अत मैं स्थूल और सूक्ष्म सब अतिचार कहूँगा। इस प्रकार विचार करनेमें आलोचकके मनमें अविनय आती है, यह आकम्पित नामक प्रथम आलोचना दोष होता है। यह आलोचना किंपाकफलके सदृश है।

२ **अनुमानित**—आलोचना करने वाला मुनि अपनी शक्तिको छिपाते हुए शरीरके प्रति सुखशील होनेके कारण यह विचार करे कि धीर पुरुषोके द्वारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते है वे धन्य है, माहात्म्यशाली हैं, मैं तो जघन्य प्राणी हूँ, उपवास करनेमे असमर्थ हूँ' इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गुरु लघु प्रायश्चित्त देकर मुझ पर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमानसे जानकर जो शल्यसहित आलोचना करता है, वह दूसरा आलोचना दोष है।

३ **दृष्ट**—जो दूसरोके द्वारा देखे गये अपराधकी हो आलोचना करता है, वह मायावी है।

४ **बादर**—जिन-जिन व्रतोमे दोष लगे हो, उनमेसे जो साधु स्थूल दोपोकी तो आलोचना करता है, सूक्ष्म दोषोको छिपाता है, उसकी आलोचना बादर दोषसे युक्त है।

५ **सूक्ष्म**—इसके विपरीत जो साधु सूक्ष्म दोष कहता है, भय, मद तथा माया-सहित चित्त होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है, वह सूक्ष्म दोष है।

६ **प्रच्छन्न**—आचार्यसे पूछना यदि किसीके मूलगुण तथा उत्तरगुणमें अतिचार लग जाए तो किस उपायसे शुद्ध होता है। इस प्रकार प्रच्छन्न रूपसे पूछकर जो साधु शुद्धि करता है, वह प्रच्छन्न आलोचना दोष है।

७ **शब्दाकुलित दोष**—पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रायश्चित्तके समय जब सब मुनिगण अपने दोष निवेदन करते हैं तब कोलाहलमें जो मुनि इच्छानुसार दोष कहता है, वह गुरुओको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे, तो वह शब्दाकुलित दोप है।

८ **बहुजन**—नवम पूर्वमें, कल्प तथा व्यवहारमें, शेप अगो और प्रकीर्णोमे जो प्रायश्चित्त कहा गया है, तदनुसार ही आचार्य प्रायश्चित्त दे तथापि उस आचार्यके वचनोपर श्रद्धा न करके अन्य आचार्योसे पूछना बहुजन दोष है।

९ **अव्यक्त दोष**—ज्ञानबालक तथा चारित्रबालक आचार्यके दोषोका निवेदन करना अव्यक्त दोष है।

१० **तत्सेवी**—पार्श्वस्थ मुनि पार्श्वस्थ मुनिके समक्ष आलोचना करे कि यह मेरे समान है, यह तत्सेवी दोष है।

सदोष आलोचनासे शुद्धि नही होती, इसलिए निर्यापकाचार्यके पादमूलमें उपस्थित होकर दशो दोष तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लज्जाका त्यागकर सम्यक् प्रकारसे शुद्ध होकर विधिपूर्वक आलोचना करनी चाहिए।

विनय—विनय दूसरा आभ्यन्तर तप है। मूलाचार तथा भगवती आराधनामें इसकी विस्तृत चर्चा है।[1] इनमें विनयके पाँच भेद बताये गये है—वे है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और औपचारिक विनय।

दर्शनविनय—सम्यक्त्व ही मोक्षमार्गका प्रथम सोपान है। मूलाचारके अनुसार जिनवरो द्वारा उपदिष्ट श्रुतज्ञानपर श्रद्धा रखना दर्शन विनय है।[2] जैन दर्शनमे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बध और मोक्ष ये नौ पदार्थ बताए गए है। इन पर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है।

इसके आठ अग हैं। जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट पदार्थोंमे शका न करना नि शकित अग है। इहलोक तथा परलोकके भोगोकी अभिलाषा न करना नि काक्षित अग है। यतिसे मूत्रादिमें घृणा 'द्रव्यविचिकित्सा' तथा भूख सहन करना आदि दु ख रूप हैं आदि विचार 'भावविचिकित्सा' है। ऐसी विचिकित्सा न करना निर्विचिकित्सा है। सच्चे देव, गुरु और धर्ममे विवेक रख उन्हें मानना अमूढदृष्टि है। दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे हीन जीवोको देखकर धर्मबुद्धिसे उनके दोषोको ढाकना 'उपगूहन' है। दर्शन और चारित्रसे भ्रष्ट जीवोको देखकर उन्हें उनमें स्थित करना स्थितीकरण है। चतुर्विधसघके प्रति वात्सल्य रखना वात्सल्य है। तथा धर्मोपदेश, तपश्चरण, अहिंसा आदिके द्वारा धर्मकी प्रभावना करना प्रभावना है। ये सम्यग्दर्शनके आठ अग हैं।

इसमें उपबृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये चार गुण है।

अतिचार—शका, काक्षा, विचिकित्सा, परदृष्टि प्रशसा व अनायतनसेवन सम्यक्त्वके अतिचार हैं। श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष न होनेसे, उपदेष्टाके अभावमें अथवा उसमे वचनोकी निपुणता न होनेसे व निर्णयकारी शास्त्रवचन उपलब्ध न होनेसे अथवा काललब्धिके अभावमें शका नामक अतिचार है।

---

१ मूलाचार ७/८०-९५, भगवती आराधना, गा० १११-३४।

२. मूलाचार ७/८८।

सम्यग्दर्शनमे, व्रतधारणसे, देवपूजा और तपसे उत्पन्न हुए पुण्यसे किसी फलकी आकाक्षा करना काक्षा है। रत्नत्रय और रत्नत्रयधारीमें जुगुत्सा विचिकित्सा अतिचार है। अतत्त्वदृष्टिकी प्रगसा परदृष्टिप्रशसा है। अनायतनके छह भेद हैं—मिथ्यात्व, मिथ्यात्वी, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्रके धारक।

ज्ञान-विनय—ज्ञान मोक्षका कारण व पाप तथा कर्मबन्धनका नाशक है। ज्ञानके द्वारा चारित्र धारण किया जाता है, अत ज्ञानमे विनय करना चाहिए। ज्ञानविनयके आठ भेद हैं—काल, विनय, उपधान, बहुमान अनिह्नव, व्यजनशुद्धि, अर्थशुद्धि और उभयशुद्धि। स्वाध्यायकाल और वाचनाकाल इन योग्य कालोमें अध्ययन कालविनय है। श्रुत तथा श्रुतधारकोकी विनय यह विनय नामक ज्ञानविनय है। स्वाध्याय पूरा करते समय तक अवग्रह धारण करना उपधान विनय है। मनको निश्चल कर हाथ जोडकर सादर अध्ययन करना बहुमान है गुरुका अपलाप करना निह्नव है और गुरु को न छिपाना अनिह्नव विनय है। व्यजनशुद्धि (शब्दशुद्धि) अर्थशुद्धि तथा उभय-शुद्धि सूत्रका ठीक पाठ तथा ठीक अर्थ निरूपण करना है।

चारित्र-विनय—मूलाचारके अनुसार सचित कर्मावरणका नाश करना तथा नवीन कर्मका बध न करना चारित्र विनय है। भगवती आराधनाके अनुसार इन्द्रिय और कषायरूपसे आत्माका परिणत न होना तथा गुप्तियो और समितिओका पालन सक्षेपमें चारित्रविनय है। इसके दो भेद हैं—इन्द्रिय-अप्रणिधान और नोइन्द्रिय-अप्रणिधान। पुद्गलोके शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें रागद्वेषका न होना इन्द्रिय अप्रणिधान है, क्रोध, मान, माया, लोभका त्याग नोइन्द्रिय अप्रणिधान है।

तपोविनय—मूलाचारमे तपस्याके द्वारा मुनिका अपनेको मोक्षमार्गमें प्रवृत्त करना तपोविनय कही गई है। दीक्षामें लघु तथा अल्पज्ञानी भी विनय द्वारा मोक्ष-मार्ग प्राप्त करता है। भगवती आराधनामें तपोविनय इस प्रकार कही गई है—उत्तरगुणोमे उद्यम करना तप है। सम्यक् रीतिसे भूख-प्यासको सहन करना, तपमें अनुराग रखना, षट् आवश्यकोमे न्यूनता या अधिकताका न होना तपोविनय है। जो तपमें अधिक हैं उनमें और स्वय तपमें भक्ति करना और जो अपनेसे तपमें हीन है, उनका तिरस्कार न करना यह श्रुतानुसारी आचरण करने वाले साधु की तपोविनय है।

उपचारविनय—उपचार विनय तीन प्रकारकी है—कायिक, वाचिक, मान-सिक। तीनोके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं। गुरु आदिके आने या जाने पर खडे होना, कृतिकर्म, शरीरावनति, हाथ जोडना, शिरोनति, गुरुके उठने या बैठने पर उनके सामने जाना, गुरुके साथ जाने पर उनके पीछे शरीर प्रमाण भूमिका 'अन्तराल

देखकर गमन, नोचा-आमन, नोचा गमन, नीचास्थान, नीचे सोना, आमनदान आदि कायिक विनय हैं।

सम्मानपूर्ण, हितकर, मित, मधुर, कोमल व नम्रतापूर्ण सूत्रानुसारी वचन बोलना वचन विनय है। कृषि आदि आरभ वाले गृहस्थोके वचन न बोलकर रागद्वेषरहित वचन बोलना चाहिए। यह वाचिक विनय है।

पापको लाने वाले परिणामोको न करना, गुरुको प्रिय तथा अपनेको हितकरमें परिणाम लगाना मानसिक विनय है। यह सब प्रत्यक्ष विनय है।

परोक्ष विनय वह है, जो गुरु को अनुपस्थितिमे उनकी आज्ञा-पालनमें की जाती है।

इस विनयकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है कि विनय मोक्षका द्वार है। इससे सयम, तप और ज्ञानको प्राप्ति होती है। विनयसे आचार्य और सर्व सघ अपने वशमें किया जाता है। कायिक और वाचिक विनय करनेसे आचारशास्त्रमें कहे गये क्रमका प्रकाशन होता है। कीर्ति, मित्रता, मानका विनाश गुरुजनोका बहुमान और तीर्थंकरोकी आज्ञाका पालन व गुणोकी अनुमोदना ये विनयमें गुण है। विनयसे मानकषायका नाश तथा ज्ञान व मोक्षकी प्राप्ति होती है।[१]

वैयावृत्य—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक तथा गणधर इन पाँच और गच्छमें स्थित बाल एव वृद्ध मुनियोकी अपनी शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करनी चाहिए। गुणमें अधिक उपाध्याय, तपश्चरण कर रहे मुनि, शिक्षा प्राप्त कर रहे मुनि तथा साधुओकी उपद्रव हो जाने पर तथा निरुपद्रव रहने पर भी वैयावृत्य करनी चाहिए। वैयावृत्य तप है और तप से निर्जरा होती है।

सोनेके स्थानकी, बैठनेके स्थानकी और उपकरणोकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार, योग्य औषधि देना, स्वाध्याय कराना, अशक्त मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करवटसे दूसरी करवट लिटाना ये उपकार वैयावृत्य है। जगली जानवरों से दुष्ट राजा से, नदीको रोकनेसे और भारी रोगसे जो पोडित हैं, विद्या आदिसे उनका उपसर्ग दूर करना चाहिए। जो दुर्भिक्षमें फँसे हैं, उन्हें सुभिक्ष देशमें लाना, धैर्य प्रदान करना, सरक्षण करना इत्यादि वैयावृत्य हैं।

वैयावृत्य न करनेसे तीर्थङ्करोकी आज्ञाका भग, धर्मका नाश तथा आचारका लोप होता है। वैयावृत्य करनेसे श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, तप, धर्म, तीर्थपरम्परा

१. भगवती आराधना, सथा १३०-४।

का अविच्छेद तथा समाधि आदि गुण प्राप्त होते हैं।[१] तीर्थंकर नामक पुण्यकर्मका बध होता है।[२]

अपराजितसूरि वैयावृत्यके आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल सघ, साधु और मनोज्ञके भेदसे दस भेद बताते हैं[३]।

स्वाध्याय—स्वाध्यायसे आत्महितका ज्ञान होता है। रत्नत्रयमें निश्चलता आती है। दूसरोको उपदेश देनेकी सामर्थ्य आती है। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय (परिवर्तन) तथा धर्मोपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद हैं।[४] सूत्रके अर्थपूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढनेको वाचना कहते हैं। सन्देहको दूर करनेके लिए अथवा निश्चित अर्थको दृढ करनेके लिए सूत्र और अर्थके विषयमें पूछना प्रश्न या पृच्छना है। जाने हुए अर्थका चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। कण्ठस्थ करना आम्नाय है। कथा चार प्रकारकी है—*आक्षेपणी, निक्षेपणी, सवेगनी और निर्वेदनी। उनके उपदेशको धर्मोपदेश* कहते हैं।

ध्यान—'उत्तम सहनन वालेके एकाग्रचिन्ता-निरोधको ध्यान कहते हैं।' चिन्ताका अर्थ चैतन्य है। वह चैतन्य अन्य-अन्य पदार्थोंको ज्ञानपर्यायरूपसे प्रवर्तन करता है, अत यह परिस्पन्द वाला है, उसका निरोध अर्थात् एक ही विषयमें प्रवृत्ति निरोध है। तत्त्वार्थसूत्रगत यह सूत्र जो ध्यान मुक्तिके कारण हैं, उनको (धर्म एव शुक्लध्यानको) लक्ष्य करके कहा गया है। यद्यपि आर्त एव रौद्र ध्यानमें भी ध्यानसामान्यका लक्षण (एकाग्रचिन्तानिरोध) घटित होता है। किन्तु वह अशुभरूप तथा ससारका कारण है। इस तरह ध्यान चार प्रकारका कहा गया है।

ससारसे भीत क्षपक परीषहोंसे पीडित होने पर भी आर्त और रौद्र ध्यान नही करता, क्योकि ये समीचीन ध्यानको नष्ट कर देते हैं।

आर्त्तध्यानके भेद—अनिष्टसयोग, इष्टवियोग, परीषह तथा निदानसे उत्पन्न कषायसहित ध्यानको आर्तध्यान कहते हैं।[५]

रौद्रध्यानके भेद—चोरी, झूठ, हिंसा तथा छहप्रकारके आरम्भको लेकर जो कषायसहित ध्यान है, वह चार प्रकारका रौद्रध्यान है।[६]

---

१ भगवती आराधना, गाथा ३०६-१२।

२ भगवती आराधना, गाथा ३३०।

३ भगवती आराधना, विजयोदया, पृ० २८८।

४ मूलाचार, ५/१९६।

५ भगवती आराधना, गाथा १६९७

६ भगवती आराधना, गाथा १६९८।

धर्मध्यानके भेद—धर्मध्यानके लिए पर्वतकी गुफा, वृक्षका कोटर, नदीका किनारा, श्मशान, उजडा हुआ उद्यान, शून्य मकान जैसे एकान्त स्थानका चुनाव करना चाहिए, जहाँ ध्यानमे, विघ्न करने वाले पशु, पक्षी या मनुष्य न हो, इन्द्रिय और मनको चचल करने वाले साधन न हो, स्पर्श अनुकूल हो अर्थात् शीत, उष्ण धूप और वायु आदिसे रहित हो, जमीन साफ सुथरी हो। ऐसे स्थानमें स्थित होकर धीरे-धीरे श्वासोच्छ्वास रोकते हुए नाभि ऊपर हृदयमे या मस्तकपर अपने मनोव्यापारको रोकना चाहिए। यह ध्यानकी बाह्यसामग्री है। कषायजन्य समस्त विकल्पोको रोकना आभ्यन्तर सामग्री है। धर्मध्यानके भी चार भेद हैं आज्ञाविचय, अपायविचय विपाकविचय और सस्थानविचय।

आज्ञाविचय—सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोका ध्यान करना कि वीतराग सर्वज्ञने इसका स्वरूप इस प्रकार कहा है—वे इसी प्रकार हैं आज्ञाविचय है।[1]

अपायविचय—कल्याणप्राप्तिके उपायोका ध्यान करना अर्थात् दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओका विचार करना तथा जीवोके शुभाशुभ कर्मोका विचार करना अपायविचय है।[2]

विपाकविचय—जीवोंके एक भव या अनेक भवके पुण्यकर्म और पापकर्मके फलका तथा उदय, उदीरणा, सक्रम, बन्ध और मोक्षका विचार करना विपाकविचय है।[3]

सस्थानविचय—तीनो लोकोके सस्थानका विचार करना सस्थानविचय है। इसी सन्दर्भमें बारह अनुप्रेक्षाओका चिंतन भी सस्थानविचय है।[4]

आर्जव, लघुता, मार्दव, उपदेश और जिनागममें स्वाभाविक रुचि ये धर्मध्यानके लक्षण हैं। आर्जव आदि धर्मध्यानके कारण भी हैं, क्योकि उनके अभावमें धर्मध्यान नही होता। वाचना, पृच्छना, परिवर्तन तथा अनुप्रेक्षा भी धर्मध्यानके अवलम्बन हैं, क्योकि स्वाध्यायके अभावमें धर्मध्यान सभव नही है। इसी प्रकार अनुप्रेक्षायें भी ध्यानकी अवलम्बन हैं।[5]

शुक्लध्यान—क्षपक जब धर्मध्यानको पूर्ण कर लेता है तब वह अतिविशुद्ध लेश्या के साथ शुक्लध्यानको ध्याता है, क्योकि परिणामोकी सतति उत्तरोत्तर निर्मलताको

---

१ भगवती आराधना, गाथा १७०६।

२ भगवती आराधना, १७०७

३ भगवती आराधना, १७०८-९

४ भगवती आराधना, गाथा १७०९।

अह तिरियउड्ढलोए विचिणादि सपज्जए ससठाणे।
एत्थे व अणुदाओ अणुपेगाओ वि विचिणादि॥

५. भगवती आराधना, गाथा १७०४-५

लिए हुए होती है, अर्थात् धर्मध्यानमें परिपूर्ण हुआ अप्रमत्त सयमी ही शुक्लध्यान करनेमे समर्थ होता है।[१]

शुक्लध्यानके भी चार भेद हैं—पृथक्त्वसवितर्कसवीचार, सवितर्कएकत्व अवीचार, सूक्ष्मक्रिय तथा समुच्छिन्नक्रिय।

पृथक्त्व-सवितर्क-सवीचार—उपशान्तमोह गुणस्थान वाले मुनि तीन युगोके द्वारा द्रव्योको बदल बदल कर ध्यान करते हैं, इससे इसे पृथक्त्वसवीचार कहते है। धर्मध्यान और शुक्लध्यानके स्वामियोको लेकर मतभेद पाया जाता है।[२]

श्रुतज्ञानको वितर्क कहते है। चौदहपूर्वोके अर्थमें कुशल साधु ही इस शुक्लध्यान को ध्याता है। अत यह सवितर्क है। ध्येय द्रव्योके बदलनेसे इसे पृथक्त्व, तथा तीनो योगोकी सहायतासे होनेसे इसे सवीचार कहते हैं।[३]

एकत्व-सवितर्क-अवीचार—दूसरे शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितर्क अवीचार है। इसमे एक ही योगका अवलम्बन लेकर एक ही द्रव्यका ध्यान किया जाता है। एक ही द्रव्यका अवलम्बन लेनेसे इसे एकत्व कहते हैं। यह ध्यान किसी एक ही योगमें स्थित आत्माके होता है अत अवीचार है। इसका स्वामी क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती मुनि होता है। यह ध्यान भी सवितर्क है, क्योंकि श्रुतका धारी चौदह पूर्वोका ज्ञाता ही इस दूसरे ध्यानको ध्याता है।[४]

सूक्ष्मक्रिय—इसका नाम अवितर्क अवीचार भी है। इसका अवलम्बन श्रुत नही है, इसीलिए वितर्कसे रहित है। पूर्वमें अवलम्बन किये हुए अर्थको छोडकर अर्थान्तर-के अवलम्बनको वीचार कहते हैं। वह भी इसमे नही होता, अत यह अवीचार है। इसमें श्वासोच्छ्वासकी क्रिया सूक्ष्म हो जाती है। यह सूक्ष्मकाययोगके होनेपर होता है अत इसे सूक्ष्मक्रिय कहते हैं। इस तृतीय ज्ञानको 'सव्वभावगद' कहा गया है। इस शब्दकी व्याख्यामें अपराजितसूरि स्पष्ट करते हैं कि 'तृतीय शुक्लध्यानं त्रिकालगोचरा-नन्तसामान्यविशेषात्मकद्रव्यषट्कयुगपत्प्रकाशनरूपम्' अर्थात् त्रिकालवर्ती अनन्त सामान्यविशेषात्मक धर्मोसे युक्त छह द्रव्योको एक साथ प्रकाशित करता है, अत सर्वगत है।[५]

---

१ भगवती आराधना, गाथा १८७१ व उसकी टीका।

२ देखिए, चतुर्थ परिच्छेद।

३ भगवती आराधना, गाथा १८७४-७६।

४ भगवती आराधना, गाथा १८७७-७९।

५ भगवती आराधना, गाथा १८८०-८१।

समुच्छिन्नक्रिय[1]—इस चतुर्थ शुक्लध्यानको अवितर्क, अवीचार, अनिवर्ति, अक्रिय, शैलेशी, निरुद्धयोग, अपश्चिम और उत्तम शुक्ल ध्यान कहा गया है। इसका ध्यान निरुद्धयोगी शरीरत्रिकका नाश करते हुए सर्वज्ञ केवली करता है।

तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यानमें अतर बताते हुए शिवार्य और अपराजितसूरि कहते हैं कि सूक्ष्म काययोगमें स्थित केवली तीसरे शुक्ल ध्यानको तथा अयोग केवली-चतुर्थ शुक्ल ध्यानको करता है।

प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने प्रस्तुत अठारहसौ बयासी सख्यावाली गाथाको तृतीय शुक्लध्यान विषयक माना है—

अवियक्कमवीचार अणियट्टिमकिरिय च सीलेसिं।
ज्झाण णिरुद्धयोग अपिच्छिम उत्तमं सुक्क ॥

इसीलिए वे कहते हैं कि 'तीसरेके पश्चात् भी चतुर्थ शुक्लध्यान होता है, फिर भी तीसरेको विवक्षाभेदसे अपश्चिम कहा है।'[2] वस्तुत. उक्त गाथामे चतुर्थ भेदका वर्णन है। इसीलिए अपराजितसूरि इस गथाके 'अकिरिय' आदि शब्दोकी व्याख्यामें 'समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसवकायवाङ्मनोयोगपरिस्पन्दनक्रियाव्यापारत्वात् अक्रियम्' 'अपश्चिम—न विद्यते पश्चाद्भाविध्यानमस्मादित्यपश्चिमम्' तथा 'उत्तम सुक्क' 'परम शुक्लम्' लिखते हैं। इसलिए हमें यह माननेमें संदेह नही है कि यह शुक्लध्यानके चतुर्थ भेदका वर्णन है।

व्युत्सर्ग—उपधिके त्यागको व्युत्सर्ग कहते हैं। इसके दो भेद हैं आभ्यन्तर और बाह्य। मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्यादि षट् दोष, चार कषाय चौदह आभ्यन्तर ग्रन्थ या परिग्रह हैं। इनका त्याग आभ्यन्तर व्युत्सर्ग है तथा क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयन, आसन, कुप्य, भाड आदि दस बाह्य परिग्रह हैं। इनका त्याग बाह्य व्युत्सर्ग है।[3]

पचाचार—दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य और तप इन पाँचमें अतिचाररहित प्रवृत्ति करना पचाचार है।[4] मूलाचारका पाँचवा अधिकार पचाचाराधिकार ही है, जिसमें इनका विस्तारसे दोसौसे भी अधिक गाथाओंमें वर्णन है। यहाँ विनय नामक तपके अन्तर्गत दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपका वर्णन हो चुका है। सम्यक्-

---

१ भगवती आराधना, गाथा १८८२-८३।

२ भगवती आराधना, भाग २, पृ० ८३९।

३ मूलाचार ५/२०९-११

४. मूलाचार ५/२।

दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रका निरतिचार होना क्रमश दर्शनाचार, ज्ञानाचार और चारित्राचार हैं। आभ्यन्तर और बाह्य तपोका यथाशक्ति निर्दोष आचरण करना तपाचार है। अपने बल-वीर्यको न छिपाते हुए आत्माको धर्ममें लगाना वीर्याचार है।

परीषह-जय—साधुको क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, दशमशक, अचेलभाव, अरति, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, तृणस्पर्श, जल्ल, सत्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन[1] इन बाईस परीषहोको सहन करना चाहिए।

द्वादशानुप्रेक्षा—मूलाचार और भगवती आराधना दोनोंमे ही द्वादश अनुप्रेक्षाओका विस्तारसे वर्णन है। मूलाचारका आठवा अध्याय अनुप्रेक्षा अधिकार है। भगवती आराधनामें धर्मध्यानके भेद सस्थानविचयके वर्णनके अवसरपर अनुप्रेक्षाओका वर्णन किया गया है।

अध्रुव—देव, मनुष्य और तिर्यंचो सहित यह समस्त लोक विनाशशील हैं। ऋद्धियाँ स्वप्नके समान हैं। सासारिक सुख जलके बुलबुलेकी तरह अध्रुव है। पक्षियोकी भाँति कुछ कालके लिए एक परिवाररूपी वृक्षपर आ मिलते हैं।

अशरण—अशुभ कर्मके उदय होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है। कोई उपाय नही सूझता। अमृत भी विष हो जाता है, तृण शस्त्र और अपने हो शत्रु हो जाते हैं। कर्मके उपशम होनेपर मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है, उसे भी उपाय सूझने लगता है। इस-प्रकार जीवके सम्यकदर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ही रक्षक हैं।

एकत्व—जीव बन्धु-बान्धवोंके निमित्त और शरीरके निमित्त पाप करता है। पर बान्धवोके तथा अपने शरीरके पोषणके लिए जो पापकर्म करता है, उसका फल अकेला ही भोगता है। बन्धुगण देखते हुए भी उसका प्रतिकार नही करते। इस लोक और परलोकमें जीव अकेला हो कर्मफल भोगता है, क्योकि उसके कर्मफलका बंटवारा करनेमे कोई भी समर्थ नही है।

अन्यत्व—समस्त जीवराशि अपनेमे अन्य है, ऐसा चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। सासारिक सम्बन्ध क्षणिक है। शत्रु भी उपकार करनेसे मित्र, मित्र अपकार करनेसे शत्रु हो जाता है।

ससारानुप्रेक्षा—मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग ये चारो ससारके हेतु हैं। ससाररूपी महासमुद्रमे तीव्र दुखरूपी जल भरा है। कर्मरूपी मलसे भरा हुआ जीवनरूपी जहाज शुभ-अशुभ परिणामरूप वायुसे युक्त अतिभयकर ससार-महासागरमें प्रवेश करके चिरकाल तक भ्रमण करता है।

---

१ मूलाचार ५/५७-५८।

भारवाही मनुष्य तो किसी देश और कालमें अपना भार उतार कर विश्राम कर लेता है किन्तु शरीरवाही जीवको एक क्षणके लिए भी विश्राम नही मिलता है। औदारिक और वैक्रियिक शरीरोके छूट जानेपर भी कार्मण और तैजस शरीर बराबर बने रहते हैं।

लोकानुप्रेक्षा—ससारमें सब सम्बन्ध परिवर्तनशील है। वे पुण्यवान् यतिजन धन्य हैं, जो उक्त ससारदशासे मुक्त हो गये हैं। यह लोकानुप्रेक्षा है। लोकदशाका चिन्तन करनेसे वैराग्य उत्पन्न होता है।

अशुभत्वानुप्रेक्षा—भगवती आराधना तथा मूलाचार दोनोमें ही अशुचित्वके स्थानपर अशुभत्व अनुप्रेक्षा कही गई है। मूलाचारमें यद्यपि सग्रह-गाथामें अशुचित्व-का नामोल्लेख है, पर इसकी सस्कृत छाया अशुभत्व ही है। टीकाकार वसुनन्दि-के समय तक यहाँ मूल शब्द असुहत्त ही रहा होगा, क्योकि उन्होने मूलशब्द अशुभत्व ही मानकर उसका अर्थ अशुचित्व किया है। अन्यत्र सर्वत्र पाँच गाथाओ में अशुभत्व अनुप्रेक्षाके वर्णनमें अशुभ शब्दका ही प्रयोग है।

देह, अर्थ और काम अशुभ हैं। देह अपवित्र है, यह चिन्तन अशुभत्वानुप्रेक्षा है।

आस्रवानुप्रेक्षा—आस्रवके कारण ससारमें परिभ्रमण करना पडता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग आस्रव हैं।

संवरानुप्रेक्षा—आत्माके जिन परिणामोसे नवीन कर्मरूप पुद्गलोका आस्रव रुकता है, उन परिणामोको सवर कहते हैं। मिथ्यात्व सम्यक्त्वद्वारा व हिंसा आदि व्रतो द्वारा रोके जाते हैं। संवरके स्वरूपका चिंतन सवर अनुप्रेक्षा है।

निर्जरानुप्रेक्षा—बद्ध कर्मोंके क्षयको निर्जरा कहते हैं। तपसे निर्जरा होती है। जो कर्म अपना फल दे चुके हैं, वह सविपाक निर्जरा है। जिन कर्मोंका विपाककाल नही आया है, उन्हें तप आदिके द्वारा बलात् उदयमें लाकर क्षय करना अविपाक-निर्जरा है। सविपाक निर्जरा तो सभीके हुआ करती है। तप करनेसे सभी कर्मोकी निर्जरा होती है।

धर्मानुप्रेक्षा—भावपूर्वक धर्मका पालन करनेसे सासारिक सुखके साथ मोक्ष-सुख प्राप्त होता है। जिनेन्द्रका धर्मचक्र जगतमें जयशील है। सम्यग्दर्शन उसकी नाभि है। द्वादशाग श्रुत उसके अर हैं और व्रत तथा तप उसके दो नेमि हैं। यह धर्म उत्तम क्षमादि दश प्रकारका कहा गया है।

बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा—ससारमें भटकते हुए कर्मलिप्त जीवके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् तपश्चरणमय धर्ममे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति दुर्लभ है। अनन्त

ससारमे मनुष्य-भव पाना दुर्लभ है। मनुष्य-पर्याय प्राप्त करने पर भी देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, श्रवण, ग्रहण आदि सुलभ नही है। एक बार प्राप्त होकर नष्ट हुई दीक्षाभिमुख बुद्धिरूप बोधि ससारमे भ्रमण करने वाले जीवको पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है। जो जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट धर्ममे प्रबुद्ध होते हैं तथा जो दीक्षाभिमुख बुद्धिको प्राप्त करके भावपूर्वक धर्मको अपनाते हैं वे महाधन्य हैं।

दशधर्म—मुनियोको क्षमा आदि दश धर्मोंका पालन करना चाहिए, ये दश धर्म हैं—

> खती मद्दव अज्जव लाघव तव सजमो अकिंचणदा।
> तह होदि बभचेर सच्च चागो य दस धम्मा॥[1]

क्षमा, मार्जव, आर्जव लाघव (शौच), तप, सयम, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य, सत्य और त्याग।

दश अनगार-भावनाए—मूलाचारके अनगार-भावनाधिकारमें दश अनगारभावनाओंका भी उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं—

> लिंग वद च सुद्दी वसदिविहार च भिक्ख ठाण च।
> उज्झणसुद्दी य पुणो वक्क च तव तथा झाण॥[2]

अर्थात् लिंग, व्रत, वसति, विहार, भिक्षा, ज्ञान, उज्झन, वाक्य, तप और ध्यान इनकी शुद्धियोपर ध्यान देना चाहिए। उज्झन शुद्धिका अर्थ शरीरसे ममत्व त्याग है।

लिंगशुद्धि—जीवनको चल चपल जानकर मुनि कामभोगोसे उदासीन होकर मनुष्यत्वको असार जानकर मुनिव्रत धारण करते है। गृहवाससे विरक्त होकर बन्धु, बान्धव, धनादिको निर्माल्य पुष्पोकी तरह त्याग देते हैं। वे जन्म-मरणसे उद्विग्न होते हैं। वर्धमानका प्रवचन उन्हें अच्छा लगता है। यह उनकी लिंगशुद्धि है।

व्रतशुद्धि—वे समस्त ग्रथोंसे मुक्त, निर्मम, अपरिग्रही, यथाजात, शरीरसे ममत्व त्यागकर जिनवरके धर्मंमे मन लगाते हैं। पच महाव्रत धारण करते हैं।

वसति—जहा सूर्यास्त हो जाता है, वही अनिकेत वास करने लगते हैं। ग्राममे एक रात निवास करते हैं। नगरमे पाच दिन निवास करते हैं। एकाकी ही गिरिकंदराओमे निवास करते हैं। वसतिकामें अप्रतिबद्ध रहकर ममत्व नही करते। शून्यागार, श्मशान आदि वीरवसतिकाओमें निवास करते हैं। जहा वनोमें वन्य प्राणी भयानक आवाज करते हैं, वहा श्रमणसिंह निवास करते हैं।

विहार—मुक्त, निरपेक्ष, निरुद्विग्न होकर वायुकी तरह स्वच्छन्द विहार करते

---

१ मूलाचार ९/६२

२ मूलाचार ९/३

प्रमाण दोष—जो प्रमाणसे अधिक आहार दे वह प्रमाण दोष है।

इगाल दोष—गृद्धिपूर्वक अगार सहित भोजनको लाना और खाना इगाल नामक दोष है।

धूम दोष—लेकर फिर निंदापूर्वक खाना धूम दोष है।

इनके अतिरिक्त बल, आयु, स्वाद, शरीरकी पुष्टि तथा तेजके लिए भी आहार ग्रहण नही करना चाहिए। वह भी दोष है। उसे ज्ञान, सयम तथा ध्यानके लिए आहार ग्रहण करना चाहिए।

छह कारणोसे भोजन करते हुए भी मुनि धर्मका आचरण करता है। छह कारणोसे त्याग करते हुए भी धर्मका आचरण करता है। वेदनाके उपशमन, अपनी या दूसरोकी वैयावृत्ति, षडावश्यक क्रिया, त्रयोदशविध सयमके पालन, प्राण-रक्षा तथा दश-धर्मोके पालनके लिए आहार ग्रहण करना धर्मपालन है। आतक, उपसर्ग, ब्रह्मचर्य प्राणिदया, तपस्या तथा शरीरत्याग (समाधिमरण) के लिए भोजनका त्याग भी धर्मपालनके लिए है। यह आहार मन, वचन, कायसे व कृत, कारित और अनुमोदनरूप नवकोटिपरिशुद्ध होना चाहिए।

चौदह मल—यह आहार नख, बाल, जन्तु, अस्थि, कण्ड, कुड, पूति, चर्म, रुधिर, मास, बीज, फल, कद, मूल इन चौदह मलोसे रहित होना चाहिए।

भिक्षाग्रहणका काल—सूर्योदय व सूर्यास्तके बाद तीन नाडी समय छोडकर शेष बीचका काल भिक्षाका काल है। इस कालमें क्रमश तीन, दो और एक मुहूर्त तक भोजन करना जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट है।

भोजन करते समय दो भाग भोजनसे तथा तृतीय भाग पानीसे भरना चाहिए। शेष चतुर्थ भाग वायुके सचरणार्थ रिक्त छोड देना चाहिए।

अन्तराय—काक, अमेध्य, छर्दिरोधन, रुधिर, अश्रुपात, जान्वध. आमर्श, जानूपरि व्यतिक्रम, नाभिके नीचेसे निर्गमन, त्यागी वस्तुका भक्षण, जन्तुवध, काकादिके द्वारा पिण्डका अपहरण, पाणिपात्रसे भोजनका गिरना, हाथोंसे जतुवध, मासादिका दर्शन, उपसर्ग, पैरोके बीचसे जीवका निर्गमन, अथवा परिवेषकके हाथसे बरतनका गिर जाना, मल-व्युत्सर्ग, प्रस्रवण, अभोज्यगृहप्रवेश, मूर्च्छादिके कारण गिरना अथवा बैठना सर्पादिके द्वारा काटा जाना, भूमिस्पर्श, पेटसे कोडे गिरना, अदत्तग्रहण, प्रहार, ग्रामदाह, पैर तथा हाथसे भूमि खुरचना आदि अन्तरायके कारण है।

वसतिकाके दोष[1]—पिण्डशुद्धिके उद्गम, उत्पादन और एषणा दोष वसतिकाके भी होते हैं।

---

१ भगवती आराधना, गाथा २३२ व उसकी टीका।

समाधिमरण—भगवती आराधनामें समाधिमरणका विस्तृत वर्णन है। समाधिमरण अथवा सल्लेखनाके तीन भेद हैं—भक्तप्रत्याख्यान, इगिनी तथा प्रायोपगमन।

भक्तप्रत्याख्यान मरण मात्र व गृहस्थ दोनो ही कर सकते हैं।[२] इसके दो भेद है—अविचार और सविचार। अविचारके तीन भेद हैं—निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध। सहसा मरण उपस्थित होने पर किया जाने वाला मरण अविचार भक्तप्रत्याख्यान है। सोच-विचार कर निर्यापकाचार्य खोज कर क्रमश भोजन-पानका त्याग सविचार भक्तप्रत्याख्यान है। शेष दो मरण विशिष्ट सहननधारक मुनियोंके होते हैं। भक्तप्रत्याख्यान ही इस कालके योग्य हैं।

इगिनीमरणका इच्छुक साधु सघसे अलग होकर एकाकी निवास करता है। स्वय अपनी परिचर्या करता है। इनके तीन शुभ सहननोमें एक होता है। निरन्तर अनुप्रेक्षामें लीन रहता है। पैरमें कांटा तथा आँखमें धूलि चुभने पर भी स्वय दूर नहीं करता। भूख-प्यासका प्रतिकार नही करता।

प्रायोपगमनकी विधि भी इगिनीके समान ही है। प्रायोपगमनमें तृणोंके सस्तर का भी निषेध है। उनके लिए स्वय तथा दूसरोकी भी परिचर्याका निषेध है।

ससारमें जीवन-मरण दोनो ही यथार्थ है। अत. ससारी प्राणियोको श्रेष्ठ मरणके लिए जीवनभर प्रशिक्षण लेना तथा अन्तमें तटस्थ वृत्तिसे मरणका वरण करना समाधिमरण है।

आर्यिकाओका सामाचार—[२] आर्यिकाओका सामाचार भी मुनियोके तुल्य ही है। आर्यिकाओका एक ही गणधर होता है, जो गभीर, दुर्धर्ष, मितवादी, प्रसन्नचित्त, चिरप्रव्रजित और गृहीतार्थ होना चाहिए। इन गुणोंसे रहित यदि आर्यिकाओका गणधरत्व करता है, तो गच्छादिका उचित नियत्रण नही कर सकता। आर्यिकाओको गणधरके अनुकूल प्रवर्तन करना चाहिए।

आर्यिकाओको परस्परमें अनुकूल होकर एक-दूसरेकी अभिरक्षा करते हुए रोष, वैर, माया आदिका त्याग कर मर्यादानुरूप आचरण करना चाहिए। अध्ययनमे, पठितशास्त्रके परिवर्तनमें, श्रवणमें, कथनमें, अनुप्रेक्षाओमें और तप, विनय और सयममें मन, वचन, कायसे उपयोग युक्त होना चाहिए।

शरीरसे ममत्वरहित होना चाहिए। वस्त्र तथा वेश अविकार होना चाहिए। उन्हें ऐसी वसतिकामें रहना चाहिए, जो गृहस्थोके घरसे सयुक्त न हो, यतिओंके निवाससे दूर हो, चोर आदिके उत्पातसे दूर हो। ऐसी वसतिकामें दो-तीन आर्यिकायें

---

१ भगवती-आराधना, गाथा ७३।

२ मूलाचार, सामाचाराधिकार ४/१८७-१९६।

साथ निवास करें। किसीके घर अकारण नही जाना चाहिए। अवश्य गमन करना हो, तो गणिनीसे पूछकर और मिलकर जाना चाहिए।

आर्यिकाओको रोदन, बच्चोको नहलाना, भोजन खिलाना, पकाना तथा असि, मसि, कृषि आदि आरभ नही करना चाहिए।[1]

विरतोंके पादप्रक्षालन तथा गीत आदि नही गाना चाहिए। तीन, पांच तथा सात आर्यिकाएँ, स्थविराओके साथ भिक्षाके लिए गमन करती है। वे पांच, छह अथवा सात हाथ दूरसे गवासन द्वारा आचार्य, उपाध्याय और साधुओकी वदना करती है।

शेष सामाचार मुनियोके समान है। इस प्रकार आचरण करने वाली आर्यिकायें कीर्ति, सुख, प्रसिद्धि पाकर अन्तमें सिद्ध होती हैं।

१ आर्यिकायें व्रतधारणके साथ ही उक्त कार्योंका त्याग कर चुकती हैं। फिर इन सबका उल्लेख कर निषेधका क्या प्रयोजन हो सकता है ?

उक्त आचार-सहितासे स्पष्ट है कि यापनीयोको श्रावक तथा मुनिकी आचार-सहिता प्राय दिगम्बरोंके सदृश है। यापनीय भी ज्ञान-चारित्रकी श्रेष्ठताके समर्थक थे। यापनीय मुनि अपवाद-स्थितिमें वस्त्र-पात्र ग्रहण करते थे, रुग्णावस्थामें उपाश्रयमें अन्य मुनि द्वारा लाया हुआ भोजन-पान ग्रहण करते थे। यह भी उक्त आचार-सहितासे विदित होता है। एक क्षपकके समाधिमरणके लिए अधिक-से-अधिक अडतालीस तथा कम-से-कम दो निर्यापकाचार्य कहे गये हैं। ये निर्यापकाचार्य क्षपकके समाधि-मरणमें सहायताके लिए तत्पर रहते थे।

•

षष्ठ परिच्छेद

यापनीयोंका प्रदेय

यापनीयोंका प्रदेय

यापनीय सम्प्रदायने आरम्भिक शताब्दियोमें ही जन्म लेकर लगभग १४वी शताव्दी तक जैन साहित्यको अभिवृद्ध व जैन सस्कृतिको विकसित किया है। इसके शिलालेखीय उल्लेख आरम्भिक शताब्दियोसे ही मिलते हैं। यह उदारचेता सघ अनेकान्तमयी जैन सस्कृतिका परिपालक रहा है। यह कैसे लुप्त हो गया, यह चिन्तनीय है। इस विलुप्त सम्प्रदायका जैन साहित्य और सस्कृतिके विकासमें अविस्मरणीय योगदान है।

आचार और विचार दोनो ही दृष्टियोसे दिगम्बरोसे अधिक मेल खानेसे तथा दिगम्बर यतियोके मध्य इनका निवास होनेके कारण इनका साहित्य प्राय' दिगम्बर साहित्यमें अन्तर्भुक्त हो गया जान पडता है।

यापनीयोंके प्रदेयोका हम सैद्धातिक, साहित्यिक, सामाजिक-सास्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टियोंसे यहाँ सक्षेपमें विमर्श करने है।

धार्मिक—जैन मुनिकी साधना कठोर साधना है। जैन मुनि आत्माभिमुख होता है। इस आत्माभिमुखतामें देहका भान बिसर जाता है। आत्माकी लगनमें बाह्य ममताएँ स्वत छूट जाती हैं। वह इतना आत्मवल सचित कर लेता है कि भीषण उपसर्गों और परीषहोको निर्विकार भावसे सहन करनेमें समर्थ हो जाता है।

उत्कट वलसे रहित मुनियोके लिए इस कठोर मार्गमें स्खलनाओकी भी सभावनाएँ रहती हैं। भीषण दुर्भिक्ष आदि कारणोंसे इस आदर्श कठोर साधनामें शिथिलाचारिताने प्रवेश किया। शिथिलाचारिताका प्रवेश ही सम्प्रदायभेदकी जड है।

सम्प्रदायभेद जब पनप रहा था, साधुओका एक समुदाय भगवान महावीरके आदर्श मार्गमें किंचित् भी सरलताका प्रवेश वर्ज्य मान रहा था, तो दूसरा समुदाय भीषण परिस्थितियोमें शारीरिक सहननकी मदतामें कुछ परिवर्तनको अनिवार्य मान रहा था। अपनी-अपनी मान्यताके आग्रहने उनमें कट्टरताका समावेश कर दिया था।

इन दोनो मान्यताओंके बीचमे एक ऐसा भी साधु समुदाय था, जिसने अहिंसक भगवान महावीरके तीर्थके साधुओकी इस वैचारिक हिंसाको रोकना चाहा। दोनों मान्यताओंमें समन्वय करना चाहा। उन्होने एक ओर महावीर द्वारा उपदिष्ट साधना-मार्गको उत्सर्ग स्वीकार किया, साथ ही परिवर्तित परिस्थितियोमें समयको देखते हुए शारीरिक सहननका विचार कर अशक्त साधुओके लिए कुछ अपवाद मार्गको भी

स्वीकार कर लिया। कट्टरता और असहिष्णुताको त्याग कर एकीकरणका मार्ग प्रशस्त किया। समर्थ साधुके लिए चारित्रको दृढतापूर्वक पालनेका ही उपदेश दिया, अपवाद अनिवार्य एव विशिष्ट परिस्थितियोंमे मान्य किये गये। अपवाद मार्ग कहकर शिथिलाचारके अनावश्यक प्रवेशको भी रोक दिया, साथ ही असक्तोंके लिए मुनिद्वार-को बिल्कुल बंद भी नही किया।

यह उदारचेता सम्प्रदाय यापनीय सम्प्रदाय था। पर साम्प्रदायिक विद्वेषोंमें, सघर्षोमें इसकी उदारताको कही भी प्रश्रय नही मिला। दिगम्बरोंने इसे जैनाभास कहा, श्वेताम्बरोने उपेक्षासे मुँह फेर लिया।

इस सम्प्रदायके जितने भी आचार्य ज्ञात हुए हैं, उनके साहित्यसे स्पष्ट है कि इन साधुओने कही भी अपने सम्प्रदाय आदिका उल्लेख नही किया है। साथ ही न तो इनके साहित्यमे कही भी अपनेसे विपरीत मान्यतावालोंके प्रति आक्रोश या आक्षेप ही प्राप्त होता है। वे अपनी मान्यताओका भी उल्लेख करनेमे बचे है। उदाहरणार्थ भगवती आराधना व विजयोदयामे कही स्पष्टत स्त्रीमुक्ति या केवलिभुक्तिका विधान नही है। यही बात स्वयभूके विषयमें है। उन्होने तो अपने हरिवशपुराणको स्वसमय और परसमय दोनो विचारोको सहन करने वाली कहा है।

'पारभिय पुणु हरिवसकहा, ससमय-परसमयविचारसहा'

आचार्य कुन्दकुन्दने नग्न मार्गके अतिरिक्त शेष मार्गोको उन्मार्ग कहा है, पर यापनीय उसे उन्मार्ग न कहकर अपवादमार्ग कहते हैं। यद्यपि भगवती आराधना और विजयोदयासे स्पष्ट है कि ये भी पूर्ण सयमके पालनके लिए अचेलताको आवश्यक मानते हैं। इसके उपरान्त भी विजयोदयामे आचार्य कुन्दकुन्द व उनकी गाथाओका प्रमाणरूपमें उल्लेख है। सिद्धसेन दिवाकर भी आचार्य कुन्दकुन्दसे प्रभावित रहे हैं।

अतिवादी प्रवृत्तियोंसे बचनेके कारण ही न तो ये दिगम्बरोकी भांति आगम-साहित्यसे वचित रहे हैं और न श्वेताम्बरोकी भाँति इनका आगम-साहित्य शिथिला-चारकी पुष्टिका साधन बना है। जहाँ इन्होने सकलित ११ अगोको प्रमाण माना है, वहाँ दृष्टिवादके अशभूत षट्खण्डागमको भी शिरोधार्य किया है। सचित ज्ञानराशिको एकाएक छोड नही दिया है।

उदारतावादी दृष्टिकोण होने पर भी इनका चारित्र दिगम्बर यतियोसे कथमपि न्यून नही है। भगवती-आराधना, विजयोदया और मूलाचारके पारायणसे स्पष्ट है कि आचरणमें शिथिलता इन्हें इष्ट नही थी। ये आचार्य स्वय चारित्रकी प्रतिमूर्ति रहे हैं। पाल्यकीर्तिके समाधिमरणका स्मारक शिलालेख प्राप्त होता है तथा सिद्धसेन आदि मुनियोंके प्राप्त विवरणोसे उनके निर्मल चारित्रका परिचय मिलता है।

इन यतियोका चारित्र जितना निर्मल था, ज्ञान भी उतना ही विशाल था। तत्त्वार्थसूत्रकार, सिद्धसेन तथा शाकटायनको श्रुतकेवलिदेशीय जैसे विशेषणोसे भूषित किया जाता है। शाकटायनको तो उनके टीकाकारो ने 'सकलज्ञानपदमाप्तवान्' कहा है। अपराजितसूरि आरातीयचूडामणि थे। शिलालेखोमें यापनीय यतियो के लिए प्रयुक्त सैद्धान्तिक, त्रैविद्य, महाप्रकृत्याचार्य आदि उपाधियोसे प्रतीत होता है कि ये षट्खण्डागम आदि ग्रन्थोके विशिष्ट अध्येता थे। इनके उत्कृष्ट ज्ञान और उत्तम चारित्रके कारण विभिन्न शिलालेखोमें इनकी भूरि-भूरि प्रशसा की गयी है तथा श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परामें यापनीय दृष्टिकी उपेक्षाके उपरान्त भी इन्हें सहज सम्मान और आदर प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा रचित साहित्य ही इनके ज्ञानका साक्षी है, जिसमें इनका ज्ञान स्वत प्रतिविम्बित हो रहा है। इसके सिवाय इनके ग्रन्थोल्लेखोको दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो परम्पराओने अपने ग्रन्थोमें आदरके साथ उद्धृत किया है। तत्त्वार्थसूत्र, भगवती आराधना (विजयोदया टीका सहित), मूलाचार, सन्मतितक आदि यापनीयोंके ग्रन्थोको यदि हम जैन साहित्यसे निकाल दें, तो शायद यह कहनेमे कोई अतिशयोक्ति नही कि दिगम्बरोंके पास षट्खण्डागम, कषायपाहुड कुन्दकुन्दभारती व समन्तभद्रभारतीके अतिरिक्त इस कोटिका साहित्य प्राप्त नही होगा।

इस साहित्यने कितने ही नये विचार और नई दृष्टियाँ प्रदान की हैं। सिद्धसेन दिवाकरने क्रमवाद-युगपद्वादके स्थानपर अभेदवादकी स्थापना की है। यह सिद्धसेन-की मौलिक विचारधारा है। भगवती आराधनामे ही समाधिमरण कराने वाले अडतालीस निर्यापकाचार्योका वर्णन हम प्रथमत पाते है। आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यमें छेदोपस्थापना कराने वाले आचार्यको निर्यापकाचार्य कहा है। आचार्यके छत्तीस गुण भी यही प्राप्त होते हैं। आधारवत्व आदि आचार्यके आठ गुणोकी चर्चा भी भगवती आराधनामें ही उपलब्ध होती है।

भगवती आराधनाके विजहना अधिकारमें मुनियोके अन्तिम सस्कारका विवरण मिलता है, जो कि दिगम्बर परम्पराके लिए अश्रुतपूर्व है।

तीर्थङ्करोके धर्ममें अन्तरकी चर्चा भी दिगम्बर परम्परामें अश्रुतपूर्व है। मूलाचार में प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करके धर्मसे शेष मध्यवर्ती तीर्थङ्करोके धर्ममें अन्तरका उल्लेख है। श्वेताम्बर-परम्परा-मान्य दशस्थितिकल्पका वर्णन भगवती आराधना और मूलाचारमें मिलता है।

विजयोदयामें वर्णजनन, अथालदविधि, जिनकल्पविधि, परिहारसयमविधि आदि अनेक विषयोका वर्णन नवीनताको लिए हुए है।

साहित्यिक—यापनीयोंने विविध कोटिके विपुल साहित्यकी सर्जना की है। सस्कृत प्राकृत, अपभ्रश तीनों ही भाषाओमें इनका साहित्य प्राप्त होता है। कन्नड, तेलगु, तमिल भाषाओमें भी इनका साहित्य होना चाहिए।

(तत्त्वार्थसूत्र जैन दर्शनकी महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमे तत्त्व, ज्ञान, आचार, कर्म, भूगोल, खगोल आदि समस्त महत्त्वपूर्ण विषयोका सक्षिप्त प्रतिपादन है। यह ग्रन्थरत्न दोनो ही सम्प्रदायोका कण्ठहार बना हुआ है। दिगम्बर सम्प्रदायमे तो उसके पाठसे एक उपवासका फल माना गया है। इस अमर रचनाके लिए हम यापनीयोंके ऋणी हैं।) (मूलाचार मुनि-आचारका प्रतिपादक ग्रन्थ है, जिसे वीरसेनाचार्यने आचाराग कहा है तथा वसुनन्दिने आचारागका सक्षिप्त रूप) (भगवती आराधना समाधिमरण तथा मुनि आचारका एकसाथ प्रतिपादन करने वाली अनूठी कृति है) (सिद्धसेन दिवाकरका सन्मतितर्क भी अपने क्षेत्रका अद्वितीय ग्रन्थ है। जो दोनो ही सम्प्रदायोंमें दर्शनप्रभावक ग्रन्थके रूपमे मान्य है।) (शाकटायनके दोनो प्रकरण तत्तत् विषयोका प्रतिपादन करने वाले आद्य और अपूर्व प्रकरण है।

रविषेणका पद्मचरित जैन समाजमें उतना ही मान्य और प्रचलित है, जितना कि हिन्दुओमें रामचरितमानस। यह जैन कथा-साहित्यका प्राचीनतम ग्रथ है। इसमें पुराण और महाकाव्य दोनोके लक्षणोका समावेश है। भावात्मक व रसात्मक वर्णनोंके कारण यह एक उत्कृष्ट काव्य है। वाल्मीकि रामायणके अविश्वसनीय प्रसगोको विश्वसनीय बनानेका प्रयत्न किया गया है।

समयकी दृष्टिसे हरिवशपुराण दिगम्बर सम्प्रदायके सस्कृत-कथासाहित्यमे तीसरा ग्रथ है। पद्मचरितके पश्चात् दूसरा क्रमाक जटासिंहनन्दिके वरागचरितका है। इस प्रकार दिगम्बरोका ललित साहित्य भी प्राय• यापनीयो द्वारा अभिवृद्ध हुआ है। हरिवशपुराणकी विशेषता यह है कि इसमे आचार्य जिनसेनने अपने समय-की गुर्वावलि दी है। यह भी उत्तम कोटिका साहित्यिक ग्रन्थ है।

पुन्नाटसघीय हरिषेणका बृहत्कथाकोष भी अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। यह सबसे प्राचीन और परिमाणमे बडा है। इसमे कुल एक सौ सत्तावन कथाए हैं। इनका उद्देश्य आराधनाका महत्त्व बताना है। अन्य जैन सस्कृत-ग्रन्थोकी भाति यहा भी देशी शब्दोका सस्कृतमें प्रयोग हुआ है। जैसे पपा, विकुर्वणा आदि।

ललित वाङ्मयमे स्वयभूकी अपभ्रशकी कृतिया हमें यापनीय कृतियोंके रूपमें उपलब्ध है। इन्होने अपभ्रशकी काव्यधाराको अपनी प्रतिभा द्वारा वेगवती बनाया है। कवित्व और पाण्डित्य दोनो ही स्वयभूमें है। भक्तिकी तन्मयताके कारण इनके प्रबन्धमें गीत-तत्त्व प्राप्त होते हैं। उच्चकोटिके-भाषा कवियोमें उनका प्रमुख स्थान है। छन्दचूडामणि, कविराजधवल आदि उनके विरुद थे। वे प्रकाण्ड विद्वान् थे। व्याकरण, काव्य, शास्त्र, छन्द और धर्म सभी शास्त्रोंका उन्होंने अध्ययन किया है। परवर्ती कथा-प्रबन्धोको इन्होने प्रभावित किया है।

स्वयभू युगकी अपभ्रश-कविताके विवेचनकी दृष्टिसे स्वयभूच्छदका बहुत

महत्त्व है। इन्होने अनेक पूर्ववर्ती तथा समकालीन कवियोके पद्य इसमे उद्धृत किये हैं। उन कवियोंकी विविध काव्यवस्तुओका तथा विविध रसोका सग्रह है। प्राकृत तथा अपभ्रश दोनो ही छन्दोका इसमें सग्रह है। हेमचन्द्रने उन्हें छन्दशास्त्रके महान् आचार्योमें रखा है। राजशेखर अपने छन्द शास्त्रकी रचनामें उनके ऋणी हैं।

(पाल्यकीर्ति अपरनाम शाकटायनके व्याकरणको भी जैन समाजमें बहुत आदर प्राप्त रहा है। स्वोपज्ञ अमोघवृत्तिके उपरान्त भी इसपर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। प्राचीन शाकटायन एक महान वैयाकरण थे, इनके व्याकरणको भी उसी भाति महत्त्व प्रदान करनेकी दृष्टिसे इन्हें शाकटायनकी उपाधिसे विभूषित किया गया है।)

सामाजिक-सास्कृतिक—यापनीयोका उपलब्ध अधिकाश साहित्य दार्शनिक और आचारात्मक साहित्य है। इसमें जन-जीवनके प्रतिबिम्बनका अवसर नही है, इस दृष्टिसे हरिवशपुराण, पद्मचरित तथा स्वयभूके काव्योमें ही तत्कालीन समाज व सस्कृतिकी झलक देखनेको मिलती है।

ऐतिहासिक—(यापनीय सघके साधुओका वर्चस्व एव प्रभुत्व धारवाड, बेलगाव, कोल्हापुर और गुलवर्ग आदि जिलोके क्षेत्रोंमे अत्यधिक था। आन्ध्र तथा तमिलनाडुमें भी इनका कुछ प्रभाव था। श्रवणवेलगोलमें इनका पीठ कभी नही रहा। कर्नाटकके उत्तर भागमें ही इनका प्रभाव था। परवर्ती कालमे यापनीय साधु भी अन्य दिगम्बर सम्प्रदायो की भाति मदिर तथा सस्थाओसे सम्बद्ध होते गये थे।)

यापनीयोका प्रभाव विशिष्ट राजवशों तथा व्यक्तियोपर था, इन वशोंने इन्हें दानादि दिये हैं। कदम्ब, राष्ट्रकट, शिलाहार, चालुक्य, गग आदि राजवशों द्वारा यह सघ मान्य रहा है। कागवाडेमे (वि स १४५१) के शिलालेखमें यापनीय संघके धर्मकीर्ति और नागचन्द्रके समाधिलेखोका उल्लेख है। इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुलुव-राज्यस्थापनाचार्यकी उपाधि प्राप्त थी। यह इस बात का द्योतक है कि इन्होने राज्यकी स्थापनामें योगदान दिया है। यापनीय साधु राजाओके उत्साहको सवर्धित कर उन्हें राज्य स्थापनाके लिए नैतिक वल प्रदान करते रहे होगे। कदम्बके दानपत्रके अनुसार आचार्य अर्ककीर्तिने कुन्निगलके शासक विक्रमादित्यका शनिग्रहके दुष्प्रभावसे उपचार किया था।

गणभेद नामक कन्नड पाण्डुलिपिके अनुसार आधुनिक कोप्वल (कोप्पक्ष) इनका प्रमुख पीठ था। तथा ये कर्नाटक और उसके आस-पास बहुत प्रसिद्ध और प्रभावी थे।

ऐतिहासिक लेखो, विवरणो एव साहित्यिक उल्लेखोसे यह प्रमाणित हो जाता है कि यापनीय दिगम्बरोंके आस-पास रहा करते थे। यापनीयोके कुछ मदिर तथा मूर्तियाँ आज भी दक्षिण भारतमें दिगम्बरो द्वारा पूजी जाती हैं।

वर्तमानकालमे न तो मुक्ति ही है और न केवली ही हैं, अत केवलिभुक्ति तथा

स्त्रीमुक्ति केवल विद्वानोकी चर्चाका विषय मात्र रह गये है। जनसाधारणपर इन सिद्धान्तोकी मान्यता/अमान्यताका विशेष प्रभाव नही होता। यही कारण है कि यापनीय और दिगम्बर एक साथ रहते हुए एकाकार हो गये जान पडते है। इस एकीकरणके प्रमुख दो कारण हो सकते हैं एक यापनीयोकी उदारदृष्टि तथा दूसरा उनकी संख्यामे अपेक्षाकृत अल्पता। यही कारण है कि भगवती आराधना, विजयोदया तथा पउमचरिउ आदि ग्रथोमें कही भी हम इन सिद्धान्तोकी स्पष्ट चर्चा नही पाते हैं। धीरे-धीरे कालान्तरमे यह चर्चा और भी कम होती गई होगी। साथ ही सख्यामें अल्प होनेके कारण दिगम्बर सम्प्रदायका वर्चस्व इन्होंने स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि यापनीय साधु, श्रावक व साहित्य दिगम्बरोमें पूर्णत अन्तर्लीन हो गये हैं और अब उनका नाम शेष ही रहा है।

यापनीयोने दिगम्बर साहित्यको भी पर्याप्त मात्रामें प्रभावित किया है। प० आशाधरजी के ग्रन्थ इसके उदाहरण स्वरूप उल्लेखनीय हैं। कर्नाटकस्थ दिगम्बरोको यापनीय विचारधाराने प्रभावित किया है, यह कहनेके लिए हम चामुण्डरायकृत चारित्रसारसे ही कुछ उदाहरण ले सकते है।

१ दिगम्बर साधु श्रावकको धर्मवृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया करते हैं, जबकि यापनीय साधु 'धर्मलाभ' कहा करते थे। चारित्रसारमें एक मुनिको धर्मलाभ देते हुए दिखाया गया है।[1]

२ सम्यक्त्वके आठ अगोमें उपगूहनके स्थानपर उपबृहण अगका उल्लेख है। विजयोदया टीकाकारने सर्वत्र उपगूहनके स्थानपर उपबृहण अंग ही बतलाया है।

३ सम्यक्त्वके अतिचारोमे विचिकित्साका अर्थ दिगम्बर परम्परामें साधुके शरीरमें अथवा आत्मिक गुणोमे ग्लानि करना माना गया है। जबकि यापनीय व श्वेताम्बर परम्परामें मतिविप्लुति[2] को विचिकित्सा माना गया है।

चामुण्डरायने भी दोनोही अर्थ किये हैं—'शरीराद्यशुचित्वभावमवगम्य शुचीति मिथ्यासकल्पापनयोऽथवार्हत्प्रवचने इदमयुक्त घोर कष्ट नचेदिद सर्वमुपपन्नमित्यशुभभावनानिरासो विचिकित्साविरह: ।'[3]

निष्कर्ष यह है कि यापनीय सम्प्रदायने सैद्धान्तिक, साहित्यिक, सास्कृतिक आदि विपुल साहित्यकी रचनाकर जैन साहित्यको गौरवान्वित किया है। साथ ही अपनी उदार विचारधारा, उत्कृष्ट ज्ञान और उत्तम चारित्रके द्वारा जैन सस्कृतिको प्रसृत किया है। उनके इस प्रदेयके लिए जैन सस्कृति उनकी ऋणी है।

●

---

१ "यथा च विन्ध्य-मलय-कुटजवने किरातमुख्य खदिरसार समाधिगुप्तमुनिं दृष्ट्वा प्रणता.। तस्मै धर्मलाभ इत्युक्ते " श्रावकाचारसग्रह, भाग १ मे सग्रहीत पृ० २५२। २ श्रावकाचार, भाग १, पृ० २३६।

३ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र ७/१ पृ० ३३९।